सेक्टर कार्यक्रम हेतु संचालन मेनुअल

5 सितंबर, 2006

परियोजना प्रबंधन इकाई

मसूरी डायवर्जन रोड, मक्कावाला पोस्ट बॉक्स : 154, देहरादून

दूरभाष– 91–135–2733380/2733455, फैक्स–91–135–3733381

ई–मेल : **pum_uttaranchal@rediffmal.com**
pum_uttaranchal@yahoo.com

विषय सूची

कार्यपालक सार

प्राकथन

अध्याय 1 भूमिका

अध्याय 2 उत्तरांचल में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर का वर्तमान परिदृ”य

अध्याय 3 सकल क्षेत्र में समरूप नीति तथा सेक्टर कार्यक्रम की अवधारणा

अध्याय 4 सामाजिक निर्धारण–सामाजिक मुद्दों से संबंधित

अध्याय 5 उत्तरांचल में सेक्टर कार्यक्रम हेतु संस्थागत व्यवस्था

अध्याय 6 सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रीतियां

अध्याय 7 जल आपूर्ति परियोजनाओं के चयन तथा नियोजन की विधियां

अध्याय 8 दक्षता विकास आयोजना

अध्याय 9 संचार कार्य नीति

अध्याय 10 वित्तीय प्रबंधन दि”ाा–निर्दे”ा

अध्याय 11 सेक्टर कार्यक्रम के लिए वसूली व्यवस्था

अध्याय 12 जल प्रवाह क्षेत्र का संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम

अध्याय 13 पर्यावरणीय प्रबंधन ढांचा

अध्याय 14 सेक्टर कार्यक्रम हेतु मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था

संलग्नकों की सूची

संलग्नक 1 राज्य का परिचय

संलग्नक 2 आर.जी.एन.डी.डब्लू.एम. सर्वे का ब्यौरा

संलग्नक 3 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रम

संलग्नक 4 सेक्टर कार्यक्रम हेतु परिकल्पनाएं

संलग्नक 5 उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर कार्यक्रम का ब्यौरा

संलग्नक 6 उत्तरांचल जल निगत, उत्तरांचल जल संस्थान, परियोजना प्रबंधन इकाई के जन शक्ति का ब्यौरा

संलग्नक 7 सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम का प्रस्तावित संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 8 उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के लिए अधिसूचना नंबर 308–86–(16)–2005

संलग्नक 9 राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान सचिवालय का संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 10 परियोजना प्रबंधन इकाई का संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 11 उत्तरांचल पेय जल निगम का संस्थागत चार्ट

संलग्नक 12 उत्तरांचल जल संस्थान का संस्थागत चार्ट

संलग्नक 13 जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई का संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 14 उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के जनपदीय प्रभागों का संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 15 प्रारंभिक सूचना ि''ाक्षा संचार हेतु सेवा एजेंसियों से विचारार्थ विषय

संलग्नक 16 स्टाफ की आव''यकताओं का ब्यौरा

संलग्नक 17 सहायता संस्थाओं की पात्रता कसोटी (मानदंड)

संलग्नक 18 सेक्टर कार्यक्रम हेतु सहयोगी संस्थाओं के इन्टेक प्रपत्र

संलग्नक 19 सहयोगी संस्था आकलन प्रपत्र

संलग्नक 20 सेक्टर कार्यक्रम हेतु ग्राम पंचायतों के चयन/बरियता के मानदंड

संलग्नक 21 सेक्टर कार्यक्रम में सौभागिता हेतु ग्राम पंचायतों के लिए वचनबंध टिप्पणी

संलग्नक 22 सेक्टर कार्यक्रम में बहुग्रामीण परियोजनाओं हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा लिए जाने वाली संयुक्त वचनबंध

संलग्नक 23 नियोजन प्रावस्था अनुबंध

संलग्नक 24 ग्राम पंचायतो के चयन हेतु पूर्व साध्यता फोर्मेट

संलग्नक 25 कार्यान्यिन प्रावस्था का तिमाही (क्वाडरूपेल) अनुबंध

संलग्नक 26 निकास कार्य विधि

संलग्नक 27 बहुग्रामीण परियोजनाओं हेतु उत्तरांचल जल निगम, बहुग्रामीण परियोजना स्तर समितियों तथा जनपद जल तथा स्वच्छता समितियों के बीच करार

संलग्नक 28 बहुग्रामीण परियोजनाओं हेतु उत्तरांचल जल संस्थन बहुग्रामीण परियोजना स्तर समितियों तथा जनपद जल तथा स्वच्छता समितियों के बीच करार

संलग्नक 29 तकनीकी मुद्दे

संलग्नक 30 बैच 1 हेतु दक्षता विकास योजना

संलग्नक 31 बैच 1 हेतु मीडिया कार्य योजना

संलग्नक 32 वन भूमि हस्तांतरण

संलग्नक 33 स्त्रोत केंद्रीय उपचार कार्यों हेतु लागत

संलग्नक 34 परयावरणीय कर्म संहिता

संलग्नक 35 मानीटरीकरण तथा ढांचा कार्यों के परिणाम

कार्य पालक सार

इस संचालन में मेनुअल का उद्‌दे''य उत्तरांचल सरकार द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु उपयोग में ले आई गई सकल क्षेत्र में समरूप नीति (जिसे सेक्टर कार्यक्रम कहा जाएगा) का विवरण प्रस्तुत करने के साथ–साथ इनके क्रियान्वयन हेतु संचालन का ब्यौरा भी देना है। यह मेनुअल सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संदर्भ सामग्री को एकत्र करकर तैयार किया गया है। जिसका प्रयोग क्रियान्वयन की कार्य विधि के मूल्यांकन हेतु किया जाना है जिससे की इस सेक्टर में मांग आधारित दृष्टिकोण के मूल तथ्यों को भी समझा जा सके।

इस मेनुअल का संबंध अन्य ऐसे मेनुवलों से भी है जिनमें इस क्षेत्र से संबंधित वि''ोष पहलुओं की जानकारी दी गई है। इस मेनुअल को कई अध्यायों में विभक्त किया गया है। जिससे की कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर उचित प्रका''ा डाला जा सके। इन अध्यायों का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार है–

प्राकथन

इस अंतर्गत संक्षेप में मेनुअल के उद्‌दे''यों की जानकारी के साथ–साथ सेक्टर कार्यक्रम के अन्य तथ्यों को जो एक दूसरे से संबंधित है का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही मेनुअल का किसा प्रकार प्रयोग करें और इसे नियमित रूप से कैसे अद्यतन करे, इसकी भी जानकारी दी गई है।

अध्याय 1 भूमिका में उत्तरांचल राज्य का संक्षेप में ब्यौरा दिया गया है। संलग्नक 1 में राज्य का महत्वपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय 2 उत्तरांचल में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर का वर्तमान परिदृश्य में उत्तरांचल राज्य में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के वर्तमान परिदृ''य को प्रस्तुत किया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मि''ान द्वारा 2003 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण आबादियों में जल आपूर्ति की अभिनव जानकारी दी गई है। और इसे संलग्नक 2 में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत जल आपूर्ति परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा रख–रखाव की मौजूद कार्यविधियों को द''ार्या गया है। जिसमें उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (स्वजल प्रावस्था–1) तथा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सेक्टर सुझार परियोजना, स्वजल धारा कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जो वर्तमान में चल रही परियोजनाए हैं, को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में सेक्टर के अंतर्गत पूरे राज्य में क्रियान्वित की जा रही एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं हेतु सामुदायित भागीदारी के माडल को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरांचल में जल तथा स्वच्छता सेक्टर में किए जाने वाले परिवर्तनों की आव''यकता के विषय में भी चर्चा की गई है।

अध्याय 3 सकल क्षेत्र में समरूप नीति तथा सेक्टर कार्यक्रम की अवधारणा इसके अंतर्गत सकल क्षेत्र में समरूप नीति की अवधारण का ब्यौरा दिया गया है। जिसके अनुसार ''सेक्टर सहयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जनता द्वारा लगाया जाने वाला धन है जिसे एक एकल सेक्टर नीति तथा व्यय कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के नेतृत्व में चलाया जाना चाहिए इसके लिए पूरे सेक्टर में समान कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए तथा कार्य की प्रगति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कार्य विधि का उपयोग संवितरण तथा लेखा हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए।'' इस अध्याय में सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जल तथा स्वच्छता संबंधी सरकार की नीतियों को भी चर्चित किया गया है। उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना तथा सेक्टर क्रियान्वयन कार्यक्रम की तैयारी का ब्यौरा भी इस अध्याय में दिया गया है।

अध्याय 4 सामाजिक निर्धारण-सामाजिक मुद्‌दों से संबंधित सामाजिक निर्धारण के अंतर्गत मुख्य रूप से लाभार्थियों का सामाजिक–वित्तीय विकास संबंधी प्रोफाइल राज्य स्तर, जनपद तथा ग्रामीण स्तर पर तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत सहभागियों का वि''लेषण भी किया जाता है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जनपद तथा राज्य स्तर

पर सहभागियों की पहचान करना भी सम्मिलित है। इसमें जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं से जुड़ी उनकी अपेक्षाओं तथा अन्य मुद्दों की पहचान भी की जाती है। सामाजिक प्रभाव निर्धारण तथा जोखिम वि''लेषण कर उनके प्रबंधन हेतु किये जाने वाले कार्यो को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

अध्याय 5 उत्तरांचल में सेक्टर कार्यक्रम हेतु संस्थागत व्यवस्था इस अध्याय के अंतर्गत उत्तरांचल में संस्थागत व्यवस्था की पूरी तस्वीर प्रस्तुत की गई है। डब्ल्लू.ए.टी.एस.ए.एन. सेक्टर की राज्य में वर्तमान ढांचे तथा उत्तरांचल पयेजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान जैसे बोर्डों के गठन के साथ–साथ स्वजल निदे''ालय जैसी सोसाइटी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इन संस्थाओं के वर्तमान ढांचे, उनके कार्य तथा जन''क्ति के ब्यौरे भी विस्तार से दिए गए हैं। सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु इन संस्थाओं की प्रस्तावित भूमिका तथा उत्तरदायित्व पर भी प्रका''ा डाला गया है। राज्य स्तर, जनपद स्तर, ग्राम पंचायत/उपभोक्ता स्तर पर सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन का भी वर्णन किया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई शीर्ष समिति राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के कार्य को करेगी। यह शीर्ष समिति संपूर्ण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के लिए नीतिगत दि''ाा–निर्दे''ा विकसित करेगी। राज्य स्तर पर यह समिति विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु निर्दे''ा जारी करेगी।

उत्तरांचल सरकार के पेयजल विभाग में एक प्रकोष्ठ अलग से बनाया जाएगा जोकि राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। प्रारंभिक तौर पर इस प्रकोष्ठ के मुखिया के पद पर उत्तरांचल सरकार के पेयजल विभाग के अपर सचिव कार्य करेंगे। और इस प्रकोष्ठ में निष्ठावान, पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी हेांगे। उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के अधिक्षक इंजीनियंर से नीचे के पद वाले अधिकारी इसमें नहीं होंगे साथ ही साथ राज्य वित्तीय सेवा के एक वरिष्ठ स्तर का वित्तीय अधिकारी भी इसमें होगा। उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा ग्रामीण जल आपूर्ति पर्यावरण तथा स्वच्छता सोसाइटी (परियोजना प्रबंधन इकाई) द्वारा सुधार नीतियों के अंतर्गत किए जा रहे क्रियाकलापों की देख–रेख करने का उत्तरदायित्व इस प्रकोष्ठ का होगा। सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इस प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

राज्य सरकार तथा राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार सेक्टर कार्यक्रम को जिला स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान, जिसका नेतृत्व जिला पंचायत के अध्यक्ष करेंगे, उत्तरदायी होगी। जनपद जल तथा स्वच्छता समिति, जिसका नेतृत्व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी करेंगे, जनपद स्तर पर दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों में जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान की सहायता करेगा।

क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं की संख्या के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतें अलग से उपभोक्ता जल आपूर्ति तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन करेंगी। उपभोक्ता जल आपूर्ति तथा स्वच्छता उपसमिति को ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति की एक उपसमिति के रूप में को जाना जाएगा। बहुग्रमीण परियोजना स्तर की समिति का निर्माण बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अपनी सेवाएं एक से अधिक ग्राम पंचायतों को देगी इस समिति का उत्तरदायित्व सेक्टर संस्थाओं तथा विभिन्न उपभोक्ता जल आपूर्ति तथा स्वच्छता समितियो के बीच समन्वय स्थापित करना होगा।

इस अध्याय के अंत में सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था के विभिन्न संस्था–रेखाचित्र दिए गए हैं।

अध्याय 6 सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रीतियां इस अध्याय में सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है। इस अध्याय में विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए परियोजना चक्र तथा निवे''ा के दि''ाा–निर्दे''ा भी प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्याय 7 जल आपूर्ति परियोजनाओं के चयन तथा नियोजन की विधियां सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संचालन विधियों का ब्यौरा इस अध्याय में दिया गया है। जिसमें एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान तथा जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान के स्तर पर क्रियात्मक विधियों को भी सम्मिलित किया गया है।

अध्याय 8 दक्षता विकास आयोजना सेक्टर कार्यक्रम के विभिन्न सहभागियों के दक्षता विकास कार्यक्रम तथा ऋणनीति का ब्यौरा इस अध्याय में दिया गया है। सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण जल आपूर्ति पर्यावरण तथा स्वच्छता के सुदृढ़ीकरण में सम्मिलित सभी सहभागियों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है– शीर्ष स्तर पर सहभागी, ऋणनीति स्तर पर सहभागी, मध्यम स्तर पर सहभागी तथा तृणमूल स्तर पर सहभागी ''सेक्टर संस्थाओं तथा पंचायती राज्य संस्थाओं की भूमिका तथा उत्तरदायित्व'' शीर्षक से किए गए अध्ययन की संसुतियों के आधार तथा अन्य अभिनव अध्ययनों के अधार पर महत्वूपर्ण सहभागियों की पहचान की गई है। साथ ही साथ उनकी वर्तमान दक्षता में जो कमी पाई गई है उन्हें दूर करने के लिए वि”ोष दक्षता निर्माण की आव”यता महसूस की गई है।

अध्याय 9 संचार कार्य नीति इस अध्याय के अंतर्गत सेक्टर कार्यक्रम से संबंधित संचार के सभी पहलुओं की जानकारी दी गई है जिसमें नियोजन तथा क्रियान्वयन रणनीति, कार्यक्रम कार्यपालकों के बीच विचार–विम”ा कार्यक्रम कायपालकों तथा लक्षित समुदाय के बीच विचार–विम”ा तथा परियोजना एवं उपकार्यक्रमों का क्रियान्वयन, कार्यक्रम कार्यपालकों के बीच लिंग संवेदना, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यपालकों का प्र”िाक्षण मीडिया से संबंध तथा कार्यक्रम हेतु बाहरी सहभागियों का सहयोग।

अध्याय 10 वित्तीय प्रबंधन दिशा-निर्देश इस अध्याय में सेक्टर कार्यक्रम के वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है। इस कार्यक्रम के सभी सहभागियों के लिए वर्तमान निधि के प्रवाह तथा लेखा व्यवस्था के साथ–साथ प्रस्तावित निधि प्रवाह तथा लेखा व्यवस्था को इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय 11 सेक्टर कार्यक्रम के लिए वसूली व्यवस्था इस अध्याय के अंतर्गत सेक्टर कार्यक्रम के वसूली के पहलू पर प्रका”ा डाला गया है। वसूली का मुख्य उद्दे”य उचित गुणवत्ता के कार्य, सामग्री या सेवा को उचित या प्रतियोगी मूल्य पर प्राप्त करना है। जिसके लिए सभी व्यक्तियों/कंपनियों/फर्म/निर्माता/ठेकेदारों को समान अवसर दिया जाएगा जोकि उत्तम प्रकार की सेवा तथा कार्य करने की दक्षता रखते हैं। इस अध्याय में वसूली की विभिन्न विधियों के ब्यौरे के साथ–साथ वसूली योजना को भी सम्मिलित किया गया है। जिसके अंतर्गत कार्यों, सामग्रियों तथा सेवाओं का विवरण तथा उनका मूल्य भी दिया गया है जोकि तकनीकी और प्र”ाासनिक रूप से अनुमोदित अनुमानित लागत के अनुसार द”ााए गए हैं।

अध्याय 12 जल प्रवाह क्षेत्र का संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रमों को इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के पर्यावरणीय घटक के अंतर्गत स्त्रोतों के संरक्षण तथा उनकी दीर्घकालिकता के साथ–साथ उनको चिन्हित करने को प्रमुखता दी गई है। स्वजल कार्यक्रम के सूक्ष्म जल ग्रहण उपचार विधियों के अंतर्गत स्त्रोतों के संरक्षण तथा स्थानीय सोतो के संभरण के विषय में पहले ही बताया जा चुका है। सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें और भी अच्छा बनाया जाएगा। स्त्रोतों के अंतर्गत वर्ष भर प्रवाहित होने वाले झरनों का जल, सरिताओं का जल तथा छीछले तथा गहरी प्रकृति के असंदूषित सोते आते हैं। जिनका प्रयोग एकल/बहुग्रामीण आधार पर पाइप द्वारा जल आपूर्ति की योजनाओं में प्रयोग किया जाता है।

अध्याय 13 पर्यावरणीय प्रबंधन ढांचा इस अध्याय में सेक्टर कार्यक्रम के लिए पर्यावरण प्रबंधन ढांचे को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत यह द”ााया गया है कि किस प्रकार महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान की जाए, निर्धारिण किया जाए तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उनका किस प्रकार प्रबंधन तथा मानीटरीकरण किया जाए। इसके अंतर्गत सेक्टर कार्यक्रम के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें मुख्य कार्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग तथा संस्थागत हस्तक्षेप को भी सामानांतर रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को एक–एक कर दिया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण तथ्यों तथा जांच बिंदुओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों यथा जल की रा”ाि, जल की गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्वच्छता, संस्थागत व्यवस्था, निधि प्रवाह तंत्र तथा परीक्षण विधियां भी इस ढांचे तथा कार्ययोजना में सम्मिलित की गई है।

अध्याय 14 सेक्टर कार्यक्रम हेतु मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था इस अध्याय में सेक्टर कार्यक्रम के मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था पर प्रका"ा डाला गया है। प्रस्तावित मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था के निम्नलिखित 4 घटक है :

- कंप्यूटर आधारित प्रबंधन सूचना व्यवस्था
- आअवधिक समीक्षा
- दीर्घकालिकता मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन
- सामुदायिक मानीटरीकरण

संलग्नक 35 में सेक्टर कार्यक्रम हेतु परिणाम ढांचा वि"लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

प्राक्थन

प्राकथन के अंतर्गत निम्नलिखित पर प्रका’’ा डाला गया है–

- मेनुअल का विषय क्षेत्र
- सेक्टर कार्यक्रम के विभिन्न तत्व तथा उनके आपसी संबंध
- मेनुअल का प्रयोग कैसे करें, तथा
- मेनुअल को अद्यतन करने के तरीके

मेनुअल का विषय क्षेत्र

सेक्टर कार्यक्रम के लिए संचालन मेनुअल को उत्तरांचल सरकार के जल तथा स्वच्छता सेक्टर में अपनाई जाने वाली नीतियों तथा दि’’ाा–निर्दे’’ाों के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें सकल क्षेत्र में समरूप नीति का पालन किया गया है। सेक्टर कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन हेतु यह मेनुअल एक तैयार निंदे’’िाका के रूप में उपयोगी रहेगा। सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन को उत्तम ढंग से नियोजित तथा व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए यह मेनुअल तैयार किया गया है।

इस मेनअुल में उत्तरांचल में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर से जुड़े मुद्दों से तथा वर्तमान परिदृ’’ाय का वर्णन किया गया है साथ ही साथ सकल क्षेत्र में समरूप नीति की अवधारणा की ब्यौरा भी दिया गया है। सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु इस मेनुअल में राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर पर वर्तमान तथा प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्था का ब्यौरा भी दिया गया है। इसमें क्रियान्वयन की प्रवृतियों की विस्तार से सूचना दी गई है।

यह मेनुअल कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु संदर्भ सामग्री का एक संग्रह है जिसका प्रयोग क्रियान्वयन हेतु विधियों की वरियता तथा मांग आपूर्ति के मूल भाव को समझने के लिए किया जाना है।

सेक्टर कार्यक्रम के विभिन्न तत्व तथा उनके आपसी रिस्ते

सेक्टर कार्यक्रम में तीन घटकों को सम्मिलित किया गया है। संचालन मेनुअल में विभिन्न मद्दों तथा कार्यक्रम के घटकों का सामान्य ब्यौरा दिया गया है। वि’’ोष आयाम के संबंध में विस्तृत सूचना संलग्नों में दी गई है।

कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मुद्दों, यथा तकनीकी, वित्तीय, वसूली, पर्यावरण तथा मानीटरीकरण एवं मूल्यांकन, से संबंधित वि’’ोष संर्दभों की भी आव’’यकता पड़ती है।

कार्यक्रम की तैयारी के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित मेनुअल तैयार किए गए हैं :

- तकनीकी मनुअल
- वित्तीय प्रबंधन मेनअुल
- वसूली मेनुअल
- पर्यावरण मेनुअल
- मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन मेनुअल

उपरोक्त मेनुअलों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों पर प्रायोगिक दि''ाा–निर्दे''ा हेतु कुछ अन्य दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं जो निम्न प्रकार है :

- सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट
- दक्षता निर्माण आयोजना
- संचार रणनीति
- स्वच्छता तथा साफ–सफाई संवर्धन रणनीति
- जल ग्रहण क्षेत्र उपचार आयोजना

मेनअुल में दी गई सूचनाओं के विषय में यथा स्थान आव''यकता पड़ने पर उनके आपसी संबंधों के विषय में भी बताया गया है।

मेनुअल का प्रयोग कैसे करें?

सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उपरोक्त मेनुअलों तथा दस्तावेजों को बराबर देखकर कार्य किया जाना है। यह संचालन मेनअुल सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान दि''ाा–निर्दे''ा हेतु तैयार किए गए विभिन्न मेनुअलों तथा दस्तावेजों के बीच आपसी रिस्ता स्थापित करने का एक आधार प्रदान करेगा।

मेनुअल को अद्यतन करना

जैसे–जैसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता जाएगा वैसे–वैसे संस्थागत, वित्तीय तथा प्रक्रिया व्यवस्था संबंधी नए–नए अनुभव प्राप्त होंगे। जिन पर ध्यान देकर ही कार्यक्रम के लिए बड़े उद्दे''यों को प्राप्त किया जा सकेगा। क्षेत्रिय अनुभव तथा विभिन्न साझेदारों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस दस्तावेज में आव''कता परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। जिससे की सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन को दीर्घकालिकता प्रदान करने के लिए प्रभाव''ाली ढंग से उपयोग किया जा सके। ऐसी स्थिति में इस मेनुअल में उपयुक्त अधिकारियों द्वारा परिवर्तन किया जाएगा। जिससे की कार्यक्रम को प्रभाव''ाली ढंग से क्रियान्वित कर मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय 1

भूमिका

1. उत्तरांचल राज्य के विषय में जानकारी

1.1 सामान्य

नवंबर 2000 में उत्तर प्रदे''ा से अलग कर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और इसकी राजधानी देहरादून बनाई गई। भगोलिग दृष्टि से यह राज्य 77034′ तथा 81002′ पू. लोंगिचूट तथा 280 43′ तथा 310 27′ उत्तर लेटीचूट के मध्य स्थित है। यह राज्य केंद्रीय हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख भाग है। इसका पूरा क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. है और इसका 63 प्रति''ात वनाच्छादित है। राज्य में 13 प्र''ाानिक जनपद यथा अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बाग्वे''वर, चम्पावत तथा ऊधमसिंहनगर कुमाऊं परिमंडल में तथा चमोली, पौड़ी, टेहरी गढ़वाल, उत्तरका''ाी, हरिद्वार, देहरादून तथा रूद्रप्रयाग गढ़वाल परिमंडल में स्थित हैं। प्र''ाानिक जनपदों को 49 तहसीलों तथा 95 विकास ब्लॉकों में विभक्त किया गया है।

1.2 भूसंरचना/जलवायु

उत्तरांचल में भौगोलिक तथा स्थलाकृतिक रूप से अत्यधिक भिन्नता मौजूद है। 88 प्रति''ात भूभाग पहाड़ी है जबकि बाकी बचा हुआ हिस्सा दक्षिण में स्थित भाभर तथा तराई क्षेत्रों में है। यहां की ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 7000 मीटर के बीच पाई जाती है। यहां का तापमान 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रट के बीच मिलता है। जाड़े मौसम में यहां के अधिकां''ा हिस्सों में तापमान जमाव बिंदू के नीचे तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत मांग 1500 मि.मी. के आस–पास है।

1.3 जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या 84,89,349 थी। इनमें से 63,10,275 की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में फैले 16623 राजस्व ग्रामों तथा 39,967 बसाहतों में रहती है। जनसंख्या का बसाहत दूर–दूर तक फैला हुआ है और यह मुख्यतः गधेरों तथा नदियों जैसे जल स्त्रतों के आस–पास स्थित है। केंद्रीय हिमालय तथा निम्न हिमालय के 20 से 70 डिग्री की ढलानों पर ये वासस्थल स्थित हैं।

1.4 साक्षरता स्तर

राज्य की साक्षतर दर 72.7 प्रति''ात है। यह दर 1951 में 57.7 प्रति''ात थी। इससे यह ज्ञात होता है कि इस बीच साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है। पुरूषों में साक्षरता दर 84 प्रति''ात तथा महिलाओं में 60 प्रति''ात है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 68.1 प्रति''ात है। ग्रामीण जनसंख्या में पुरूषों की साक्षरता दर 81.8 प्रति''ात तथा महिलाओं की साक्षरता दर 54.7 प्रति''ात है।

उत्तरांचल राज्य के विषय में महत्वपूर्ण ब्यौरे संलग्नक 1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्याय 2

उत्तरांचल में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर का वर्तमान परिदृश्य तथा मुद्दें

2.1 राज्य में जलापूर्ति की स्थिति

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मि''ान के अनुसार ग्रामीण वासस्थलों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है–

2.1.1 अनाच्छादित : इस श्रेणी में पेयजल का स्त्रोत मैदानी इलाकों में वासस्थल से 1.6 किमी. से दूर नहीं होगा। जबकि पहाड़ी इलाकों में इसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी। पेयजल का स्त्रोत सार्वजनिक या निजी, कोई भी हो सकता है।

2.1.2 आं''ािक रूप से आच्छादित इस श्रेणी में सुरक्षित पेयजल के वे स्त्रोत (निजी या सार्वजनिक) आते हैं। जिनकी क्षमता 10 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर से 40 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर तक है तथा इनकी मैदानी इलाकों में वासस्थल से दूरी 1.6 किलोमीटर तथा पहाड़ी इलाकों में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला नहीं है। ऐसे जल स्त्रोतों को आं''ािक रूप से आच्छादित श्रेणी में रखा गया है।

2.1.3 पूर्ण आच्छादित : जिन वासस्थलों में सुरक्षित पेयजल का स्त्रोत (निजी या सार्वजनिक) मैदानी इलाकों में वासस्थल से 1.6 किलोमीटर दूर तथा पहाड़ी इलाकों में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, और जिसकी क्षमता 40 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर है उसे पूर्ण आच्छादित श्रेणी में रखा गया है।
ग्रामीण आबादी में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल निगम के 2003 में किए गए सर्वे के अुनसार पेयजल आच्छादन की स्थिति तालिका 2.1 में द''ाायी गई है।

तालिका 2.1 आबादियों का वर्गीकरण

वर्गीकृत आबादी	आबादी की संख्या
पूर्ण आच्छादित	20739
आं''ािक आच्छादित	13899
अनाच्छादित	4542
जहां आबादी नहीं है	787
योग	39967

उपरोक्त सर्वे में ग्रामीण आबादी को एक राजस्व ग्राम के अंतर्गत रखा गया है जिसे पांच घर या 25 व्यक्तियों के स्थाई रूप से बसने के ढंग से परिभाषित किया गया है।

यह सभी 39967 ग्रामीण आबादी 16623 राजस्व ग्रामों में बसती है और जो 7562 ग्राम पंचायतों में फैली हुई है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल निगम के 2003 के सर्वे के अनुसार विभिन्न आबादियों के श्रेणियों को जनपदवार संलग्नक 2 में द''ाया गया है।

2.2 संस्थाओं में ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता की स्थिति

तालिका 2.2 में राज्य में ग्रामीण संस्थाओं के वर्तमान आच्छादन की स्थिति को द''ाया गया है।

तालिका 2.2 : ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता संस्थान

क्र. सं.	संस्था	कुल संख्या	आच्छादित	आच्छादन के लिए शेष
1.	स्कूल के भवन	12758	6134	6624
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उपकेंद्र	902	405	497
3.	आंगन बाढ़ी/बालवाढ़ी	1724	533	1191
4.	पंचायत घर/अधिकारी	2608	700	1908
5.	मंडी स्थल	837	380	457
	योग	18829	8152	10677

2.3 ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति

ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति को तालिका 2.3 में द''ाया गया है–

तालिका 2.3 : ग्रामीण स्वच्छता

ग्रामीण जनसंख्या का योग (2001 जनगणना)	:	6429308
ग्रामीण ग्रहधारिता (@ 5 व्यक्ति/ग्रहधारिता)	:	1285862
शौचालय युक्त ग्रहों का योग	:	267707
स्वच्छता आच्छादन	:	**21%**
आच्छादित किए जाने वाले ग्रहों का योग	:	1018155

2.4 जल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन तथा रख-रखाव की वर्तमान प्रवृत्तियां

वर्तमान में ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा स्वस्थ्य ि''क्षा से संबंधित सीधे–सीधे जुड़े हुए तीन विभाग हैं। राज्य में सरकार द्वारा वित्त पोषित शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा शहरी सीवेज व्यवस्था के नियोजन, डिजाइन तथा क्रियान्वयन के लिए उत्तरांचल पेयजल निगम उत्तरदायी है। यह संस्था लागत रा''ि को पाने तथा उसके प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। एक अन्य सरकारी एजेंसी उत्तरांचल जल संस्थान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के संचालन तथा रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है। वि''व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त स्वजल परियोजना ने 2003 तक 857 ग्रामों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं को विकसित करने तथा उनके रख–रखाव के कार्य का पहल कर राज्य को इस क्षेत्र में लाभ पहुंचाया है। स्वजल

परियोजना ने ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के साथ–साथ समेकित रूप से साफ–सफाई के विषय में भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की है। ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के क्षेत्र में एक एजेंसी के रूप में सेक्टर कार्यक्रम (वि''व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त) हेतु स्वजल परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्वजल धारा II तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन के कार्य को लगातार चला रही है।

इसके अतिरिक्त कुछ एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए ग्राम पंचायतें तथा स्वजल परियोजना के लिए ग्राम जल आपूर्ति तथा स्वच्छता समितियां संबंधित जल आपूर्ति परियोजनाओं के संचालन तथा रख–रखाव का कार्य करती है। अधिकां''ा ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएं, जिन्हें उत्तरांचल जल निगम ने संबंधित रख–रखाव एजेंसी (उत्तरांचल जल संस्थान/ग्राम पंचायत) को अभी तक नहीं दिया है उनका रख–रखाव उत्तरांचल जल निगम द्वारा ही किया जा रहा है।

इस समय ग्रामीण जल आपूर्ति की 10,276 परियोजनाएं विद्यमान है। जिनमें से 6399 एकल ग्रामीण परियोजनाएं तथा 3877 बहुग्रामीण परियाजनाएं हैं। इनके संचालन का काम सेक्टर संस्थाएं तथा ग्राम पंचायतें/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां करती हैं। वर्तमान में ग्रामीण जल आपूर्ति की एकल ग्रामीण परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं का संचालन करने वाली विभिन्न सेक्टर संस्थाओं तथा ग्रामीण पंचायतों के अनुपात को तालिका 2.4 में द''ार्या गया है।

तालिका 2.4

ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएं : सेक्टर संस्थाओं द्वारा संचालित (10 मार्च, 2005 तक) एकल ग्राम परियोजनाएं तथा बहुग्राम परियोजनाएं

क्षेत्र	उत्तरांचल जल संस्थान के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या			उत्तरांचल जल निगम के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या			स्वजल के अंतर्गत परियोजनओं की संख्या	ग्राम पंचायतों का हस्तांतरित परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं का योग		कुल परियोजनाएं
	एकल ग्राम	बहुग्राम	उप योग	एकल ग्राम	बहुग्राम	उप योग	एकल ग्राम	एकल ग्राम	एकल ग्राम	बहुग्राम	
गढ़वाल	1313	1823	**3136**	217	320	**537**	**342**	1673	3542	2143	**5688**
कुमाऊं	1119	1551	**2670**	69	183	**252**	**477**	1189	2854	1734	**4588**
योग	**2432**	**3374**	**5806**	**286**	**503**	**789**	**819**	**2862**	**6396**	**3877**	**10276**

2.4.1 स्वजल –I : उत्तरांचल राज्य में ग्रामीण पेयजल तथा पर्यावरण स्वच्छता सेक्टर के अंतर्गत प्रायोगिक रूप से एक नवाचार के रूप में उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना (प्रावस्था I)–**स्वजल** को 1996 में प्रारंभ किया गया था। मांग आपूर्ति, सामुदायिक सहभागिता तथा निर्णय लेना, लागत निधि में भागीदारी, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के सामुदायिक मालिकाना हक तथा समुदाय द्वारा ही परियोजना को 100 प्रति''ात संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेदारी निभाना इस परियोजना के

प्रमुख सिद्धांत हैं। इस प्रावस्था के दौरान राज्य के 12 जनपदों के 857 ग्रामों में जल आपूर्ति परियोजनाएं तथा सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया।

2.4.2 मांग आधारित जारी कार्यक्रम :

2.4.2.1 सेक्टर सुधार परियोजना : भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सेक्टर सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ हरिद्वार जनपद में किया गया। सेक्टर सुधार परियोजना मांग आपूर्ति, सामुदायिक भागीदारी तथा निर्णय लेने, निधि तथा संचालन एवं रख–रखाव की लागत में आपसी भागीदारी पर आधारित है। इस परियोजना के अंतर्गत 89 ग्राम पंचायतों तथा 2 वन ग्रामों में एक कुल 103 जल आपूर्ति परियोजनाओं को पूरा किया गया। इन परियोजनाओं का रख–रखाव तथा संचालन उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों द्वारा सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

2.4.2.2 स्वजल धारा : जल आपूर्ति परियोजनओं के संबंध में सामुदायिक सहभागिता तथा निर्णय लेने के सिद्धातों पर आधारित स्वजल धारा कार्यक्रम को भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। उत्तरांचल में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों द्वारा 13 जल आपूर्ति परियोजनाओं को पूरा किया गया है। नवंबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार 6 अन्य जल आपूर्ति परियोजनाएं प्रगति पर है।

2.4.2.3 संपूर्ण स्वच्छता अभियान : 2003 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का शुभारंभ पूरे उत्तरांचल राज्य में किया गया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोगों में सूचना, िंक्षा तथा संचार, मानव संसाधन विकास, दक्षता विकास गतिविधियों के विषय में अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न कर स्वच्छता सुविधाओं ने मांग आपूर्ति को और बढ़ावा दिया जाना है। केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गृह स्वामियों को व्यक्तिगत ग्रह शौचालय निर्माण के लिए 500 रूपए प्रोत्साहन रांि के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल जल आपूर्ति विभाग के दि''ाा–निर्दे''ाों के अनुसार किया जा रहा है। नवंबर 2006 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरे उत्तरांचल राज्य में 70404 से भी अधिक व्यक्तिगत गृह स्वच्छता शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

2.4.3 भारत सारकार द्वारा सहायता प्राप्त आपूर्ति कार्यक्रम :

(अ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
(ब) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
(स) भारत निर्माण योजना

2.4.4 राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आपूर्ति कार्यक्रम :

(अ) निम्न आव''यकता कार्यक्रम– वि''ाेष घटक आयोजना
(ब) जनजाति उप आयोजना
(स) ग्रामीण जल आपूर्ति को पुर्न संगठित तथा मजबूती प्रदान करना
(द) हैडपम्प

2.5 परिर्वतन की आवश्कता

उत्तरांचल राज्य को स्वजल परियोजना को माध्यम से सामुदायिक सहभागिता के आधार पर एकल ग्राम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुभव प्राप्त हुआ है। सेक्टर सुधार परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार जनपद में अभी हाल में ही ग्राम पंचायतों तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों की सहभागिता से परियोजनाएं शुरू की गई

है। एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्राम परियोजनाओं के लिए पूरे राज्य में जल तथा स्वच्छता के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी के मॉडल के आधार पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यह संविधान में किए गए 73वें सं”ोधन के अनुरूप ही है जिसमें 29 विभागों के उत्तरदायित्वों को पंचायती राज्य संस्थाओं तक प्राभाव”ाली रूप से पहुंचाने की बात कही गई है।

अध्याय 3

सेक्टर कार्यक्रम में सकल क्षेत्र में समरूप नीति की अवधारणा

3.1 सकल क्षेत्र में समरूप नीति

दसवीं योजना में (2002–07) उत्तरांचल सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के क्षेत्र को विकास के एजेंडे में एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में वरियता प्रदान की है। उत्तरांचल सरकार ने ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता सेक्टर के लिए विकसित दृष्टिकोण 2012 में उल्लेख किया है कि ''ग्रामीण समुदायों की भागीदारी से ग्रामीण स्थानीय सरकार अपनी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन तथा रख–रखाव करेगी। जिससे की उन्हें पीने का पानी तथा स्वास्थ्य एवं सफाई के लाभ मिल सकें। उत्तरांचल सरकार तथा इसकी सेक्टर संस्थाएं एक सहयोगी, सुविधादाता तथा वित्त प्रदाता के साथ–साथ आव''यकता पड़ने पर तकनीकी सहयोग, प्र''िक्षण तथा बड़े निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए संभाव्य सेक्टर सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सकल क्षेत्र में समरूप नीति का विकास किया गया है। सकल क्षेत्र में समरूप नीति के दीर्घकालिक उद्दे''यों को प्राप्त करने के लिए राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के दि''ाा–निर्दे''ाों के अनुसार संस्थागत तथा संचालन संबंधी परिवर्तन किए जाएंगे।

3.2 सकल क्षेत्र में समरूप नीति : संदर्भ तथा परिभाषाएं

उत्तरांचल सरकार के साथ परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा विस्तार में किए गए विचार–विम''र् तथा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में वि''व बैंक द्वारा पुर्न निर्धारित दि''ाा–निर्दे''ाों को ध्यान में रखते हुए सकल क्षेत्र के कार्यक्रमों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिए गए हैं। यह कार्यक्रम परियोजना वि''ोष पर आधारित न होकर सकल क्षेत्र में समरूप नीति पर आधारित है। सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अनुसार ''सेक्टर सहयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जनता द्वारा लगाया जाने वाला धन है जिसे एक एकल सेक्टर नीति तथा व्यय कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के नेतृत्व में चलाया जाना चाहिए इसके लिए पूरे सेक्टर में समान कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए तथा कार्य की प्रगति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कार्य विधि का उपयोग समवितरण तथा लेखा हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए।'' संक्षेप में कहा जा सकता है कि सकल क्षेत्र में समरूप नीति का अर्थ आने वाले 5 वर्षों में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता से संबंधित दृष्टिकोण के उद्दे''यों को राज्य में प्राप्त कर लिया जाएगा। सभी निधि, जिसमें वि''व बैंक द्वारा प्राप्त होने वाला ऋण भी सम्मिलित है, इसी नीतिगत ढांचे के अंतर्गत होंगे तथा परियोजना चक्र के संचालन नियम, वसूली तथा संवितरण भी इसी के अंतर्गत आएंगे।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में सेक्टर सुधार के सिद्धांतों, जिसमें सकल क्षेत्र में समरूप नीति भी सम्मिलित है, क्रियान्वित करने के लिए उत्तरांचल सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उत्तरांचल सरकार के अनुसार राज्य में सेक्टर सुधार की प्रक्रिया शैन् शैन् अव''य पूरी होगी। चूंकि पंचायती राज स्तर पर संस्थागत दक्षता विकास में समय लगेगा इसी लिए यह प्रक्रिया शैन् शैन् चलेगी। इससे यह भी सुनि''िचत किया जा सकेगा कि सेक्टर सुधार के सिद्धांतों को पूरे राज्य में गति''ाील रखा जाएगा तथा सेक्टर प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया को मजबूती के साथ अति''ाीघ्र संभावित बना लिया जाएगा। अतः सेक्टर की वर्तमान स्थिति, पंचायती राज संस्थाओं की दक्षता तथा सकल क्षेत्र में समरूप नीतियों के क्रियान्वयन को नि''िचत समय में प्राप्त करने के लिए उत्तरांचल सरकार ने इसे विभिन्न अवस्थाओं में संचालित करने का निर्णय लिया है जिसका प्रारंभ एकल ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना,

पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम तथा जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबंधन कार्य रूप में किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के दक्षता विकास के साथ–साथ अल्प आव''यकता कार्यक्रम के 14 विषयों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व उत्तरांचल सरकार ने पंचायती राज्य संस्थाओं को दिया है (यह उन 29 दायित्वों में सम्मिलित है जिसे भारत सरकार ने पंचायती राज्यों को देने के लिए राज्य सरकार को निर्दे''ा दिए हैं। बहुग्रामीण परियोजनाओं के प्रबंधन में विद्यमान जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए संकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत साधारण बहुग्रामीण परियोजनाओं को विभिन्न अवस्थाओं में पूरा किया जाएगा और ये सभी मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वि''व बैंक तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त निधि को समान्य नीति के ढांचे के अनुसार खर्च किया जाएगा और प्रांरभ में सकल क्षेत्र में समरूप नीति में आनी वाली परियोजनाओं को इससे अलग रखा जाएगा

3.3 मध्यम अवधि विकास कार्यक्रम

उत्तरांचल सरकार के दृष्टिकोण 2012 के उद्दे''यों को सेक्टर कार्यक्रम में 2012 तक प्राप्त करने के लिए मध्यम अवधि विकास कार्यक्रम के दस्तावेज में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के निवे''ा कार्यक्रम तथा क्रियान्वयन आयोजना को प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम अवधि के लिए पूरे राज्य में समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विकास हेतु यह दस्तावेज वित्तीय कार्य योजना, निवे''ा निधि तथा अन्य संसाधनों को रास्ते पर लाया गया।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए मध्यम उद्दे''यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवे''ा कार्यक्रम को मध्यम अवधि विकास कार्यक्रम प्रोत्साहित करेगा। मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए मध्यम अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम सहभागियों की कटिबद्धता को पूरा करेगा। इस विधि से कार्य करने में एकरूपता, राज्य के मालिकाना हक तथा प्रयासों के दुहराव को कम करने जैसे लाभ शामिल है।

3.3.1 ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता आच्छादन की स्थिति-एकल ग्राम परियोजना बनाम बहुग्रामीण परियोजना

उत्तरांचल राज्य को 13 जनपदों में विभाजित किया गया है। यहां 7227 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 16623 राजस्व ग्रामों में कुल 39967 घर स्थित हैं। जल आपूर्ति के आच्छादन के संदर्भ में कुल घरों के 51 प्रति''ात पूर्ण आच्छादित, 35 प्रति''ात अर्धआच्छादित तथा 14 प्रति''ात अनाच्छादित हैं। जल आपूर्ति की तुलना में स्वच्छता का आच्छादन बहुत ही कम है जो कि लगभग वर्तमान में 20 प्रति''ात है। सार्वजनिक संस्थाओं में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता का आच्छादन 43 प्रति''ात है।

जल आपूर्ति की मुख्यतः 3 प्रकार की तकनीकें यथा गुरूत्व, पंपिंग तथा हैंडपम्प हैं। कुछ ग्रामों में मिश्रित व्यवस्था यथा 2 या उससे अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बहुत कम घरों में वर्षा जल संभरण की व्यवस्था है। 75 प्रति''ात घरों में सतह जल के गुरूत्वाकर्षण परियोजनाएं लागू हैं (परंपरागत स्त्रोत, तथा स्त्रोतों से प्राप्त जल इत्यादि)। ऊधमसिंहनगर जनपद में इंडिया मार्क II हैंडपम्प का अत्यधिक प्रचल है। केवल 23 ऐसे निजी स्त्रोत हैं जो आम जनता के लिए उपलब्ध हैं वि''ोषतः मुख्य रूप से ऐसा पिथौरागढ़ तथा टिहरी गढ़वाल में है।

उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल की 70 प्रति''ात ग्रामीण आबादी को बहुग्रामीण परियोजनाओं से जल आपूर्ति की जाती है। जबकि शेष 30 प्रति''ात ग्रामीण आबादी एकल ग्रामीण परियोजनाओं पर निर्भर करती है। बहुग्रामीण परियोजनाओं बनाम एकल ग्राम परियोजनाओं के बीच निधि तथा संचालन एवं रख–रखाव की लागत तथा संचालन मुद्दों में वि''ोष अंतर विद्यमान है। बहुग्रामीण परियोजनाओं में जहां अधिक निधि का निवे''ा करना पड़ता है वहीं एकल ग्राम परियोजनाओं में यह बहुत ही कम है। पर इनके चुनाव में लागत ही मुख्य भूमिका नहीं निभाती है। चूंकि उत्तरांचल राज्य में गांव/घर दूर–दूर फैले हुए हैं और यह जरूरी नहीं की जल का स्त्रोत उन गांव या घरों के बहुत नजदीक हो। इसलिए अधिसंख्य घरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए बहुग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना के माध्यम से एक ही जल स्त्रोत या कई

जल स्त्रोतों से की जाती है। उपरोक्त के आधार पर उत्तरांचल के संदर्भ में कुछ क्षेत्रों पर विचार किया जाना आव''यक है। इसके लिए संस्थागत सेक्टर सुधार के विषय में आगे बताया गया है।

पंपिंग परियोजनाओं में जल को उठाने में आने वाले अधिक खर्च की समस्या,
अधिकां''ा घरों के पास सोतों या अन्य सतह जल स्त्रोतों के उपलब्ध न होने के कारण जल आपूर्ति करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है,
अधिसंख्य वासस्थलों में बहुत कम आबादी रहती है और वे दूर–दूर तक फैले हुए हैं,
पंपिंग द्वारा पानी को उठाने में बिजली का खर्च इतना अधिक आता है कि उसके संचालन और रख–रखाव में आने वाले उच्च व्यय को समुदाय अपने द्वारा इकट्ठा किए गए धन से पूरा नहीं कर पाता,
ग्रामीण समुदाय की निम्न भुगतान क्षमता,
प्राकृतिक आपदाओं यथा तूफान, बाढ़ तथा भूस्खलन इत्यादि के कारण पूरी व्यवस्था के अक्सर होनी वाली टूट–फूट।

उपरोक्त कारणों के कारण जल आपूर्ति के मालिकाना हक को समुदाय को हस्तांतरित भी कर दिया जाए तो भी वे इसके क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव को बिना सरकारी सहयोग के पूरा करने में असमर्थ है। इसे अतिरिक्त बहुत अवस्था पंपिंग परियोजनाओं की उच्च तकनीकी प्रकृति भी समुदाय को इसके तकनीकी पक्ष से दूर रखने का एक कारण बन जाती है।

एक अन्य आयाम जिस पर विचार किया जाना जरूरी है वह है ग्राम पंचायतों की दक्षता जिससे विकसित कर के ही जल आपूर्ति परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना भी आव''यक है कि उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान जैसी एजेंसियां जोकि जल आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं वे वर्तमान में अभी भी आपूर्ति की विधि से कार्य कर रही हैं और इन्होंने सामुदायिक भागीदारी पर वि''ोष ध्यान नहीं दिया।

3.3.2 चुनौतियां

दृष्टिकोण 2012 के लक्ष्य सुरक्षित ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता को 100 प्रति''ात तक प्राप्त करने के लिए लगभग 3 मीलियन ग्रामीण लोगों (राज्य की 50 प्रति''ात आबादी) तक सवंर्धित जल आपूर्ति तथा लगभग 5 मीलियन लोगों तक (राज्य की 80 प्रति''ात आबादी) स्वच्छता कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाया जाना आव''यक है। इस सेक्टर में वार्षिक आच्छादन की दर तथा निवे''ा के एतिहासिक प्रवृत्ति के वि''लेषण के आधार पर यह आव''यक प्रतीत होता है कि पिछले द''ाक में किए गए प्रयासों के दर को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुगना किया जाना जरूरी है। इस चुनौती को स्वीकारने के लिए नए तरीकों की आव''यकता पड़ेगी। सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता सेवाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाया जाना है। ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता व्यवस्था में अतिरिक्त चुनौतियों के रूप में नीति तथा आयोजना, डिजाइन, निर्माण तथा संचालन हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना है। इस सेक्टर में संभावित निवे''ा के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए यह आव''यक होगा कि सभी स्तरों पर मानव संसाधन का उचित विकास किया जाए। जिससे की पंचायती राज्य संस्थाएं तथा सेक्टर संस्थाएं इनका भरपूर उपयोग और प्रबंधन कर सके।

3.3.3 उत्तरांचल के ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर की वित्तीय स्थिति

निम्नलिखित तालिका में राज्य की विगत 4 वर्षों में ग्रामीण जल आपूर्ति सेक्टर की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत किया गया है –

ग्रामीण जल आपूर्ति की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	निधि कार्य (करोड़ रूपयों में)	परियोजनाओं की संख्या	उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा संचालन तथा रख–रखाव पर खर्च (करोड़ रूपयों में)	प्र''ुल्क राजस्व (करोड़ रूपयों में)	सरकारी अनुदान (करोड़ रूपयों में)	स्चालन तथा रख–रखाव के लिए उपलब्ध कुल रा''ि (करोड़ रूपयों में)	टिप्पणी
2001–02	133.76	31.68	31.68	10.37	22.71	संचालन तथा रख–रखाव पर हुए खर्च को शहरी राजस्व द्वारा आर्थिक सहायता दिया गया।	
2002–03	148.94	1694	33.64	9.23	20.69		
2003–04	107.21	1542	35.51	6.47	20.64		
2004–05	158.34	1788	39.36	7.79	25.36		

स्त्रोत उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन, स्वजल परियोजना की परियोजना प्रबंधन इकाई।

3.3.4 संसाधनों की आवश्यकता

मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की आव''यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों तथा वित्तीय प्रवाह की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना होगा। आधारी स्तर की सेवाओं तथा तकनीकों के प्रयोग द्वारा 2012 तक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुल रूपए 3100 करोड़ (721 मीलियन अमेरिकी डॉलर) की निधि का निवे''ा या रूपए 516 करोड़ (120 मीलियन अमेरिकी डॉलर) प्रतिवर्ष के निवे''ा के दर से आने वाले 6 वर्षों में खर्च करना पड़ेगा। मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के पूरे कार्यकाल के लिए उपलब्ध कुल निधि निवे''ा लगभग रूपए 1249 करोड़ (29 मीलियन अमेरिकी डॉलर) या रूपए 208 करोड़ (48 अमेरिकी डॉलर) प्रतिवर्ष है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिवर्ष अतिरिक्त निवे''ा हेतु लगभग 308 करोड़ रूपए (72 मीलियन अमेरिकी डॉलर) की आव''यकता होगी। वि''व बैंक अपने तृतीय संसाधनों को इन आव''यकताओं की पूर्ति के लिए उदार बनाएगा तथा अन्य दाता, सरकारें तथा समुदाय इंटने''नल डवलपमेंट एसोसिए''ान के अनुदान के रूप में मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करेंगी। बैंक की निधि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त होगी। अन्य स्त्रोतों से प्राप्त निधि को सम्मिलित किया गया है परंतु निम्नलिखित तक इन्हें सीमित नहीं किया जाएगा।

भारत सरकार की सहायता
द. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
य. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
र. स्वजल धारा
ल. भारत निर्माण योजना

राज्य सेक्टर

च. अल्प आव’’यकता कार्यक्रम
छ. वि’’ोष घटक आयोजना
ज. आदिवासी उप योजना
झ. ग्रामीण जल आपूर्ति का पुर्नगठन तथा सुदृढ़ीकरण
य. हैंडपम्प
त. नाबार्ड ऋण

3.3.5 कार्यन्वयन योजना

मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित क्रियान्वयन ढांचे के अंतर्गत नियोजन, कार्यक्रम निर्माण, निवे’’ा की तैयारी तथा क्रियान्वयन के साथ–साथ मानव संसाधन दक्षता निर्माण की गतिविधियों को त्वरित करने के लिए कई तरीके सुझाए गए हैं। निम्नलिखित तरीकों द्वारा निवे’’ा को त्वरित करने के साथ–साथ परियोजना को दीर्घकालिकता मिल सकेगी :

सकल क्षेत्र में समरूप नीति : सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अनुसार ''सेक्टर सहयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जनता द्वारा लगाया जाने वाला धन है जिसे एक एकल सेक्टर नीति तथा व्यय कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के नेतृत्व में चलाया जाना चाहिए इसके लिए पूरे सेक्टर में समान कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए तथा कार्य की प्रगति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कार्य विधि का उपयोग समवितरण तथा लेखा हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए।'' संक्षेप में कहा जा सकता है कि सकल क्षेत्र में समरूप नीति का अर्थ आने वाले 6 वर्षों में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता से संबंधित दृष्टिकोण के उद्दे’’यों को समान नीति के ढांचे के अंतर्गत क्रियान्वित करने के लिए संचालन नियमों तथा परियोजना चक्र के अनुसार प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी नीतिगत ढांचे के अंतर्गत नियोजन डिजाइन क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव, मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन, वसूली तथा संवितरण भी सम्मिलित होंगे।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में सेक्टर सुधार के सिद्धांतों, जिसमें सकल क्षेत्र में समरूप नीति भी सम्मिलित है, क्रियान्वित करने के लिए उत्तरांचल सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उत्तरांचल सरकार के अनुसार राज्य में सेक्टर सुधार की प्रक्रिया शैने्–शैने अव’’य पूरी होगी। चूंकि पंचायती राज्य स्तर पर संस्थागत दक्षता विकास में समय लगेगा इसी लिए यह प्रक्रिया शैने्–शैने चलेगी। इससे यह भी सुनि’’चत किया जा सकेगा कि सेक्टर सुधार के सिद्धांतों को पूरे राज्य में गति’’ाील रखा जाएगा तथा सेक्टर प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया को मजबूती के साथ अति’’ाीघ्र संभावित बना लिया जाएगा। अतः सेक्टर की वर्तमान स्थिति, पंचायती राज संस्थाओं की दक्षता तथा सकल क्षेत्र में समरूप नीतियों के क्रियान्वयन को नि’’चत समय में प्राप्त करने के लिए उत्तरांचल सरकार ने इसे विभिन्न अवस्थाओं में संचालित करने का निर्णय लिया है जिसका प्रारंभ एकल ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना, पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम तथा जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबंधन कार्य रूप में किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के दक्षता विकास के साथ–साथ अल्प आव’’यकता कार्यक्रम के 14 विषयों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व उत्तरांचल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को दिया है (यह उन 29 दायित्वों में सम्मिलित है जिसे भारत सरकार ने पंचायती राजों को देने के लिए राज्य सरकार को निर्दे’’ा दिए हैं।

बहुग्रामीण परियोजनाओं के प्रबंधन तथा क्रियान्वयन में तकनीकी तथा क्रियात्मक जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि सकल क्षेत्र में समरूप नीति को शैने्–शैने् लागू किया जाएगा। बहुग्रामीण परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी की सिंद्धातों को अमल में लाया जाएगा। लाभान्वित होने वाले गांव में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन किया जाएगा। बहुग्रामीण परियोजनाओं की जटिलता को ध्यान में रखते हुए नियोजन तथा तकनीकी कार्यों के विषय में निर्णय सामुदायिक रूप में प्रयोगकर्ता समूह, उपभोक्ता तथा स्वच्छता समितियों, पंचायती संस्थाओं द्वारा लिया जाएगा और इसमें उनकी सहायता सेक्टर संस्थाएं करेंगी। बहुग्रामीण परियोजनाओं के निर्माण का कार्य सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाना जारी रहेगा। जल आपूर्ति की सम्पत्तियों का गांव में प्रवे’’ा तक संचालन व रख–रखाव सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाना जारी रहेगा जबकि जल आपूर्ति की सम्पत्तियों का ग्राम के भीतर संचालन तथा रख–रखाव उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों द्वारा की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वि’’व बैंक तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त निधि को समान्य नीति के

ढांचे के अनुसार खर्च किया जाएगा। जिसमें परियोजना चक्र के संचालन के नियम, वसूली तथा संवितरण भी सम्मिलित होंगे।

बहुउद्देश्य क्रियान्वयन दृष्टिकोण : ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभिन्न क्रियान्वयन के तरीकों (केंद्रीय सहायता/राज्य सेक्टर ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम) को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। इसमें वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाएं (वि''व बैंक सहयोग तथा नाबार्ड ऋण), संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी जिनमें स्टेंड एलोन कार्यक्रम बहु सेक्टर परियोजनाएं तथा वि''ोष घटक आयोजना को भी सम्मिलित किया जाएगा, जैसा की पहले भी बताया गया है। मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा जहां ऐसा करना लाभप्रद होगा। यह बहु रूपी दृष्टिकोण ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता हेतु उपलब्ध सभी अवसरों को उपयोग में ले आने का अच्छा अवसर है। जिसमें उपयुक्त तरीकों का प्रयोग कर निवे''ा की दर को बढ़ाया जा सकेगा।

उपयुक्त क्रियान्वयन प्रक्रिया : मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले उप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक तथा सरकार की सरल, त्वरित तथा लचीली प्रक्रियाओं का लाभ उठाया जाएगा। इसके अंतर्गत राष्ट्र की वसूली तथा समवितरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है और जिनके उपयोग से विक्रेद्रीकृत समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियां, स्थानिय तथा अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी, सीधे तौर पर खरीदारी तथा सामुदायिक वसूली, में किया जाएगा। राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन एवं पंचायती राज्य संस्थाओं को दी गई बड़े उत्पादक के उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के उचित प्रयोग हेतु उपयुक्त नियंत्रण क्रियाविधि को अपनाया जाएगा।

सामुदायिक भागीदारी तथा मांग आपूर्ति दृष्टिकोण : मांग आपूर्ति, विक्रेद्रीकरण तथा प्रबंधन दृष्टिकोण को प्रयोग करते हुए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा। क्योंकि इससे समुदायों तथा स्थानीय सरकारी ढांचे द्वारा उप परियोजनाओं के चक्र को तेजी से और प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने का लाभ मिलता है। सामुदायिक भागीदारी से कार्यक्रम क्रियान्वित करने से ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता में किए गए निवेश को दीर्घकालिकता प्राप्त होती है।

3.3.6 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों का कार्य क्षेत्र

निम्नलिखित तालिका में मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों की अवधि में भौतिक क्रियाकलापों के कार्य क्षेत्र को संक्षेप में दिया गया है–

वर्ष	क्रियाकलाप
2006 से 2011 (सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के अंत में)	31 मार्च, 2006 तक चिन्हित की गई चालू परियोजनाओं को पूरा करना।
2006 से 2011 (सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के अंत में)	पंचायती राज संस्थाओं के दक्षता विकास तथा परियोजनाओं के पुर्नवास/पुर्नउत्थान/मरम्मत के पश्चात एकल ग्राम परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को देने के लिए प्रावस्था निर्धारण।
2006 से 2011 (सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के अंत में)	8471 अनाच्छादित/अर्धआच्छादित वासस्थलों को एकल ग्राम परियोजनाओं (65 प्रतिशत) द्वारा आच्छादित करना 5271 अनाच्छादित/अर्धआच्छादित वासस्थलों को बहुग्रामीण परियोजनाओं (70 प्रतिशत) द्वारा आच्छादित करना।

	उपरोक्त वासस्थलों को जहां आवश्यक होगा वहां जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यों द्वारा भी आच्छादित किया जाएगा। इसे अतिरिक्त व्यक्तिगत गृहों में शौचालयों के निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। सार्वजनिक संस्थाएं जिनकी संख्या 7835 है वे भी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करेंगी।
2011 से 2012	शेष बचे हुए अनाच्छादित/अर्धआच्छादित वासस्थलों (5083) तथा सार्वजनिक सस्थाओं को जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं से आच्छादित किया जाएगा।

उपरोक्त भौतिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त अन्य साफ्टवियर क्रियाकलाप भी सम्मिलित किए गए हैं जो कि निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होंगे–

एकल ग्राम परियोजनाओं तथा साधारण बहुग्रामीण परियोजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं को हंस्तातरित किया जाना।

- सेक्टर संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं हेतु सूचना शिक्षा संचार तथा दक्षता विकास।
- सेक्टर संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा मानीटरीकरण एवं मूल्यांकन हेतु सहयोग देना।

3.3.7 संचालन तथा रख-रखाव हेतु विचार

''जल एक आर्थिक तथा सामाजिक सामग्री है, इस सेवा के लिए भुगतान किया जाना जरूरी है क्योंकि इसमें लागत सम्मिलित है।'' यह वह महत्वपूर्ण परिकल्पना है जिसके आधार पर सेक्टर कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है। ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता सेक्टर सुधार हेतु इस सेक्टर में भागीदारी की मांग के दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए नए निवेशों की आवश्यकता होगी। इसमें विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के दक्षता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए संचालन तथा रख–रखाव हेतु 100 प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था उपभोक्ताओं द्वारा की जाएगी तथा पूरी परियोजना के संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेदारी भी उपभोक्ताओं की होगी। बहुग्रामीण परियोजनाओं हेतु संचालन तथा रख–रखाव का कार्य अंतरा ग्रामीण सम्पत्तियों के लिए भी उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा।

विभिन्न ग्रामों के बीच जल आपूर्ति परियोजनाओं की किस्मों, वासस्थलों के साइज, वासस्थलों से जल स्त्रोतों की दूरी इत्यादि के आधार पर संचालन तथा रख–रखाव की लागत में अत्यधिक अंतर होने की संभावना है। संचालन तथा रख–रखाव के लागत की प्रस्तावित सुविधा हेतु मौजूद सम्पत्तियों का परियोजना के लिए उपयोग, वेतन, रसायन, छोटी–मोटी मरम्मतों की लागत तथा रख–रखाव इत्यादि पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक परियोजनाओं के लिए तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में क्रियान्वयन का विस्तार में ब्यौरा तथा जल शुल्क को एकत्र किया जाना भी शामिल होगा। समुदाय यह निर्णय करेगा की कितने घरों में व्यतिगत जल कनेक्शन दिए जाएंगे और कितने घरों को स्टेंड पोस्ट/हैंडपम्प द्वारा जल आपूर्ति की जाएगी। जहां संभव होगा वहां परियोजना को दीर्घकालिक बनाने के लिए समुदाय द्वारा ही उपयुक्त शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। परियोजना के आधार पर परोक्ष/अपरोक्ष रूप से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे की बड़ी मरम्मतों या बदलाव करने का भुगतान किया जा सके। शुल्क का निर्धारण करते समय इक्यूटि ग्राहता तथा भुगतान करने की इच्छा को मुख्य सिंद्धात के रूप में प्रयोग किए जाने पर विचार होना चाहिए। संचालन तथा रख–रखाव की लागत को तभी वसूला जा सकता है जबकि उपभोक्ता जल आपूर्ति के लिए भुगतान करने की इच्छा रखता हो तथा वह भुगतान के योग्य भी हो। लागत की वसूली के लिए एक उपयुक्त तकनीक का चयन करके ही दीर्घकालिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अतः समुदाय द्वारा लागत की कुछ निधि की तकनीक भी चुनी जा सकती है क्योंकि संचालन तथा रख–रखाव की लागत बहुत कम होगी।

उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा 2001–05 के दौरान स्वजनित राजस्व तथा संचालन एवं रख–रखाव के खर्च का वर्ष वार किया गया विस्तृत विश्लेषण यह दर्शाता है कि उपभोक्ता शुल्क के आधार पर लागत की वसूली 33 प्रतिशत से 44 प्रतिशत के बीच रही। इसमें सरकारी अनुदान को शामिल नहीं किया गया है। सरकारी अनुदान को शामिल करने पर यह प्रतिशत 58 से 72 के बीच रहा है। संचालन तथा रख–रखाव का खर्च मात्र टूट–फूट के आधार पर दर्शाया गया है। यदि रख–रखाव हेतु सावधानियां बरती जाए तो संचालन तथा रख–रखाव के वर्तमान खर्च को कम किया जा सकता है।

3.3.8 संचालन संबधी विचार

संसाधन

राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर की मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं में बैंक द्वारा संभावित निवेश की सहायता लगभग 40 मीलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष रहने की संभावना है। सेक्टर संस्थाओं को अपने बड़े हुए काम को मध्यम अवधि में पूरा करने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ की संख्या तथा कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के मिश्रित आवश्यकता को गंभीरता पूर्वक निर्धारित किया जाना चाहिए। संचालन की बढ़ती गतिविधियां अतिरिक्त बड़े हुए बजट संसाधन की आवश्यकता को दर्शाती है। जिसमे विषय में भी विचार किया जाना आवश्यक है।

3.3.9 मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं का प्रबंधन

राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन, उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से उत्तरांचल सरकार का पेयजल विभाग मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रबंधन कर सकेगा। राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन, मानीटरीकरण तथा विभिन्न गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए तास कोष के रूप में कार्य करेगा।

3.3.10 प्रस्तावित क्रियान्वयन व्यवस्थाएं

मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं विस्तार में जाने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं तथा उसमें सेक्टर संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका तथ उत्तरदायित्व के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जाए।

मौजूदा संस्थागत ढांचे, उत्तरांचल सरकार की सेक्टर सुधार सिद्धांतों की प्रतिबद्धता, ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं के विक्रेंद्रीकरण, मध्यम अवधि के सेक्टर निवेश कार्यक्रमों आवश्यकताएं इत्यादि पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल सरकार पेयजल विभाग इस कार्य हेतु नोडल विभाग होगा। जबकि मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन शीर्ष संस्था होगी। मध्यम अवधि की विकास परियोजनाएं यथा एकल ग्रामीण परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था निम्न प्रकार होगी।

एकल ग्रामीण परियोजनाएं, पर्यावरण स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र उपचार :

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत एकल ग्राम परियोजनाओं, स्वच्छता तथा जलग्रहण उपचार के क्रियान्यन हेतु संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित आयामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उपयुक्त स्तर की योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन, रख–रखाव तथा मानीटरीकरण के लिए उत्तरांचल सरकार सक्रिय कदम उठाएगी। इस कार्यक्रम के अंत में उत्तरांचल सरकार ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वह इन परियोजनाओं को प्रावस्था आधार पर पंचायती राज्य संस्थाओं को हस्तांतरित कर देंगी। जिसमें उपयुक्त राशि, कार्य तथा कार्य करने वाले भी सम्मिलित होंगे।
- उत्तरांचल सरकार पंचायती राज संस्थाओं के स्टाफ, सरकारी स्टाफ जिसका हस्तांतरण पंचायती राज संस्थाओं को किया गया है, के वेतन जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा के भुगतान हेतु आवश्यक राशि मुहैया कराएगी।
- हस्तांतरित किया गया पूरा स्टाफ पंचायती राज संस्थाओं के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।
- पंचायती राज संस्थाएं/ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियां जो सेवाएं देंगी उसके लिए वे प्रभार वसूली की हकदार होंगी। इसके अंतर्गत उपभोक्ता से जल शुल्क का निर्धारण तथा उसे एकत्र करने की शक्ति भी सम्मिलित है।

बहुग्रामीण परियोजनाएं

बहुग्रामीण परियोजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले गांव में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन किया जाएगा। नियोजन तथा तकनीकी कार्यों के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों, पंचायती राज संस्थाओं, सेक्टर संस्थाओं के सहयोग से, द्वारा सम्मिलित रूप से निर्णय लिए जाएंगे। बहुग्रामीण परियोजनाओं के निर्माण का कार्य सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाना जारी रहेगा। ग्राम में प्रवेश होने तक जल आपूर्ति सम्पत्ति के संचालन तथा रख–रखाव का कार्य सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाना जारी रहेगा जबकि अंतरा ग्राम जल आपूर्ति सम्पत्तियों के संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेदारी उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों की होगी। बहुग्रामीण परियोजनाओं पर विचार तथा उनकी स्वीकृति विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित पूंजी लागत पर निर्भर करेगी। 50 लाख रूपए तक परियोजना पर विचार तथा स्वीकृति संबंधित जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा। 50 लाख 100 लाख रूपयों तक की लागत वाली परियोजनाओं पर विचार तथा स्वीकृति राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जाएगी। वे परियोजनाएं जिनकी लागत 100 लाख से 500 लाख रूपयों तक होगी उनके संबंध में विचार तथा स्वीकृति सरकारी स्तर पर पेयजल विभाग द्वारा किया जाएगा। उन परियोजनाओं जिनकी लागत 500 लाख रूपए से अधिक होगी उन पर विचार तथा स्वीकृति वित्तीय भुगतान समिति तथा उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

3.3.11 जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम

इन गतिविधियों का क्रियान्वयन तथा उनका रख–रखाव पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी तथा प्रबंधन संबंधी सहयोग सेक्टर संस्थाओं/जलागम प्रबंधन निदेशालय द्वारा दिया जाएगा।

3.3.12 दक्षता विकास तथा सूचना, ष्क्षिा तथा संचार

दक्षता विकास तथा सूचना, शिक्षा तथा संचार संबंधी सभी गतिविधियां ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता कार्यक्रमों/परियोजनाओं की अन्य हार्डवियर गतिविधियों के साथ समेकित रूप से चलाई जाएंगी। राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन समन्वय स्थापित करने वाली संस्था होगी तथा उत्तरांचल सरकार का पेयजल विभाग नोडल एजेंसी होगी।

3.3.13 नोडल विभाग के रूप में पेयजल विभाग की भूमिका

मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के प्रभावीशाली क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरांचल सरकार का पेयजल विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

3.3.14 मूल्य निर्धारण रणनीति

जल एक अनुपम उत्पाद है जो अक्सर उन विभिन्न तरीकों को प्रभावित करता है जो व्यक्तियों, समूहों, समुदायों या समाजों द्वारा जल सेवाओं के विषय में सोचा जाता है। जल सेवाओं के लिए शुल्क लगाने का उपयुक्त सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि जल को एक सामाजिक या फिर आर्थिक सामग्री के रूप में देखा जा रहा है। यदि जल को सामाजिक सामग्री की तरह देखा जाए तो इससे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जल प्राप्त करने को जनता का मूल अधिकार माना जाएगा। इसके विपरित जल संबंधी सेवाओं को बेहतर ढंग से देने वाले के लिए जल एक आर्थिक सामग्री बन जाती है और आर्थिक दीर्घकालिकता को बनाए रखन के लिए इस पर शुल्क लगाना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो दोनों ही सिद्धांत अपने–अपने स्थान पर सही है परंतु मांग आधारित दष्टिकोण का पालन करते हुए परामर्शदाता जल का मूल्य निर्धारण करते समय निम्नलिखित तरीके अपनाता है–

- उपभोक्ता द्वारा परियोजना की पूंजी लागत हेतु दिया जाने वाला अंशदान।
- घर तक जल पहुंचाने का मूल्य यथा घर तक कनेक्शन देने की सेवा का शुल्क तथा
- जल आपूर्ति को नियमित बनाने के लिए मासिक आधार पर जल शुल्क।

उत्तरांचल राज्य की अनुपम सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति तथा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं को सरकार द्वारा लगातार दी जा रही आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में भुगतान करने की इच्छा तथा क्षमता को आधार बनाकर एक मूल्य निर्धारण रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। परामर्शदाताओं द्वारा नमूनें के तौर पर 40 ग्राम पंचायतों के प्रारंभिक सर्वे के आधार पर पूंजी लागत तथा संचालन एवं रख–रखाव के लागत को उपभोक्ताओं द्वारा भागीदारी करने के लिए जो संसुतियां दी गई है वे निम्न प्रकार है–

पूंजी लागत भागदारी : समुदाय के अंशदान के 10 प्रतिशत में 2 प्रतिशत नगद तथा 8 प्रतिशत नगद/मजदूरी या मिश्रित (उपभोक्ता समुदाय द्वारा जैसा निर्णय किया गया हो) होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए यह अंशदान 5 प्रतिशत होगा।

न्यूनतम संचालन तथा रख-रखाव प्रषुल्क : वर्तमान जल प्रशुल्क 41 से 100 रूपयों के बीच होता है। यह प्रशुल्क अपनाई जाने वाली तकनीक तथा घरों में लगाए गए नलों की संख्या तथा 7.5 प्रतिशत बनावट इत्यादि को सम्मिलित करते हुए प्रतिवर्ष की दर पर निर्भर करता है। 5 रूपए प्रति गृह प्रतिमाह प्रति हैंडपम्प, 10 रूपए प्रति गृह प्रतिमाह सार्वजनिक स्टेड पोस्ट के लिए तथा 45 रूपए प्रति गृह प्रतिमाह व्यक्तिगत गृह कनेक्शन हेतु प्रशुल्क की संसुति की गई है।

3.4 जल तथा स्वच्छता सेक्टर के लिए उत्तरांचल सरकार की प्रस्तावित नीति

- 31 मार्च, 2006 तक चिन्हित सभी एकल ग्राम जल आपूर्ति परियोजनाएं तथा 30 नवंबर, 2006 तक चिन्हित बहुग्राम परियोजनाएं पूर्व के विधानों के अनुसार क्रियान्वित किए जाएंगे। चिन्हित परियोजनाएं वे मानी जाएंगी जिनकी प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृतियां 01/04/2006 (एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए तथा

01/12/2006 (बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए) प्राप्त कर ली गई है। नई परियोजनाओं के लिए सकल क्षेत्र में समरूप नीति का पालन तथा वे परियोजनाएं जिनके पुर्नगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है वे वित्तीय वर्ष 2006–07 से लागू होंगी।

- वे ग्राम जहां नई पूंजी का निवेश किया जाएगा वे जल आपूर्ति का कार्य, पर्यावरण स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा सफाई कार्यक्रम, जल स्त्रोत संरक्षण तथा पुर्नभरण के कार्य को समेकित रूप से करेंगी।
- सभी नए निवेशित एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्राम परियोजनाओं में प्रत्येक उपभोक्ता समूहों के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन किया जाएगा। उपभोक्ता समूह का अर्थ यह है कि जिसमें जल आपूर्ति परियोजना से लाभान्वित होने वाले परिवार के सभी वयस्क सदस्य शामिल हों।
- एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए ग्राम पंचायतें तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियां आपसी सहयोग द्वारा संसाधनों का नियंत्रण करेंगी तथा नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रख–रखाव के जिम्मेदारी संबंधी निर्णय लेंगी।
- एकल ग्राम परियोजनाओं के विषय में विचार तथा अनुमोदन का कार्य जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन करेगा।
- बहुग्रामीण परियोजनाओं का निर्माण तभी किया जाएगा जब तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टिकोण से एकल ग्राम परियोजनाओं का निर्माण संभव न हो।
- बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए भी सामुहिक सहभागिता के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। लाभान्वित होने वाले ग्रामों के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों गठित की जाएंगी। बहुग्रामीण परियोजनाओं की जटिलता को ध्यान में रखते हुए इनके नियोजन तथा तकनीकी पहलुओं के विषय में निर्णय उपभोक्ता समूहों, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सामुहिक रूप से लिया जाएगा और इसमें सेक्टर संस्थाएं उनकी सहायता करेंगी। बहुग्रामीण परियोजनाओं के स्वच्छ जल झील तक के निर्माण का कार्य सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाना जारी रहेगा। यद्यपि इसमें भी भागीदारी के दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा जिसमें उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन तथा परियोजना स्तर समिति का गठन सम्मिलित है। जल आपूर्ति सम्पत्ति के गांव तक की पहुंच का संचालन तथा रख–रखाव सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाना जारी रहेगा और जल आपूर्ति सम्पत्तियों के अंतरा ग्राम संचालन तथा रख–रखाव का कार्य उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों द्वारा किया जाएगा।
- एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए राशि का प्रबंध राज्य स्तर पर राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा तथा जनपद स्तर पर जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा किसा जाएगा। एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन राशि को ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों को देगा जबकि बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन 20 लाख रूपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए राशि सीधे–सीधे जनपद जल तथा स्वच्छता समितियों को देगा। 20 लाख रूपए से अधिक परियोजनाओं की लागत राशि को राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन सेक्टर संस्थाओं को देगा।
- नए पूंजी लागत के लिए मूल्य साझेदारी सिद्धांत : (अ) सभी नई लागतों के लिए समुदाय उसके मूल्य के 10 प्रतिशत को वहन करेगा। यह उनकी क्षमता की सीलिंग से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि क्षमता विश्लेषण में परिभाषित किया गया है। (ब) नए निवेशों के संचालन तथा रख–रखाव की पूर्ति उपभोक्ता शुल्कों द्वारा की जाएगी। इनमें अधिक लागत वाली परियोजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। क्षमता के अनुसार अंशदान से अधिक होने पर (उच्च लागत वाली परियोजनाएं) संचालन तथा रख–रखाव की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति पारदर्शित रूप से राज द्वारा प्रदान की जानी वाली आर्थिक सहायता से की जाएगी। स्टेड पोस्ट उपभोक्ताओं तथा घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं के शुल्क देयता की क्षमता की सीमा को अलग–अलग परिभाषित किया जाएगा। सीलिंग की सीमा केवल दोनों प्रकार की सेवाओं के स्तर पर लागू की जाएगी। यदि बहुग्रामीण परियोजनाओं में इस सीलिंग को लगाने की आवश्यकता हुई तो यह जल आपूर्ति के प्रशुल्क को समायोजित कर किया जाएगा (लागत की भागीदारी की व्यवस्था में संशोधन तभी

किया जाएगा जब भारत सरकार, उत्तरांचल सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा मंजूरियों में परिवर्तन होगा और जब भारत सरकार स्वजल धारा परियोजना के क्रियान्वयन में सकल क्षेत्र में समरूप नीति को अपनाएगी)।

- एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए नीतियां : पूंजी लागत का 10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान द्वारा किया जाएगा जबकि 40 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर सेवा स्तर के आधार पर पूंजी लागत की गणना की जाएगी। यह 600 रूपए निजी कनेक्शन के लिए और 300 रूपए स्टेड पोस्ट के लिए होगा। यह अंशदान 2 प्रतिशत नगद के रूप में तथा शेष नगद या मजदूरी के रूप में होगा, जैसा की उपभोक्ता समुदाय निर्णय करे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सामुदायिक अंशदान प्रतिगृह 5 प्रतिशत होगा जोकि निजी कनेक्शन 300 रूपए तथा स्टेड पोस्ट के लिए 150 रूपए होगा। इसमें से 1 प्रतिशत नगद के रूप में तथा शेष नदक या मजदूरी के रूप में होगा, जैसा कि समुदाय का निर्णय हो। सभी एकल ग्राम परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तरांचल जल संस्थान, उत्तरांचल जल निगम या ग्राम पंचायतों का जल शुल्क अधिकतम 5 रूपए प्रतिगृह प्रतिमाह हैंडपम्प तथा स्टेड पोस्ट के लिए तथा 45 रूपए प्रतिगृह प्रतिमाह निजी कनेक्शन के लिए होगा। इसमें हैंडपम्प/स्टेड पोस्ट के लिए अधिकतम 10 रूपए तथा निजी कनेक्शन के लिए 55 रूपए होगा। ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों द्वारा एकत्र किया गया जल शुल्क बैंकों में खोले गए खातों में जमा किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा।
- बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए नीतियां : अंतरा ग्राम जल आपूर्ति कार्य हेतु पूंजी निवेश के लिए सामुदायिक अंशदान के दिशा–निर्देश वही होंगे जो एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए हैं। यद्यपि बहुग्रामीण परियोजनाओं की उच्च लागत को देखते हुए पूंजी लागत के अंशदान 10 प्रतिशत का अंशदान यहा लागू किया जाना कठिन होगा क्योंकि एकल ग्राम परियोजनाओं की तुलना में इन्हें एकत्र करना कठिन होगा। लाभार्थियों के अंशदान को सबसे पहले अंतरा ग्राम परियोजना के पूंजी लागत को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। शेष बची राशि का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के पूंजी लागत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। यह अंशदान भी प्रतिगृह अधिकतम 600 रूपए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रूपए) होगा। बहुग्रामीण परियोजनाओं के लाभार्थियों से एकत्र किया गया पूंजी लागत अंशदान को एकल ग्राम परियोजनाओं से थोड़ा बहुत रख–रखाव हेतु उपयोग किया जा सकता है। जहां तक संचालन और रख–रखाव की लागत का सवाल है उसमें सीलिंग के स्वीकृत स्तर को बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए ही लागू किया जाएगा। बहुग्रामीण परियोजनाओं से संबंधित गांव के निवासियों से एकत्र किया गया राजस्व सर्वप्रथम अंतरा ग्राम संचालन तथा रख–रखाव की लागत पर खर्च किया जाएगा और शेष बची राशि का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन तथा रख–रखाव के लागत हेतु किया जाएगा। यह अंशदान अधिकतम 55 रूपए प्रतिमाह प्रतिगृह अंतरा ग्राम तथा जल आपूर्ति दोनों के लिए होगा। बहुग्रामीण परियोजनाओं के उच्च लागत के संचालन तथा रख–रखाव की आवश्यकताओं को समुदाय की क्षमता स्तर से अधिक होने पर पारदर्शिता रूप से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देकर पूरा किया जाएग।

3.5 सेक्टर कार्यक्रम घटक

उत्तरांचल के ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों को सेक्टर संस्थाओं से विचार–विमर्श तथा परामर्श कर तैयार किया गया है। विश्व बैंक से स्वीकृति लेने के पश्चात इसका अंतिम प्रारूप संलग्नक 3 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका 3.1 में उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर की मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	वर्ष	सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम का अंत (जनवरी 2007–दिसंबर–2011) (लाख रूपयों में)	अमेरिकी मीलियन डॉलर में	वित्तीय वर्ष 2011–12 के आगे योग (लाख रूपयों में)	अमेरिकी मीलियन डॉलर में

1.	**सकल क्षेत्र में समरूप नीति के बहार की परियोजनाएं**				
	उत्तरांचल पेयजल निगम	48354	112.45	48354	112.45
	उत्तरांचल जल संस्थान	5861	13.63	6186	14.39
	योग	**54215**	**126.08**	**54540**	**126.84**
2.0	**नया पूंजी लागत**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
2.1	ग्राम पंचायत (योजनाओं की संख्या)	16740	38.93	16740	38.93
2.2	सिल्पड बैग वासस्थलों का आच्छादन	49440	114.98	116400	270.70
2.3	जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम	1638	3.81	4444	10.33
2.4	सार्वजनिक संस्थाओं को जल आपूर्ति तथा स्वच्छता @ रूपए दो लाख प्रतिसंस्थान	6252	14.54	6252	14.54
2.5	ग्रामीण स्वच्छता	6437	14.97	6437	14.97
2.6	दक्षता विकास तथा सहयोग संस्था लागत	6437	14.97	7514	17.47
2.7	परियोजना प्रबंधन लागत	6454	14.97	14826	34.48
2.8	लेखा परीक्षा शुल्क, मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन तथा एफएमएम की लागत का आकलन	3044	7.08	3500	8.14
	आईएनआर में कुल नई पूंजी लागत	**96443**	**224.29**	**176113**	**409.56**
	नई पूंजी लागत का योग अमेरिकी मीलियन डॉलर में	**224**	**0.52**	**410**	**0.95**
	आईएनआर में सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंदर तथा बहार आवश्यक राशि का योग	**150658**	**350.37**	**230653**	**536.40**
	सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंदर तथा बहार आवश्यक राशि अमेरिकी मीलियन डॉलर में	**350**	**0.81**	**536**	**1.25**
3	कार्यक्रम के बहार गृहों के लिए स्वच्छता कार्यक्रम	4648	10.81	4648	10.81
	आवश्यक पूंजी लागत की राशि का योग	**155307**	**361.18**	**235301**	**547.21**
4	**उपलब्ध पूंजी लागत की राशि**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
अ	राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण जल तथा स्वच्छता कार्यक्रम	49149	114.30	97146	225.92
ब	भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत निर्माण तथा एआरडब्लूएसपी	92806	215.83	124804	290.24
स	भारत सरकार पीएससी राि”ा	4648	10.81	4648	10.81
द	भारत सरकार की सार्वजनिक संस्थाओं के लिए राि”ा	6252	14.54	6252	14.54
य	समुदाय का अं”ादान	2451	5.70	2451	5.70
	उपलब्ध राशि का उप योग	**155307**	**361.18**	**235301**	**547.21**
	आईएनआर में विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	**51600**	**120**	**51600**	**120**

सेक्टर कार्यक्रम के लिए किए गए आकलनों को संलग्नक 4 में द”ाया गया है।

3.5.1 घटक अ : ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर विकास

सेक्टर विकास के इस घटक का उद्देश्य राज्य की सेक्टर सुधार प्रक्रिया को संस्थागत दक्षता को मजबूत बनाकर साहायता प्रदान करना है। जिससे की इस प्रक्रिया का प्रबंधन किया जा सके और मध्यम अवधि की परियोजनाओं का दीर्घकालिक बनाया जा सके। इस घटक का उद्देश्य राज्य स्तर की संस्थाओं (जल आपूर्ति विभाग, राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन जल निगम तथा जल संस्थान) की दक्षता का विकसित करना है। साथ ही साथ इन संस्थाओं को नई नीतियों तथा संस्थागत ढांचे को पंचायती राज स्तर पर समाहित करने में सहयोग देना है।

सेक्टर सुधार के मूल तत्वों के रूप में विक्रेंद्रीकरण की प्रक्रिया आती है। जिससे जल तथा स्वच्छता नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन के उत्तरदायित्व को पंचायजी राज संस्थाएं पूर्ण रूप से निवर्हन कर सके। ऐसे में सेक्टर संस्थाएं सुविधादायी, तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली, जटिल तथा बड़ी परियोजनाओं के निर्माण तथा संचालन के कार्य को निभाएंगी। राज्य स्तर पर सेक्टर नियोजन, कार्यक्रम बनाना तथा उसको क्रियान्वित करने में भी सुधार किया जाएगा।

इस घटक उद्देश्य इस ढांचे को और मजबूत बनाना है। यह काम सभी भागीदार संस्थाओं के दक्षता विकास, सेक्टर सूचना व्यवस्था को स्थापित करने, संचार रणनीति तथ अभियान, संसाधनों को मुहैया कराने (कार्यालय, कंप्यूटर, संचार उपकरण क्रियाविधियों तथा मेनुअलों को तैयार करने), तथा जल स्त्रोत तथा जल गुणवत्ता के मानीटरीकरण कार्यक्रमों के अध्ययन में सहयोग देकर किया जाएगा। इस घटक में निम्नलिखित उपघटकों को भी सम्मिलित किया गया है।

3.5.1.1 उपघटक अ 1 : दक्षता विकास तथा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

सेक्टर के सहभागियों के दक्षता विकास तथा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य को इस उपघटक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। प्रस्तावित गतिविधियां एक विस्तृत दक्षता विकास योजना के अंतर्गत किए जाएंगे और जिसे उत्तरांचल सरकार भी अंगिकृत करेंगी। इसके अंतर्गत सभी सहभागियों के लिए विस्तृत प्र'िाक्षण कार्यक्रमों सम्मिलित किया गया है। मध्यम अवधि के कार्यक्रमों की अवधि को आच्छादित करते हुए जो योजना बनाई गई है। वह केवल पहले वर्ष (2006–07) के लिए है और इसे प्रतिवर्ष अद्यतन करने की संभावना है।

अ) राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान एवं कार्यक्रम प्रबंधन इकाई राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान को राज्य की क्षमता को नीतियों, नियोजन तथा सेक्टर मानकीकरण के क्रियाकलापों के लिए सुदृढ़ करने हेतु इसे सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन तथा सेक्टर कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की दक्षता को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए सेक्टर नियोजन में परियोजना प्रबंधन, नीति क्रियान्यन, कु''ालता विकास, उत्प्रेरण, वसूली, वित्तीय प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में प्र''ाक्षण दिया जाएगा।

ब) जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान एवं जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई नए संस्थागत ढांचे के अंतर्गत जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान तथा जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों की जल तथा स्वच्छता परियोजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन में नई भूमिका होगी। इन्हें नई गतिविधियों को साकार करना होगा इसके लिए इनकी दक्षता को विकसित किया जाना आव''यक है। कार्यक्रम के प्रारंभ करने के पूर्व केवल 9 (13 में से) सक्रिय जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान तथा जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयां थीं। शेष बचे 4 जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान तथा जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों को स्थापित किया जाना है। इनमें स्टाफ की भर्ती तथा इनका सुदृढ़करण तत्कालिकता के आधार पर किया जाना है। जनपद स्तर पर वि''ोष दक्षता सुदृढ़करण की गतिविधियों में वित्तीय तथा लेखा प्रबंधन, वसूली, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य तथा सफाई, ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन सम्मिलित होंगे।

स) जल निगम तथा जल संस्थान के लिए परिवर्तित प्रबंधन

उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान को अब पारंपरिक जल आपूर्ति के स्थान पर मांग आधारित समुदायिक भागीदारी के दृष्टिकोण को ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं के लिए अपनाना होगा। इसके साथ ही साथ इन दोनों संस्थाओं को आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहायता तथा सेवा प्रदाता की नई भूमिका के लिए अपने आप को प्रभावशाली ढंग से संगठित करना होगा। इस उपघटक में इन दोनों सेक्टर संस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक उत्प्रेरण, स्वास्थ्य तथा सफाई शिक्षा तथा अन्य साफ्टवियर गतिविधियों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया है।

द) पंचायती राज संस्थाओं के लिए सामान्य प्रशिक्षण गतिविधियां

पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजित तथा तैयार किए गए वित्तीय प्रबंधन तथा वसूली संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय इस उपघटक में सामान्य प्रशिक्षण गतिविधियों द्वारा किया जाएगा। महा लेखाकार के कार्यालय तथा बैंक द्वारा वित्त पोषित विक्रेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना के साथ समन्वय स्थापित करने को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

वे सामुदायिक विकास की गतिविधियां जो सीधे–सीधे भौतिक ढांचे से संबंधित हैं जैसे तृण मूल स्तर पर स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि, को इस घटक से अलग रखा गया है। परंतु इन्हें घटक ब में सम्मिलित किया जाएगा।

य) रिजनल प्रशिक्षण संस्थानों, सहयोगी संस्थाओं तथा सहयोगी एजेंसियों का प्रशिक्षण

उत्तरांचल सरकार 2 रिजनल प्रशिक्षण संस्थाओं को इस काम में लगाना चाहती है। दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए एक संस्था सामाजिक प्रशिक्षण तथा दूसरी इजीनियरिंग का प्रशिक्षण देगी। समभावित भूमिकाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं तथा इजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए अलग–अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए हैं। क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाएं सहयोगी संस्थाओं, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई, सेक्टर संस्थाओं तथा सहयोगी एजेंसियों को प्रशिक्षण देगी।

3.5.1.2 उप घटक अ 2 : सूचना, शिक्षा तथा संचार

इस उप घटक का उद्देश्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को सहभागियों तक पहुंचाने हेतु सेक्टर कार्यक्रम को सहयोग तथा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस उप घटक के अंतर्गत एक संचार रणनीति विकसित की जाएगी, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, जनमीडिया, सामग्री, उपकरण तथा मूल्यांकन अध्ययन इत्यादि संबंधी गतिविधियों भी सम्मिलित होंगी, तथा उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

- सूचना शिक्षा तथा संचार के माध्यम से सभी सहभागियों का स्वच्छता तथा सफाई के संबंध में व्यवहार तथा दृष्टिकोण में उत्कृष्ट परिवर्तन ले आया जाएगा।
- सूचना शिक्षा तथा संचार से संबंधित संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को इतना सक्षम बनाना है कि वे विकेद्री पर्यावरण के अंतर्गत सहभागी संस्थाओं तथा विकास की गतिविधियों के साथ उचित ताल–मेल बना सकें।
- परियोजना चक्र से संबंधित मेनुअल, हैडबुक, फिल्डबुक इत्यादि का विकास जिसमें पहले की टोलियों के अनुभव भी सम्मिलित हों।
- हिंदी तथा अंग्रेजी में वर्ष में दो बार न्यूजलेटर प्रकाशित किया जाएगा। जिसके माध्यम से सभी सहभागियों तक ग्रामों में चलने वाले कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की जानकारी पहुंचाई जाएगी। इसी तरह प्रतिवर्ष जल तथा स्वच्छता संबंधी मेलों का भी आयोजन किया जाएगा।

3.5.1.3 उप घटक अ 3 : सेक्टर सूचना व्यवस्था, जलगुणवत्ता तथा जल स्त्रोत मानीटरीकरण कार्यक्रम

अ) सेक्टर सूचना व्यवस्था

सेक्टर की स्थिति के मानीटरीकरण हेतु एक कंप्यूटरीकृत सेक्टर प्रबंधन सूचना व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके अंतर्गत परियोजना से संबंधित सभी भौतिक पहलुओं, सेवा सुविधाएं, जलगुणवत्ता तथा राज्य की सभी परियोजनाओं के लिए अन्य प्राचलों को सम्मिलित किया जाएगा। इससे उत्तरांचल सरकार को सभी चालू परियोजनाओं के विषय में सही तथा अद्यतन सूचना मिल सकेगी। इसकी सहायता से सही लागत की आव''यकताओं के आधार पर भविष्य के निवे''ा कार्यक्रमों को भली–भांति विकसित किया जा सकेगा। जनपद तथा ग्राम पंचायतों में चलने वाली परियोजनाओं के बीच तुलना करने के लिए एक बैंच मार्किंग व्यवस्था भी विकसित हो सकेगी। इस घटक द्वारा संचालन के पहले वर्ष में सभी विकास व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों सम्मिलित होंगे।

ब) जलगुणवत्ता मानीटरीकरण कार्यक्रम

राज्य स्तर पर एक जलगुणवत्ता मानीटरीकरण कार्यक्रम विकसित किया जाएगा जिससे की उत्तरांचल की आबादी को सुरक्षित जल आपूर्ति को सुनि''चत किया जा सके। इसमें निम्नलिखित गतिविधियां सम्मिलित होंगी–

- पूरे राज्य में सभी पेयजल स्त्रोतों के आर्थोटोलीडिन जाचं की व्यवस्था तथा उसके लिए उचित उपाय।
- जनपद स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोग''ालाओं की स्थापना जिसमें जल की गुणवत्ता से संबंधित भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्राचलों की जाचं के लिए उपकरण होंगे।

इसके अतिरिक्त एक जलगुणवत्ता की जांच के लिए उपभोक्ता मेत्रीक कीट तैयार की जाएगी। जिससे की जल के नमूनों से प्रतिदिन के आधार पर अव''ाष्ट क्लोरिन की मात्रा की जांच की जा सके। इसके लिए स्कूलों, महिला मंडलदल तथा ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के सदस्यों को प्र''ाक्षण दिया जाएगा।

स) स्त्रोत डिस्चार्ज मापन कार्यक्रम

राज्य स्तर पर एक स्त्रोत डिस्चार्ज मापान कार्यक्रम विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से वर्ष में दो बार, मई तथा नवंबर में, स्त्रोत के डिस्चार्ज का मापन किया जा सके। इससे जल स्त्रोतों में होने वाली कमी की प्रवृत्ति का निर्धारण हो सकेगा।

3.5.1.4 उप घटक अ 4 : राज्य स्तर पर ई-वसूली की स्थापना

इस घटके अंतर्गत पाइलेट परियोजना के रूप में सेक्टर संस्थाओं में ई–वसूली व्यवस्था को लागू करने की वृहद योजना बनाई गई है। इसे बाद में राज्य की अन्य वसूली इकाईयों में लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत अध्ययन करने के लिए पराम''ादायी सेवाओं को लेना, बोली लगाने के मानक दस्तावेजों का तैयार करना तथा प्र''ाक्षण की आव''यकताओं के अनुसार आव''यक उपकरणों को मुहैया करना शामिल है। यह सब राज्य संस्थाओं तथा एजेंसियों के वसूली प्रक्रिया को दक्ष तथा सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से किया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों के वसूली के मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था को भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ यह प्रबंधन सूचना व्यवस्था की आव''यकताओं को प्रभाव''ाली ढंग से क्रियान्वित करने तथा उनके वित्तीय नियंत्रण में उपयोगी होगा।

3.5.1.5 उप घटक अ 5 : सेक्टर अध्ययन

सेक्टर विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों को राज्य स्तर पर बेहतर सहयोग प्रदान करने के लिए इस घटक के अंतर्गत तकनीकी तथा वित्तीय सेक्टर अध्ययनों को शामिल किया गया है।

– समय बचाने वाले अध्ययन
– लागत प्रभागी संकेतक
– उपयुक्त तकनीकें
– सेवा सुविधाओं के लिए संस्थागत मॉडल
– अन्य अध्ययन

3.5.2 घटक ब : ग्रामीण निवेश ढांचा

इस घटक का उद्दे''य जल तथा स्वच्छता ढांचे तथा सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण समुदाय तक जल तथा स्वच्छता सेवाओं को बेहतर ढंग से पहुंचाना है। जल आपूर्ति में किए जाने वाले निवे''ा को समेकित रूप से जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, स्वास्थ्य साफ–सफाई जागरूकता उत्प्रेरक तथा व्यक्तिगत गृहों में शौचालयों के निर्माण हेतु मदद देकर किया जाएगा। इसके अंतर्गत जल आपूर्ति सुविधाओं के निर्माण तथा पुर्नवास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें स्त्रोत सुदृढ़ीकरण के तरीके, जिसे समुदाय स्वयं नियोजित, क्रियान्वित तथा प्रबंधन करेगा, को सम्मिलित किया गया है। बहुग्रामीण परियोजनाओं के संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेदारी केवल अंतरा ग्राम वितरण हेतु समुदाय की होगी। जबकि अंतरा ग्राम सुविधा का निर्माण उत्तरांचल जल निगम करेगा और संचालन उत्तरांचल जल संस्थान करेगा, जैसा की परियोजना स्तर की समिति के अंतर्गत करार हुआ हो।

खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए योग्यता रखने वाले कार्य, सामग्री तथा सेवाएं निम्न प्रकार होंगी :

(i) जल आपूर्ति परियोजनाओं में किए गए सभी नए निवे''ा इसके अंतर्गत मौजूद परियोजनाओं का पुर्नवास तथा पुर्नसंगठन, एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं दोनों के लिए, ग्रामीण सार्वजनिक संस्थाओं के लिए जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, तथा सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण सम्मिलित होंगे।
(ii) समुदाय उत्प्रेरण तथा समुदाय विकास गतिविधियां
(iii) स्वच्छता कार्यक्रम

नए निवे''ाों में जल आपूर्ति सुविधाओं के निर्माण तथा पुर्नवास को सम्मिलित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत स्त्रोत सुदृढ़ीकरण के तरीके भी होंगे जिन्हें समुदाय नियोजित, क्रियान्वित तथा स्वयं ही प्रबंधित करेगा। बहुग्रामीण परियोजनाओं के संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेदारी समुदाय की होगी और वह भी केवल अंतरा ग्रामीण वितरण के लिए अंतर ग्राम सुविधाओं का निर्माण उत्तरांचल जल निगम करेगा बहुग्रामीण परियोजना स्तर समिति, सेक्टर संस्थाओं तथा महत्वपूर्ण क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच किए गए करार के मुताबिक इनका संचालन उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा किया जाएगा।

3.5.2.1 उप घटक ब 1 : जल आपूर्ति परियोजनाएं तथा जलग्रहण संरक्षण कार्य

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत सभी नए निवे''ा सम्मिलित होंगे, जिन्हें मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है : (i) राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान/जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान के अंतर्गत एकल ग्राम परियोजनाओं तथा साधारण बहुग्रामीण परियोजनाओं का संचालन। (ii) बड़े पैमाने की बहुग्रामीण परियोजनाएं

जल निगम द्वारा संचालित होंगी। (iii) उत्तरांचल जल संस्थान, उत्तरांचल पेयजल निगम तथा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत वर्तमान में मौजूद एकल ग्रामीण परियोजनाओं का एकीकरण। (iv) जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण।

साधारण बहुग्रामीण परियोजनाएं वे है जो तकनीकी रूप से गुरूत्व परियोजनाएं है और जिनके द्वारा 3 की संख्या तक ग्राम पंचायत/ग्राम/वासस्थल आच्छादित होते हैं। जिनका संचालन आपसी विचार–विम''ाँ करके सामुहिक रूप से संदर्भित ग्राम पंचायतें/उपभोक्ता जल आपूर्ति तथा स्वच्छता समितियां करेंगी। इन साधारण बहुग्रामीण परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य बहुग्रामीण परियोजनाओं को वृहद बहुग्रामीण परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाएगा।

राज्य की पहाड़ी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अधिकां''ा परियोजनाओं के गुरूत्व पाइप जल व्यवस्था, सोतों/सरिता स्त्रोतों के साथ, रहने की संभावना है। एक ग्रामीण पाइप जल व्यवस्था के अंतर्गत एक इनटेक संरचना, रफिंग फिल्टर, मुख्य पारेषण दाब टैंक, वाल्व तथा वाल्व चैम्बर, एक झील, प्रमुख वितरण, सार्वजनिक स्टेड पोस्ट तथा निजी कनेक''ान आते हैं।

जल आपूर्ति परियोजनाओं में सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। बड़े जलग्रहण क्षेत्रों का कार्य अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वित रूप से किया जाएगा। जिनमें वन विभाग भी सम्मिलित होगा। यह जल स्त्रोतों की कमी तथा गिरते जल स्तर के कारण आव''यक है। वि''ोष गतिविधियों में सतह जल को प्रदूषण से बचाना, स्त्रोत को रिचार्ज करना तथा सतह स्त्रोतों को अपरदन तथा गाद भरण से बचाना है। इस उप घटक द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन, उपचार तथा संरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना, समुदाय उत्प्रेरण तथा प्रि''ाक्षण योजनाओं को लागू करना, वृक्षारोपण तथा अन्य सेवाओं के लिए किए जाने वाले कार्यो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन मांग आपूर्ति की दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे के अंतर्गत किया जाएगा। जहां यह संस्थाएं नियोजन, क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाएंगी और इन्हें आव''यकता पड़ने पर सहयोगी संस्थाओं तथा सेक्टर संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

3.5.2.2 उप घटक ब 2 : सामुदायिक विकास

इस घटक के अंतर्गत उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों तथा परियोजना स्तर की समितियों के दक्षता निर्माण को स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी। एकल ग्राम परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक नई जल आपूर्ति परियोजना के लिए एक उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा। बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए प्रत्येक ग्राम में स्थापित होने वाली उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के अतिरिक्त एक परियोजना स्तर की समिति भी गठित की जाएगी। इन समितियों के गठन तथा संचालन के लिए समुदाय को संगठित तथा उत्प्रेरिक करने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों को चलाना होगा। इनमें छोटे स्तर की कार्य''ाालाएं, समुह विचार–विम''ाँ, सूचना अभियान तथा भागीदार समुदाय को नियोजित ढंग से प्रि''ाक्षण देना सम्मिलित होगा। इसकी सहायता से वे विभिन्न समितियों के लिए अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करने में सक्षम हो सकेंगे। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों में कम से कम 30 प्रति''ात महिलाओं तथा अल्प संख्यक समूहों, जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति इत्यादि का प्रतिनिधित्व होगा। सामुदायिक विकास के अंतर्गत सफाई को आगे बढ़ाने की गतिविधियां भी उपरोक्त वर्णित तरीकों से चलाए जाने के लिए सम्मिलित होगी।

3.5.2.3 उप घटक ब 3 : स्वच्छता

इस उप घटक के द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को पूरे राज्य में चलाने के लिए योगदान दिया जाएगा। जैसा की पहले बताया गया है, स्वच्छता गतिविधियों को जल आपूर्ति के साथ–साथ समेकित रूप से चलाया जाएगा। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दि''ाा–निर्दे''ाों के अनुसार इस कार्यक्रम से लोगों में स्वास्थ्य सफाई तथा स्वच्छता के विषय में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता उत्पन्न किया जाएगा। इसके लिए व्यक्तिगत घरों पर ज्यादा जोर न देकर पूरे समुदाय को उत्प्रेरित किया जाएगा, जिससे की खुले में शौच की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। यह उप घटक ग्राम स्तर पर सूचना, ि''ाक्षा तथा संचार को वित्तीय

सहायता प्रदान करेगा। लाभान्वित होने वाले गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को समुदाय द्वारा 500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उन वासस्थलों को जहां खुले में शौच की प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर आर्थिक पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाले 5 वर्षों के अंत तक कम से कम 50 प्रति''ात ग्राम पंचायतों तथा वासस्थलों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति दिया जाएगी।

3.5.3 घटक स : कार्यक्रम प्रबंधन संयोग तथा कार्यक्रम के लिए मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन

3.5.3.1 उप घटक स 1 : कार्यक्रम प्रबंधन सहयोग

इस घटक के अंतर्गत 2006–2011 तक की अवधि के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन की लागत को सम्मिलित किया गया है। राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान/परियोजना प्रबंधन इकाई तथा जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों से जुड़े संचालन तथा प्र''ाासनिक लागत को वित्तीय सहायत प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत स्टाफ क्षतिपूर्ति, परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई अधिकारियों, उपकरण, किराय पर लिए गए वाहन तथा यात्रा भत्ता को सम्मिलित किया गया है। क्षतिपूर्ति के अंतर्गत कुल 50 स्टाफ का वेतन तथा अन्य लाभ, परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए स्थानीय पराम''ीदाता तथा 13 जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों को सम्मिलित किया गया है। अन्य खर्चों के अंतर्गत सरकारी लेखाकार, निजी लेखाकार, तकनीकी लेखाकार तथा वित्तीय लेखाकारों द्वारा किए जाने वाले लेखा परीक्षा पर होने वाले खर्च को भी सम्मिलित किया गया है। परियोजना प्रबंधन इकाई में एक योग्यता प्राप्त निदे''ाक तथा सात इकाई समन्वयक होंगे। जिसमें स्वच्छता तथा सफाई, वित्तीय तथा प्र''ाासन, मानव संसाधन विकास, इंजीनियरिंग, सामाजिक विकास, मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन तथा पर्यावरण शामिल होंगे। परियोजना प्रबंधन इकाई में लगभग 160 स्टाफ होंगे। 13 जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयां होंगी (वर्तमान में केवल 9 विद्यमान है)।

उप घटक स 2 : सेक्टर मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन

इस घटक द्वारा वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था के विकास, स्थापना तथा संचालन के साथ–साथ सेक्टर कार्यक्रम के मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था को सहयोग दिया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था कार्यक्रम के सभी रा''ियों तथा खर्च का प्रबंधन करेंगी वहीं पर मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था घटक अ में वर्णित सेक्टर सूचना व्यवस्था से जोड़ दी जाएगी। इसका उपयोग सेक्टर के लक्ष्यों तथा उद्दे''यों की उपलब्धियों के मानीटरीकरण तथा सेक्टर कार्यक्रम के प्रभावों के निर्धारण हेतु किया जाएगा। सेक्टर कार्यक्रम का मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन (i) समयावधिक समीक्षा (ii) दीर्घकालिकता मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन (iii) तथा समुदाय मानीटरीकरण द्वारा किया जाएगा।

(i) समयावधिक समीक्षा निर्धारित लक्ष्यों के प्रभाव मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र में होने वाले अनुभवों के आधार पर कार्यक्रम के डिजाइन तथा रणनीतियों को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। जिससे की ग्राम पंचायत स्तर पर गतिविधियों को प्रभाव''ााली ढंग से चलाया जा सके। इसमें स्वतंत्र वित्तीय तथा तकनीकी लेखाकारों द्वारा परियोजना का लेखा परीक्षण कराना भी सम्मिलित है। साथ ही साथ सामान्य रूप से परियोजना के प्रभाव का अध्ययन तथा अन्य घटकों के विषय में जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। मुख्य रूप से किए जाने वाले अध्ययन निम्न प्रकार होंगे :

- नियोजन तथा क्रियान्वयन प्रावस्था में प्रक्रिया मानीटरीकरण
- प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन
- जलग्रहण कार्य के प्रभाव संबंधी अध्ययन

(ii) दीर्घकालिकता मानीटरीकरण तथ मूल्यांकन स्वजल I के अंतर्गत विकसित किए गए फोर्मेट के आधार पर किया जाएगा। इसमें परियोजना की लंबी अवधि के लिए तकनीकी, वित्तीय, संस्थागत, सामाजिक तथा पर्यावरण दीर्घकालिकता के साथ–साथ परियोजना के जीवनकाल में निर्मित सम्पत्तियों पर वि''ौष ध्यान दिया जाएगा।

(iii) सामुदायिक मानीटरीकरण द्वारा समुदाय के सदस्यों को अपनी परियोजनाओं की सभी प्रावस्थाओं में उसकी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगी। जिससे वे परियोजना समाप्ति के प''चात भी इसका पूरा लाभ लेते रहें। इस व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी मानीटरीकरण उपायों को सुझाया जाएगा और उन्हें घटक ब के अंतर्गत दिए गए सामुदायिक विकास गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा।

इस उप घटक द्वारा राज्य (राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान), जनपद (जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान, उपसंभागिय समितियां), तथा सामुदायिक स्तर (ग्राम पंचायत तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां) द्वारा उपरोक्त पराम''ादायी सेवाओं साफ्टवियर तथा कंप्यूटर उपकरण के साथ–साथ लेखा परीक्षा के खर्च के लिए रा''ि उपलब्ध कराई जाएगी।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के बहार की परियोजनाएं– 31 मार्च, 2006 तक चिन्हित सभी एकल ग्राम जल आपूर्ति परियोजनाएं तथा 30 नवंबर, 2006 तक चिन्हित बहुग्रामीण परियोजनाएं पहले के सिद्धांतों के अनुसार क्रियान्वित की जाएंगी और इन्हें सकल क्षेत्र में समरूप नीति की परियोजनाओं से बहार रखा जाएगा। ये वे परियोजनाएं हैं जिनके प्र''ाासनिक तथा वित्तीय स्वीकृतियां एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए 1/4/2006 से पूर्व तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए 1/12/2006 के पूर्व प्राप्त की ली गई है।

3.6 सेक्टर कार्यक्रम का प्रारंभ तथा क्रियान्वयन का सेड्यूल

सेक्टर कार्यक्रम का प्रारंभ सेक्टर क्रियान्वयन कार्यक्रम के संदर्भ में किया जाएगा (जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्रियान्यन एजेंसी के कार्यभार को परिभाषित किया गया है) जिसे मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के लिए बनाया जाएगा। परियोजनाओं को प्रारंभ करने के महत्वपूर्ण चरण हैं : राज्य द्वारा जनपदों को वार्षिक रा''ि का निर्धारण, तथा जनपदों के लिए वार्षिक योजना को तैयार किया जाना इन चरणों के विषय मे आगे विस्तार से बताया गया है। प्रत्येक सेक्टर कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन चरणों का विस्तार से वर्णन अध्याय 6 में किया गया है और जिनका संबंध में अध्याय 5 : संस्थागत व्यवस्था में द''ााया गया है। विभिन्न बैचो के लिए पूरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में पैरा 3.5.4 में बताया गया है।

3.6.1 राज्य स्तर से जनपदों को राशि का विनियमन

राज्य स्तर पर संसाधनों का विनियमन

1. संसाधन विनियमन के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत है :

- पहली प्राथमिकता अनाच्छादित वासस्थलों को
- द्वितीय प्रथमिकता अर्धआच्छादित वासस्थलों को

यह प्राथमिकता जमीनी सचाईयों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

2. विभिन्न जनपदों में मौजूद अनाच्छादित तथा अर्धआच्छादित वासस्थलों की संख्या के आधार पर प्रारंभ में राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान इकाई द्वारा जनपदों को रा”ि आवंटित की जाएगी। इस दृष्टिकोण की समीक्षा सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्यन के दूसरे/तीसरे वर्ष में की जाएगी और इसमें जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान/उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा पराम”ा लिया जाएगा।

3. जनपद में अनाच्छादित तथा अर्धआच्छादित वासस्थलों की संख्या के आधार पर राज्य द्वारा प्राप्त रा”ि को संबंधित ग्राम पंचायत को आवंटित करने का काम जनपद स्तर पर किया जाएगा।

3.6.2 वार्षिक योजना की तैयारी

एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं द्वारा वार्षिक अवधि में भौतिक रूप से आच्छादित वासस्थलों तथा वार्षिक वित्तीय प्रावस्था को विस्तार से उत्तरांचल ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्णन किया गया है। यह संलग्नक 5 में प्रस्तुत किया गया है। जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान द्वारा वार्षिक योजना बनाई जाएगी जिसका आधार भौतिक रूप से आच्छादन तथा वित्तीय आव”यकताएं होंगी।

3.6.3 सेक्टर क्रियान्वयन कार्यक्रम

मध्यम अवधि की विकास योजना को आधार बनाकर सेक्टर क्रियान्वयन कार्यक्रम को विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा आच्छादित किए जाने वाले ग्राम पंचायतों/वासस्थलों की संख्या को स्पष्ट रूप से द”ााया गया है।

विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए सेक्टर निवे”ा कार्यक्रम को निम्नलिखित श्रेणियों में परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

श्रेणी–1 : एकल ग्राम परियोजनाएं तथा साधारण बहुग्रामीण परियोजनाएं जो तकनीकी तथा संस्थागत रूप से जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान द्वारा सुचारू रूप से चलाई जा सकती है।

श्रेणी– 2 : बड़े स्तर की बहुग्रामीण परियोजनाएं जिन्हें उत्तरांचल जल निगम चलाएगा तथा कुछ बहुग्रामीण परियोजनाओं में उत्तरांचल जल संस्थान की आव”यकता पड़ेगी।

श्रेणी– 3 : उत्तरांचल जल संस्थान, उत्तरांचल जल निगम तथा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत वर्तमान में मौजूद परियोजनाओं (अधिकां”ातः एकल ग्रामीण परियोजनाएं) का एकीकरण।

वासस्थलों तक जल आपूर्ति के कार्य को स्वच्छता, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा दक्षता विकास गतिविधियों के साथ समेकित रूप से चलाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें सार्वजनिक संस्थाओं की जल आपूर्ति तथा स्वच्छता भी सम्मिलित है।

3.6.4 क्रियान्वयन कार्यक्रम तथा टोलियां

उत्तरांचल सरकार द्वारा तैयार किए गए दृष्टिकोण 2012 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेक्टर कार्यक्रम के विभिन्न घटको तथा उप घटकों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से तीन सुविधादायी/क्रियान्वयन एजेंसियां यथा उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा कार्यक्रम प्रबंधन इकाई होंगी। एकल ग्राम परियोजनाओं को चार टोलियों में आच्छादित करने का प्रस्ताव है। टोली 1 को मई 2006 में प्रारंभ किया जाएगा जबकि बहुग्रामीण परियोजनाओं को तीन टोलियों में आच्छादित किया जाएगा। इसमें टोली 1

मई 2006 से प्रारंभ की जाएगी। आच्छादित करने की योजना को टोलीवार तथा एजेंसीवार संक्षेप में नीचे की तालिका में दिया गया है।

टोली	टोली प्रावस्था		प. प्र. इकाई			उत्तरांचल जल संस्थान			उत्तरांचल जल निगम			बहुग्रामीण परियोजनाए			योग		
	से	तक	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
टोली–1	अप्रैल–06	मई–08	422	844	159	122	243	46	14	29	5	39	386	73	**597**	**1503**	**284**
टोली–2	अप्रैल–07	मई–09	1266	2531	478	730	1459	275	86	172	32	193	1932	365	**2274**	**6094**	**1150**
टोली–3	अप्रैल–08	मई–10	1477	2953	557	973	1946	367	114	229	43	155	1546	292	**2718**	**6674**	**1259**
टोली–4	अप्रैल–09	मई–11	1056	2111	398	608	1216	229	72	143	27	0	0	0	**1735**	**3470**	**655**
योग			**4220**	**8440**	**1592**	**2432**	**4864**	**918**	**286**	**572**	**108**	**386**	**3865**	**729**	**7324**	**17741**	**3347**

एजेंसीवार तथा श्रेणीवार परियोजनाओं की किस्मों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

श्रेणी 1 : परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा एकल ग्राम परियोजनाओं के आच्छादन हेतु एकीकरण टोलीवार प्रस्ताव

टोली	टोली प्रावस्था		प्रस्तावित परियोजनाओं को आच्छादन करने का %	एकल ग्राम परियोजनाओं द्वारा आच्छादित			एकल ग्रामीण परियोजनाओं द्वारा प्रतिजनपद आच्छादन		
	से	तक		परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया
टोली –1	अप्रैल–06	मार्च–08	10%	286	572	108	22	44	8
टोली –2	अप्रैल–07	मार्च–09	30%	859	1717	324	66	132	29
टोली –3	अप्रैल–08	मार्च–10	35%	1002	2003	378	77	154	29
टोली –4	अप्रैल–09	मार्च–11	25%	716	1431	270	55	110	21
योग			**100%**	**2862**	**5724**	**1080**	**220**	**440**	**83**

श्रेणी 1 : परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा एकल ग्राम परियोजनाओं के सिल्पबडबेक टोलीवार आच्छादन का प्रस्ताव

टोली	टोली प्रावस्था		प्रस्तावित परियोजनाओं को आच्छादन करने का %	एकल ग्राम परियोजनाओं द्वारा आच्छादित			एकल ग्रामीण परियोजनाओं द्वारा प्रतिजनपद आच्छादन		
	से	तक		परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया
टोली –1	अप्रैल–06	मार्च–08	10%	136	272	51	11	21	4

टोली –2	अप्रैल–07	मार्च–09	30%	407	814	154	31	63	12
टोली –3	अप्रैल–08	मार्च–10	35%	475	950	179	37	73	14
टोली –4	अप्रैल–09	मार्च–11	25%	340	680	128	26	52	10
योग			**100%**	**1358**	**2716**	**512**	**502**	**209**	**39**

श्रेणी 2 : उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा बहुग्रामीण परियोजनाओं के सिल्पबडबेक टोलीवार वासस्थलों/ग्राम पंचायतों के आच्छादन का प्रस्ताव

टोली	टोली प्रावस्था		प्रस्तावित परियोजनाओं को आच्छादन करने का %	एकल ग्राम परियोजनाओं द्वारा आच्छादित			एकल ग्रामीण परियोजनाओं द्वारा प्रतिजनपद आच्छादन		
	से	तक		परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया
टोली –1	अप्रैल–06	मार्च–08	10%	39	386	73	3	30	6
टोली –2	अप्रैल–07	मार्च–09	50%	193	1932	365	15	149	28
टोली –3	अप्रैल–08	मार्च–10	40%	155	1546	292	12	119	22
योग			**100%**	**386**	**3865**	**729**	**30**	**298**	**56**

श्रेणी 3 : उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा एकल ग्राम परियोजनाओं के एकीकरण टोलीवार वासस्थलों/ग्राम पंचायतों के आच्छादन का प्रस्ताव

टोली	टोली प्रावस्था		प्रस्तावित परियोजनाओं को आच्छादन करने का %	एकल ग्राम परियोजनाओं द्वारा आच्छादित			एकल ग्रामीण परियोजनाओं द्वारा प्रतिजनपद आच्छादन		
	से	तक		परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया
टोली –1	अप्रैल–06	मार्च–08	5%	122	243	46	9	19	4
टोली –2	अप्रैल–07	मार्च–09	30%	730	1549	275	56	112	21
टोली –3	अप्रैल–08	मार्च–10	40%	973	1946	367	75	150	28
टोली –4	अप्रैल–09	मार्च–11	25%	608	1216	229	47	94	18
योग			**100%**	**2432**	**4864**	**918**	**187**	**375**	**71**

श्रेणी 3 : उत्तरांचल जल निगम द्वारा एकल ग्राम परियोजनाओं के **एकीकरण टोलीवार** वासस्थलों/ग्राम पंचायतों के आच्छादन का प्रस्ताव

टोली	टोली प्रावस्था		प्रस्तावित परियोजनाओं को आच्छादन करने का %	एकल ग्राम परियोजनाओं द्वारा आच्छादित			एकल ग्रामीण परियोजनाओं द्वारा प्रतिजनपद आच्छादन		
	से	तक		परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया	परियोजनाओं की संख्या	वासस्थलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संचया
टोली –1	अप्रैल–06	मार्च–07	5%	14	29	5	1	2	0.4
टोली –2	अप्रैल–07	मार्च–08	30%	86	172	32	8	13	2
टोली –3	अप्रैल–08	मार्च–9	40%	114	229	43	9	18	3
टोली –4	अप्रैल–09	मार्च–10	25%	72	143	27	6	11	2
योग			**100%**	**286**	**572**	**108**	**22**	**44**	**8**

3.7 सेक्टर कार्यक्रम का मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन

3.7.1 सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान चार प्रकार के मानीटरीकरण और मूल्यांकन किए जाएंगे–

(i) सेक्टर मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर सेक्टर नीतियों के क्रियान्वयन तथा कार्यक्रम से मिलने वाले लाभों के संबंध में हो रही प्रगति तथा निष्पादन संकेतक का मानीटरीकरण करने हेतु सेक्टर के आंकड़ों का समेकन किया जाएगा। पीए घटक के अंतर्गत विकसित किए गए एसआईएस के साथ इसे जोड़ दिया जाएगा।

(ii) समयावधि समीक्षा के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभाव''ाली ढंग से कार्य करने के लिए क्षेत्रिण अनुभव तथा सुझाई गई रणनीतियों के माध्यम से कार्यक्रम के डिजाइन और रणनीति को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए लक्ष्य प्रक्रियाओं तथा प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अंतर्गत याद्रछिद्र चयनित परियोजनाओं का लेखा परीक्षण स्वतंत्र वित्तीय तथा तकनीकी लेखाकारों द्वारा कराया जाना भी सम्मिलित है।

(iii) दीर्घकालिकता मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन के अंतर्गत लंबी अवधि के तकनीकी, वित्तीय, संस्थागत, सामाजिक तथा पर्यावरण की दीर्घकालिकता के साथ–साथ परियोजना के जीवन काल के दौरान परियोजना के जीवन काल में निर्मित की गई सम्पत्ति की दीर्घकालिकता की संभावनाओं को सम्मिलित किया गया है।

(iv) सामुदायिक मानीटरीकरण के अंतर्गत समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनी परियोजनाओं के प्रत्येक प्रावस्था में हो रही प्रगति की जानकारी प्राप्त की जाएगी। जिससे की परियोजना की समाप्ति के प''चात उसका लगातार प्रयोग किया जा सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत सुझाई गई सहभागिता के मानीटरीकरण हेतु कुछ तरीकों का उपयोग किया जाएगा।

1. 2003 में भारत सरकार के राजीव गांधी पेयजल मि''ान द्वारा वासस्थलों के आच्छादन संबंधी सर्वे के परिणामों के प्रयोग करने के अतिरिक्त ग्राम स्तर तथा परि योजनावार सूचनाएं ग्राम पंचायतों के चयन के

तुरंत बाद उपयोग की जाएंगी। इसके लिए वि''ोष संकेतक तथा मानीटरीकरण का ढांचा विकसित कर लिया गया है।

2. राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान का सचिवालय सेक्टर कार्यक्रमों के मानीटरीकरण के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। यह सचिवालय न केवल सकल क्षेत्र में समरूप नीति के कार्यक्रमों का सेक्टर मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन करेगा बल्कि सूचनाओं का प्रयोग भविष्य की नीति निर्धारण तथा निवे''ा नियोजन में भी करेगा। 13 जनपदों की जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान तथा उनके सचिवालय अपने–अपने जनपदों में समयावधिक समीक्षा तथा दीर्घकालिकता मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन के उत्तरदायित्व को संभालेगा। राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा प्रबंधित राज स्तरीय सेक्टर डाटा बेस को भौतिक तथा वित्तीय डाटा मुहैया कराना जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ानों का उत्तरदायित्व होगा।
3. आंकड़ों को इक्ट्ठा करने उनको समेकन करने तथा उनके प्रबंधन हेतु राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान, जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान तथा पंचायती राज संस्थाओं के दक्षता विकास की वि''ोष आव''यकता पड़ेगी। दक्षता विकास संबंधी ऐसी आव''यकताओं पर सेक्टर विकास घटक अ में गौर किया गया है।
4. बैंक द्वारा तीन प्रमुख समीक्षाएं की जाएंगी। पहली समीक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन के पहले वर्ष के अंत में, दूसरी मध्यम अवधि की समीक्षा तथा तीसरी परियोजना की समाप्ति पर की जाएगी। प्रत्येक समीक्षा अवधि के दौरान परियोजना संबंधी प्रगति की मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन हेतु कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

इस मेनुअल के अध्याय 14 में सेक्टर कार्यक्रम के मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय 4

सामाजिक निर्धारण-सामाजिक मुद्दों के संबंध में

उत्तरांचल में लगभग 70–80 प्रति’’ात ग्रामीण आबादी छोटे किसानों की है जिनके पास एक हैक्टर से भी कम कृषि भूमि है। कृषि तथा प’’ुपालन के अतिरिक्त ग्रामीण आबादी के पास पर्यटन आधारित गतिविधियों में हिस्सेदारी करने का ऑप’’ान है। 1997 में किए गए गरीबी रेखा के नीचे के सर्वेक्षण तथा जनगणना के आंकड़ों के आधार के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण गृहों की संख्या 376502 (36 प्रति’’ात) थी। विभिन्न जनपदों के वि’’लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि जनपद उत्तरका’’ी, टेहरी तथा चमोली में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है जोकि 50–65 प्रति’’ात तक है। जबकि हरिद्वार जनपद में इनकी संख्या सबसे कम (17.5 प्रति’’ात) है। उत्तरांचल में कुल आबादी का 63.1 प्रति’’ात बेरोजगार है तथा 9.6 प्रति’’ात छोटे–मोटे रोजगार में लगा है। पेयजल तथा ’’ौचालय संबंधी सुविधाओं के लिए ग्रामीण समुदाय की भुगतान क्षमता बहुत ही कम है। उत्तरांचल में प्रतिव्यक्ति आय मात्र 13,000 रूपए है। राज्य में डब्ल्लूएटीएसएएन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान इन तथ्यों पर वि’’ोष रूप से ध्यान दिया जाना आव’’यक है।

राज्य में प’’ुओं की संख्या 4.6 मीलियन है और प्रतिद’’िक इनकी वृद्धिदर 1.84 प्रति’’ात है। प्रति ग्राम प’’ुओं की संख्या का औसत लगभग 315 या औसतन 4.19 प’’ु प्रति गृह है। ग्रामीण परिवारों के आय का कृषि के बाद प्रमुख स्त्रोत प’’ुपालन ही है। अतः यह उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प’’ुओं की अधिक संख्या जलग्रहण क्षेत्र के डिग्रीडे’’ान का एक मुख्य कारण है क्योंकि इससे जल स्त्रोतों का ह्यस हो रहा है। प’’ुओं को भी जल की आव’’यकता होती है और मौजूद जल आूपर्ति व्यवस्था में इसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। किसी वि’’ोष क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं को बनाते समय इस आयाम को ध्यान में रखना जरूरी है।

पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी इलाकों की तुलना में आमंदनी का स्तर निम्न है। सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ है कि मैदानी इलाकों में उचित भौगोलिक स्थितियों के होने के कारण सिचांई की सुविधा बेहतर है। ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक परिवार में कम से कम 3–4 प’’ु होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ जनजातिय क्षेत्र भी है। निधि तथा संचालन तथा रख–रखाव की लागत हेतु समुदायिक अं’’ादान को एकत्र करते समय इन सामाजिक तथ्यों पर संवेदनात्मक ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

4.1 सहभागियों का विश्लेषण

राज्य में मंजूर स्थिति, प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्था तथा स्वजल परियोजना के अनुभवों के आधार पर सहभागियों को चिन्हित किया गया है। सहभागियों के विषय में निम्न तालिका में ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है–

ग्रामीण जल स्वच्छता तथा पर्यावरण कार्यक्रम के लिए सहभागियों की सूची

स्तर	उपस्तर	सहभागी
तृणमूल स्तर	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां एवं ग्राम पंचायत	ग्राम प्रधान, पंचायत तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के सदस्य, पंचायत सचिव, स्कूल अध्यापक तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनएम इत्यादि

	ग्राम समुदाय	पुरूष तथा महिला तथा बच्चे, सीबीओ, ग्राम रख–रखाव कार्यकर्ता जैसे, मिस्त्री इत्यादि
मध्यमिम स्तर	जनपद स्तर तथा ब्लॉक स्तर	जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, जनपद स्तरीय गैर सरकारी संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थान तथा व्यक्तिगत परामर्शदाता
रणनीतिक स्तर	राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
	सेक्टर संस्थाएं	उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान
	अन्य विभाग	पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, वन, जलागम प्रबंधन विभाग इत्यादि
नीति निर्माता	भारत सरकार	ग्रामीण विकास मंत्रालय का पेयजल विभाग
	उत्तरांचल सरकार	पेयजल विभाग
	मीडिया	इलेक्ट्रोनिक तथा मुदि्त मीडिया

इन सभी सहभागियों की अपनी–अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्व, अपेक्षाएं जिम्मेदारियां, कठिनाईयां तथा सीमाएं हैं, जिनका परियोजना डिजाइन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। प्रोग्राम डिजाजन बनाने के पहले परोक्ष तथा अपरोक्ष लाभार्थियों, दबाव तथा उत्पीड़ित समूहों से संबंधित सहभागियों श्रेणी का मानचित्रण करना जरूरी होगा क्योंकि सभी प्रकार के सहभागियों की अपनी–अपनी अपेक्षाएं, मुद्दे उत्तरदायित्व तथा प्रभाव हैं। मानचित्रण के संबंध में नीचे दी गई तालिका में जानकारी दी गई है।

सहभागियों का मानचित्रण (परोक्ष तथा अपरोक्ष लाभार्थी, दबाव तथा उत्पीड़ित समूह)

स्तर	**परोक्ष**	**अपरोक्ष**	**दबाव**	**उत्पीड़ित**
ग्राम	• महिलाएं • कन्या • वास • बेरोजगार साक्षर • संपूर्ण समुदाय	• एसएचजी • महिला मंगलदल • युवा समूह • वीएमडब्लू • मजदूर • दुकानदार (स्थानीय सामग्री)	• स्कूल शिक्षक • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता • एएनएम • एसएचजी • बाल समूह	• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अल्प संख्यक समूह • गरीबों में भी गरीब •
ग्राम पंचायत	• ग्राम प्रधान • निर्वाचित सदस्य • पंचायत सचिव	• सामग्री आपूर्तक • ठीकेदार • गैर सरकारी संस्थाएं	• ग्राम पंचायत सदस्य • अध्यापक • ब्लॉक सदस्य • स्वास्थ्य कार्यकर्ता	• पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य • पूर्व ग्राम प्रधान • विरोधी दल के सदस्य • छोटे ठेकेदार
जनपद स्तर	• जिला पंचायत • जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई • जनपद प्रशासन	• गैर सरकारी संस्थाएं • प्रशिक्षण संस्थान • सामग्री आपूर्तक	• अन्य विभागों के अधिकारी • मीडिया	• जल निगम/जल संस्थान इंजीनियर • पूर्व पंचायत सदस्य • अन्य विकास के विभाग
राज्य स्तर	• पेयजल जल विभाग, राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन, परियोजना प्रबंधन इकाई	• अन्य विभाग	• मीडिया • राजनीतिक	• अन्य विकास के विभाग
राष्ट्रीय स्तर	• भारत सरकार, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल निगम मिशन	• अन्य राज्य सरकारें	• मीडिया	

4.2 सहभागियों की अपेक्षाएं मुद्दें तथा सरोकार

4.2.1 समुदाय स्तरीय मुद्दे/सरोकार

प्रस्तावित कार्यक्रम सहभागिता की प्रकृति वाला है। नियोजन, निर्माण, वसूली, संचालन तथा रख–रखाव संबंधी सभी निर्णय समुदाय द्वारा लिए जाएंगे। पंचायत स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की एजेंसी ग्राम पंचायत के साथ–साथ उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां होंगी। कार्यक्रम से संबंधित ग्राम समुदाय के कुछ मुद्दें तथा सरोकार होंगे अतः कार्यक्रम क्रियान्वयन के समय उन पर निम्नलिखित ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

(i) सामान्यतः निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका बहुत सीमित होती है। वे सोचती हैं कि जल आपूर्ति उनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अतः कार्यक्रम बनाने में वे अपनी समस्याओं तथा सरोकारों को बताना चाहेंगी।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति यह सोचते हैं कि वे अल्प समुदाय के है अतः वे कार्यक्रम की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकेंगे या नहीं।

(iii) ग्राम पंचायतों की गतिविधियां सामान्यतः ग्राम समुदाय की जानकारी में नहीं आ पाती सामान्यतः लोगों का यह सोचना है कि ग्राम पंचायतों की रूचि मात्र प्राप्त हुई रा"ि का उपयोग करना है। अतः जल उपभोक्ता समितियां इस प्रक्रिया में अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रख पाएंगी।

(iv) ग्राम पंचायतों तथा विभिन्न उपभोक्ता समूहों के बीच समन्वय स्थापित करना भी एकल बहुत बड़ा सरोकार है क्योंकि स्थानिय, सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दें अक्सर इन पर हावी रहते हैं।

(v) विभिन्न मौसमों में लोगों का पलायन पहाड़ी जनपदों में एक सामान्य सी बात है। ऐसे ग्रामों में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं हमे"ाा से ही समस्या रही है। अतः इस कार्यक्रम में भी यह निर्णय लेना कठिन होगा कि किस प्रकार पलायन करने वाले इन लोगों तक जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।

(vi) ग्रामीण गृहों में आय के सीमित साधन होते हैं जिसमें से उनकी बचत भी बहुत कम हो पाती है। प्रस्तावित कार्यक्रम में पूंजी लागत तथा संचालन तथा रख–रखाव का शुल्क समुदायिक अं"ादान से प्राप्त किया जाना है जोकि एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्रामीण समुदाय को यह आ"ांका बनी रहती है कि नगर में दिया जाने वाला अं"ादान क्या उनकी पहुंच में होगा। मजदूरी द्वारा दिया जाने वाला अं"ादान भी एक सरोकार है। मुफ्त की जानी वाली मजदूरी द्वारा दिए गए अं"ादान से उन्हें अपनी दैनिक जीवन के कार्यो को छोड़ना पड़ेगा जोकि उनके लिए किसी नगदी से कम नहीं है।

(vii) जल आपूर्ति परियोजनाओं के संचालन तथा रख–रखाव के शुल्क के विषय में समुदाय को कोई जानकारी नहीं है। संचालन तथा रख–रखाव के अधिक शुल्क की स्थिति में परिवार नियमित रूप से इन्हें चुकता नहीं कर सकेगा।

(viii) समुदाय के लोग यह सोचते हैं कि यदि किसी तरह उनकी नगदी आय में वृद्धि हो जाए तो वे इस कार्यक्रम की रणनीति में सहयोग देने के योग्य बन सकेंगे।

4.2.2 ग्राम पंचायत स्तरीय मुद्दे तथा सरोकार

(i) ग्राम पंचायतों के लिए पूंजी लागत तथा संचालन एवं रख–रखाव के अं’’ादान को एकत्र करना कठिन हो सकता है। अतः इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए जोकि लोगों को अं’’ादान देने के लिए प्रेरित कर सकें।

(ii) ग्राम पंचायतों तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों की बीच समन्वय की कमी भी आपसी रंजी’’ा तथा स्थानीय राजनीतिक परिदृ’’य के कारण हो सकती है।

(iii) ग्राम पंचायतों को कार्यभार को चलाने में कठिनाई हो सकती है वि’’ोष रूप से कागजी कार्यवाही में अतः वे सोचते हैं कि कार्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराए जाए।

(iv) कार्यक्रम क्रियान्वयन की अवस्था में निर्मित शौचालयों का प्रयोग बाद में नहीं किया जाता जैसा कि अन्य सरकारी परियोजनाओं में घटित होते देखा गया है।

(v) उपभोक्ता समितियां दिए गए धन, संचालन तथा रख–रखाव के लिए एकत्र किए गए अं’’ादान तथा अन्य तकनीकी समस्याओं का प्रबंधन करने के योग्य नहीं होती।

(vi) यदि समुदाय में कोई बकादार होता है तो उसके लिए ग्राम पंचायत क्या कार्यवाही करती है? कठोर कार्यवाही केवल जनता में कोध्र उत्पन्न करती है और बुरे विचारों को जन्म देती है।

4.3 कार्यक्रम व्यवस्थाएं

सामाजिक निर्धारण के परिणामों द्वारा चिन्हित किए गए मुद्दों तथा सरोकारों के आधार पर प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम व्यवस्थाओं को तैयार किया गया है।

4.3.1 प्रमुख मुद्दों तथा सरोकारों के लिए कार्यक्रम डिजाइन के रूप

प्रस्तावित कार्यक्रम मांग आपूर्ति तथा सहभागिता की प्रकृति वाला है। सकल क्षेत्र में समरूप नीति पर आधारित क्रियान्वयन के लिए सभी भागीदारों की हिस्सेदारी सुनि’’चत किया जाना जरूरी है। सहभागी उसी अवस्था में पूरे जो’’ा–खरो’’ा के साथ हिस्सेदारी करेंगे जब परियोजना डिजाइन में उन से संबंधित सभी मुद्दों तथा सरोकारों के विषय में उचित कार्यवाही की गई हो। कुछ डिजाइन रूपों, जिनको सफल कार्यन्वयन तथा दीर्घकालिकता के लिए कार्यक्रम रणनीति में आव’’यक स्थान दिया जाएगा, वे निम्न प्रकार है–

4.3.1.1 प्रतिनिधित्व, जागरूकता तथा कुशलता विकास : कार्यक्रम में सभी अल्प संख्य समूहों वि’’ोष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के प्रतिनिधित्व तथा हिस्सेदारी पर वि’’ोष जोर दिया गया है। इसके लिए (i) उपभोक्ता समूह समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संरक्षित किया जाना (ii) निर्णय लेने क लिए समुदाय की बैठकों में समुदाय के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व (iii) बैठकों की कार्यवाही के दस्तावेजीकरण (iv) इन समूहों के निर्णय लेने की क्षमता मे आत्मवि’’वास के स्तर को बढ़ाने के लिए जागरूकता, ज्ञान तथा दक्षता विकास की गतिविधियों का आयोजन (v) महिलाओं को आय बढ़ाने की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु समय की बचत करना (vi) महिलाओं को जबरदस्ती मजदूरी अं’’ादान के लिए मजबूर करने से उन्हें बचाना।

4.3.1.2 पारदर्शिता : कार्यक्रम के क्रियान्वयन को पारद’’र्ी बनाने के लिए पंचायती राज्य की संस्थाओं के त्रिस्तर के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करना। इसमें वि’’ोष रूप से ग्राम पंचायत तथा उपभोक्ता समितियों को निम्नलिखित की आव’’यकता पड़ेगी :

अ) ग्राम स्तर के संस्थागत ढांचे के लिए स्पष्ट दि’’ाा–निर्दे’’ा जिसमें संविधान, सदस्यता, कार्यकाल तथा संबंधों के ब्यौरे शामिल होंगे।

ब) उपभोक्ता समूहों के अपने उपनियम होंगे जिनकी मंजूरी ग्राम पंचायत देगी।

स) वित्त नियंत्रण ग्राम प्रधान, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के कोषा अध्यक्ष तथा पंचायत सचिव द्वारा सामुहिक रूप से किया जाएगा। रा"ि के लेन–देन के रिकार्ड को ठीक से रखा जाएगा और समुदाय की बैठकों में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम लेखा को दीवारों पर चिपकाया जाएगा।
द) दस्तावेजीकरण तथा लेखा हेतु प्र"िक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे की अधिकारीगण बैठक के क्रियाकलापों तथा लेखा रिकार्ड का ठीक ढंग से दस्तावेजीकरण कर सकें।

4.3.1.3 इक्विटी : जल तथा स्वच्छता सेवाओं से संबंधित धन को साम्य रूप से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्दे"य है चाहे इनकी आर्थिक स्थिति, जाति या धर्म कुछ भी हो इसके लिए इस कार्यक्रम में निम्नलिखित को अपनाया जाएगा।

अ) जल आपूर्ति परियोजनाओं को इस ढंग से तैयार किया गया है कि वे कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति जल प्रतिदिन घरों में पहुंचाएं।
ब) सभी घरों के लिए नगद तथा मजदूरी का अं"ादान समान रखा गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वासस्थलों के लिए कुछ छूट दी जा सकती है।
स) किसी भी वासस्थल में घरों के अनुसार नगद अं"ादान की गणना की जाएगी। जिससे की पूंजी लागत तथा संचालन एवं रख–रखाव का शुल्क समान रूप से लिया जा सके। यह सामान रूप की सुविधाओं पर लागू होगा।
द) घरों के समूह से जल आपूर्ति के स्टेड पोस्ट की दूरी लगभग समान होती है। इस स्टेड पोस्ट को उपयोग में ले आया जा सके उसी अनुसार इसे तैयार किया जाता है। इस कार्यक्रम में निजी कनेक्"ान लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा इससे समय, श्रम की बचत होगी और यह सब तकनीकी उपलब्धता पर आधारित होगी।
य) सुधारों को अपनाने के लिए समुदाय तथा गृहों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

4.3.1.4 जवाबदेही : कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसे ढांचे को स्थापित किया जाएगा जिससे क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण को दौरान सहभागियों की जवाबदेही सुनि"चित की जा सके इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाएंगे–
अ) सभी सहभागियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व को परिभाषित किया जाएगा और उसके ब्यौरे को सबके सामने रखा जाएगा जिससे वे उसके भागीदार बने सके।
ब) सकल क्षेत्र में समरूप नीतियों के विषय में सूचनाएं प्रभाव"ाली संचार अभियान के द्वारा प्रस्तारित की जाएगी। जिससे की सभी अपनी भूमिका तथा उत्तरदात्वि के विषय में जागरूक रहे और किसी भी प्रकार का कोई संदेह न रहे। कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, ग्राम पंचायतों, उपभोक्ता तथा स्वच्छता समितियों, सहयोगी संस्थाओं तथा सेवा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर दी जाएगी।

4.3.1.5 विक्रेद्रीकृत निर्णय लेना : कार्यक्रम के अंतर्गत विक्रेंद्रीकृत निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्था विकसित की जाएगी। जिससे की ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति परियोजनाओं तथा स्वच्छता सेवाओं से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत के सदस्य तथा जल उपभोक्ता समूह ले सकें। जनपद स्तर पर ग्रामों के चयन, गैर सरकारी संस्थाओं के चयन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी निर्णय जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा जनपद जल तथा स्वच्छता मि"ान से विचार–विम"ा करके लिया जाएगा।

4.3.1.6 मांग अनुक्रिया : कार्यक्रम की मांग की द"ाा में अधिकारियों को तेजी से अनुक्रिया करनी होगी क्योंकि यह कार्यक्रम सीमित अवधि के लिए तथा नि"चित बजट का है अतः इसमें सभी ग्राम पंचायतों को आच्छादित करना संभव नहीं होगा। मांग के आधार, भुगतान करने की इच्छा, तकनीकी तथा वित्तीय सुविधाओं पर निर्भर होकर मांगों को पूरा करने के लिए केवल एकल/बहुग्रामीण परियोजनाओं का चुनाव किया जा सकता है। इन गांव में जिनमें उपरोक्त सभी प्राचल विद्यमान हो परंतु उनके भुगतान की क्षमता पूरी न हो तो भी उन पर विचार किया जा सकता है।

4.3.1.7 गुणवत्ता : कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान की कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित को सुनि”चित किया जाएगा।

सामग्री गुणवत्ता

1. कार्यक्रम प्रबंधन इकाई मानक सामग्री की खरीद के लिए दि”ाा–निर्दे”ा तैयार करेगी। जनपद इकाई सभी सहयोगी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों तथा उपभोक्ता समितियों को मानक सामग्री के संबंध में प्र”िाक्षण देगी। सही खरीदारी क्रय समिति द्वारा की जाएगी जिसमें ग्राम पंचायत तथा उपभोक्ता समिति के प्रतिनिधि भी होगें। जनपद इकाई खरीद गई सामग्री के नमूनों को एकत्र करेगी और उसकी गुणवत्ता की जांच चयन की गई तकनीकी संस्था/एजेंसियों की मदद से की जाएगी

निर्माण गुणवत्ता

2. जब निर्माण का कार्य प्रगति पर होगा उस समय उसकी गुणवत्ता की जांच तकनीकी संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा की जाएगी। इसके लिए राज्य तथा जनपद स्तर की इकाईयों का नियमित रूप से निर्माण स्थल पर जाकर गुणवत्ता संबंधी जांच करते रहना पड़ेगा।

जल गुणवत्ता

3. सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए क्लोरिकरण को करते रहने के लिए इस कार्यक्रम में उपभोक्ता समिति को प्रोत्साहित तथा प्र”िाक्षित किया जाएगा। वीएमडब्लू को उपयुक्त प्र”िाक्षण तथा आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे की वे इस प्रक्रिया को चालू रख सके और बिना किसी बहारी मदद के छोटी–मोटी टूट–फूट को ठीक कर सकें।

सेवाओं की गुणवत्ता

4. जल के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य सेवाओं जैसे पर्यावरण स्वच्छता, स्वास्थ्य, साफ–सफाई जागरूकता तथा महिला विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों को उपयुक्त दक्षता विकास द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यह कार्यक्रम के दौरान एकत्र की गई सम्पत्ति की दीर्घकालिकता को सुनि”चित करने के लिए आव”यक होगा।

4.3.1.8 दीर्घकालिकता

इस कार्यक्रम का पूर्व उद्दे”य लागत की दीर्घकालिकता को सुनि”चित करना है। कार्यक्रम के उद्दे”यों को प्राप्त करने तथा जल आपूर्ति परियोजनाओं को लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक बनाने के लिए निम्नलिखित को सुनि”चित किया जाएगा।

(अ) जल आपूर्ति स्त्रोत : स्त्रोत डिस्चार्ज को दीर्घकालिकता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में लगे हुए लोगों द्वारा समुदाय को एक जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तैयार करने में सहायता दी जाएगी। उन स्त्रोतों जिन पर कोई विवाद नहीं है उनका चयन किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति से एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत दीर्घकालिक जल स्त्रोत के चयन के गुणों का परिभाषित किया जाएगा।

(ब) संरचनाएं : जल आपूर्ति संरचनाओं के निर्माण में मानक गुणवत्ता को सुनि”चित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। प्रकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय को परियोजना की बीमा कराने के लिए प्रेरित किया

जाएगा। कार्यक्रम द्वारा समुदाय को बीमा की प्रिमियम प्रारंभिक वर्षो में देने के लिए सहायता दी जाएगी। जिससे की इसके लाभ को सिद्ध किया जा सके।

(स) संस्थाएं : कार्यक्रम से संबंधित संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, उपभोक्ता समिति, महिला समूह इत्यादि को उचित प्र''ाक्षण तथा अवसर दिए जाएंगे जिससे की वे संस्था की शक्ति के महत्व को समझ सके और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी अपनी गतिविधियों को जारी रख सकें। दक्षता विकास के अतिरिक्त कार्यक्रम के अंतर्गत इन संस्थाओं को अपने उपनियम, रिकार्डों के उचित दस्तावेजीकरण सूचना संबंधी सहित्य के विकास इत्यादि के लिए भी सहायता दी जाएगी।

(द) वित्त : इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए संचालन तथा रख–रखाव ''ाुल्क को निर्धारित करने हेतु उपभोक्ता समिति को सहायता दी जाएगी। इसमें समुदाय द्वारा नियमित भुगतान किए जाने के महत्व को प्राथमिकता दी जाएगी। बकायादार के ऊपर सामाजिक दबाव बनाना तथा जल आपूर्ति का विच्छेद करना जैसे तरीके उपभोक्ता समितियां अपना सकती है। उपभोक्ता समिति के कोषा अध्यक्ष को आवंटित रा''ा को ठीक ढंग से लेन–देन करने के लिए उपयुक्त प्र''ाक्षण दिया जाएगा। एकत्र किए गए धन को नियमित रूप से बैंक में खोले गए खाते में जमा कराया जाएगा।

4.4 दक्षता विकास
(जागरूकता, प्रतिदर्शन तथा प्रशिक्षण)

दक्षता विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अं''ा होगा। स्वजल परियोजना के दौरान विभिन्न प्रकार की दक्षता विकास तरीकों को अपनाया जा चुका है। यद्यपि सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत कार्यक्रम हेतु सभी सूचीबद्ध सहभागियों के लिए तकनीकी, वित्तीय, संस्थागत तथा समुदाय उत्प्रेरण की आव''यकता होगी। ऐसे प्र''ाक्षण वि''ोषज्ञ एजेंसियों तथा अन्य ऐसे विभागो द्वारा दी जाएगी जोकि पहले से ही विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं। प्र''ाक्षण कार्यक्रम को विभिन्न जनपदों में अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई जनपद उत्तरांचल पेयजल निगम, जनपद उत्तरांचल जल संस्थान की होगी जिसके लिए उन्हें परियोजना प्रबंधन इकाई/उत्तरांचल पेयजल निगम/उत्तरांचल जन संस्थान द्वारा सक्रिय सहयोग दिया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे तथा सरोकार जिनकी आव''यकता दक्षता विकास जैसे प्र''ाक्षण, संचार, प्रतिद''ान इत्यादि के विषय में कार्यक्रम के डिजाइन रूप में वर्णन किया गया है। तकनीकी (जल आपूर्ति इंजीनियरिंग, जलग्रहण उपचार, पर्यावरण स्वच्छता), संचार, दक्षता विकास तथा समुदाय विकास योजना/मेनुअल को विस्तार में जानने के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

4.4.1 महिला विकास पहल

कार्यक्रम की अवधि के दौरान महिलाओं पर वि''ोष रूप से ध्यान दिया जाएगा क्योंकि वे समाज के एक महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करती है और जो जल तथा स्वच्छता के वर्तमान परिदृ''य से सबसे अधिक प्रभावित है। चूंकि महिलाओं की आमदनी के स्त्रोत बहुत कम होते हैं इसलिए मांग आपूर्ति परियोजनाओं तक इनका प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। अतः महिलाओं के आय को अन्य गतिविधियों से बढ़ाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे।

4.4.2 साफ-सफाई तथा पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता

सुधरे जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं का लाभ तभी प्रभाव''ाली ढंग से मिल सकता है जब महिलाओं को व्यक्तिगत साफ–सफाई तथा पर्यावरण एवं स्वच्छता की अवधारणा से जागरूक किया जाए। चूंकि ग्रामों में

जीवन की स्थितियां बहुत कठिन है और लोगों के पास रहने के लिए उचित घर भी नहीं है। जिन ग्रामों में कार्यक्रम चलाया जाएगा वहां पर ग्राम स्तर पर साफ–सफाई के लिए उपयुक्त संख्या में कार्यकर्ता लगाए जाएंगे।

4.4.3 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन

राज्य में अधिकां''ा जल स्त्रोत भू–संसाधन प्रबंधन उपयोग के प्रति संवेदन''ाील है। अतः इन स्त्रोतों को ठीक ढंग से प्रबंधित करने के लिए इनके संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे। इसके विषय में विस्तृत ब्यौरा इस मेनुअल के संबंधित अध्याय में दिया गया है।

4.5 जनजाति आबादी/अल्प संख्यक समूह की भागीदारी को सुनिश्चित करना

जनजातिय आबादी के कम आय के स्तर तथा कठिन भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनजातिय परिवारों द्वारा पूंजी लागत का केवल 5 प्रति''ात अं''ादान के रूप में देना होगा। यह अं''ादान पूर्ण रूप से मजदूरी द्वारा या फिर मिश्रित रूप से मजदूरी या नगद के रूप में दिया जा सकता है और यह इन परिवारों द्वारा स्वयं ही निर्णय करने पर आधारित होगा। जिन विकास ब्लॉकों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा वहां के जनजातिय ग्रामों तथा अनुसूचित ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

अध्याय 5

उत्तरांचल में सेक्टर कार्यक्रम हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

5.1 राज्य में जल तथा स्वच्छता सेक्टर का मौजूद ढांचा

उत्तरांचल में पेयजल विभाग के अंतर्गत तीन प्रमुख संस्थाएं यथा उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा स्वजल निदे''ाालय या परियोजना प्रबंधन इकाई, आते हैं। उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरंचल जल संस्थान दोनों ही ''वेत निकाय हैं जिनका निर्माण ''उत्तरांचल (उत्तर प्रदे''ा जल आपूर्ति तथा सीवेज अधिनियम, 1975) अंगीकरण तथा परिवर्धन आज्ञा, 2002'' की धारा 3 तथा 18 के अंतर्गत किया गया है। दोनों संस्थाओं के स्वतंत्र बोर्ड हैं जिनकी अध्यक्षता उत्तरांचल सरकार के पेयजल विभाग के सचिव द्वारा की जाती है तथा इसके निम्नलिखित सदस्य हैं–

क्र.स.		उत्तरांचल पेयजल निगम	उत्तरांचल जल संस्थान
1.	अध्यक्ष	सचिव, पेयजल, उत्तरांचल सरकार	सचिव पेयजल, उत्तरांचल सरकार
1.	सदस्य	प्रबंध निदे''ाक	महाप्रबंधक
2.	सदस्य	सचिव वित्त, उत्तरांचल सरकार	सचिव वित्त, उत्तरांचल सरकार
3.	सदस्य	सचिव योजना, उत्तरांचल सरकार	सचिव योजना, उत्तरांचल सरकार
4.	सदस्य	सचिव ''ाहरी विकास, उत्तरांचल सरकार	सचिव ''ाहरी विकास, उत्तरांचल सरकार
5.	सदस्य	महानिदे''ाक मेडिकल तथा स्वास्थ्य सेवाएं	महानिदे''ाक मेडिकल तथा स्वास्थ्य सेवाएं
6.	सदस्य	निदेशक वित्त	निदेशक वित्त
7,8,9,10.	सदस्य	स्थानीय निकायों के चार निवार्चित प्रमुख जिसमें एक नगर निगम से होगा और जिसका मनोनयन राज्य सरकार करेगी	स्थानीय निकायों के चार निवार्चित प्रमुख जिसमें एक नगर निगम से होगा और जिसका मनोनयन राज्य सरकार करेगी
11.	सदस्य	मुख्य महाप्रबंधक, उत्तरांचल जल संस्थान	प्रबंधन निदे''ाक उत्तरांचल पेयजल निगम

स्वजल निदेशालय एक सोसाइटी है जिसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया है। इसके अध्यक्ष उत्तरांचल सरकार के मुख्य सचिव तथा उपाध्यक्ष पेयजल विभाग के सचिव हैं। इसके सदस्य निम्न प्रकार है।

1.	अध्यक्ष	मुख्य सचिव उत्तरांचल सरकार
2.	उपअध्यक्ष	सचिव पयेजल, उत्तरांचल सरकार
3.	सदस्य	सचिव ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज, उत्तरांचल सरकार या वह प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो
4.	सदस्य	सचिव वित्त, उत्तरांचल सरकार या वह प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो
5.	सदस्य	सचिव वित्त, उत्तरांचल सरकार या वह प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो
6.	सदस्य	प्रबंधन निदे’’ाक, उत्तरांचल पेयजल निगम
7.	सदस्य	मुख्य महाप्रबंधक, उत्तरांचल जल संस्थान
8.	सदस्य	सचिव वन, सरकार या वह प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो
9.	सदस्य	आयुक्त/निदे’’ाक ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज, उत्तरांचल राज
10.	सदस्य	महानिदे’’ाक स्वास्थ्य, उत्तरांचल
11.	सदस्य/कार्यपालक सचिव	निदे’’ाक राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान, उत्तरांचल

5.2 वर्तमान कार्य

उत्तरांचल पेयजल निगम मुख्य रूप से पेयजल संबंधी नई परियोजनाओं के ग्रामीण तथा ’’ाहरी क्षेत्रों में निर्माण तथा ’’ाहरी क्षेत्रों में नई सीवेज परियोजनाओं के कार्य में लगी हुई है जबकि उत्तरांचल जल संस्थान इन पयेजल तथा सीवेज परियोजनाओ के संचालन तथा रख–रखाव का कार्य मुख्य रूप से करती है जिन्हें उत्तरांचल पयेजल निगम हस्तांतरित करता है। स्वजल निदे’’ालय वर्तमान में स्वजल धारा कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्यन में लगी हुई है और वह सेक्टर कार्यक्रम के ऋण संबंधी परियोजनाओं को भी तैयार करती है।

5.3 वर्तमान ढांचा

उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा स्वजल निदे’’ालय का वर्तमान ढांचा निम्न प्रकार है–

5.3.1 उत्तरांचल पेयजल निगम

उत्तरांचल पेयजल निगम का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसके मुखिया प्रबंध निदे’’ाक है जोकि पेयजल निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। प्रबंध निदे’’ाक बोर्ड के एक सदस्य भी है। मुख्यालय में एक परियोजना मूल्य निरूपक इकाई, एक निर्माण तथा डिजाइन सेवा प्रभाग जिसके मुखिया महाप्रबंधक हैं, एक प्र’’ाासनिक इकाई जिसके मुखिया निजी अधिकारी, एक केंद्रीय भंडार प्रभाग जिसके मुखिया कार्यकारी इंजीनियर, वित्त अधिकारी तथा एक मुख्य इंजीनियर मुख्यालय हैं। मुख्यालय में एक वित्तीय इकाई भी है जिसके मुखिया निदे’’ाक वित्त है जो वित्तीय विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं राज्य के प्रत्येक कार्य प्रभाग यथा कुमाऊं तथा गढ़वाल प्रखंड में मुख्य इंजीनियर हैं इनके नीचे प्रत्येक जनपद में एक अधीक्षक इजीनियर तथा उनके नीचे कार्यकारी इंजीनियर है। कार्यकारी इंजीनियर अंतिम कार्य इकाई है सामान्यतः प्रत्येक जनपद में तीन या चार कार्यकारी इंजीनियर है जोकि कार्यभार पर निर्भर करता है। इस समय प्रत्येक प्रभागों को मिलाकर पूरे राज्य में यहां पर 44 कार्यकारी इंजीनियर हैं जिसमें गंगा कार्य योजना भी सम्मिलित है (40 सीविल तथा 4 स्थापना तथा रख–रखाव)।

5.3.2 उत्तरांचल जल संस्थान

उत्तरांचल जल संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है जिसके मुखिया मुख्य महाप्रबंधक हैं और वे ही उत्तरांचल जल संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। मुख्य महाप्रबंधक बोर्ड के एक सदस्य भी है। मुख्यालय में एक वित्त प्रभाग भी है जिसके मुखिया निदे’’ाक वित्त है जोकि वित्त विभाग से डेपूटैसन पर आए हैं। मुख्यालय में

एक मूल्य निर्धारण इकाई भी है जिसके मुखिया सचिव (मूल्य निर्धारण, एक प्र''ाासनिक इकाई जिसके मुखिया सचिव प्र''ाासन, एक सामग्री वसूली इकाई जिसके मुखिया अधीक्षक इंजीनियर तथा एक इलेक्ट्रीकल मकेनिकल प्रभाग जिसके मुखिया अधीक्षक इंजीनियरिंग है। राज्य के प्रत्येक कार्य प्रभाग में यथा कुमाऊं तथा गढ़वाल में इनके महा प्रबंधक हैं जिनके अंतर्गत लगभग सभी जनपदों में एक सुप्रीटेंडीग इंजीनियर तथा उनके नीचे कार्यकारी इंजीनियर है। राज्य में इस संस्था के 28 प्रभाग है अतः उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान दोनों में लगभग एक सामान संस्थागत ढांचा है।

5.3.3 स्वजल निदेशालय

स्वजल निदे''ालय का मुख्यालय देहरादून में ही स्थित है और जिसके मुखिया निदे''ाक है और वे ही परियोजना प्रबंधन इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। स्वजल परियोजना के निदे''ाक कार्यकारी समिति के एक सदस्य व कार्यकारी सचिव भी है मुख्यालय में मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन इकाई स्थित है जिसके मुखिया अपर निदे''ाक है। वित्त प्रभाग के मुखिय वित्त नियंत्रक है जोकि वित्त विभाग से प्रति नियुक्ति पर आए हैं इसके अतिरिक्त 5 अन्य इकाईयां यथा इंजीनियरिंग, पर्यावरण, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई तथा मानव संसाधन विकास हैं जिनके मुखिया इकाई समन्वयक हैं। जनपद स्तर के 9 कार्यालय है जिनके मुखिय परियोजना प्रबंधक हैं। प्रत्येक जनपद कार्यालय में एक वित्तीय इकाई है जिसके मुखिया वित्त अधिकारी/प्रबंधक (लेखा) है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद तथा मुख्यालय में कार्यभार को देखते हुए पराम''ादाता भी हैं। इन पराम''ादाताओं को खुले बाजार से लिया गया है। सहयोगी स्टाफ को संविदा के अनुसार रखा गया है।

5.4 मानव शक्ति

उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा स्वजल निदे''ालय में वर्तमान में स्वीकृत शक्ति, भरे हुए पद, खाली पद का सारां''ा निम्न प्रकार है–

क्र.स.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद (संख्या)	भरे गए पद	रिक्त पद
1	उत्तरांचल पेयजल निगम	1619	1637	–18
2	उत्तरांचल जल संस्थान	4194	3233	961
3	स्वजल निदे''ालय	166	122	44
	योग	**5979**	**4992**	**987**

मानव ''ाक्ति का ब्यौरा संलग्नक 6 में दिया गया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के कार्मचारियों की एक स्थाई केडर है वहीं स्वजल निदे''ालय का प्रबंधन विभिन्न विभागों (यथा ''िाक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, मेडिकल तथा स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग) से प्रतिनियुक्ति पर या फिर पराम''ादाता तथा इंजीनियर संविदा पर लेकर किया जा रहा है। इस प्रकार सेक्टर संस्थाओं तथा परियोजना प्रबंधन इकाई या स्वजल निदे''ालय के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सेक्टर संस्थाएं मुख्यतः स्थाई जल कार्य इंजीनियरों द्वारा प्रबंधन की जा रही है जबकि स्वजल निदे''ालय प्रति नियुक्ति पर आए ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जा रही है जोकि अधिसंख्य गैर इंजीनियरी पृष्ठ भूमि के हैं। इस अंतर को ऐतिहासिक ढंग से समझना होगा क्योंकि परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना वि''ोष उद्दे''य से की गई थी जोकि वि''व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्वजल प्रावस्था I के क्रियान्वयन के लिए थी। यह निर्णय उस समय के उत्तर प्रदे''ा सरकार द्वारा लिया गया था कि स्वजल परियोजना को ''ाहरी विकास तथा जल आपूर्ति मंत्रालय में न रखकर इसे ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रखा जाए। इसके लिए एक अलग से सोसाइटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष कृषि उत्पाद आयुक्त, उत्तर प्रदे''ा सरकार बने। इस कारण इस सोसाइटी के पास वह संस्थागत ढांचा मौजूद नहीं है जोकि पेयजल निगम या जल संस्थान के पास है। इस

सोसाइटी में अधिकांँा कार्मचारी प्रति नियुक्ति पर लिए गए है या उन्हें खुले बाजार से संविद पर लिया गया है। इस प्रकार यह ढांचा बना है और अभ तक उत्तरांचल राज्य में ही चल रहा है। यद्यपि वि”ोष उद्दे”य से ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता सोसाइटी (स्वजल) का बनाया जाना कई मामलों में लाभदायक है क्योंकि इसमें उपयुक्त अधिकारियों के चुनाव की छूट है और त्वरित ढंग से काम करने की भी। इस प्रकार यह कोई स्थाई निकाय का निर्माण न करके खुले बाजार से वि”ोष विभिन्न योग्यताओं वाले पराम”ीदाताओं का चुनाव भी करती है। इसकी सबसे बड़ी हानि यह है कि सेक्टर संस्थाओं तथा संबंधी विभागों जोकि पेयजल सेक्टर में काम कर रहें है उनके बीच ठीक से संबंध स्थापित नहीं हो पाता और एक विभाजन रेखा खीची रहती है। यही कारण है कि अभी तक सेक्टर संस्थाएं मांग आपूर्ति सहभागिता तथा विकेंद्रीकरण द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में दी जाने वाली सेवाओं के लिए उत्प्रेरित नहीं हो पाई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सेक्टर संस्थाओं द्वारा सेक्टर सुधार के कार्यक्रमों सिद्धांत ठीक ढंग से लागू नहीं किए जा रहे हैं जबकि यही संस्थाएं राज्य में सेवा देने वाली मुख्य भूमिका में है। इसलिए आव”यक है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था सेक्टर ऋण कार्यक्रम को चलाने के लिए बनाई जाए जिसमें यह सभी सेक्टर संस्थाए न केवल ”ाामिल हो बल्कि वे अपने आप को इतना परिवर्तित करे जिससे वे राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान एवं जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान को विकेंद्रीकृत सहभागी सुधार कार्यक्रमों में उपयोगी सिद्ध हो सके। अतः यह अपेक्षा की जा रही है कि सेक्टर कार्यक्रम के अंत में राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान एवं जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान पूर्ण रूप से सेंक्टर संस्थाओं द्वारा संभाल ली जाएंगी।

5.5 सेक्टर कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्थाएं

यह प्रस्तावित किया गया है कि नए संस्थागत ढांचे में राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में नीति निर्माण की उच्चत्तम निकाय होगी। राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री होंगे तथा पेयजल विभाग के मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे सभी संबंधित वरिष्ठ सचिव इसके सदस्य होंगे।

राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान सचिवालय के मुख्य कार्य में राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान द्वारा लिए गए निर्णय को सेक्टर संस्थाओं तथा स्वजल निदे”ाालय के माध्यम से क्रियान्वित करना रा”ि प्रभाव का मानीटरीकरण, वित्तीय प्रबंधन मानीटरीकरण, यह सुनि”िचत किया जाना कि सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अनुसार रा”ि का उपयोग हो रहा है तथा प्रतिपूर्ति दावे को तैयार करना, इत्यादि सम्मिलित हैं। यह सचिवालय स्वजल निदे”ाालय के साथ बांधा जा सकता है परंतु इसका मुखिया कोई वरिष्ठ होगा। प्रारंभ में इसके मुखिया उत्तरांचल सरकार के पेयजल विभाग के अपरसचिव हो सकते हैं तथा तकनीकी वि”ोषज्ञ अन्य सेक्टर संस्थाओं से प्रति नियुक्ति पर ले आए जा सकते हैं। इस प्रकार पूरा सचिवालय तथा जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान का प्रबंधन सेक्टर संस्थाओं से आए हुए वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। सेक्टर कार्यक्रम का प्रस्तावित संस्था रेखाचित्र संलग्नक 7 में दिया गया है।

इस ढांचे के मुख्य लाभ निम्न प्रकार होंगे–

1. सेक्टर संस्थाओं को सुझार के सिद्धांतों की मुख्य धारा में लाना।
2. राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान/जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान तथा सेक्टर संस्थाओं के मध्य विद्यमान विभाजन रेखा तथा असंबद्धता को समाप्त किया जाएगा। सेक्टर कार्यक्रम का मालिकाना हक सेक्टर संस्थाओं को दिया जाएगा। प्रबंधन एवं परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध तथा सुधार कार्यक्रमों स्वीकारिता को सरल बनाया जाएगा।

दोनों सेक्टर संस्थाओं का एकीकरण कार्य स्तर पर किया जाएगा। इस प्रकार राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान एवं जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान पूर्ण प्रबंधन सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाएगा या इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि सेक्टर संस्थाएं पूर्णतः अपने आप को राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान/जनपद तथा स्वच्छता मि”ान में परिवर्तित कर लेगी। इसमें मुख्य इंजीनियर, अधीक्षक इंजीनियर तथा कार्यकारी इंजीनियर की वर्तमान विभागिय व्यवस्था पूर्ण रूप से नए ढांचे में बदल जाएगी जोकि राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान एवं जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान के विकेंद्रीकरण के सहभागी ढांचे के अनुसार होगा।

5.6 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष तथा जनपद स्तर पर क्रियान्वयन व्यवस्था

क्रियान्वयन व्यवस्था के अंतर्गत नीति निर्माण तथा ''ीर्ष निकाय, जिसके मुखिया राज्य के माननीय मंत्री होंगे, के लिए विषय निर्धारण का काम सम्मिलित किया गया है। सभी सेक्टर संस्थाएं यथा उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सोसाइटी (स्वजल) ''ीर्ष संस्था द्वारा निर्धारित नीतिगत दि''ाा–निर्दे''ाों के अंतर्गत कार्य करेगी। राज्य स्तर पर इन सभी संस्थाओं के मुख्यालय सेक्टर कार्यक्रम की भौतिक सुविधाओं, वित्तीय तथा क्रियान्वयन प्रगति के लिए उत्तरदायी होंगे। जनपद स्तर पर जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान निर्णल लेने वाला निकाय होगा जोकि जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों के अंतर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा। विभिन्न जनपदों के सेक्टर संस्थाओं को कार्यालय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कार्यरत रहेंगे।

5.6.1 शीर्ष स्तर पर क्रियान्वयन व्यवस्था

5.6.1.1 शीर्ष समिति - जन आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीति को लागू करने के लिए राज्य स्तर की संस्थागत व्यवस्थाएं

जल आपूर्ति सेकटर में पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय व्यवस्था के प्र''ाासनिक, वित्तीय तथा कार्यकारी कार्यों को जोड़ने के लिए यह आव''यक है कि राज्य स्तर पर उपयुक्त व्यवस्था को चिन्हित किया जाए। इससे संविधान के 73वें सं''ाोधन की भावनाओं के अनुसार संवर्धन कार्य के क्रियान्वयन की प्रगति का मानीटरीकरण सरलता से हो सकेगा। इसके अतिरिक्त सेक्टर संस्थाओं द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में समेकित रूप में नीतियों को लागू करने के लिए भी राज्य स्तर पर ''ाीर्ष समिति की जरूरत है। इससे विषय संबंधित जैसे नियोजन, नीति निर्धारण, मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन, ग्रामीण तथा ''ाहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी तथा मांग आधारित जल आपूर्ति का क्रियान्वयन, पर्यावरण स्वच्छता, सीवेज व्यवस्था इत्यादि के संबंध में समान नीतियां बनाई जा सकेंगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान का पुर्नगठन किया गया।

पुर्नगठित ''ाीर्ष समिति निम्न प्रकार है–

1. माननीय मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2. मंत्री पेयजल	उपाध्यक्ष
3,4. दो जिला परिषद अध्यक्ष जिनका मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा	सदस्य
5,6. दो विधायक जिनका मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा	सदस्य
7. मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
8. प्रमुख सविच, वित्त उत्तरांचल सरकार	सदस्य
9. मुख्य सचिव समाज कल्यान, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
10. मुख्य सचिव वन तथा आयुक्त ग्रामीण विकास, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
11. मुख्य सचिव मेडिकल तथा स्वास्थ्य, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
12. सचिव पेयजल, उत्तरांचल सरकार	सदस्य सचिव
13. सचिव ि''ाक्षा, उत्तरांरचल सरकार	सदस्य
14. सचिव ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
15. सचिव सिचांई, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
16. सचिव लघु सिचांई, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
17. सचिव ''ाहरी विकास, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
18. सचिव योजना, उत्तरांचल सरकार	सदस्य

19. महानिदे''ाक स्वास्थ्य एवं मेडिकल सेवाए उत्तरांचल	सदस्य
20. निदे''ाक परियोजना प्रबंधन इकाई स्वजन परियोजना उत्तरांचल	सदस्य
21. प्रबंधन निदे''ाक उत्तरांचल पेयजल निगम	सदस्य
22. मुख्य महा प्रबंधक उत्तरांचल जल संस्थान	सदस्य
23. निदे''ाक, सूचना जल संपर्क उत्तरांचल	सदस्य
24. निदे''ाक ि''ाक्षा उत्तरांचल	सदस्य
25. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मि''ान, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
26. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तरांचल	सदस्य
27,28. परियोजना में कार्यरत सहयोगी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	सदस्य

5.6.1.2 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

''ाीर्ष समिति संपूर्ण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के लिए नीति दि''ाा–निर्दे''ा विकसित करेगी। यह समिति राज्य में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने संबंधी निर्दे''ा भी जारी करेगी । जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में सेक्टर सुधार के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह समिति योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव संबंधी नीतिगत निर्णय भी लेगी। ''ाीर्ष समिति के वर्ष में एक बार बैठक अव''य होगी।

5.6.1.3 राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) का सचिवालय

उत्तरांचल सरकार के पेयजल विभाग के अंतर्गत अलग से एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा जोकि राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। प्रारंभ में इस प्रकोष्ठ के मुखिया उत्तरांचल सरकार के पेयजल विभाग के अपरसचिव होंगे। इसमें उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के निष्ठावान पूर्ण कालिक वरिष्ठ अधिकारियों, जोकि अधीक्षक इंजीनियर से कम पद वाले नहीं होंगे, को रखा जाएगा। इसमें वरिष्ठ स्तर के एक वित्त अधिकारी को राज्य वित्तीय सेवाओं से लिया जाएगा। यह प्रकोष्ठ उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा ग्रामीण पेयजल पर्यावरण तथा स्वच्छता सोसाइटी (परियोजना प्रबंधन इकाई) द्वारा सुधार सिद्धांतो को लागू करने की प्रगति के विषय में कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकोष्ठ की मुख्य भूमिका सकल क्षेत्र में समरूप नीति के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित को ध्यान में रखकर चलाना होगा।

1. राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित तथा मानीटरीकरण करने की जिम्मेदारी विभिन्न कार्यक्रम सहयोगियों द्वारा की जाएगी।
2. राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान की बैठकें ते''ा की गई नीतियों के अनुसार जब–जब आव''यकता पड़ेगी तब–तब की जाएगी।
3. उत्तरांचल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता द्वारा संचालित मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रम (2005–12) का क्रियान्वयन।
4. मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों (2005–12) के अनुरूप विभिन्न परियोजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का मानीटरीकरण।
5. सुधार सिद्धांतों को धीरे–धीरे पूरे सेक्टर में प्रयोग किए जाने तथा वर्तमान आपूर्ति के रितों को मांग आपूर्ति में ढालने की प्रक्रिया को सुनि''चत किया जाना।
6. मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के अनुरूप सेक्टर कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों के रा''ा प्रवाह व्यवस्था का मानीटरीकरण।
7. कार्यक्रम संबंधी वि''ाकल आंकड़ों को एकत्र करना तथा उपयोग प्रमाण–पत्र को विभिन्न सेक्टर कार्यक्रम सहयोगियों से इक्ट्ठा कर भारत सरकार को प्रेषित करना।
8. प्रतिपूर्ति दावे वि''व बैंक को जमा करना।

परियोजना प्रबंधन इकाई–स्वजल परियोजना, उत्तरांचल जल संस्थान तथा उत्तरांचल पेयजल निगम को शीर्ष समिति द्वारा तैयार किए गए नीतिगत दि''ाा–निर्दे''ाों के अनुरूप कार्य करना होगा।

5.6.1.4 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

वर्तमान में मौजूद परियोजना प्रबंधन इकाई की सोसाइटी को कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के रूप में नामित तथा ढाला जाएगा। यह मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होगी–

1. जल निगम तथा जल संस्थान के साथ मिलकर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सेक्टर कार्यक्रम के एकल ग्राम परियोजनाओं में नए पूंजी निवे''ा के समन्वय तथा क्रियान्वयन का निवर्हन करेगा। इसके लिए यह इकाई राज्य के सभी जनपदों में मांग आपूर्ति दृष्टिकोण के आधार पर मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।
2. सेक्टर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में यह इकाई वि''व बैंक के एक सहयोग के रूप में कार्य करेगी और सेक्टर कार्यक्रमों से संबंधित स्वीकृति फार्मेट में वि''व बैंक को रिपोर्ट करेगी। साथ ही साथ विभिन्न सहयोगियों के विषय में वि''व बैंक को आव''यक जानकारी भी देगी।
3. कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सभी जनपदों/ब्लॉकों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी होगी। वे क्षेत्र/ग्राम जिन्हें उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान को आवंटित किया गया है और जहां यह संस्थाए एकल ग्राम परियोजनाएं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है वे इसके कार्य क्षेत्र से बहार होंगे। यह इकाई राज्य के सभी जनपदों में संपूर्ण स्वच्छता अभियन के समन्वय का भी कार्य करेगी।
4. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में सूचना, ि''ाक्षा तथा संचार कार्यक्रमों क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम समितियों की सहभागिता को सुनि''िचत करेगी। यह संचार तथा दक्षता विकास इकाई के कार्यों का भी क्रियान्वयन करेगी।
5. कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को कुछ बहुग्रामीण परियोजनाओं, पूरे राज्य में कम से कम चार जनपदों में, के क्रियान्वयन का भी कार्य करेगी जिससे की बहुग्रामीण परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी के दृष्टिकोण को भली–भांति समझा जा सके।
6. कार्यक्रम प्रबंधन इकाई दक्षता तथा संचार विकास इकाई के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम सहयोगियों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली दक्षता विकास कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी करेगी। दक्षता विकास कार्यक्रम में प्र''िाक्षण एक से दूसरी जगह जाना तथा मानव संसाधन विकास की गतिविधियां सम्मिलित होगी।
7. विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जल स्त्रोतों को रिचार्ज करने संबंधी कार्य योजना को तैयार कर उसे क्रियान्वित भी करेगी।
8. सेक्टर संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं को जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।
9. सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत लिए जाने वाले परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बजट योजना भी तैयार करेगी।
10. सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत लिए जाने वाले परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लेखा परीक्षा को भी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सुनि''िचत करेगी।

प्रत्येक जनपद में स्थापित जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयां कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को सहयोग प्रदान करेगी। इस क्षेत्र में जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयां कार्यक्रम प्रबंध इकाई के विस्तृत बाहू के रूप में कार्य करेगी। मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के विषय में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों को विस्तृत दि''ाा–निर्दे''ा मुहैया कराएगी इसमें सहयोगी संस्थाओं के चयन, सहयोगी एजेंसियां, परियोजना चक्र तथा इसके घटक, तकनीकी सहयोग, सामुदायिक विकास गतिविधियों तथा तकनीकी कार्यों से संबंधित कार्यक्रम सहयोगियों का दक्षता विकास, प्र''िाक्षण जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ानों की सीमा के बहार डीपीआर का

अनुमोदन, व्यक्तिगत जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों का लेखा परीक्षण, जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों द्वारा मासिक स्तर पर भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का संकलन तथा उसे राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के सचिवालय को भेजा जाना इत्यादि सम्मिलित होगा।

5.6.1.5 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

उत्तरांचल पेयजल निगम अपने उत्तरदायित्व तथा क्रियाकलापों को उत्तर प्रदे''ा जल आपूर्ति सीवेज अधिनियम, 1975 के अनुसार करेगा। इसके अतिरिक्त सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल निगम मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के बहार की परियोजनाएं

इन परियोजनओं में सकल क्षेत्र में समरूप नीति का पालन नहीं किया जाएगा और इनका क्रियान्वयन मौजूदा क्रियान्वयन तंत्र के अंतर्गत ही किया जाएगा। यह इसलिए आव''यक है कि निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाएं क्रियान्वयन तथा मानीटरीकरण निर्माण तथा निधि प्राप्त करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।
अ) जारी परियोजनाओं का पूरा होना।
ब) सीएपी 99 की परियोजनाएं शेष वासस्थल जिनकी सूची 31 मार्च, 2006 तक तैयार कर ली जाएगी।
स) वे परियोजनाएं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और जिन्हें प्र''ासनिक स्वीकृति मिल गई उनकी सूची 30 नवंबर, 2006 तक जारी कर दी जाएगी।
द) ये परियोजनाएं जिन्हें 30 नवंबर, 2006 तक जनपद नियोजन समिति द्वारा स्वीकृति मिल गई है उन्हें 2006–07 बजट में सम्मिलित कर लिया गया।
य) सकल क्षेत्र में समरूप नीति के बहार के कार्यक्रम के क्रियान्यन हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम का मुख्यालय मौजूद नीतियों के अनुसार अपने जनपद इकाईयों को आव''यक सहायता प्रदान करेगा।

नया पूंजी निवेश

इस श्रेणी के निवे''ा के अंतर्गत सकल क्षेत्र में समरूप नीति के सिद्धांत– समान नीति का ढांचा तथा परियोजना चक्र के लिए संचालन नियम लागू होंगे। इस नीति के अंतर्गत नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव, मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन, वसूली संवितरण सम्मिलित होंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्ष होंगे–

अ) सेक्टर कार्यक्रम स्वीकृति नीतियों के अनुसार एकल ग्राम परियोजनाओं के निर्माण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सुविधा तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना
ब) सेक्टर कार्यक्रम के लिए स्वीकृति सिद्धांतों के अनुसार बहुग्रामीण परियोजनाओं का निर्माण।
स) जल निगम द्वारा (सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंदर तथा बहार की परियोजनाएं) बहुग्रामीण परियोजनाओं का ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ग्रामों में पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत गृहों में शौचालयों का निर्माण, स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स, उत्पादन केंद्रों की स्थापना तथा ग्रामीण स्वच्छता मार्ट इत्यादि सम्मिलित होंगे।
द) सार्वजनिक संस्थाओं को जल आपूर्ति तथा स्वच्छता उन सरकारी स्कूलों में जहां पेयजल जल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां पेयजल परियोजना का निर्माण। इसके उद्दे''य से उत्तरांचल पेयजल निगम के मुख्यालय

में एक सकल क्षेत्र में समरूप नीति प्रकोष्ठ खोला जाएगा। राज्य स्तर पर उत्तरांचल पेयजल निगम का महाप्रबंधक कार्यालय राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान प्रकोष्ठ का प्रतिनिधित्व करेगा और मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट को उपलब्ध कराना इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा। जनपद स्तर पर जल निगम का एक नोडल अधिकारी होगा जोकि जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान तथा जनपद तथा स्वच्छता समिति का पदेन सदस्य होगा। यह नोडल अधिकारी सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के साथ समन्वय स्थापित करेगा और वह उपभोग प्रमाण–पत्र तथा प्रतिपूर्ति दावों को भी जमा करेगा।

5.6.1.6 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरांचल जल संस्थान की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

उत्तरांचल जल संस्थान अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए उत्तर प्रदे''ा जल आपूर्ति तथा सीवेज अधिनियम, 1975 पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत जल संस्थान मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के निम्नलिखित कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के बहार की परियोजनाएं

सकल क्षेत्र में समरूप नीति लागू नहीं होगा और वे वर्तमान ढांचे के अनुसार ही क्रियान्वित की जाएगी। यह इसलिए आव''यक है कि निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाएं निर्माण तथा विभिन्न लागत, क्रियान्वयन तथा मानीटरीकरण की अवस्था में है–

अ) पूर्नगठन तथा जिर्णोद्धार के अंतर्गत चालू परियोजनाएं (एकल ग्रामीण परियोजनाएं तथा बहुग्रामीण परियोजनाएं) ये उन परियोजनाओं के अंतर्गत आएंगे जिनका चिन्हिकरण किया गया है और जो क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

ब) जनपद नियोजन समिति द्वारा 2006–07 के बजट में सम्मिलित करने के लिए स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं (एकल ग्राम परियोजनाएं तथा बहुग्रामीण परियोजनाएं) वे परियोजनाएं जिन्हें 31 मार्च, 2006 तक चिन्हित कर लिया गया है उन्हें इसके अंतर्गत लिया जाएगा।

स) प्राकृति आपदा के कारण क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का पुर्नवास/रिपयर– अनुभव यह बताता है कि लगभग 5–10 प्रति''ात परियोजनाएं भूकंप, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। इन्हें केसवार कार्यन्वित किया जाएगा।

द) सकल क्षेत्र में समरूप नीति के बहार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरांचल जल संस्थान का मुख्यालय जनपद इकाईयों को मौजूदा ढांचे के अंतर्गत आव''यक सहायता प्रदान करेगा।

नया पूंजी निवेश

अ) सेक्टर कार्यक्रम स्वीकृत नीतियों के आधार पर एक ग्राम परियोजनाओं के निर्माण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सुविधा तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

ब) सेक्टर कार्यक्रम की स्वीकृत नीतियों के अनुसार मौजूदा जल आपूर्ति परियोजनाओं का उत्तरांचल जल संस्थान के साथ पुर्नगठन तथा विलय, जब जैसी आव''यकता होगी।

स) ग्रामों में ग्रामीण स्वच्छता जल संस्थान द्वारा (सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंदर तथा बहार) आच्छादित की जाएगी। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत गृहों में शौचालय निर्माण, स्कूलों में शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स, उत्पाद केंद्रों की स्थापना तथा ग्रामीण स्वच्छता मार्ड इत्यादि सम्मिलित होंगे।

द) सार्वजनिक संस्थाओं में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता– जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं गांव के उन सरकारी स्कूलों में जल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण।

य) एकल ग्राम परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरिक करना।

राज्य स्तर पर उत्तरांचल जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान प्रकोष्ठ का प्रतिनिधित्व करेगा और मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट को उपलब्ध कराना इसका

प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा। जनपद स्तर पर जल संस्थान का एक नोडल अधिकारी होगा जोकि जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान तथा जनपद तथा स्वच्छता समिति का पदेन सदस्य होगा। यह नोडल अधिकारी सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के साथ समन्वय स्थापित करेगा और वह उपभोग प्रमाण–पत्र तथा प्रतिपूर्ति दावों को भी जमा करेगा।

5.7 जनपद स्तरीय संस्थान व्यवस्थाएं

5.7.1 जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन

जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान का मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष होगा और जनपद स्तर पर यह निम्न प्रकार हो।

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
2. माननीय संसद सदस्य	सदस्य
3. माननीय विधायक	सदस्य
4. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर जिला पंचायत के तीन मनोनित सदस्य	सदस्य
5. चक्रानुक्रम के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनित तीन ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
6. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
7. अधीक्षक इंजीनियर / कार्यकारी इंजीनियर उत्तरांचल पेयजल निगम	सदस्य
8. अधीक्षक इंजीनियर / कार्यकारी इंजीनियर उत्तरांचल जल संस्थान	सदस्य
9. जनपद ि’’ाक्षा अधिकारी	सदस्य
10. जनपद पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
11. जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
12. जनपद के समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
13. जलागम परियोजना के उप परियोजना अधिकारी	सदस्य
14. जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (स्वजल परियोजना) के जनपद परियोजना प्रबंधक	सदस्य सचिव
15. प्रखंड वन अधिकारी	सदस्य
16. कार्यकारी इंजीनियर, सिचांई	सदस्य
17. कार्यकारी इंजीनियर, लघु सिंचाई	सदस्य

5.7.1.2 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन के उत्तरदायित्व

1. राज्य सरकार तथा राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान के नीतिगत निर्णयों के अनुसार सेक्टर कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
2. जनपद स्तर पर सेक्टर कार्यक्रम तथा मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के अनुसार जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव हेतु जनपद जल तथा स्वच्छता समिति को दि’’ाा–निर्दे’’ा देना।

3. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता से संबंधित वार्षिक बजट का उत्तरांचल जल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए अनुमोदन करना तथा कार्यक्रम एवं खर्च की समीक्षा करना।
4. जल आपूर्ति परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा के प''चात क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।
5. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यों में ग्राम पंचायत तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों को सहयोग प्रदान करना। इस सहयोग के अंतर्गत स्त्रोतों की पहचान, तकनीकी तौर–तरीकों की रूप रेखा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, दक्षता विकास कार्यक्रम तथा परियोजना क्रियान्वयन इत्यादि आते हैं।
6. ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं से संबंधित विवादों को प्रभाव''ाली ढंग से निपटाने के लिए तंत्र का विकास।
7. जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान की साल में दो बार बैठकें होंगी। जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी।

5.7.1.3 जनपद जल तथा स्वच्छता समिति जिसके मुखिया जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी होंगे। जनपद स्तर पर जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान को सहयोग करेगी। इस समिति का गठन निम्न प्रकार होगा।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3. जनपद विकास अधिकारी	सदस्य
4. जनपद ि''क्षा अधिकारी	सदस्य
5. जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
6. जनपद पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
7. उत्तरांचल पेयजल निगम के जनपद परियोजना प्रकोष्ठ के कार्यकारी इंजीनियर	सदस्य
8. उत्तरांचल जल संस्थान के जनपद परियोजना प्रकोष्ठ के कार्यकारी इंजीनियर	सदस्य
9. जनपद परियोजना प्रबंधक स्वजल परियोजना	संयोजन/सचिव सदस्य
10. प्रखंड वन अधिकारी	सदस्य
11. कार्यकारी अधिकारी सिचांई	सदस्य
12. कार्यकारी अधिकारी लघु सिचांई	सदस्य

5.7.1.4 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जनपद जल तथा स्वच्छता समितियों के उत्तरदायित्व

1. राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान एवं जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान के नीतिगत निर्णयों के अनुसार जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
2. स्वजल धारा तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए ग्राम पंचायतों का चुनाव, ग्राम पंचायत तथा उपभोक्ता समूहों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का अनुमोदन तथा समीक्षा।
3. गैर सरकारी संस्थाओं तथा सीबीओ का स्वजल धारा तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए चयन प्रक्रिया तथा इसके संबंध में राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान को संसुतियां प्रस्तुत करना।
4. स्वजल धारा तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव''ाली मानीटरीकरण तथा देख–रेख।

उपरोक्ता समिति भारत सरकार तथा राज्य सरकार के नीतियों के अनुसार राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के दि''ा–निर्दे''ा के अंतर्गत कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त यह राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा मांगी गई सूचनाओं तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण भी देगी।

5. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना में सही वित्तीय लेन–देन तथा प्रबंधन का मूल्यांकन तथा देख–रेख।
6. जनपद स्तर पर पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी कार्यों के बजट को प्राप्त करने हेतु जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान को सहयोग देना।
7. ग्राम पंचायत उपभोक्ता जल तथा उप समिति द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य को दि’’ाा–निर्दे’’ा तथा सहयोग देना तथा निर्माण के अंतर्गत गुणवत्ता को सुनि’’िचत करना।

यह समिति प्रत्येक तीन माह पर अपनी बैठक अव’’य करेगी।

5.7.1.5 मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

प्रत्येक जनपद में जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की सहायता करेगा। वर्तमान में 9 जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयां कार्यरत है। 4 अन्य को स्थापित किया जाना है। जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जिसके मुखिया परियोजना प्रबंधक होंगे, जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान/जनपद जल तथा स्वच्छता समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। परियोजना प्रबंधक जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान की कार्यकारी समिति की आम निकाय के सदस्य सचिव होंगे। परियोजना प्रबंधक उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के वरिष्ठ कार्यकारी इंजीनियर या अन्य संस्थाओं के वे अधिकारी होंगे जिनको समुदायिक सहभागिता से जल आपूर्ति परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव होगा। परियोजना प्रबंधन की सहायता उप परियोजना प्रबंधक, प्रबंधक (लेखा), स्वास्थ्य तथा सफाई, सामुदायिक विकास, वित्त तथा सहयोगी स्टाफ के क्षेत्रिय पराम’’ीदाता करेंगे।

जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई निम्नलिखित कार्य करेगी।

1. दैनिक प्रबंधन, परियोजना क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व तथा वे सभी आव’’यक कार्य जो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आव’’यक होंगे।
2. उपयुक्त तंत्र के माध्यम से नियमित मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन तथा इसकी रिपोर्ट आव’’यकता पड़ने पर भारत सरकार, राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान, जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान को भेजना।
3. जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान के नीति निर्दे’’ाो को क्रियान्वित करना।
4. सहयोग संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों को तकनीकी सुझाव तथा इंजीनियरिंग, समुदायिक विकास तथा स्वच्छता गतिविधियों के लिए दि’’ाा–निर्दे’’ा देना।
5. जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान को सेक्टर (जल आपूर्ति तथा स्वच्छता) नीतियों पर सुझाव देना।
6. जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान के लिए उचित लेखा तथा वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुनि’’िचत करना।
7. सभी सहभागियों के दक्षता विकास को सुनि’’िचत करना।
8. सूचना ि’’ाक्षा तथा संचार अभियान को डिजाइन तथा क्रियान्वित करना।
9. जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान के सचिवालय के रूप में कार्य करना जैसे बैठकों कें लिए एजेंडा तैयार करना तथा बैठक की कार्यवाही का दस्तावेजीकरण करना।
10. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा जमा की गई योजनाओं का मूल्यांकन करना, प्र’’ाासनिक तथा तकनीकी स्वीकृतियों के लिए अपरेजल टिप्पणी तैयार करना।
11. जल तथा स्वच्छता सेक्टर तथा जनपद के महत्वपूर्ण जल–भूगर्भिक पहलुओं पर आंकड़ा आधार तैयार करना जिसमें सभी आधारी सूचनाएं सम्मिलित रहेंगी।
12. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रमों जिसमें जल गुणवत्ता मानकीकरण भी सम्मिलित होगा से संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों तथा व्यक्तियों के नेटवर्क के साथ समन्वय स्थापित करना।
13. परियोजना क्रियान्वयन संबंधी सूचनाओं तथा आंकड़ों को एकत्र करना तथा उन्हें प्रका’’ाित करना।
14. परियोजना के वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा को तैयार करना एवं अन्य समयावधिक रिपोर्टों को तैयार कर ना।

5.7.1.6 मध्यम अवधि की विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम की जनपद इकाई की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के बहार की विभिन्न मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कार्यो को उत्तरांचल पेयजल निगम की संबंधित जनपद इकाईयां करेंगी।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरांचल पेयजल निगम जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को इंजीनियरों की सेवाएं मुहैया कराएगा। वे इंजीनियर उपभोक्ता समूहों को समुदाय उत्प्रेरण, उपभोक्ता समूहों के गठन, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियां, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण के लिए तकनीकी चयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा निर्माण एवं वसूली में सहायता प्रदान करेंगे। ये जनपद प्रभाग एकल ग्राम परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने तथा मध्यम अवधि के कार्यक्रमों के अनुसार बहुग्रमीण परियोजनाओं के निर्माण के कार्य को भी करेगी।

5.7.1.7 मध्यम अवधि की विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरांचल जल संस्थान की जनपद इकाई की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के बहार की विभिन्न मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कार्यो को उत्तरांचल जल संस्थान की संबंधित जनपद इकाईयां करेंगी।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरांचल जल संस्थान जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को इंजीनियरों की सेवाएं मुहैया कराएगा। वे इंजीनियर उपभोक्ता समूहों को समुदाय उत्प्रेरण, उपभोक्ता समूहों के गठन, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियां, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण के लिए तकनीकी चयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा निर्माण एवं वसूली में सहायता प्रदान करेंगे। ये जनपद प्रभाग एकल ग्राम परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरिक करने तथा मध्यम अवधि के कार्यक्रमों के अनुसार बहुग्रमीण परियोजनाओं के पुर्नगठन के कार्य को भी करेगी।

5.8 सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तरीय संस्थान व्यवस्थाएं

राज्य सरकार ने उपभोक्ता आधारित उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का राज्य में गठन करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के स्वजल धारा कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित मूलभूत सुधार सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु आव"यक है :

1. समुदाय के मांग आधारित दृष्टिकोण को लागू करना।
2. समुदाय के भागीदारी को पूर्ण रूप से सुनि"चित करना। इसके लिए पेयजल परियोजनाओं चयन, नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन, वित्तीय तथा व्यवस्था संबंधी प्रबंधन का नियंत्रण इत्यादि में उन्हें सम्मिलित किया जाएगा।
3. समुचित स्तर के पंचायतों को पेयजल सम्पत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक प्रदान करना।
4. जल आपूर्ति परियोजना का संचालन तथा रख–रखाव तथा पंचायतों/समूदायों द्वारा उचित शुल्क का निर्धारण करना।
5. जल आपूर्ति परियोजनाओं के साथ–साथ स्वास्थ्य स्वच्छता तथा स्त्रोत संरक्षण कार्यक्रम में समेकन।

उपभोक्ता सहयोगी व्यवस्था स्वजल I परियोजना तथा स्वजल धारा कार्यक्रम में सफल रही हैं। अतः प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र में अलग से उपभोक्ता जल आपूर्ति तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन करेंगी। यह उनके क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति की एक उप समिति घोषित की जाएगी। उत्तरांचल के राज्यपाल ने उत्तर प्रदे"ा पंचायती राज एक्ट 1947 की उपधारा 3 तथा धारा 29 में दिए गए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों के जल प्रबंधन समितियों के लिए उप समिति के रूप में उपभोक्ता जल तथा स्वजल

उप समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। यह समिति/इन समितियों को उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के नाम से जाना जाएगा।

5.8.1 उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति का निर्माण

1. उपभोक्ता समूह, जो किसी भी जल आपूर्ति परियोजना का लाभार्थी होगा, वह अपने उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के अध्यक्ष, कोषा अध्यक्ष तथा सदस्यों का चुनाव करेगा। उपभोक्ता समूहों का अर्थ परिवारों के उन वयस्क सदस्यों से है जो जल आपूति। परियोजना के लाभार्थी हों।
2. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों में कम से कम 7 और अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे। जनपद पंचायत के लिए चुने गए वार्ड सदस्य, संबंधित उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के ब्लॉक पंचायत तथा ग्राम पंचायत सदस्य उप समिति के पदेन सदस्य होंगे। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के पदेन अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे। उप समिति अपने सदस्यों के बीच से कोषा अध्यक्ष का चुना करेगी। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति में कम से कम 30 प्रति''ात महिला सदस्य तथा 20 प्रति''ात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नियमों के अनुसार प्रतिनिधित्व होगा। उप समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए बैठक में 50 प्रति''ात सदस्यों की मौजूदगी कोरम को पूरा करेगी।

5.8.2 उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

1. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति/उपसमितियां परियोजना के निर्माण कार्य (पेयजल आपूर्ति, कचरा प्रवाह, व्यक्तिगत गृहों में शौचालय, शाकपिट, कम्पोजिटिकृत इत्यादि) तथा संचालन एवं रख–रखाव के लिए निर्माण के पूंजी लागत हेतु ग्रामीण समुदाय से स्वेच्छिक अं''ादान (नगद या मजदूरी) एकत्र करेगी। यह उप समिति ग्राम वासियों में स्वच्छता तथा साफ–सफाई के विषय में जगरूकता फैलाने का प्रयास भी करेगी। यह उप समिति निर्माण कार्य के वैकल्पिक तकनीकों पर भी विचार करेगी। और उनमें से परियोयोजना के निर्माण के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल करेगी जो ग्राम वासियों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।
2. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं का नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव।
3. पेयजल परियोजनाओं के उपभोक्ताओं से उपभोक्ता शुल्क एकत्र करना। जिससे की परियोजना का रख–रखाव किया जा सके। शुल्क की अदा न करने पर उचित कार्यवाही करना।
4. नियम के अनुसार निर्माण सामग्री की खरीद तथा खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता को सुनि''चत करना।
5. ग्राम पंचायत से पूंजी लागत की रा''ा को प्राप्त करना और इसे उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के पूंजी लागत खाते में जमा कराना। परियोजना के नियोजन के अनुसार खर्च करना।
6. पूंजी मूल्य के लागत को विस्तार में तैयार करना।
7. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के संचालन तथा रख–रखाव हेतु उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण करना।
8. परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी को मासिक वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट देना।
9. ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति तथा ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करने को सुनि''चत करना।

5.8.3 उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के लेखा का संचालन तथा रख-रखाव

1. उपभोक्त जल तथा स्वच्छता समितियां दो अलग–अलग खातें खोलेंगी। उप समिति दो अलग खाते ''पूंजी मूल्य'' तथा ''संचालन एवं रख–रखाव'' के लिए खालेगी। इन खातों का लेखा परीक्षण उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति द्वारा की जाएगी।
2. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के इन खातों का संचालन और रख–रखाव संबंधित उप समिति के अध्यक्ष तथा कोषा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना द्वारा मुहैया कराए गए

सहायक लेखा कार्य भी उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को खाते के रख–रखाव और लेखा परीक्षण में सहायता करेंगे।

3. पेयजल तथा स्वच्छता परियोजनाओं का नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति द्वारा किया जाएगा और इसकी स्वीकृति प्रारंभिक बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा ली जाएगी। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी परियोजना के विषय वि''ोषज्ञों के माध्यम से तकनीकी कार्यों की जांच के साथ–साथ यह भी सुनि''िचत करेगी की पर्यावरण सुरक्षा के दि''ाा–निर्दे''ाों का प्रयोग ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं।

5.8.4 ग्राम पंचायतों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

1. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं जोकि जल प्रबंधन समिति के माध्यम से जमा की गई है उनकी स्वीकृति।
2. ग्राम पंचायत परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी से रा''ाि प्राप्त करेगी तथा पेयजल परियोजनाओं के लिए प्राप्त रा''ाि की देखभाल करेगी। प्राप्त किए गए धन को चैक द्वारा ग्राम निधि में हस्तांतरित कर देगी। जो इसे 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों को आवंटित कर देगा। अलग–अलग उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के लिए अलग–अलग लेजर रखे जाएंगे।
3. पेयजल तथा स्वच्छता परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए गए धन के लेखा का रख–रखाव महा लेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोफोर्मो/फार्मेट में ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा।
4. ग्राम पंचायत ग्राम निधि के लेखा के लेखा परीक्षण को सुनि''िचत करेगी। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियां उप समिति के लेखा के लेखा परीक्षण को सुनि''िचत करेंगी।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल तथा स्वच्छता कार्यों हेतु एक खाता खोला जाएगा। यह खाता ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा संचालित किया जाएगा। उस स्थिति में जब ग्राम पंचायत सचिव उपलब्ध नहीं होंगे तब परियोजना किसी एक कार्यकर्ता को सहसचिव के रूप में नामित करेगा। परियोजना द्वारा एक सहायक लेखाकार ऐसे खातों के रख–रखाव हेतु मुहैया कराया जाएगा।
6. ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल जल संबंधी विवादों को हल करने का प्रयास ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा
7. ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत को उपरोक्त उत्तरदायित्व को निभाने में सहायता करेगी।

5.8.5 बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए

बहुग्रामीण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता समूह के लिए अलग–अलग उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन किया जाएगा। विभिन्न उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ब्लॉक पंचायतों के अंतर्गत बहुग्रामीण परियोजना स्तारीय समितियों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित है :

5.8.6 उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन

उत्तरांचल राज्य की अधिसूचना संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 में उपभोक्त जल तथा स्वच्छता उप समितियों के गठन के लिए उपबंध दिए गए हैं। इन समितियों का गठन इस अधिसूचना के अनुसार उपभोक्ता स्तर पर किया जाएगा और इनके उत्तरदायित्व एक समान होंगे। ग्राम पंचायतें अपने कार्यक्षेत्र के भीतर अलग से उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन करेंगी। यह जल आपूर्ति परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों को जल प्रबंधन समिति की उप समिति के रूप में घोषित किया जाएगा।

बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए बनाई गई उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों की अतिरिक्त भूमिका तथा उत्तरदायित्व होंगे। यह अधिसूचना नं. 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 में दी गई सूची के अतिरिक्त होगा (संलग्नक–8)। यह अतिरिक्त उत्तरदायित्व तथा भूमिकाएं निम्न प्रकार है :

1. अंतरा ग्राम/वासस्थल वितरण नेटवर्क के नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव का कार्य जिनकी पूर्ति बहुग्रामीण परियोजनाओं द्वारा की जा रही है।
2. अंतरा ग्राम/वासस्थल वितरण नेटवर्क के पूंजी लागत का समुदाय द्वारा दिए जाने वाले अं''ादान को एकत्र करना। जिसका निर्धारण जल आपूर्ति कार्य के आधार पर तथा उपभोक्ता की क्षमता को आधार बनाकर सरकार ने सुनि''चत किया है।
3. वासस्थलों के भीतर जल शुल्क का उपभोक्ताओं से संग्रह।
4. उपभोक्ता की क्षमता के अनुसार जल आपूर्ति शुल्क का संग्रह। लेखा संबंधी दस्तावेजो का रख–रखाव तथा चार्टित लेखाकार से लेखा परीक्षण।

5.8.7 बहुग्रामीण परियोजना स्तर समिति का गठन

उन परियोजनाओं के लिए जो एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सेवा करेंगी उनके लिए बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति बहुग्रामीण परियोजनाओं से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर गौर करेगी।

1. दो या उससे अधिक ब्लॉकों में फैली हुई ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाली बहुग्रामीण परियोजनाओं हेतु ग्राम प्रधानों तथा ब्लॉक पंचायत अध्यक्षों के बीच समन्वय स्थापित करना।
2. विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉक पंचायतों के अंतर्गत आच्छादित वासस्थलों/ग्रामों के मध्य बिना रूकावट तथा समान रूप सें जल वितरण की व्यवस्था करन।
3. जल आपूर्ति परियोजनाओं के निर्माण हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि की उपलब्धता– जल आपूर्ति के डिजाइन, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी को सहयोग तथा सहायता देना।
4. संचालन तथा रख–रखाव शुल्क को एकत्र करना।
5. समुदाय के बैठकों का आयोजन करना, बैठक संबंधी तथ्यों में पारद''ीता, कार्यवाही पर आव''यक कार्य पेयजल परियोजना के लिए सामग्री की खरीद तथा खर्च के रिकार्ड का रख–रखाव इत्यादि।

बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति के गठन के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित है :

1. उपभोक्ता समूहों के आधार पर आच्छादित किए जाने वाले सभी ग्रामों/वासस्थलों के लिए अलग–अलग उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन किया जाएगा।
2. बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति में कम से कम 9 सदस्य तथा अधिकतम आव''यकता के अनुरूप होंगे। इसमें 30 प्रति''ात महिलाओं का तथा 20 प्रति''ात अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से संबंधित लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति में संबंधित उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों अध्यक्ष, लाभार्थी ग्रामों के ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत तथा जिला पंचायत के चुने गए सदस्य तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों से संबंधित ग्राम प्रधानों द्वारा प्रत्येक से एक मनोनित सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे। एक विकास ब्लॉक में बहुग्रामीण परियोजनाओं हेतु बनाई गई बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति का अध्यक्ष ब्लॉक पंचायत का अध्यक्ष होगा। जबकि उन बहुग्रामीण परियोजनाओं जिनके द्वारा एक से अधिक विकास ब्लॉक आच्छादित होते हैं उनमें इस समिति का अध्यक्ष संबंधित ब्लॉक पंचायत के अध्यक्षों में से चुना गया कोई एक होगा। कोषाध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। बैठक में किसी कार्य हेतु समिति के 50 प्रति''ात सदस्य कोरम को पूरा करेंगे।
3. बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति के दैनिक कार्यों की देख–रेख के लिए एक कार्य समिति गठित की जाएगी इसके लिए चुनाव किया जाएगा।

5.8.8 बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होंगे

1. बहुग्रामीण परियोजना स्तर पर पेयजल जल आपूर्ति को ठीक ढंग से सुनि''चित करने के लिए बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति विचार–विम''ा करेगी और आव''यक कदम उठाएगी।
2. समिति सभी उपभोक्ता समूहों से उपलब्ध तकनीकी विकल्पों के चयन तथा परियोजना में किए जाने वाले निर्माण कार्य हेतु सलाह करेगी। जिससे की निर्मित की जाने वाली परियोजना उपभोक्ताओं के अपेक्षाओं के अनुसार हो।
3. समिति बहुग्रामीण परियोजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव की गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
4. पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए जल स्त्रोत से जल लेने के संबंध में अनापित्त प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगी।
5. आव''यकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराएगी और इसमें सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखेगी।
6. जल आपूर्ति से संबंधित विभागों को मुख्य आपूर्ति लाइन से ग्राम में प्रवे''ा के लिए सहयोग प्रदान करेगी।
7. पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के संचालन तथा रख–रखाव हेतु उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले सूत की दर को निर्धारित करेगी।
8. परियोजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने वाले सभी ग्रामों के बीच विवादों को हल करेगी।
9. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के आधार पर जल आपूर्ति के लिए सेक्टर संस्थाओं द्वारा एकत्र किए जाने वाले उपभोक्ता जल स्त्रोत के लिए उपयुक्त निधि बनाएगी।
10. नियम के अनुसार निर्माण हेतु अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री की खरीद करेगी।
11. परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी को मासिक वित्तीय प्रगति के विवरणों को मुहैया कराएगी।
12. समिति की नियमित बैठक आयोजित करेगी और संबंधित सदस्यों को बैठक के 15 दिन पूर्व सूचना अव''य देगी।
13. बैठक के दौरान लिए गए सभी निर्णयों का दस्तावेजीकरण करेगी और उसके विषय में सभी सदस्यों को सूचना देगी।
14. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को जल आपूर्ति परियोजनाओं के उचित रख–रखाव हेतु दि''ाा–निर्दे''ा देगी तथा तकनीकी व्यक्तियों की सूची उन्हें उपलब्ध कराएगी।

5.8.9 बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति के खाते का प्रबंधन तथा रख-रखाव

1. बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति एक खाता खोलेगी और प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों हेतु इसी खाते से धन खर्च करेगी। इस खाते का लेखा परीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा।
2. इस समिति के आय का स्त्रोत उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के उपभोक्ता समूहों द्वारा दिया गया स्वेच्छिक अं''ादान होगा। इस संबंध में सभी विचार–विम''ा बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
3. इस खाते का संचालन और रख–रखाव समिति के अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा नियुक्त सहायक लेखाकार खाते के रख–रखाव तथा लेखा परीक्षण में सहायता देगा।

5.9 स्टाफ

5.9.1 राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन सचिवालय

राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान सचिवालय के संस्था रेखा–चित्र को संलग्नक–9 में प्रस्तुत किया गया है।

5.9.2 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संस्था रेखा–चित्र को संलग्नक–10 में प्रस्तुत किया गया है।

5.9.3 उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान

उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के संस्था रेखा–चित्र को संलग्नक–11 तथा 12 में प्रस्तुत किया गया है।

5.9.4 जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संस्था रेखा–चित्र को संलग्नक–13 में प्रस्तुत किया गया है।

5.9.5 उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के जनपद प्रखंड

उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के जनपद प्रखंड का संस्था रेखा–चित्र संलग्नक–14 में प्रस्तुत किया गया है।

5.10 सहयोगी संस्थाएं तथा सेवा एजेंसियां

लाभार्थी समुदायों तथा जनपद क्रियान्वयन एजेंसी के बीच संबंधी स्थापित करने के लिए गैर सरकारी संस्थाएं तथा समुदाय आधारित संस्थाओं को सेक्टर कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना है। डब्लू.टी.एस.एन. परियोजनाओं के प्रबंधन में अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्व के निवर्हन के लिए समुदायों को उत्प्रेरित करने तथा उनके दक्षता विकास हेतु ये एजेंसियां इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करेंगी। परियोजना चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में मुख्य भूमिका निम्न प्रकार होंगी :

नियोजन अवस्था

सहयोगी संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार होंगी–

- समुदायों को उत्प्रेरित करना, ए.एस.ए.आर.ए.डी.ए.आर. का प्रयोग तथा सहभागिता नियोजन, समस्याओं की गवेषण तथा उनका वि''लेषण।
- ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जाने वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं की संख्या के आधार पर उपभोक्ता समूहों की पहचान तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन।
- ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के सदस्यों के लिए समुदाय विकास, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति परियोजनाओं की उपयुक्ता तथा डिजाइन, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण, लेखा इत्यादि के लिए प्रि''क्षण।
- तकनीकी विकल्पों की पहचान, उपयुक्ता वि''लेषण तथा अलग–अलग उपभोक्ता समूहों के लिए बैठकों में कार्य करने की स्वीकृति संबंधी निर्णय।
- प्रत्येक उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा सामुदायिक कार्य योजना को तैयार करना।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों के लिए जल शुल्क तथा संचालन एवं रख–रखाव हेतु समुदाय के अं''ादान को एकत्र करना।

- क्रियान्वयन अवस्था के प्रस्तावों को तैयार करना।

क्रियान्वयन अवस्था

सहयोगी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार होंगी :

- जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों के लिए शेष नगदी/मजदूरी तथा संचालन एवं रख–रखाव के लिए समुदाय के अं''ादान को एकत्र करना।
- ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों सदस्यों हेतु सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, महिला विकास पहल, बुक कीपिंग, संचालन तथा रख–रखाव (तकनीकी, संस्थागत, वित्तीय) इत्यादि के लिए प्रि''क्षण देना।

सहयोगी संस्थाओं के अतिरिक्त जनपद क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सेवा एजेंसियों को भी दक्षता मानव शक्ति की आव''यकता होने पर समिति अवधि के लिए लगाया जाएगा। सेवा एजेंसियां मुख्य रूप से निम्न कार्यों हेतु लगाई जाएंगी।

- ग्राम पंचायतों की वरियता तथा सेक्टर कार्यक्रम में शमिल होने के लिए पूर्व उपयुक्ता मूल्यांकन करना।
- सेक्टर कार्यक्रम के संबंध में समुदायों के बीच जागरूकता ले आने के लिए प्रारंभिक सूचना, ि''क्षा तथा संचार अभियान को चलाना। इसके लिए क्रियान्वियन दृष्टिकोण के सिद्धांत, उद्दे''य, विभिन्न कार्यक्रम सहयोगियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व के साथ–साथ उत्प्रेरण हेतु दीवारों पर लिखावट तथा नारे इत्यादि लिए जाएंगे। यह अवस्था नियोजन के प्रारंभ में ही अधिकतम 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
- क्रियान्वयन अवस्था में तीसरी पार्टी के निर्माण कार्य की देख–रेख।

5.11 कार्यक्रम पश्चात सेक्टर संसथाओं का दृष्टिकोण (2011)

1. उत्तरांचल सरकार के सेक्टर दृष्टिकोण का उद्दे''य राज्य सरकार तथा इसके सेक्टर संस्थाओं की भूमिका को सेवा प्रदाता से एक सहयोगी, सुविधादाता तथा सह वित्तपोषक के रूप में परिवर्तित करने की है और आव''यकता पड़ने पर तकनीकी सहयोग, प्रि''क्षण तथा बड़े निर्माण कार्यों की आव''यकताओं को पूरा करने तथा सेक्टर संबंधी आकस्मिकता को पूरा करने वाला बनाने का है। सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के अंत में उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय सरकार के स्तर के कार्यकर्ता में परिवर्तित हो जाएंगे जिससे ग्रामीण जल तथा स्वच्छता परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, निर्माण, संचालन तथा रख–रखाव का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निभाया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं के सभी त्रिस्तरों पर दक्षता विकास का कार्य वि''ोष रूप से किया जाएगा। जिससे उनमें नीतियों, क्रियान्वयन व्यवस्था, निधि प्रवाह तथा वसूली प्रक्रियाओं, संचालन तथा रख–रखाव, भूमिक तथा उत्तरदायित्व इत्यादि के विषय में जागरूकता आ सके। जबकि अधिकां''ा एकल ग्राम परियोजनाएं तथा बहुग्रामीण परियोजनाएं पूर्ण रूप पंचायती राज संस्थाओं तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों द्वारा अधिगृहित कर ली जाएंगी वहीं उच्च लागत वाली पंपिंग परियोजनाएं तथा जटिल प्रकृति की जल आपूर्ति परियोजनाएं सकल क्षेत्र में समरूप नीतियों के सिद्धांत का पालन करते हुए उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा ही चलाई जाती रहेंगी।
2. सकल क्षेत्र में समरूप नीति के कार्यक्रमों के प्रारंभ में राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान को परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सहयोग मिलता रहेगा। वहीं प्रत्येक जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ानों को जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सहयोग दिया जाता रहेगा। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई में उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के प्रतिनियुक्ति पर आए स्टाफ होंगे। जो सीधे–सीधे संबंधित जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ानों को रिपोर्ट करेंगे। यह संस्थागत व्यवस्था मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को

सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहयोग देने के लिए है। उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के स्टाफ का कुछ प्रति''ात धीरे–धीरे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के प्रवेक्षण तथा प्र''ासनिक नियंत्रण में आ जाएगा। यह संक्रमण कार्यक्रम के अंत (2012) तक पूरा कर लिया जाएगा। यह संभावना व्यक्त की गई है कि 2012 तक परियोजना प्रबंधन इकाई का राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान प्रकोष्ठ में विलय कर दिया जाएगा तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयां जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान/जनपद जल तथा स्वच्छता समिति के प्र''ासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी निर्दे''ों के अंतर्गत कार्य करेगा। ऐसे स्टाफ का वेतन जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान/जनपद जल तथा स्वच्छता समितियों के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए उत्तरांचल सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ग्राम स्तर पर उत्तरांचल जल संस्थान का संविदा पर लिया गया स्टाफ जोकि एकल ग्राम परियोजना से संबंधित होगा को ग्राम पंचायतों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जिससे की जल तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को चलाया जा सके। ग्राम पंचायतें स्टाफ के वेतन तथा प्र''ासनिक लागत को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी होंगी इसके लिए वे जल शुल्क, राज्य सरकार से अनुदान, वित्त आयोग से अनुदान इत्यादि जैसे स्त्रोतों पर निर्भर करेंगी।

सेक्टर संस्थान दृष्टिकोण तथा उद्देश्यों को पूरा करने क लिए पहचाने गए मानदंड

१. राज्य तथा जनपद सेक्टर संस्थाओं के स्तर पर :

अ. सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रमों के प्रारंभ (2007) में :

1. राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान प्रकोष्ठ का प्रबंधन सेक्टर संस्थाओं से चुने गए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
2. कार्यक्रम का प्रारंभ परियोजना प्रबंधन इकाई तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के वर्तमान ढांचे में ही किया जाएगा।
3. सेक्टर संस्थाओं के स्टाफ के दक्षता विकास कार्यक्रम को मांग आधारित ग्रामीण जल तथा स्वच्छता परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी बदली हुई भूमिका तथा उत्तरदायित्व को समझने के लिए प्रारंभ किया जाएगा।

ब. सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के तीसरे वर्ष (2009–10) में :

1. जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों के 50 प्रति''ात के मुखिया सेक्टर संस्थाओं के वरिष्ठ इंजीनियर होंगे। ये जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयां सेक्टर संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित की जाएंगी।
2. इंजीनियरिंग स्टाफ कम से कम 50 प्रति''ात की दक्षता को ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता व्यवस्था के मांग आपूर्ति तथा सामुदायिक प्रबंधन की नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

स. सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के अंत (2012) में :

1. सभी जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों का पूर्ण रूप से प्रबंधन सेक्टर संस्थाओं से चयन के गए स्टाफ द्वारा किया जाएगा।
2. राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान का पूर्ण प्रबंधन सेक्टर संस्थाओं के चयन किए गए अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
3. इंजीनियरिंग तथा गैर इंजीनियरिंग स्टाफ की दक्षता को ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता व्यवस्था के मांग आपूर्ति तथा सामुदायिक प्रबंधन की नीतियों के अनुसार किया जाएगा। मानव संसाधन विकास की दीर्घकालिकता को बनाए रखने के लिए पुन''चर्या पाठ्यक्रम प्र''ािक्षण जारी रहेगा।

4. परियोजना प्रबंधन इकाई तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों को राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान एवं जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ानों में विलय कर दिया जाएगा।

२. पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर

अ. सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के प्रारंभ (2007) में :

1. सेक्टर संस्थाओं के स्टाफ का उपयुक्त स्तर की पंचायती राज संस्थाओं में स्थानतरण प्रारंभ किया जाएगा। स्थानतरित किए गए स्टाफ के दक्षता विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा।
2. विचाराधिन सभी एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों का गठन किया जाएगा।
3. ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर में अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को समझने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के स्टाफ के दक्षता विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा।

ब. सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के मध्य (2009–10) में :

4. स्टाफ को उपयुक्त प्रि''ाक्षण देने के प''चात सेक्टर संस्थाओं के 50 प्रति''ात स्टाफ का स्थानतंरण उपयुक्त स्तर की पंचायती राज संस्थाओं में किया जाएगा।
5. सेक्टर कार्यक्रम में ली गई ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के स्टाफ के दक्षता विकास कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।

स. सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के अंत (2012) में :

6. स्टाफ को उपयुक्त प्रि''ाक्षण देने के प''चात सेक्टर संस्थाओं के स्टाफ का स्थानतंरण उपयुक्त स्तर की पंचायती राज संस्थाओं में किया जाएगा।
7. सेक्टर कार्यक्रम में ली गई ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के स्टाफ के दक्षता विकास कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।
8. राज्य में समान रूप से सेक्टर नीतियों को लागू किया जाएगा तथा ग्राम जल तथा स्वच्छता सेक्टर में कार्यरत सभी को पंचायती राज संस्थाओं के साथ सहभागिता के आधार पर कार्य करना होगा।

अध्याय 6

सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रीतियां

इस अध्याय में सेक्टर कार्यक्रम के प्रत्येक घटक के क्रियान्वयन की रीतियों को विस्तार से समझाया गया है।

6.1 सकल क्षेत्र में समरूप नीति के घटक

सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन घटक सम्मिलित है–

अ) ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर विकास
ब) नवीन ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता निवे''ा
स) कार्यक्रम प्रबंधन, मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (उत्तरांचल सरकार) परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर सुधार सिद्धांतों के माध्यम से करेगी।

अ) राज्य स्तर पर व्यवस्थाएं

(i) राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान : (अ) मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष तथा (ब) पेयजल आपूर्ति विभाग के अंतर्गत स्थापित किए गए प्रकोष्ठ द्वारा इसे सहयोग दिया जाता है। यही प्रकोष्ठ राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के सचिवालय की सेवाएं भी देगा साथ ही साथ यह प्रकोष्ठ जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों, उत्तरांचल जल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर सुधार कार्यक्रमों की संपूर्ण प्रगति के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(ii) ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग नोडल एजेंसी की सेवाएं देगा तथा सेक्टर सहभागियों से मध्यम अवधि के कार्यक्रमों के लिए समन्वय स्थापित करेगा।

(iii) जनपद स्तर पर जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई परियोजना प्रबंधन इकाई को सहयोग करेगी साथ ही साथ एकल ग्राम निवे''ा परियोजनाओं तथा लघु बहुग्रामीण निवे''ा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समन्वय स्थापित करेगी।

(iv) उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान सकल क्षेत्र में समरूप नीतियों से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में सेक्टर के लिए तेय''ुदा कार्यक्रमों को अपनी संबंधित जनपद स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से इन्हें क्रियान्वित करेंगी।

ब) जनपद स्तर पर व्यवस्थाएं

जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन : (अ) इसके अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे (ब) इसे जनपद जल तथा स्वच्छता समिति तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

वासस्थल तथा ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं

(i) एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां।

(ii) बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां तथा बहुग्रामीण परियोजना समितियां।

6.2 घटक अ के लिए क्रियान्वयन व्यवस्थाएं

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (उत्तरांचल सरकार) परियोजना के घटक अ का क्रियान्वयन पेयजल विभाग, परियोजना प्रबंधन इकाई, राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान, उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के माध्यम से करेंगी। आव''यकता के अनुसार परियोजना के लिए निधि, सुविधाएं, सेवाएं तथा अन्य जरूरी संसाधनों को त्वरित ढंग से मुहैया कराएगी।

6.3 घटक ब के लिए क्रियान्वयन व्यवस्थाएं

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (उत्तरांचल सरकार) परियोजना के घटक ब का क्रियान्वयन, परियोजना प्रबंधन इकाई, राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान, उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई तथा जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान के माध्यम से करेंगी। आव''यकता के अनुसार परियोजना के लिए निधि, सुविधाएं, सेवाएं तथा अन्य जरूरी संसाधनों को त्वरित ढंग से मुहैया कराएगी।

मूल सिद्धांत

इस घटक के क्रियान्वयन को निर्दे''ात करने वाले मूल सिद्धांत के अंतर्गत दीर्घकालिकता, तकनीकी समाधान तथा समुदाय की आव''यकताओं को पूरा करना है। इसके लिए दी गई स्थिति या सेवा के लिए कम से कम लागत द्वारा समाधान, वहीं पर बहुग्रामीण परियोजनाओं को लागू करना जहां एकल ग्राम परियोजनाएं नहीं चल सकती तथा समेकित रूप से जल आपूर्ति स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण की सेवाएं देना है। वे मुद्दे जिन पर वि''ौष रूप से गौर किया जाएगा उनमें सम्मिलित हैं–

– विभिन्न तकनीकी संभावनाओ की तला''ा।
– तकनीकी रूप से उपयुक्त, वित्तीय तथा दीर्घकालिक रूप से उपयुक्त विकल्प का चयन
– उपयुक्त एकल ग्राम परियोजना/बहुग्रामीण परियेाजना का चयन–प्रारंभ में जनपद स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति द्वारा और अंतिम रूप से समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाने पर।
– समुदाय द्वारा इच्छित सेवा स्तर को देना।
– उपयुक्त संचालन तथा रखा–रखाव का विकल्प का वि''लेषण तथा क्रियान्वयन जिन्हें समुदाय द्वारा भली–भांति समझा जाना है।
– पूर्व साध्यत्ता साध्यत्ता वि''लेषण, क्रियान्वयन, संचालन तथा रख–रखाव तथा क्रियान्वयन प''चात की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयन प्रक्रिया को लागू करना। इन्हें विस्तार से तकनीकी मेनुअल में प्रस्तुत किया गया है।

6.3.1 प्रमुख अवधारणाएं

नवीन निवे''ाों के अंतर्गत जल आपूर्ति सुविधाओं के निर्माण या पुर्नवास को सम्मिलित किया गया है। जल आपूर्ति सुविधाओं के अंतर्गत स्त्रोत सुदृढ़ीकरण, जिसे समुदाय स्वयं ही नियोजित, क्रियान्वित तथा प्रबंधित करेगा। वृहद प्रकार की बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए संचालन तथा रख–रखाव का समुदाय का उत्तरदायित्व केवल अंतरा ग्राम वितरण के लिए होगा। अंतर ग्राम सुविधाओं का निर्माण उत्तरांचल जल निगम करेगा और संचालन उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा किया जाएगा। यह उस करार के मुताबिक होगा जो बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति, सेक्टर संस्था (उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान) तथा जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान के बीच किया जाएगा।

एकल ग्राम परियोजनाओं का ग्राम पंचायतों में एकीकरण यह बताता है कि एक ग्राम पंचायत के अधीन एकल ग्राम परियोजना पहले पूर्ण रूप से काम करने योग्य बनाई गई। यह पुर्नसंगठन या पुर्नवास के माध्यम से किया गया या फिर नए एकल ग्राम परियोजनाओं को लागू कर किया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि उपभोक्ताओं तथा ग्राम पंचायतों की दक्षता इतनी विकसित हो चुकी है कि वे प्रभाव''ााली ढंग से एकल ग्राम परियोजनाओं का प्रबंधन एकल ग्राम परियोजना की पूरी डिजाइन अवधि के लिए कर सके।

एकल ग्राम परियोजनाएं

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर में सुधार हेतु सकल क्षेत्र में समरूप नीति को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर जो नीतिगत व्यवस्था की गई है उसके लिए सरकारी आदे''ा संख्या 2427/29/04–02 (22)/2004 दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसार एकल ग्राम परियोजना की परिभाषा निम्न प्रकार है :

''सामान्य तौर पर एक राजस्व ग्राम के भीतर या वासस्थल के भीतर निर्मित की जाने वाली परियोजना को एकल ग्राम परियोजना के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यदि एक ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक राजस्व गांव में परियोजना का प्रबंधन उपभोक्ता समूह द्वारा किया जा सके, ग्राम पंचायत की स्वीकृति से, तो उसे भी एकल ग्राम परियोजना की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।''

बहुग्रामीण परियोजनाएं

एकल ग्राम परियोजना की उपरोक्त परिभाषा के संदर्भ में बहुग्रामीण परियोजना का संबंध उस परियोजना से होगा जो एक से अधिक ग्राम पंचायत में एक से अधिक राजस्व गांव को आच्छादित करती हो।

साधारण बहुग्रामीण परियोजनाएं

साधारण बहुग्रामीण परियोजना के अंतर्गत तकनीकी रूप से साम्य गुरूत्व परियोजनाएं आती हैं जोकि तीन ग्राम पंचायतों/ग्रामों/वासस्थलों को आच्छादित करती है। इसका संचालन संबंधित ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों द्वारा आपसी समझ के आधार पर सामुहिक रूप से किया जाएगा। अन्य वे बहुग्रामीण परियोजनाएं जो साधारण बहुग्रामीण परियोजनाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं उन्हें वृहद बहुग्रामीण परियोजना के रूप में जाना जाएगा।

स्वजल धारा तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान का सेक्टर कार्यक्रम में समाकलन

स्वजल धारा – स्वजल धारा के अंतर्गत चालू परियोजनाओं को भारत सरकार के दि''ाा–निर्दे''ाों के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा। चूंकि स्वजल धारा समुदाय केंद्रित माडल पर आधरित है अतः इसका क्रियान्वयन सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अनुसार किया जाएगा। स्वजल धारा की अगली टोलियों को पहले ही सेक्टर कार्यक्रम में समाकलित कर लिया जाएगा। स्वजल धारा के अंतर्गत आवंटित रा''ा को भारत सरकार का शेयर माना जाएगा।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान – सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत आच्छादित किए जाने वाले वासस्थलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कार्य जल आपूर्ति तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्य के साथ–साथ समेकित रूप से संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

चालू परियोजनाओं के अंतर्गत आच्छादित होने वाले वासस्थलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा आव''यकता के अनुसार किया जाएग।

पूर्ण रूप से आच्छादित वासस्थलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कार्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया जाएगा।

चालू परियोजनाएं

वे सभी एकल ग्राम जल आपूर्ति परियोजनाएं जिन्हें 31 मार्च, 2006 तक चिन्हित कर लिया गया है और वे बहुग्रामीण परियोजनाएं जिन्हें 30 नवंबर, 2006 तक चिन्हित कर लिया गया है उन्हें पहले से मौजूद नियमों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा और उन्हें चालू परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ये परियोजनाएं हैं जिनकी प्र''ाासनिक तथा वित्तीय स्वीकृतियां 1/4/2006 (एकल ग्राम परियोजना के लिए) तथा 1/12/2006 (बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए) प्राप्त कर ली गई है।

6.3.2 निवेश दिशा-निर्देश

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम के लिए सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत नवीन निवे''ा के लिए जो निवे''ा दि''ाा–निर्दे''ा तैयार किए गए है वे निम्नलिखित चरणों के अनुसार लागू किए जाएंगे।

• **तैयारी चरण** – इसके अंतर्गत राज्य में सेक्टर कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण, वर्तमान जल स्त्रोतों से संबधित डाटा बेस का संयोजन तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करेन के लिए संस्थाओं का उत्प्रेरण सम्मिलित है।

• **परियोजना चयन** - पूर्व साम्यकर्ता के लिए एकत्र किए गए मूल आंकड़ों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में आच्छादित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान की जाएगी।

• **ग्राम पंचायत के संगठन द्वारा अनुबंध** – एकल ग्राम परियोजना/बहुग्रामीण परियोजना के लिए संगठित ग्राम पंचायत यह स्वीकृति प्रदान करेगी कि परियोजना को लागू किया जाए या नहीं।

• **परियोजना चक्र** – वि''ोष कार्यक्रमों हेतु समुदाय की भागीदार बनाते हुए परिभाषित तरीकों से परियोजना का नियोजन तथा क्रियान्वयन।

• **पर्श्व-क्रियान्वयन सहयोग** – दीर्घकालितका का मानीटरीकरण करने के लिए ग्राम पंचायतों को प''र्च–क्रियान्वयन सहयोग दिया जाएगा।

मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन इन सभी चरणों का हिस्सा होगी।

प्रत्येक चारण के लिए विस्तृत प्रक्रिया आगे दी गई है।

6.3.3 प्रत्येक चरण के लिए प्रक्रिया

6.3.3.1 तैयारी चरण

सेक्टर कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण – पहले कार्य के अंतर्गत सेक्टर कार्यक्रमों को राज्य, जनपद तथा ब्लॉक स्तरों पर विकेंद्रीकृत करने की कार्यवाही पर ध्यान दिया जाएगा। सेक्टर कार्यक्रम को विस्तार में बताने के लिए जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्य''ाालाओं का आयोजन किया जाएगा। जिससे की सेक्टर कार्यक्रम के विषय में पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के संबंधित सभी स्तर के कार्यकर्ताओं में, जागरूकता ले आई जा सके। कार्यकर्म सहभागियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व के साथ–साथा सेक्टर कार्यक्रम में जिन सिद्धांतों

को उपयोग में लाया जाएगा उनके विषय में भी इस कार्य''ाला के दौरान जानकारियां दी जाएंगी इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के सूचना, ि''क्षा तथा संचार के उपादानों का प्रयोग किया जाएगा।

(राज्य, जनपद तथा ब्लॉक स्तरों पर सेक्टर कार्यक्रम के विकेंद्रीकरण हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई किसी एक सेवा एजेंसी को तैनात करेगी। इस कार्य हेतु सर्विस एजेंसी के विषय क्षेत्र के विषय में संलग्नक 15 में जानकारी दी गई है।)

जल संसाधन डाटाबेस – जल स्त्रोतों के विषय में वर्तमान में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करते हुए जल संसाधन डाटाबेस बनाया जाएगा। राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा प्रकोष्ठ द्वारा स्त्रोतों में आ रही कमी वाले क्षेत्रों को जनपदवार चिन्हित किया जाएगा।

जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए डाटाबेस का रख-रखाव – सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के प्रभाव''ाली मानीटरीकरण हेतु राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान प्रकोष्ठ राज्य में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परिदृ''य की स्थिति के विषय में आंकड़ों को एकत्र करेगा। राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान प्रकोष्ठ वासस्थलों में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं के प्रगति के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों का रख–रखाव भी करेगा। कार्यक्रम के भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के संबंध में सूचनाओं को एकत्र करना भी यह सुनि''चत करेगा।

जनपद स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति का गठन – उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान/परियोजना प्रबंधन इकाई के इंजीनियरों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच से एक जनपद स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति गठित की जाएगी। तकनीकी समीक्षा समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा।

1. मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. अधिक्षक इंजीनियर, उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान (2)	सदस्य
3. जनपद के कार्यकारी इंजीनियर, उत्तरांचल जल निगम (1)	सदस्य
4. जनपद के कार्यकारी इंजीनियर, उत्तरांचल जल संस्थान (1)	सदस्य
5. जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के इंजीनियर	सदस्य
6. परियोजना प्रबंधक, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई	सदस्य सचिव
7. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधित्व (4, एक जिला परिषद तथा एक ब्लॉक पंचायत तथा एक ग्राम पंचायतों से)	अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा मनोनित

संपूर्ण तकनीकी समीक्षा समिति की भूमिका

तकनीकी समीक्षा समिति का मुख्य उत्तरदायित्व यह सुनि''चत करना होगा कि सेक्टर में मांग आपूर्ति दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना तथा यह देखना की समुदाय द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के निर्माण को प्राथमिकता मिल रही है। उन्हीं स्थितियों में बहुग्रामीण परियोजनओं के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी जहां एकल ग्राम परियोजनाओं के निर्माण की कोई संभावना नहीं रहेगी। समिति को उन कारणों को रिकार्ड करना होगा जिसके कारण किसी वासस्थल/ग्राम पंचायत में एकल ग्राम परियोजना का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसे ग्राम के पूर्व साम्यकता आंकड़े के आधार पर बताना होगा। तकनीकी समीक्षा समिति की मुख्य भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होगें–

- विभिन्न उपभोक्ता समूहों द्वारा प्रस्तावित तकनीकी विकल्पों की समीक्षा।
- एकल ग्राम परियोजनाओं/बहुग्रामीण परियोजनाओं के औचित का वि''लेषण।
- एकल ग्राम परियोजनाओं/बहुग्रामीण परियोजनाओं के परियोजना पहचान योजना को अंतिम रूप देना।
- एकल ग्राम परियोजनाओं/बहुग्रामीण परियोजनाओं के विकास प्रगति रिपोर्ट का मूल्य निरूपण ।
- एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए तकनीकी स्वीकृत।

दरों की जनपद अनुसूची – विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्रियों/कार्यों (स्थानीय या गैर स्थानीय) के दरों की जनपद अनुसूची संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी। यह मौजूद दरों के वि''लेषण के आधार पर किया जाएगा और इसकी स्वीकृति जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा की जाएगी। दरों के इस अनुसूची को वार्षिक आधार पर या जब जैसी आव''यकता होगी के आधार पर अद्यतन किया जाएगा। सभी जनपदों तथा सभी क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए दरों की अनुसूची एक ही प्रकार ही होगी।

स्टाफ उत्प्रेरण – सेक्टर कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए परियोयजना प्रबंधन इकाई/उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान में आव''यक स्टाफ को विकसित करना होगा। उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान अपनी जनपद इकाईयों का गठन आव''यक स्टाफ की संख्या के आधार पर करेंगे। स्टाफ की आव''यकता को विस्तार में संलग्नक 16 में प्रस्तुत किया गया है।

सहयोगी संस्थाओं का चयन – योग्य सहयोगी संस्थाओं की एक चयनित सूची जनपद स्तर पर जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों द्वारा कार्य की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सहयोगी संस्थाओं की योग्यता के गुणों के विषय में संलग्नक 17 में बताया गया है। सहयोगी संस्थाओं को लेने का प्रारूप तथा सहयोगी संस्थाओं के मूल्यांकन का प्ररूप संलग्नक 18 तथा 19 में दिया गया है। परियोजना प्रबंधन इकाई उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान की जनपद इकाईयों के सदस्यों से बना हुआ एक दल चयन सूची में दिए गए सहयोगी संस्थाओं के विषय में क्षेत्रिय मूल्यांकन करेगा। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई इन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत कर स्वीकृति के लिए जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान को जमा करेगा। जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान सहयोगी संस्थाओं के अंतिम सूची की स्वीकृति प्रदान करेगा।

6.3.3.2 परियोजना चयन

संसाधन आवंटन हेतु वृहद सिद्धांत निम्न प्रकार हैं :

- आच्छादित ग्रामों को पहली प्राथमिकता।
- अर्धआच्छादित ग्रामों को द्वितीय प्राथमिकता।

ये प्राथमिकताएं मौजूदा जमीनी सच्चाई द्वारा दि''ाा–निर्दे''ाित होगी।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न लागत नियोजन की श्रेणियां निम्न प्रकार है :

श्रेणी – 1 : वे एकल ग्राम परियोजनाएं तथा साधारण बहुग्रामीण परियोजनाएं जो जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा तकनीकी तथा संस्थागत रूप से चलाए जाने के लिए साम्यक है।

श्रेणी – 2 : वृहद बहुग्रामीण परियोजनाओं को उत्तरांचल जल निगम द्वारा चलाया जाएगा और कुछ बहुग्रामीण परियोजनाएं उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा पुर्नगठित की जाएगी।

श्रेणी – 3 : वर्तमान में उत्तरांचल जल संस्थान तथा उत्तरांचल जल निगम के अंतर्गत चलाई जा रही परियोजनाओं (अधिकां''ातः एकल ग्राम परियोजनाएं) का पंचायती राज संस्थाओं में एकीकरण।

श्रेणी 1 तथा 2 के प्रक्रियाएं

1. राजीव गांधी सर्वे 2003 की वासस्थलों संबंधी सूचनाओं तथा स्थानीय ज्ञान/मौजूद ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों के डाटाबेस के आधार पर जनपद जल तथा स्वच्छता समितियां ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देंगी। वर्ष के लिए प्रस्ताविक 20 प्रति''ात से अधिक ग्राम पंचायतो पर पहले विचार किया जाएगा जोकि छूटी हुई ग्राम पंचायतें होंगी। उसके प''चात उन ग्राम पंचायतों की टोलियां बनाई जाएंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम मे रूचि दिखाई है।

इसके समानांतर उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान अनाछादित/अर्धआच्छादित गुणों का प्रयोग करते हुए कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यमान उन वृहद बहुग्रामीण परियोजनाओं की पहचान करेगा जिन्हें पुर्नवास की आव''यकता है।

2. इन प्राथमिकता वाली/छांटी गई ग्राम पंचायतों/विद्यमान वृहद बहुग्रामीण परियोजनाओं की पूर्व साम्यकता का कार्य जनपद जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा की जाएगी। यह कार्य जनपद स्तर पर पहले से पहचाने गए स्थानीय संसाधन व्यक्तियों/सहयोगी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्य के लिए तकनीकी मेनुअल में दिए गए पूर्व साम्यकता प्रारूप का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व साम्यकता द्वारा वि''ोष टोली में लिए जाने वाले ग्राम पंचायत का चयन किया जाना निर्धारित होगा। संलग्नक 20 के अनुसार सेक्टर कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायतों के प्राथमिकता निर्धारण/चयन गुणों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों को सही अवलोकनों के आधार पर श्रेणिबद्ध किया जाएगा। पूर्व साम्यकता के एक हिस्से के रूप में सहयोगी एजेंसी मौजूद वृहद बहुग्रामीण परियोजनाओं के विषय मे सूचनाएं एकत्र करेगी। साथ ही साथ इस संभावना का भी पता लगाएंगी कि किसी एक ग्राम पंचायत जहां बहुग्रामीण परियोजना लागू है में क्या एकल ग्राम परियोजना लागू की जा सकती है।

– निर्गत : ग्राम पंचायतों के लिए पूर्व साम्यकता रिपोर्ट

3. श्रेणिगत किए गए ग्राम पंचायत तथा मौजूद बहुग्रामीण परियोजनाओं के चयन हेतु जनपद स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति एकल ग्राम परियोजनाओं के क्रियान्वयन की संभावना का परीक्षण करेगी। साथ ही साथ यह भी पता लगाएगी कि आच्छादित किए जाने वाले वासस्थलों/ग्राम पंचायतों के समूह के लिए क्या बहुग्रामीण परियोजना प्रस्तावित की जा सकती है? छोटे स्तर के बहुग्रामीण परियोजना की श्रेणी की पहचान भी की जा सकती है।

एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर जनपद स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति परियोजना की किस्म–एकल ग्राम परियोजना तथा बहुग्रामीण परियोजना–के क्रियान्वयन की संभावना का भी परीक्षण करेगी साथ ही साथ पूर्व साम्यकता के आधार पर आच्छादित किए जाने वाले वासस्थलों के लिए तकनीकी विकल्पों का भी चयन करेगी। यह समिति एकल ग्राम परियोजना/बहुग्रामीण परियोजनाओं के अनंतिम मानचित्रों का परीक्षण तथा समीक्षा भी करेगी जिसमें स्त्रोत, आच्छादित किए जाने वाले गृह, संबंधित ग्राम पंचायतें, मुख्य आपूर्ति लाइन, गृहों तक पहुंच इत्यादि को द''ाया गया होगा। साथ ही साथ एकल ग्राम परियोजना/बहुग्रामीण परियोजना के चयन के औचित्य को भी देना होगा। इस औचित्य तथा मानचित्र के साथ–साथ एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना होगा। इस टिप्पणी को एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए ग्रामं पंचायतों के समूह हेतु परियोजना चिन्हिकरण योजना का नाम दिया जाएगा। वह सेवा एजेंसी जिसमें पूर्व साम्यकता को तैयार किया है वह भी इस प्रक्रिया में भागीदार होगी क्योंकि वह एजेंसी समुदाय की आव''यकताओं को भली–भांति बताने में सक्षम होगी।

- निर्गत : परियोजना चिन्हिकरण योजना

परियोजना चिन्हिकरण योजना के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता/चयन प्रक्रिया को शामिल किया गया है साथ ही साथ इसमें प्रस्तावित परियोजना के विवरणों को भी दिया गया है।

4. अंतिम ग्राम पंचायतों/एकल ग्राम परियोजना/बहुग्राम परियोजना के चिन्हिकरण की स्वीकृति जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा की जाएगी। जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन की बैठकें आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाएंगी। पूरे वर्ष में आच्छादित किए जाने वाले ग्राम पंचायतों के लक्ष्य का निर्धारण भी जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा।

- निर्गत : एक विशेष टोली में आच्छादित किए जाने वाले एकल ग्राम परियोजना/बहुग्राम परियोजना की सूची–

श्रेणी 3 के लिए प्रक्रियाएं

वर्तमान में उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के अंतर्गत रख–रखाव की जा रही एकल ग्राम परियोजना का कुछ विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ग्राम पंचायतों में एकीकरण कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा

आवश्यकताएं :

1. मांग आपूर्ति दृष्टिकोण की प्रक्रिया के अंतर्गत मौजूद रख–रखाव एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम में जल आपूर्ति परियोजना को पूर्ण रूप से क्रियात्मक बना दिया जाएगा।
2. मौजूद रख–रखाव एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के पूर्व जल आपूर्ति सम्पत्तियों की एक वस्तु सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसकी पूरी जांच भी कर ली जाएगी।
3. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के संबंध में उत्तरांचल सरकार की अधिसूचना संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 के अनुसार प्रत्येक परियोजना के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति गठित की जाएगी। यह समिति सेक्टर संस्थाओं के तकनीकी सहयोग से परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन तथा रखा–रखाव का कार्य करेगी।
4. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों को परियोजना के तकनीकी, संस्थागत तथा वित्तीय मामलों को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त तथा उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम रख–रखाव कार्यकर्ता तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के कोषाध्यक्ष के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

क्रियान्वयन चरण

1. उत्तरांचल जल संस्थान तथा उत्तरांचल जल निगम द्वारा वर्तमान में संचालित तथा रख–रखाव की जाने वाली सभी मौजूदा एकल ग्राम परियोजनाओं की सूची को अद्यतन किया जाएगा।
2. उत्तरांचल जल संस्थान/उत्तरांचल जल निगम के मौजूदा स्टाफ द्वारा जनपदवार सभी मौजूदा एकल ग्राम परियोजनाओं के डाटाबेस को अद्यतन किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो इसके लिए सेवा एजेंसी को भी लगाया जाएगा। इसके अंतर्गत आवश्यक रूप से परियोजना की शेष डिजाइन अवधि को

सम्मिलित किया जाएगा और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल जल मिशन सर्वे–2003 के अनुसार आच्छादित की जाने वाली परियोजनाओं के अंतर्गत वासस्थलों की स्थिति भी दर्शायी जाएगी।

अनाछादित/अर्धआच्छादित गुणों तथा स्थानीय ज्ञान तथा मौजूदा डाटाबेस के आधार पर उत्तरांचल जल संस्थान/उत्तरांचल जल निगम टोलियों में आच्छादित किए जानी वाली परियोजनाओं/ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता को निर्धारित करेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसे परियोजना में लगी हुई सेवा एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। संलग्नक 20 के अनुसार सेक्टर कार्यक्रम के लिए दिए गए ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता/चयन गुणों के सही आकलन के आधार पर ग्राम पंचायतों को श्रेणिबद्ध किया जाएगा। निम्न शीर्षों के अनुसार गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए, जैसा की एकीकरण–चिन्हिकरण योजना की रिपोर्ट में दिया गया है, उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के जनपद प्रभागों द्वारा योजनाएं तैयार की जाएंगी।

- क्या एक नवीन परियोजना की आवश्यकता है?
- क्या बड़े पुर्नगठन की आवश्यकता है?
- क्या छोटी–मोटी मरम्मत से काम चल जाएगा?

- निर्गत : एकीकरण - चिन्हिकरण योजना

एकीकरण–चिन्हिकरण योजना के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों के प्राथमिकता/चयन गुण के साथ–साथ प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे को भी सम्मितिल किया जाएगा।

3. एकीकृत के लिए चिन्हित की गई अंतिम ग्राम पंचायत/परियोजनाओं का अनुमोदन जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को आच्छादित किए जाने के वार्षिक लक्ष्य को जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन निर्धारित करेगी।

- निर्गत : एकीकृत किए जाने वाले एकल ग्राम परियोजनाओं की सूची

6.3.3.3 सेक्टर कार्यक्रम में भागीदारी हेतु एकल ग्राम परियोजना की ग्राम पंचायतें/बहुग्रामीण परियोजना की ग्राम पंचायतों के बीच किया जाने वाला अनुबंध

जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों/परियोजनाओं के चयन के पश्चात चयनित सेवा एजेंसी/परामर्शदाता तत्काल प्रारंभिक सूचना, शिक्षा तथा संचार अभियान को परियोजना के विषय में समुदाय के बीच जागरूकता ले आने के लिए चलाएंगे। इसके अंतर्गत क्रियान्वयन दृष्टिकोण के सिद्धांत, उद्देश्य, परियोजना के विभिन्न सहयोगियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व तथा उनका उत्प्रेरण, दीवारों पर लिखावट तथा नारे इत्यादि सम्मिलित होंगे। यह अवस्था अधिक से अधिक एक माह की अवधि में पूरी कर ली जाएगी।

मांग आपूर्ति दृष्टिकोण के सिद्धांतों तथा संचालन एवं रख–रखाव की लागत में समुदाय द्वारा अंशदान देने के आधार पर सेक्टर कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए, इस जागरूकता अभियान के बाद, उपरोक्त सभी श्रेणियों के कार्य में रूचि तथा भागीदारी रखने वाली ग्राम पंचायतों से शपत पत्र लिया जाएगा। संलग्नक 21 में कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा भागीदारी करने हेतु शपत पत्र का प्रारूप दिया गया है। बहुग्रामीण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले संयुक्त शपत पत्र का प्रारूप संलग्नक 22 में दिया गया है।

- निर्गत : ग्राम पंचायतों द्वारा अनुबंधों पर हस्ताक्षर

6.3.4 परियोजन चक्र

परियोजना चक्र में परियोजना/ग्राम पंचायत के चयन से लेकर उपभोक्ताओं/ग्राम पंचायतों द्वारा संचालन तथा रख–रखाव सहयोग की समाप्ति की अवधि तक की जानकारी दी गई है। धारा 6.3.3.2 में सूचीबद्ध की गई लागत की तीनों श्रणियों के विषय में परियोजना चक्र का विवरण दिया गया है। उपरोक्त धारा में नीचे दी गई पूर्व नियोजन अवस्था गतिविधियों को पहले ही परियोजना चिन्हिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत वर्णित किया जा चुका है। इनको पुनः दोहराने का मुख्य कारण समयावधि को याद दिलाने के लिए किया जा रहा है।

नियोजन तथा क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों के एकल/समूह के परियोजना चक्र के क्रियान्वयन गतिविधियों को लागू करने के लिए जनपद स्तर पर एक सहयोगी संस्था को लगाया जा सकता है। सहयोगी संस्था तथा जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन के बीच नियोजन अवस्था अनुबंध को संलग्नक 23 में प्रस्तुत किया गया है। यह सहयोगी संस्था समुदाय उत्प्रेरण तथा सॉफ्टवेयर गतिविधियों के अतिरिक्त साम्य मूल्यांकन भी करेगी जिसमें तकनीकी विकल्पों का विश्लेषण तथा चयन किए गए तकनीकी विकल्प के डिजाइन का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा।

निर्माण कार्य की देख–रेख तथा सुविधा एवं मानीटरीकरण हेतु एक अलग स्वतंत्र तीसरी पार्टी सहयोगी एजेंसी को जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन लगा सकती है।

विभिन्न श्रेणियों के नए निवेश की परियोजना चक्र अवधि तथा उनसे संबंधित विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को नीचे दर्शाया गया है :

श्रेणी	**क्रियान्वयन एजेंसी**	**परियोजना चक्र अवधि**
1. वे एकल ग्राम परियोजनाएं तथा साधारण बहुग्रामीण परियोजनाएं जोकि जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा तकनीकी तथा संस्थागत ढंग से चलाए जाने के लिए साम्यक है।	परियोजना प्रबंधन इकाई/ जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई	18 से 30 महीने (औसत 24 महीने)
2. वृहद बहुग्रामीण परियोजनाएं जो उत्तरांचल जल निगम द्वारा चलाई जा रही है तथा कुछ वे बहुग्रामीण परियोजनाएं जिन्हें उत्तराचंल जल संस्थान द्वारा पुर्नगठित किए जाने की आवश्यकता है।	उत्तराचंल जल निगम/ उत्तराचंल जल संस्थान	24–42 महीने (औसत 30 महीने)
3. उत्तराचंल जल संस्थान तथा उत्तरांचल जल निगम के अंतर्गत मौजूद परियोजनाओं (मुख्यतः एकल ग्राम परियोजना) का पंचायती राज संस्थाओं में एकीकरण।		
अ. वे जो उत्तरांचल जल निगम के अंतर्गत हैं	उत्तराचंल जल निगम	12 महीने
ब. वे जो उत्तरांचल जल संस्थान के अतर्गत हैं	उत्तराचंल जल संस्थान	18 महीने

6.3.4.1 श्रेणी 1 के लिए परियोजना चक्र

वे एकल ग्राम परियोजनाएं तथा साधारण बहुग्रामीण परियोजनाएं जोकि जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा तकनीकी तथा संस्थागत ढंग से चलाए जाने के योग्य है उनमें निम्नलिखित प्रावस्थाएं होंगी।

1. पूर्व नियोजन प्रावस्था – 2 महीने

2. नियोजन प्रावस्था	–	6 महीने
3. क्रियान्वयन प्रावस्था	–	चयन की गई तकनीक की किस्म पर निर्भर रहते हुए 6 से 18 महीने
4. संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था	–	4 महीने
योग	–	18 से 30 महीने

ये परियोजनाएं जिनका पुर्नगठन आवश्यक है (जोकि आशिंक रूप से चल रही परियोजनाएं हैं) उनके लिए क्रियान्वयन हेतु कम समय लगेगा। नलकूप तथा ओवर हैड टैंक तकनीक वाली परियोजनाओं जिनका चयन समुदाय द्वारा किया जाएगा तथा फैली हुई, अधिक आबादी वाले गांव जहां स्त्रोत से लंबी गुरूत्व आपूर्ति होती है, वहां क्रियान्वयन की अवधि 12 महीने से अधिक हो सकती है।

पूर्व नियोजन प्रावस्था (2 महीने)

पूर्व नियोजना प्रावस्था के मुख्य उत्पाद निम्न प्रकार होंगे :

- कार्यक्रम ग्रामों में प्रारंभिक सूचना शिक्षा तथा संचार हेतु सेवा एजेंसी/परामर्शदाता का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर)
- सहयोगी संस्था का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर) सहयोगी संस्था को लिए जाने वाले का प्रारूप संलग्नक 18 में दिया गया है।
- सेवा एजेंसी का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर)
- ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता/चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर) ग्राम पंचायतों के चयन संबंधी पूर्व साम्यकता प्रारूप को संलग्नक 24 में प्रस्तुत किया गया है।
- एकीकरण–चिन्हिकरण योजना की तैयारी

ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात चयनित सेवा एजेंसी/परामर्शदाता तत्काल प्रारंभिक सूचना, शिक्षा तथा संचार अभियान को परियोजना के विषय में समुदाय के बीच जागरूकता ले आने के लिए चलाएंगे। इसके अंतर्गत क्रियान्वयन दृष्टिकोण के सिद्धांत, उद्देश्य, परियोजना के विभिन्न सहयोगियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व तथा उनका उत्प्रेरण, दीवारों पर लिखावट तथा नारे इत्यादि सम्मिलित होंगे। यह अवस्था अधिक से अधिक एक माह की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। उसके पश्चात सहभागी ग्राम पंचायतों एकीकरण चिन्हिकरण योजना की पुष्टि करेंगी।

नियोजन प्रावस्था : (6 माह)

नियोजना प्रावस्था के मुख्य उत्पाद निम्न प्रकार होंगे :

- समुदाय का उत्प्रेरण, सहभागिता का नियोजना तथा आत्मसम्मान सामुदायिक शक्ति रचनात्मकता रणनीति दायित्व उपादानों का प्रयोग समस्याओं की गवेष्णा तथा विश्लेषण।
- साफ–सफाई तथा पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता–सीमित विधियों से।
- ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जाने वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं की संख्या के आधार पर उपभोक्ता समूहों की पहचान तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों का गठन।

- समुदाय विकास, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति परियोजनाओं की साम्यकता तथा डिजाइन, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण, लेखा इत्यादि से संबंधित सहयोगी संस्थाओं/ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण–समिति विधियों से।
- अलग–अलग उपभोक्ता समूहों के लिए तकनीकी विकल्पों की पहचान, साम्यकता विश्लेषण तथा कार्य करने के लिए तैयारी की आवश्यकताओं को पूरा करना। तकनीकी मेनुअल से साम्यकता खंड में साम्यकता प्रारूप का ब्यौरा दिया गया है।
- प्रत्येक उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा समुदाय कार्ययोजना को तैयार करना। तकनीकी मेनुअल के डिजाइन खंड में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रारूप का ब्यौरा दिया गया है।
- नियोजना प्रावस्था के अंत तक नगदी के 50 प्रतिशत का संग्रह तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों के संचालन तथा रख–रखाव हेतु समुदाय के अंशदान के 50 प्रतिशत नगद को इक्ठ्टा करना।
- क्रियान्वयन प्रावस्था के प्रस्ताव तथा क्रियान्वयन प्रावस्था के चौहरे अनुबंध को तैयार करना। क्रियान्वयन प्रावस्था के चौहरो अनुबंध को संलग्नक 25 में दिया गया है।

टिप्पणी : पर्यावरण स्वच्छता गतिविधियों को नियोजन प्रावस्था में ही प्रारंभ कर दिया जाएगा और वे संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था तक चलती रहेगी। स्वच्छता गतिविधियों का नियोजन नियोजन प्रावस्था में जल आपूर्ति गतिविधियों के साथ–साथ किया जाएगा। साम्यकता रिपोर्ट तथा वित्तीय परियोजना रिपोर्ट दोनों में स्वच्छता कार्य तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमों को, यदि आवश्यकता पड़ी तो, सम्मिलित किया जाएगा। इन कार्यों के नियोजना की प्रक्रिया को इस मेनुअल जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा कार्यक्रम प्रबंधन के अध्याय (अध्याय 12) में प्रस्तुत किया गया है।

नियोजन प्रावस्था के उत्पाद

- **स्वीकृत साम्यकता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**
- **क्रियान्वयन प्रावस्था प्रस्ताव**

निरूपकता तथा स्वीकृति

परियोजना की निरूपकता तथा स्वीकृति की प्रक्रिया धारा 6.3.6 में दी गई है। जैसे ही परियोजना स्वीकृत कर जाती है उसके लिए राशि निर्गत कर ली जाएगी। राशि के निर्गत करने की प्रक्रिया को इस मेनअुल के अध्याय 10 (वित्तीय प्रबंधन दिशा–निर्देश) में दिया गया है।

क्रियान्वयन प्रावस्था (6–18 महीने)

सहयोगी संस्थाएं जोकि नियोजन प्रावस्था में लगाई गई थी वे क्रियान्वयन प्रावस्था में भी अपने कार्य को जारी रखेंगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नियोजन प्रावस्था में उनका कार्य संतोषजनक था या नहीं। सहयोगी संस्थाओं को प्रशिक्षण तथा सॉफ्टवेयर गतिविधियों के लिए भी लगाया जाएगा।

क्रियान्वयन प्रावस्था की मुख्य गतिविधियां तथा उसके लाभ निम्न प्रकार होंगे :

- जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा तैनात किए गए समुदाय इंजीनियर के माध्यम से ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण, पर्यावरण स्वच्छता कार्य तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्य।
- स्वतंत्र तीसरी पार्टी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य की सेवा एजेंसी द्वारा देखभाल तथा राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन/जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा सुविधा तथा मानीटरीकरण का कार्य।
- नगद अंशदान के शेष 50 प्रतिशत का संग्रह जोकि पूंजी लागत में दिए जाने वाले मजदूरी के अंशदान के अतिरिक्त होगा। जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों के लिए समुदाय द्वारा दिए जाने वाले संचालन तथा रख–रखाव अंशदान के 50 प्रतिशत शेयर को क्रियान्वयन प्रावस्था के अंत तक एकत्र करना।
- ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों के सदस्यों के लिए समुदायिक विकास, स्वास्थ्य, महिला विकास पहल, बुककीपिंग, संचालन तथा रख–रखाव (तकनीकी, संस्थागत, वित्तीय) इत्यादि के लिए प्रशिक्षण। ये गतिविधियां नियोजन प्रावस्था के सहयोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।
- क्रियान्वयन प्रावस्था पूर्णता रिपोर्ट को तैयार करना जिसका फोर्मेट तकनीकी मेनुअल में दिया गया है।

– तकनीकी प्रावस्था का निर्गत : क्रियान्वयन प्रावस्था पूर्णता रिपोर्ट

संचालन तथा रख-रखाव प्रावस्था (4 महीने)

पर्यावरण स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण की गतिविधियां संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था में भी जारी रहेंगी।

संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था को ठीक ढंग से रखने के लिए जल आपूर्ति परियोजना के प्रारंभ होने के पश्चात 4 महीने की अवधि तक परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंध इकाईयां उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। इस प्रावस्था के लिए सहयोगी संस्था को किराय पर नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के स्तर पर प्रशिक्षण का कार्य जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों द्वारा किया जाएगा। संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था में तकनीकी, वित्तीय तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा। संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था को ठीक ढंग से स्थापित करने के पश्चात तथा अनुबंध में दिए गए सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के पश्चात जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई औपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों से हट जाएगी। हटने की रणनीति का ब्यौरा संलग्नक 26 में दिया गया है।

6.3.4.2 श्रेणी 2 के लिए परियोजना चक्र

उत्तरांचल जल निगम द्वारा चलाई जाने वाली वृहद बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए परियोजना चक्र तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा कुछ बहुग्रामीण परियोजनाओं के पुर्नगठन के लिए निम्नलिखित प्रावस्थाएं होंगी।

1. पूर्व नियोजन प्रावस्था	–	2 महीने
2. नियोजन प्रावस्था	–	6 महीने
3. क्रियान्वयन प्रावस्था	–	चयन की गई तकनीक की किस्म पर निर्भर रहते हुए 12 से 30 महीने
4. संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था	–	4 महीने
योग	–	24 से 42 महीने

बहुग्रामीण परियोजना के तकनीक, आच्छादित किए जाने वाले विभिन्न वासस्थलों की संख्या तथा दूरी, कार्यभार तथा आव''यक निवे''ा पर क्रियान्वयन प्रावस्था निर्भर करेगी जिससे की चालू परियोजनाओं को क्रियान्वित रखा जाए इसमें निम्नलिखित श्रेणियां होंगी –

- एक नवीन बहुग्रामीण परियोजना की आव''यकता।
- प्रमुख पुर्नगठन की आव''यकता।
- छोटी–मोटी मरम्मत उपयुक्त होगी।

ये परियोजनाएं जिनमें छोटी–मोटी मरम्मत आवश्यक है (जोकि आशिंक रूप से चल रही परियोजनाएं हैं) उनके लिए 6 महीने का समय उपयुक्ता होगा। नलकूप तथा ओवर हैड टैंक तकनीक वाली परियोजनाओं जिनका चयन समुदाय द्वारा किया जाएगा तथा फैली हुई, अधिक आबादी वाले गांव जहां स्त्रोत से लंबी गुरूत्व आपूर्ति होती है, वहां क्रियान्वयन की अवधि अधिक हो सकती है।

पूर्व नियोजन प्रावस्था (2 महीने)

पूर्व नियोजना प्रावस्था के मुख्य उत्पाद निम्न प्रकार होंगे :

- कार्यक्रम ग्रामों में प्रारंभिक सूचना शिक्षा तथा संचार हेतु सेवा एजेंसी/परामर्शदाता का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर)
- सहयोगी संस्था का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर) सहयोगी संस्था को लिए जाने वाले का प्रारूप संलग्नक 18 में दिया गया है।
- सेवा एजेंसी का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर)
- ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता/चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर) ग्राम पंचायतों के चयन संबंधी पूर्व साम्यकता प्रारूप को संलग्नक 24 में प्रस्तुत किया गया है।
- बहुग्रामीण परियोजना के लिए वासस्थलों/ग्राम पंचायतों के समूहों को अंतिम रूप देना।

ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात चयनित सेवा एजेंसी/परामर्शदाता तत्काल प्रारंभिक सूचना, शिक्षा तथा संचार अभियान को परियोजना के विषय में समुदाय के बीच जागरूकता ले आने के लिए संबंधित बहुग्रामीण परियोजना के अंतर्गत आच्छादित होने वाले ग्राम पंचायतों में चलाएंगे। इसके अंतर्गत क्रियान्वयन दृष्टिकोण के सिद्धांत, उद्देश्य, परियोजना के विभिन्न सहयोगियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व तथा उनका उत्प्रेरण, दीवारों पर लिखावट तथा नारे इत्यादि सम्मिलित होंगे। यह अवस्था अधिक से अधिक दो माह की अवधि में पूरी कर ली जाएगी।

नियोजन प्रावस्था : (6 महीने)

नियोजना प्रावस्था की प्रमुख गतिविधियां तथा उत्पाद निम्न होंगे :

समुदाय का उत्प्रेरण, सहभागिता नियोजन तथा आत्मसम्मान सामुदायिक शक्ति रचननात्मकता रणनीति दायित्व उपदानों का प्रयोग, बहुग्रामीण परियोजना के अंतर्गत आच्छादित होने वाले सभी भागीदार ग्राम पंचायतों की समस्या की गवेष्णा तथा वि''लेषण।

- साफ–सफाई तथा पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता–सीमित विधियों से।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपभोक्ता समूहों की पहचान तथा उपभोक्ता जल आपूर्ति तथा स्वच्छता उपसमितियों का गठन।

- विभिन्न उपभोक्ता जल आपूर्ति तथा स्वच्छता समितियों के लिए बहुग्राम परियोजना स्तरीय समिति का गठन जिससे की व्यक्तिगत उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके और बहुग्रामीण परियोजना का प्रबंधन हो सके।
- समुदाय विकास, स्वास्थ्य, तथा बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजनाओं की साम्यकता तथा डिजाइन, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण, लेखा इत्यादि से संबंधित सहयोगी संस्थाओं/ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों के परिसंघ (फेडरे"ान) के सदस्यों का प्रशिक्षण–समिति विधियों से।
- अलग–अलग उपभोक्ता समूहों तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियोंा के फेडरे"ान के लिए तकनीकी विकल्पों की पहचान, साम्यकता विश्लेषण तथा कार्य करने के लिए तैयारी की आवश्यकताओं को पूरा करना। तकनीकी मेनुअल के साम्यकता खंड में साम्यकता प्रारूप का ब्यौरा दिया गया है।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा समुदाय कार्ययोजना को तैयार करना। इसमें पूरी बहुग्रामीण परियोजना का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा प्रत्येक उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के लिए अंतरा ग्राम वितरण हेतु अलग से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें सम्मिलित होंगी। तकनीकी मेनुअल के डिजाइन खंड में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रारूप का ब्यौरा दिया गया है।
- नियोजना प्रावस्था के अंत तक नगदी का संग्रह तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों के संचालन तथा रख–रखाव हेतु समुदाय के अंशदान को उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के माध्यम से उपभोक्ता समितियों के फटरे"ान द्वारा इक्ट्ठा करना।
- क्रियान्वयन प्रावस्था के प्रस्ताव तथा क्रियान्वयन प्रावस्था के चौहरे अनुबंध को तैयार करना। क्रियान्वयन प्रावस्था के चौहरो अनुबंध को संलग्नक 25 में दिया गया है।

टिप्पणी : पर्यावरण स्वच्छता गतिविधियों को नियोजन प्रावस्था में ही प्रारंभ कर दिया जाएगा और वे संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था तक चलती रहेगी। स्वच्छता गतिविधियों का नियोजन नियोजन प्रावस्था में जल आपूर्ति गतिविधियों के साथ–साथ किया जाएगा। साम्यकता रिपोर्ट तथा वित्तीय परियोजना रिपोर्ट दोनों में स्वच्छता कार्य तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमों को, यदि आवश्यकता पड़ी तो, सम्मिलित किया जाएगा। इन कार्यों के नियोजन की प्रक्रिया को इस मेनुअल जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा कार्यक्रम प्रबंधन के अध्याय (अध्याय 12) में प्रस्तुत किया गया है।

निरूपकता तथा स्वीकृति

परियोजना की निरूपकता तथा स्वीकृति की प्रक्रिया धारा 6.3.6 में दी गई है। जैसे ही परियोजना स्वीकृत कर जाती है उसके लिए राशि निर्गत कर ली जाएगी। राशि के निर्गत करने की प्रक्रिया को इस मेनअुल के अध्याय 10 (वित्तीय प्रबंधन दिशा–निर्देश) में दिया गया है।

नियोजन प्रावस्था के उत्पाद :

- **स्वीकृत साम्यकता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**
- **क्रियान्वयन प्रावस्था प्रस्ताव**

क्रियान्वयन प्रावस्था (12–30 महीने)

सहयोगी संस्थाएं जोकि नियोजन प्रावस्था में लगाई गई थी वे क्रियान्वयन प्रावस्था में भी अपने कार्य को जारी रखेंगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नियोजन प्रावस्था में उनका कार्य संतोषजनक था या नहीं। सहयोगी संस्थाओं को प्रशिक्षण तथा सॉफ्टवेयर गतिविधियों के लिए भी लगाया जाएगा।

क्रियान्वयन प्रावस्था की निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां तथा उत्पाद होंगे –

- उत्तरांचल पेयजल जल निगम, बहुग्राम परियोजना स्तर समिति तथा जनपद जल तथा स्वच्छता समिति के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाएगा। यह अनुबंध बहुग्रामीण परियोजना के शीर्ष कार्यों से संबंधित सामान्य सम्पत्तियों के निर्माण, मुख्य आपूर्ति तथा प्रत्येक आच्छादित होने वाले ग्राम तक मुख्य वितरण प्रणाली के संबंध में होगा। प्रस्तावित अनुबंध को संलग्नक 27 में प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों द्वारा समुदाय इंजीनियर के माध्यम से अंतरा ग्राम जल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण, पर्यावरण तथा स्वच्छता कार्य एवं जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण का कार्य किया जाएगा।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों के संचालन तथा रख–रखाव हेतु समुदाय द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के शेष नगदी/मजदूरी को व्यक्तिगत उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों से एकत्र करना।
- ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों तथा फेडरे"ान के सदस्यों के लिए समुदायिक विकास, स्वास्थ्य, महिला विकास पहल, बुककीपिंग, संचालन तथा रख–रखाव (तकनीकी, संस्थागत, वित्तीय) इत्यादि के लिए प्रशिक्षण। ये गतिविधियां नियोजन प्रावस्था के सहयोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।
- क्रियान्वयन प्रावस्था पूर्णता रिपोर्ट को तैयार करना।

संचालन तथा रख-रखाव प्रावस्था (4 महीने)

पर्यावरण तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियां संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था में भी जारी रहेंगी।

संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था को ठीक ढंग से रखने के लिए जल आपूर्ति परियोजना के प्रारंभ होने के पश्चात सेक्टर संस्थाएं बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। इस प्रावस्था के लिए सहयोगी संस्था को किराय पर नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति/बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति के स्तर पर प्रशिक्षण का कार्य सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था में तकनीकी, वित्तीय तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा। संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था को ठीक ढंग से स्थापित करने के पश्चात तथा अनुबंध में दिए गए सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के पश्चात उत्तरांचल जल निगम जल आपूर्ति की सम्पत्तियों को उत्तरांचल जल संस्थान को सौंप देगा और औपचारिक रूप से संबंधित ग्राम पंचायत से हट जाएगा। हटने की रणनीति का ब्यौरा संलग्नक 26 में दिया गया है। व्यक्गित उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां अपने से संबंधित उपभोक्ता समूहों से संचालन तथा रख–रखाव शुल्क को एकत्र करेंगी इस प्रकार से एकत्र राजस्व के एक हिस्से को बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समितियों द्वारा बहुग्रामीण परियोजनओं के समान्य सम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु उत्तरांचल जल संस्थान को दिया जाएगा। शेष बची रा"ी का उपयोग उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों द्वारा अपने से संबंधित अंतरा ग्राम जल आपूर्ति कार्यों के संचालन तथा रख–रखाव के लिए उपयोग किया जाएगा।

संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था के प''चात उत्तरांचल जल संस्थान, बहुग्राम परियोजना स्तरीय समिति तथा जनपद जल तथा स्वच्छता समिति के मध्यम से अनुबंध किया जाएगा। यह अनुबंध बहुग्रामीण परियोजना के शीर्ष कार्यों के सामान्य सम्पत्तियों के संचालन तथा रख–रखाव, मुख्य आपूर्ति, आच्छादित किए जाने वाले प्रत्येक ग्राम तक वितरण प्रणाली के संबंध में होगा। प्रस्तावित अनुबंध को संलग्नक 28 में प्रस्तुत किया गया है।

6.3.4.3 श्रेणी 3 के लिए परियोजना चक्र

उत्तरांचल जल संस्थान तथा उत्तरांचल जल निगम द्वारा संचालित की जाने वाली मौजूदा परियोजनाओं (अधिकां''ा एकल ग्राम परियोजनाएं) के सेक्टर कार्यक्रम हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने से संबंधित परियोजना चक्र में निम्नलिखित अवस्थाएं होंगी।

		उत्तरांचल जल निगम द्वारा		उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा
1. पूर्व नियोजन प्रावस्था	–	2 महीने	–	2 महीने
2. नियोजन प्रावस्था	–	6 महीने	–	3 महीने
3. क्रियान्वयन प्रावस्था	–	6 महीने	–	3 महीन
4. संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था	–	4 महीने	–	4 महीने
योग	–	18 महीने	–	12 महीने

संचालन तथा रख–रखाव के लिए उत्तरांचल जल संस्थान के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के विषय में इस विभाग को इनकी स्थितियों के विषय में पूरी जानकारी है और यह भी मालूम है कि इनके पुर्नगठन/पुर्नवास की कितनी आव''यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पूर्व नियोजन प्रावस्था में लगने वाली अवधि को कम किया जा सकता है।

संचालन तथा रख–रखाव के लिए उत्तरांचल पेयजल जल निगम के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं अपेक्षाकृत नवीन है और इनको पूर्ण रूप से चालू करने के लिए कम से कम धन की लागत की आव''यकता होगी। इसको ध्यान में रखते हुए परियोजना चक्र की अवधि को कम कर दिया गया है।

पूर्व नियोजन प्रावस्था (2 महीने)

पूर्व नियोजन प्रावस्था के मुख्य उत्पाद निम्न प्रकार होंगे–

- कार्यक्रम ग्रामों में प्रारंभिक सूचना शिक्षा तथा संचार हेतु सेवा एजेंसी/परामर्शदाता का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर)
- सहयोगी संस्था का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर) सहयोगी संस्था को लिए जाने वाले का प्रारूप संलग्नक 18 में दिया गया है।
- सेवा एजेंसी का चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर)
- ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता/चयन (जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन/राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर) ग्राम पंचायतों के चयन संबंधी पूर्व साम्यकता प्रारूप को संलग्नक 24 में प्रस्तुत किया गया है।

ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात चयनित सेवा एजेंसी/परामर्शदाता तत्काल प्रारंभिक सूचना, शिक्षा तथा संचार अभियान को परियोजना के विषय में समुदाय के बीच जागरूकता ले आने के लिए चलाएंगे। इसके अंतर्गत क्रियान्वयन दृष्टिकोण के सिद्धांत, उद्देश्य, परियोजना के विभिन्न सहयोगियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व तथा

उनका उत्प्रेरण, दीवारों पर लिखावट तथा नारे इत्यादि सम्मिलित होंगे। यह अवस्था अधिक से अधिक एक माह की अवधि में पूरी कर ली जाएगी।

नियोजन प्रावस्था : (6 महीने)

नियोजना प्रावस्था के मुख्य उत्पाद निम्न प्रकार होंगे :

- समुदाय का उत्प्रेरण, सहभागिता का नियोजना तथा आत्मसम्मान सामुदायिक शक्ति रचनात्मकता रणनीति दायित्व उपादानों का प्रयोग समस्याओं की गवेष्णा तथा विश्लेषण।
- साफ–सफाई तथा पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता–सीमित विधियों से।
- ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जाने वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं की संख्या के आधार पर उपभोक्ता समूहों की पहचान तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों का गठन।
- समुदाय विकास, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति परियोजनाओं की साम्यकता तथा डिजाइन, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण, लेखा इत्यादि से संबंधित सहयोगी संस्थाओं/ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण–समिति विधियों से।
- अलग–अलग उपभोक्ता समूहों के लिए तकनीकी विकल्पों की पहचान, साम्यकता विश्लेषण तथा कार्य करने के लिए तैयारी की आवश्यकताओं को पूरा करना। तकनीकी मेनुअल से साम्यकता खंड में साम्यकता प्रारूप का ब्यौरा दिया गया है।
- प्रत्येक उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा समुदाय कार्ययोजना को तैयार करना। तकनीकी मेनुअल के डिजाइन खंड में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रारूप का ब्यौरा दिया गया है।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों के संचालन तथा रख–रखाव हेतु समुदाय के अंशदान के नगदी का संग्रह।
- क्रियान्वयन प्रावस्था के प्रस्ताव तथा क्रियान्वयन प्रावस्था के चौहरे अनुबंध को तैयार करना। क्रियान्वयन प्रावस्था के चौहरे अनुबंध को संलग्नक 25 में दिया गया है।

टिप्पणी : पर्यावरण स्वच्छता गतिविधियों को नियोजन प्रावस्था में ही प्रारंभ कर दिया जाएगा और वे संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था तक चलती रहेगी। स्वच्छता गतिविधियों का नियोजन नियोजन प्रावस्था में जल आपूर्ति गतिविधियों के साथ–साथ किया जाएगा। साम्यकता रिपोर्ट तथा वित्तीय परियोजना रिपोर्ट दोनों में स्वच्छता कार्य तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमों को, यदि आवश्यकता पड़ी तो, सम्मिलित किया जाएगा। इन कार्यों के नियोजना की प्रक्रिया को इस मेनुअल जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा कार्यक्रम प्रबंधन के अध्याय (अध्याय 12) में प्रस्तुत किया गया है।

नियोजन प्रावस्था के उत्पाद

- **स्वीकृत साम्यकता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**
- **क्रियान्वयन प्रावस्था प्रस्ताव**

निरूपकता तथा स्वीकृति

परियोजना की निरूपकता तथा स्वीकृति की प्रक्रिया धारा 6.3.6 में दी गई है। जैसे ही परियोजना स्वीकृत कर जाती है उसके लिए राशि निर्गत कर ली जाएगी। राशि के निर्गत करने

की प्रक्रिया को इस मेनअुल के अध्याय 10 (वित्तीय प्रबंधन दिशा–निर्देश) में दिया गया है।

क्रियान्वयन प्रावस्था (6 महीने)

सहयोगी संस्थाएं जोकि नियोजन प्रावस्था में लगाई गई थी वे क्रियान्वयन प्रावस्था में भी अपने कार्य को जारी रखेंगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नियोजन प्रावस्था में उनका कार्य संतोषजनक था या नहीं। सहयोगी संस्थाओं को प्रशिक्षण तथा सॉफ्टवेयर गतिविधियों के लिए भी लगाया जाएगा।

क्रियान्वयन प्रावस्था की मुख्य गतिविधियां तथा उसके लाभ निम्न प्रकार होंगे :

- जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा तैनात किए गए समुदाय इंजीनियर के माध्यम से ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं का पुर्नगठन/पुर्नवास, पर्यावरण स्वच्छता कार्य तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्य।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों के लिए समुदाय द्वारा दिए जाने वाले संचालन तथा रख–रखाव अंशदान के शेष नगदी/मजदूरी को एकत्र करना।
- ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों के सदस्यों के लिए समुदायिक विकास, स्वास्थ्य, महिला विकास पहल, बुककीपिंग, संचालन तथा रख–रखाव (तकनीकी, संस्थागत, वित्तीय) इत्यादि के लिए प्रशिक्षण। ये गतिविधियां नियोजन प्रावस्था के सहयोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।
- क्रियान्वयन प्रावस्था पूर्णता रिपोर्ट को तैयार करना।

संचालन तथा रख-रखाव प्रावस्था (4 महीने)

पर्यावरण तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियां संचालन तथा रख–रखाव प्रावस्था में भी जारी रहेंगी।

संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था को ठीक ढंग से रखने के लिए जल आपूर्ति परियोजना के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तरांचल जल संस्थान के जनपद प्रखंड उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। इस प्रावस्था के लिए सहयोगी संस्था को किराय पर नहीं दिया जाएगा। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया जाएगा। संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था में तकनीकी, वित्तीय तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा। संचालन तथा रख–रखाव व्यवस्था को ठीक ढंग से स्थापित करने के पश्चात तथा अनुबंध में दिए गए सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के पश्चात उत्तरांचल जल संस्थान ग्राम पंचायतों से औपचारिक रूप से हट जाएगा। हटने की रणनीति का ब्यौरा संलग्नक 26 में दिया गया है।

6.3.5 पृर्श्व क्रियान्वयन सहयोग

उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान समितियों को आव''यकता पड़ने पर तकनीकी साहयोग प्रदान करेंगी, वि''ौष रूप से आपातकाल स्थितियों में।

6.3.6 निरूपकता तथा परियोजनाओं की स्वीकृति

निरूपकता की प्रक्रिया को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि इसमें परियोजना की दीर्घकालिकता को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सुनि"चित किया जा सके और समुदाय की सहभागिता को भरपूर रूप से लिया जा सके।

गैर-समझौते की स्थिति

परियोजनाओं के निरूपकता हेतु गैर समझौते निम्न प्रकार होंगे–

1. उत्तरांचल सरकार की नीतियों के अनुसार पूंजी लागत में भागीदारी
2. एकल ग्राम परियोजना के संचालन तथा रख–रखाव का 100 प्रति"ात तथा उत्तरांचल सरकार की नीतियों के अनुसार बहुग्रामीण परियोजना के संचालन तथा रख–रखाव की लागत में आं"िाक भागीदारी
3. जल आपूर्ति, स्वच्छता तथ जलग्रहण का एकीकरण
4. खुले में शौच से स्वतंत्र ग्रामों हेतु प्रतिबद्धता
5. एकल ग्राम परियोजना/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों का गठन तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति का गठन।
6. मौजूदा जल आपूर्ति परियोजनाओं का तकनीकी रूप से साम्यक पुर्नरूधार
7. प्रस्तावित स्त्रोत सदाबहार तथा अविवादित इत्यादि हैं

माध्यमिक निरूपकता मानदंड

क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निम्नलिखित माध्यमिक मानदंडों को सुनि"चित किया जाएगा तथा इनका निरूपण निरूपकता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

नियोजन प्रावस्था

1. उपभोक्ता समूहों का गठन। यह सुनि"चित किया जाना की उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां/ बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समिति का गठन प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ है। साथ ही साथ इन समितियों का गठन संस्थाओं की आव"यकता तथा तकनीकी विकल्पों के आधार पर भी किया जाएगा।
2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसे समुदाय की खुली बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया हो उसमें किए जाने वाले कार्यों को पूरा करना।
3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तकनीकी मेनुअल में दिए गए डिजाइन गुणों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
4. यह सुनि"चित करना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अंतर्गत एकीकृत जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण संरक्षण, स्वास्थ्य तथा सफाई का नियोजन किया गया है। प्रस्तावित योजना लागत दि"ाा–निर्दे"ाों के अनुसार तैयार की गई है। इसकी जांच करना भी समुदाय की भागीदारी संतोषजनक है।
5. समुदाय द्वारा अं"ादान के अपर्फट नगदी का 1 प्रति"ात एकत्र किया गया है और संचालन तथा रख–रखाव के वार्षिक लागत का 50 प्रति"ात एकत्र किया गया है।

क्रियान्वयन प्रावस्था

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण, पर्यावरण स्वच्छता कार्य तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्य किए जाएंगे।

2- स्वतंत्र तीसरी पार्टी द्वारा निर्माण की देखभाल करनी वाली सेवा एजेंसी के लिए की गई टिप्पणी को पूरा करना।

3. समुदाय के अं''ादान के नगद के शेष 50 प्रति''ात को एकत्र करना। यह पूंजी लागत साझेदारी में दिए जाने वाले मजदूरी अं''ादान के अतिरिक्त होगा। क्रियान्वयन प्रावस्था के अंत तक जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्य के संचालन तथा रख–रखाव हेतु समुदाय के अं''ादान के 50 प्रति''ात नगदी को एकत्र करना।

4. ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों/बहुग्रामीण परियोजना स्तरीय समितियों के सदस्यों के लिए समुदायिक विकास, स्वास्थ्य, महिला विकास पहल, बुककीपिंग, संचालन तथा रख–रखाव (तकनीकी, संस्थागत, वित्तीय) इत्यादि के लिए प्रशिक्षण कार्य को पूरा करना।

5. क्रियान्वयन प्रावस्था पूर्णता रिपोर्ट को तैयार करना।

संचालन तथा रख-रखाव प्रावस्था

1. ग्राम पंचायतों में दीर्घकालिकता मूल्यांकन अभ्यास को चलाना तथा ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों/बहुग्रामीण स्तरीय समितियों के सदस्यों को जानकारी प्रदान करना।
2. दि''ाा–निर्दे''ाों के अनुसार रोकथाम तथा रख–रखाव को करना।
3. ग्राम रख–रखाव कार्यकर्ता द्वारा नियमित रूप से क्लोरिनीकरण के कार्य को किया जाना।
4. परियोजना के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्त्रोत के जल की गुणवत्ता को नियमित रूप से जांचते रहना।
5. उपभोक्ता को नियमित रूप से बिल देना और उसे एकत्र करना।
6. ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों/बहुग्रामीण स्तरीय समितियों के सदस्यों की नियमिति बैठक को आयोजित करना और बैठक की कार्यवाही को ठीक ढंग से रिकोर्ड करना और उन पर समय से कार्यवाही करना।

महत्वपूर्ण तकनीकी मुद्दों को संलग्नक 29 में प्रस्तुत किया गया है।

निरूपकता तथा स्वीकृति प्रक्रिया

मूल रूप से दो प्रकार की परियोजनाओं यथा एकल ग्राम परियोजना तथा बहुग्रामीण परियोजना पर कार्य किया जाएगा। इसमें यह तथ्य कोई महत्व नहीं रखता कि वासस्थल छूटी हुई श्रेणी में आते हैं या परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को दे दिया जाएगा। निरूपकता तथा स्वीकृति की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी।

एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए

साम्यकता अध्ययनों तथा पूरे किए जाने वाले कार्य के लिए लिए गए निर्णयों के आधार पर संबंधित उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के लिए जल आपूर्ति के तकनीकी विकल्पों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस चयनित तकनीकी विकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहयोगी संस्था/सुविधादायी एजेंसी–जनपद परियोजना इकाई, उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के जनपर प्रखंडों द्वारा तैयार की जाएगी।

जनपद स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति इन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का निरूपण करेगी और इसके लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेगा। इसके प''चात प्र''ाासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति जनपद जल तथा स्वच्छता समिति/जनपद तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा वर्ष के लिए उपलब्ध रा''ि के अनुसार दिया जाएगा।

सभी एकल ग्राम परियोजनाओं की स्वीकृति जनपद स्तर पर की जाएगी। चाहें इस परियोजना की लागत या सुविधादायी एजेंसी कुछ भी हो।

बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए

साम्यकता अध्ययनों तथा पूरे किए जाने वाले कार्य के लिए लिए गए निर्णयों के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के लिए जल आपूर्ति के तकनीकी विकल्पों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस चयनित तकनीकी विकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के जनपद प्रखंडों द्वारा तैयार की जाएगी।

जनपद स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति इन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का निरूपण करेगी और इसके लिए तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान करेगी। इसके प’’चात प्र’’ाासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध रा’’ि तथा बहुग्रामीण परियोजना के पूंजी लागत के आधार पर निम्नलिखित ढंग से दी जाएगी।

50 लाख रूपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्र’’ाासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति संबंधित जनपद जल तथा स्वच्छता समिति/जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान द्वारा दी जाएगी। 50 लाख रूपए से अधिक और 100 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के तकनीकी प्र’’ाासनिक तथा वित्तीय स्वीकृतियां राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान द्वारा दी जाएंगी। वे परियोजनाएं जिनकी लागत 100 लाख रूपए से 500 लाख रूपए तक होगी उनके लिए तकनीकी, प्र’’ाासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति सरकारी के स्तर पर पेयजल जल विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा दी जाएगी। जिन परियोजना की लागत 500 लाख रूपए से अधिक होगी उनके लिए तकनीकी, प्र’’ाासनिक तथा वित्तीय स्वीकृतियां वित्तीय व्यय समिति द्वारा दी जाएगी।

6.3.7 पर्श्व-संचालन तथा रख-रखाव प्रावस्था गतिविधियां

उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के जनपद प्रखंड/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयां उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों का आव’’यकता के अनुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगी, वि’’ोष रूप से आपातकाल की स्थिति में।

6.3.8 स्वीकृत घटकों के क्रियान्वयन की रीतियां

स्वीकृत किए गए कार्यक्रम पूर्ण स्वच्छता अभियान के दि’’ाा–निर्दे’’ाों तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए सरकार आदे’’ाों के अनुसार क्रियान्वित की जाएंगी। वह एजेंसी जो एक वि’’ोष ग्राम में जल आपूर्ति कर रही है वह उस ग्राम में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भी उत्तरदायी होगी। वैसे लक्ष्यों को भली–भांति प्राप्त करने के लिए उत्तरांचल सरकार क्रियान्वयन हेतु उचित व्यवस्था भी कर सकती है।

6.4 घटक स के क्रियान्वयन की व्यवस्थाएं

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (उत्तरांचल सरकार) परियोजना के घटक स का क्रियान्वयन पेयजल विभाग, परियोजना प्रबंधन इकाई, राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान, उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के माध्यम से करेगी। साथ ही साथ परियोजना के लिए आव’’यक धन, सुवधिाएं, सेवाएं तथा संसाधन समय से तथा त्वरित ढंग से प्रदान करेगी।

अध्याय 7

जल आपूर्ति परियोजनाओं के चयन तथा नियोजन की प्रक्रियाएं

7.1 पृष्ठभूमि

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को जल तथा स्वच्छता सेक्टर से संबंधित भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को सौंपने संबंधी एक निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य सरकार अपनी सेक्टर संस्थाओं यथा उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के माध्यम से ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति को सुनि''चत करती रही है। जिसमें ग्राम वासियों की भागीदारी अत्यंत अल्प रहती है। वर्तमान व्यवस्था से प्रस्तावित व्यवस्था में परिवर्तन ले आना आव''यक है। स्वजल I के अंतर्गत मांग आपूर्ति परियोजनाओं द्वारा 857 ग्रामों, को आच्छादित किया गया जबकि सेक्टर सुधार परियोजना द्वारा हरिद्वार जनपद के 89 ग्राम पंचायतों तथा 2 वन ग्रामों को आच्छादित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 में स्वजल धारा परियोजना के अंतर्गत 19 बस्तियों को आच्छादित किया गया। इन पाइलेट परियोजनाओं द्वारा हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है और इससे जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं को समुदाय सहभागिता के मॉडल पर दोहराने के लिए हमें बढ़ावा मिला है।

7.1.1 मांग आपूर्ति दृष्टिकोण का अनुमापन

राज्य में कुछ हद तक जल तथा स्वच्छता सेक्टर में जनता की भागीदारी की पहल की गई है। समुदाय सहभागिता मॉडल को दोहराने के लिए यह आव''यक है कि विभिन्न सहभागियों, वि''ोष रूप से पंचायती राज संस्थाओं, की दक्षता को और अधिक विकसित किया जाए। पहले मांग आपूर्ति दृष्टिकोण को लागू करने की प्रक्रिया पृथकत्व की स्थितियों में की गई थी, इसमें सेक्टर संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित नहीं किया गया था। इस सेक्टर कार्यक्रम के प्रारंभ में अधिकां''ा क्षेत्रों को आपूर्ति के दृष्टिकोण से आच्छादित करने का काम जारी था। जिसमें आज परिवर्तन ले आने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करने आव''यक हैं। अब जबकि सकल क्षेत्र में समरूप नीति को लागू किया जा रहा है तब पूरे सेक्टर को जल आपूर्ति, स्वच्छता जल स्त्रोत संरक्षण, स्वास्थ्य तथा सफाई की दृष्टि से पूरा का पूरा एक समझना होगा। इसमें महिलाओं की भूमिका तथा सभी सहभागियों की हिस्सेदारी समेकित की जानी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि लाभार्थी तथा सुविधा प्रदाता दोनों को सेक्टर कार्यक्रम के लिए एकीकृत करना होगा।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने संस्था व्यवस्थाएं विकसित कर ली है। जिनके विषय में अध्याय 4 में पहले ही बताया जा चुका है। राज्य सरकार का यह मानना है कि राज्य की वि''ोष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बहुग्रामीण परियोजनाओं का अधिकां''ा ग्राम क्षेत्रों में निर्माण किया जाना चाहिए। क्योंकि अधिकां''ा ग्रामों के नजदीक पीने के पानी के स्त्रोत उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार का यह भी मानना है कि जल आपूर्ति परियोजनाओं का प्रबंधन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए एकग्राम परियोजनाओं की संख्या को जहां तक हो सके बढ़ाया जाना चाहिए जिससे की इसके उत्तरदायित्व का निवर्हन आसानी से पंचायती राज संस्थाएं कर सकें। एक ग्राम परियोजनाओं की स्थिति में जनपद योजना प्रबंधन इकाई

तथा सेक्टर संस्थाएं सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगी। बहुग्रामीण परियोजनाओं की स्थिति में इन्हें निर्मित तथा चलाने का काम जल निगम/जल संस्थान करेंगे। सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में उन रीतियों को सम्मिलित किया गया है। जो इस सिद्धांत को प्रयोग में ले आने हेतु सहायक होंगी। इन रीतियों को निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित किया गया है :

7.2 राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के स्तर पर प्रकार्यात्मक प्रक्रियाएं

7.2.1 क्रियान्वयन एजेंसियों को सहायता

मध्यम अवधि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कार्यवाही राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान प्रकोष्ठ तथा परियोजना प्रबंधन इकाई की सहायता से करेगी। जिससे की जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ानों, सुविधा प्रदाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा जनपद स्तर पर मांग आपूर्ति दृष्टिकोण की मूल भावनाओं को पूरा किया जा सके। मध्यम अवधि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत निर्णय राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान द्वारा लिया जाएगा। यह यह भी सुनि’’चत करेगी कि सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त वित्तीय प्रावधान किए गए। कार्यक्रम के उद्दे’’यों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान सेक्टर संस्थाओं को उनके दायित्वों के निवर्हन हेतु हर संभव सहायता करेगी। परियोजना प्रबंधन इकाई तथा जल तथा स्वच्छता मि’’ान प्रकोष्ठ की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्वों को पहले ही अध्याय 4 में वर्णित किया जा चुका है। यहां मात्र यह जोड़ा जा रहा है कि राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान से पराम’’ा एक योजना तैयार करेगी जिससे कि सेक्टर के उद्दे’’य तथा वार्षिक लक्ष्यों को समय से प्राप्त किया जा सके।

7.2.2 पंचायती राज संस्थाओं का दक्षता विकास

परियोजना प्रबंधन इकाई पंचायती राज संस्थाओं के दक्षता विकास, प्रि’’ाक्षण, कार्य’’ााला तथा एक दूसरे के वहां आने–जाने संबंधी योजना को क्रियान्वयन हेतु तैयार करेगी। इसके लिए परियोजना प्रबंधन इकाई में स्थापित दक्षता तथा संचार विकास इकाई इन कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉक पंचायतों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर यह प्रि’’ाक्षण दिया जाएगा। दक्षता तथा संचार विकास इकाई जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों के प्रि’’ाक्षकों को भी प्रि’’ाक्षण देगी। दक्षता तथा संचार विकास इकाई पंचायती राज संस्थाओं के नए सदस्यों को भी प्रि’’ाक्षण देगी जब कभी नए चुनाव होंगे। दक्षता तथा संचार विकास इकाई द्वारा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों, ग्राम पंचायतों तथा पंचायती राज संस्थाओं के अन्य दो स्तरों को भी समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करनी होगी। यह पराम’’ा देने की विधि द्वारा की जाएगी।

7.3 जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन स्तर पर प्रकार्यात्मक प्रक्रियाएं

जनपद स्तर पर कार्यक्रम को चलाने का उत्तरदायित्व जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान का होगा। यह सकल क्षेत्र में समरूप नीति के क्रियान्वयन को सुनि’’चत करने के साथ–साथ विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ गतिविधियों का समन्वय भी करेगी। जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान को कार्य करने में जनपद जल तथा स्वच्छता समितियां, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयां तथा संबंधित सेक्टर संस्थाओं की इकाईयां सहयोग करेंगी जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान का मुख्य कार्य जागरूकता तथा सूचना, ि’’ाक्षा तथा संचार अभियानों को जनपद स्तर पर आयोजित करना होगा। इसके साथ–साथ यह मि’’ान जल आपूर्ति परियोजनाओं की पहचान तथा उनका क्रियान्वयन, स्वच्छता अभियानों को चलाना, जल स्त्रोत संरक्षण परियोजनाओं की पहचान तथा उनका क्रियान्वयन, स्वास्थ्य–साफ–सफाई महिला विकास पहल इत्यादि का कार्य भी करेगा। जनपद स्तर पर निम्नलिखित तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे की कार्यक्रम को प्रभाव’’ााली और त्वरित ढंग से लागू किया जा सके।

7.3.1 विभिन्न परियोजना घटकों क्रियान्वयन हेतु बस्तियों की पहचान

जनता की भागीदारी वाले वे सभी कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं तब उनके लिए गंभीर प्रयास किए जाएं और समुदाय तक प्रभाव’’ाली ढंग से संदे’’ा को पहुंचाया जाए। इस कार्यक्रम प्रगति इस तथ्य पर भी निर्भर करेगी कि कितने प्रभाव’’ाली ढंग से जागरूकता तथा सूचना, ि’’ाक्षा तथा संचार के कार्यक्रम को राज्य में चलाया गया है। प्रारंभ करने के लिए जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयां, परियोजना प्रबंधन इकाई के पूरे सहयोग या दि’’ाा–निर्दे’’ा के साथ, जिला पंचायत तथा ब्लॉक पंचायत की बैठकों में जागरूकता अभियान को चलाएंगी। ऐसी बैठकें अक्सर जिला पंचायतों तथा ब्लॉक पंचायतों में होती रहती है। वैसे आव’’यकता पड़ने पर जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई इस काम के लिए अलग से बैठक आयोजित कर सकती है। जिसके माध्यम से वह ग्राम पंचायत स्तर तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं तक कार्यक्रम के मूल सिद्धांतों को पहुंचा सकती है। इस बैठक का उपयोग ग्राम क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए भी की जा सकती है। परियोजना प्रबंधन इकाई समाचार पत्रों के माध्यम से सेक्टर विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करेगी और ग्राम पंचायतों से जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं के लिए प्रार्थना–पत्र आवंटित करेगी। राज्य द्वारा पहले से ही अनाच्छादित तथा अर्धआच्छादित जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं के आंकड़ें एकत्र किए गए हैं। वन विभाग तथा जल संस्थान ने अपने–अपने क्षेत्रों में मौजूद जल स्त्रोतों की सूची तैयार करने का अच्छा काम किया है। सभी सेक्टर संस्थाओं के पास भी मौजूद परियोजनाओं तथा चालू की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में सूचनाएं मौजूद है। अनौपचारिक रूप से जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के स्तर पर इन सभी सूचनाओं को एक जगह इक्ट्ठा किया जाएगा और जिसका समन्वय जनपद जल तथा स्वच्छता समितियों के अध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। इस अभ्यास में पेयजल निगम तथा जल संस्थान के अधिकारियों को अपना सहयोग अव’’य देना चाहिए। बड़े जनपदों में यदि आव’’यक पड़े तो इन सूचनाओं को एकत्र करने के लिए किसी एक सहयोगी संस्था को लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों को ब्लॉकवार तालिका बद्ध किया जाएगा और अच्छा होगा कि इन्हें विषय मानचित्र पर द’’ााया जाए। सेक्टर कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2012 तक सभी अनाच्छादित/अर्धआच्छादित ग्रामों को आच्छादित करने का है। साथ ही साथ वे एकल ग्राम परियोजनाएं जिनका संचालन और रख–रखाव जल संस्थान कर रहा है उन्हें ठीक ढंग से पुर्ननिर्मित कर ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना है। इन सबको भी प्रस्तावित वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जाएगा। सेक्टर कार्य द्वारा वर्ष 2012 तक सभी ग्रामों में 80 प्रति’’ात गृहों में व्यक्तिगत शौचालय निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई सभी बस्तियों को जल आपूर्ति परियोजनाओं तथा स्वच्छता सुविधाओ से आच्छादित करने हेतु एक वार्षिक तथा मध्यम अवधि योजना तैयार करेगी। जिन क्षेत्रों में जल की कमी रहती है उनकी भी पहचान पंचायती राज संस्थाओं तथा संबधित तकनीकी विभागों से पराम’’ा करके की जाएगी। जिन क्षेत्रों में जल की कमी है वहां जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तथा जल संभरण योजना लागू करने का भी प्रस्ताव है। जनपद जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान की बैठक में रखा जाएगा और इस बैठक में एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं को चिन्हित किया जाएगा। नवीन एकल ग्राम परियोजनाओं तथा नवीन बहुग्रामीण परियोजनाओं को चिन्हित करते समय उन बस्तियों में जहां उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा पहले से ही प्रस्तावित परियोजनाएं चल रही है उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके प’’चात उन ग्रामों की एक सूची तैयार की जाएगी जहां पर एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जल स्त्रोत उपलब्ध हैं। बहुग्रामीण परियोजनाएं तभी ली जाएंगी जब बस्तियों के नजदीक उपयुक्त जल स्त्रोत उपलब्ध नहीं हो। एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए बस्तियों की पहचान करने के प’’चात जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान एकल ग्राम परियोजनाओं के उत्तरदायित्व को जनपद जल तथा स्वच्छता समिति को सौंप देंगी। वहीं बहुग्रामीण परियोजनाओं का उत्तरदायित्व पेयजल निगम का होगा और पुराने एकल ग्राम परियोजनाओं के पुर्ननिर्माण के प’’चात जल संस्थान इनके उत्तरदायित्वों का निवर्हन करेगा। राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान निवे’’ा दि’’ाा–निर्दे’’ाों के पालन के प’’चात सभी परियोजनाओं के चिन्हिकरण का प्रयास करेगा। निवे’’ा दि’’ाा–निर्दे’’ाों का उपयोग दो अवस्थाओं पर किया जाएगा। पहला–जब परियोजना की पहचान राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान के स्तर पर की जाएगी तथा दूसरी–जब उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के गठन के प’’चात संबंधित संस्था द्वारा की जाएगी। ये संस्थाएं कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आगे के कार्यों को करेंगी। जलग्रहण क्षेत्र तथा स्वच्छता कार्य हेतु जनपद परियोजना प्रबंधन

इकाईयां उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों की सहायता करेंगी। वह संस्था जो एक वि”ोष ग्राम में जल आपूर्ति परियोजना को चला रही है। उसी के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। उन ग्रामों में जहां कोई नई परियोजना का निर्माण या पुर्ननिर्माण नहीं हो रहा है में संपूर्ण स्वच्छता अभियान गतिविधियों को चलाने का उत्तरदायित्व जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई की होगी।

7.3.2 एकल ग्राम परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा लोगों में जागरूकता तथा कार्यक्रम संबंधी सूचनाओं के प्रसार हेतु जो सहयोगी संस्था तैनात की गई है वह एकल ग्राम परियोजना के निर्माण हेतु चिन्हित किए गए ग्रामों में ग्राम स्तर की बैठकों का आयोजन करेंगी। अधिसूचना संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 के अनुसार प्रत्येक बस्ती में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति गठित की जाएगी। यह समिति पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं को प्रदान करने हेतु एक अनंतिम योजना तैयार करेगी। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियां ग्राम पंचायतों/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई तथा क्रियान्वयन प्रावस्था सहयोगी संस्था के साथ एक सामुहिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। उन बस्तियों में जहां जल स्त्रोत में जल निकासी भूमि उपयोगों के अनुचित प्रबंधन के कारण कम होने की संभावना है वहां के लिए वि”ोष स्त्रोत हेतु जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण योजना को भी बनाना होगा। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयां कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु सहयोगी संस्थाओं को तैनात करेंगी जो उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में तथा लागत की गणना करने में सहयोग करेंगी इस प्रकार तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा जो स्वीकृति हेतु अपनी संसुतियों को जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान को भेजेंगी।

एक बार जब पूर्व साम्यकता गतिविधियां सफल हो जाती है और संतोषजनक साम्यकता रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तब उसका सत्यापन जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया जाएगा। तत्प”चात इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई या परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा, स्वीकृति देने के अधिकार के आधार पर, दी जाएगी परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत किया जाएगा जिसमें पूर्व नियोजन, नियोजन, क्रियान्वयन अवस्थाएं सम्मिलित होंगी। और इन्हें उपयुक्त क्रियान्वयन पूर्णत प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन की सभी अवस्थाओं की सूचना जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों को दी जाएगी। जहां से ये सूचनाएं उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई को पहुंचाई जाएगी। यदि पूर्व सम्यकता के दौरान यह पाया जाता है कि ग्राम में उपलब्ध जल स्त्रोत एकल ग्राम परियोजना के निर्माण के योग्य नहीं है तब ऐसी स्थिति में वहां एकल ग्राम परियोजना के कार्य को छोड़ दिया जाएगा और ऐसे ग्राम को बहुग्रामीण परियोजना के अंतर्गत आच्छादित करने हेतु चिन्हित किया जाएगा। बाद में इस संबंध में निर्णय लेने के लिए इस विषय को राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान को भेज दिया जाएगा। मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन व्यवस्था को विस्तार से उपयुक्त अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

उन एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए जहां एक ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक बस्तियां मौजूद हैं और ऐसी परियोजनाएं जिनका क्रियान्वयन इन बस्तियों द्वारा सामुहिक रूप से किया जा सकता है तब प्रत्येक बस्ती के लिए अलग से उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति गठित की जाएगी या फिर ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम के समुदाय की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सामुहिक उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति गठित की जाएगी।

7.33 बहुग्रामीण परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

बहु ग्रामीण परियोजनाओं के निर्माण के लिए जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान के जिन ग्रामों के समुह को चिन्हित किया गया है वहां की यात्रा पेयजल जल निगम के अधिकारी करेंगे। वे ग्रामों को आच्छादित करने वाले स्त्रोत की पहचान करेंगे तथा अपने प्रारंभिक सर्वेक्षण के प”चात पूर्व साम्यकता रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके प”चात पेयजल निगम उन ग्रामों में इस बात के लिए बैठक करेगी कि एकल ग्राम परियोजना के निर्माण हेतु उपयुक्त जल

स्त्रोत उपयुक्त है या नहीं। पेयजल निगम संचालन मेनुअल में दिए गए लागत दि”ाा–निर्दे”ाों का पालन करने की प्रत्येक को”ि”ा करेगा। यदि ग्रामीणों की दृष्टि से उनके ग्राम के नजदीक मौजूद जल स्त्रोत का उपयोग एकल ग्राम परियोजना के लिए किया जा सकता है तब समुदाय को जल की गुणवत्ता तथा निकासी के मापन हेतु सलाह दी जाएगी। यह काम वे परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा तैनात किए गए गैर सरकारी संस्था द्वारा कराएंगे। यदि स्वीकार करने योग्य जल की गुणवत्ता और संतोषजनक निकासी पाया जाता है तब उस ग्राम को एकल ग्राम परियोजना के लिए लिया जा सकता है और उस ग्राम का नाम बहुग्रामीण परियोजना के लिए चिन्हित गांव के समूह की सूची से बहार कर दिया जाएगा। इन एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए पेयजल निगम जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान को अपनी संसुती प्रेषित करेगा जिससे की एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए तैयार की गई वार्षिक योजना के अंतर्गत इन्हें सम्मिलित किया जा सके।

उन ग्रामों में जहां जल स्त्रोत समीप नहीं है और जिन्हें बहुग्रामीण परियोजना के अंतर्गत आच्छादित करना आव”यक है वहां पेयजल निगम उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का गठन करेगा। पेयजल निगम क्रियान्वयन प्रावस्था में बहुग्रामीण परियोजना स्तर समिति के निर्माण हेतु सहयोगी संस्था को तैनात करेगा जोकि इस बात का भी मूल्यांकन करेगा कि उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियां अंतरा ग्राम परियोजनाओं के निर्माण तथा स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कितनी सक्षम है। उत्तरांचल पेयजल निमग पूर्व नियोजन, नियोजन तथा क्रियान्वयन प्रावस्था की तैयारी भी करेगा। पेयजल निगम इन परियोजनाओं के गठन, नियोजन, डिजाइन तथा क्रियान्वयन के विषय में जल संस्थान को बराबर सूचनाएं देता रहेगा। इसके लिए उत्तरांचल पेयजल निगम, बहुग्राम परियोजना स्तरीय समिति, उत्तरांचल जल संस्थान तथा जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सभी सहभागी यह सुनि”िचत करेंगे कि परियोजना का क्रियान्वयन मांग आपूर्ति दृष्टिकोण के अनुसार चलाया जा रहा है। नवीन बहुग्रामीण परियोजनाओं में मांग आपूर्ति सिद्धांतों को लागू करने के लिए पेयजल निगम तथा राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बहुग्रामीण परियोजनाओं के मांग आपूर्ति प्रक्रियाओं को लागू करने को सुनि”िचत करने के प”चात राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान द्वारा पेयजल निगम को रा”ि अवमुक्त की जाएगी। रा”ि किस्तों में अवमुक्त की जाएगी।

7.4 पर्यावरण प्रबंधन ढांचे को लागू किए जाने को सुनिश्चित करना

पर्यावरण प्रबंधन ढांचे संबंधित अध्याय में उन ब्यौरो को दिया गया है जिनके अनुसार पर्यावरण प्रबंधन ढांचे को लागू किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन ढांचे को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान, जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान, सेक्टर संस्थाओं तथा संबंधित स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं की होगी। मीडिया तथा आम जनता से प्राप्त होनी वाली सूचनाओं के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन ढांचे को लागू किए जाने के विषय में जांच की जाएगी। यदि किसी परिवर्तन की आव”यकता होगी तो उसे तुरंत किया जाएगा। सार्वजनिक संस्थाओं के लिए चुने गए जन प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को इस कार्य में वि”ोष महत्व दिया जाएगा और इस पहलू पर कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियां हर स्तर पर ध्यान देंगी।

अध्याय 8

दक्षता विकास योजना

ग्रामीण जल स्वच्छता तथा पर्यावरण सेक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगे हुए सभी सहभागियों को 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। (अ) शीर्ष संस्था (ब) रणनीति स्तर (स) माध्यम स्तर तथा (द) त्रिणमूल स्तर। इसी के अनुसार इन सब के लिए एक विस्तृत दक्षता विकास कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है।

8.1 शीर्ष स्तर

राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान, राज्य के चुने गए प्रतिनिध (मंत्री/संसद सदस्य/विधायक/पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिध), नीति निर्धारक जिनमें गैर सरकारी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है शीर्ष स्तर के सहभागी हैं। शीर्ष स्तर के इन सहभागियों के लिए एक दक्षता विकास कार्यक्रम इस उद्दे''य से तैयार किया गया है कि वे ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के सेक्टर सुधारों के दृष्टिकोण को भली–भांति आत्मसात कर सकें।

8.2 रणनीति स्तर

परियोजना प्रबंधन इकाई, जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान, जिला परिषद तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों के लिए तैयार किए गए दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम संबंधी जानकारी तथा क्रियान्वयन आव''यकताओं के साथ–साथ उनकी कु''ालता को बढ़ाने, उत्प्रेरित करने, अनुभवों को बांटने, दल का निर्माण करने पर वि''ोष जोर दिया गया है। आव''यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर सेक्टर संस्थाओं के लिए तैयार किए गए दक्षता विकास कार्यक्रम को मुख्य रूप से ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

8.3 माध्यमिक स्तर

गरीबी रेखा के ऊपर के सदस्यों के लिए तैयार किया गया दक्षता विकास कार्यक्रम वार्षिक चक्र में चलाया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से सभी गरीबी रेखा के ऊपर के सदस्यों के दक्षता विकास को लक्ष्य बनाया जाएगा। इनमें प्रमुख, उपप्रमुख ब्लॉक विकास अधिकारी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा के ऊपर के कार्यकर्ताओं जैसे ब्लॉक विकास अधिकारी तथा उप विकास अधिकारी (पंचायत) हेतु दक्षता विकास कार्यक्रम संस्था व्यवस्था, भूमिका तथा उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है।

प्रशिक्षण संस्थाएं

क्षेत्रिय प्र''िक्षण संस्थाओं–सामाजिक तथा इंजीनियरिंग के दक्षता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्‌दे''य कार्यक्रम के उद्‌दे''यों की उनकी समझ को और अधिक बढ़ाना, कार्यक्रम घटकों, कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना, कार्यक्रम कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा उत्तरदायित्व, क्रियान्वयन योजना इत्यादि के विषय में होगा। इसके अंतर्गत दक्षता विकास कार्यक्रम के तरीकों, विषय तथा उद्‌दे''यों तथा परियोजना चक्र को समझने के विषय में भी बताया जाएगा। प्र''िक्षण विधियों तथा सूचना ''िक्षा तथा संचार उद्‌दे''यों, योजना के क्रियान्वयन की विधियों के विषय में दक्षता विकास को प्रस्तावित किया गया है। प्रमुख प्र''िक्षण संस्थान–सामाजिक तथा इंजीनियरिंग शीर्ष तथा रणीनीतिक स्तर के सहभागियों के दक्षता विकास के लिए उत्तरदायी होंगी। साथ ही साथ ये क्षेत्रिय प्र''िक्षण संस्थाओं के प्र''िक्षकों को भी प्र''िक्षित करेंगी।

8.4 तृणमूल स्तर

8.4.1 ग्राम पंचायतें

ग्राम पंचायतों के लिए तैयार किए गए दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधिन परियोजना तथा उसकी दीर्घकालिकता के विषय में प्र''िक्षण दिया जाएगा। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों के दक्षता विकास में समानता होने के कारण इन दोनों को एक ही साथ प्र''िक्षत किया जाएगा।

8.4.2 उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियां

उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति तृणमूल स्तर की एक महत्वपूर्ण कार्यकारी संस्था है। जोकि ग्रामीण जल स्वच्छता तथा पर्यावरण कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रख–रखाव हेतु ग्राम या ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करती है।

8.4.3 सामुदायिक समूह

समुदाय को सुदृढ़ करने के रणनीति ग्राम समुदाय को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत करने के आधार पर किया गया है।

1) महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन
2) पुरूष आय वृद्धि समूहों का गठन
3) स्कूली बच्चों के समूहों का गठन

नियोजना अवस्था में चलाए गए सामुदायिक उत्प्रेरण, समृद्धिकरण तथा कार्यक्रम सहभागिता के आधार पर ग्राम पंचायत कार्य योजना बनाई जाएगी। जिसके अंतर्गत समुदाय कार्य तथा समृद्धि योजनाओं को रखा जाएगा। समुदाय कार्य योजना के अंतर्गत 3 उपयोजनाएं होंगी यथा अ) जल आपूर्ति योजना : इसके अंतर्गत तकनीकी योजना समुदाय द्वारा दिए जाने वाले नगद तथा मजदूरी अं''ादान की योजना, जल आपूर्ति परियोजना के संचालन

तथा रख–रखाव की योजना तथा मानीटरीकरण एवं मूल्यांकन योजना ब) पर्यावरण स्वच्छता योजना : इसके अंतर्गत तकनीकी योजना, समुदाय द्वारा नगद तथा मजदूरी के रूप में दिए जाने वाले अं’’ादान की योजना, पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के संचालन तथा रख–रखाव की योजना तथा मानीटरीकरण एवं मूल्यांकन की योजना इसमें शौचालय, कम्पोस्ट, कूड़ा तथा साकपीट सम्मिलित होंगे। स) जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन योजना : इसके अंतर्गत तकनीकी योजना, समुदाय द्वारा नगद तथा मजदूरी के रूप में दिए जाने वाले अं’’ादान की योजना, स्त्रोत संरक्षण तथा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के संचालन तथा रख–रखाव की योजना तथा मानीटरीकरण एवं मूल्यांकन की योजना सम्मिलित होगी। समुदाय समृद्धि योजना के अंतर्गत 3 उपयोजनाएं होंगी अ) महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन ब) पुरूष आय वृद्धि समूहों का गठन स) स्कूली बच्चों के समूहों का गठन।

8.5 सहयोगी संस्था

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में सहयोगी संस्थाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें ग्राम पंचायतों, समुदाय तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों के स्तर पर दक्षता विकास कार्यक्रम के सफल पूर्णता को सुनि’’चित करना होगा।

8.6 सेवा एजेंसी

सेवा एजेंसी के लिए दक्षता विकास का प्रमुख उद्दे’’य यह है कि वे कार्यक्रम के निरूपकता तथा अभिविन्यास की आव’’यकताओं को पूरा कर सके। उनकी भूमिकाओं, उत्तरदायित्वो तथा उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं की समझ को बढ़ाए जाने पर वि’’ोष ध्यान दिया जाएगा।

8.7 दक्षता विकास क्रियान्वयन व्यवस्थाएं

दक्षता विकास कार्यक्रम कि क्रियान्वयन में निम्नलिखित दि’’ाा–निर्दे’’ा के सिद्धांतो के पालन को सुनि’’चित किया जाएगा।

अ) सहभागियों में दक्षता विकास को बनाए रखना
ब) दक्षता विकास के अन्य पहल से एकरूपता
स) प्रि’’ाक्षण कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण
द) लगातार मूल्यांकन तथा सूचना प्राप्त करने का तंत्र
य) ग्राम पंचायत स्तर पर दक्षता विकास पूर्ति के बीच एकता
र) प्रभाव’’ााली संरक्षण तथा समन्वय

8.7.1 कार्यक्रम प्रबंधन

परियोजना प्रबंधन इकाई की समुदाय दक्षता विकास प्रकोष्ठ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी दक्षता विकास कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होगी कार्यक्रम के साइज को देखते हुए प्रि’’ाक्षित किए जाने वाले सहभागियों की संख्या बहुत बड़ी है। अतः परियोजना प्रबंधन इकाई तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों के प्रबंधन को’’ाल को पहले बढ़ाए जाने की आव’’यकता है। परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों के संस्थागत विकास, स्टाफ तथा दक्षता विकास का कार्य बहुत बड़ा है और इसके लिए निष्ठावान संसाधनों की आव’’यकता होगी। अतः यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि परियोजना प्रबंधन इकाई में इस कार्य हेतु अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया जाए। परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के संस्थागत विकास तथा मानव संसाधन का मुद्दा वि’’ोष ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह न केवल संपूर्ण दक्षता विकास कार्यक्रम की सफलता बल्कि प्रस्तावित कार्यक्रम की सफलता के लिए भी आव’’यक है।

समुदाय दक्षता विकास इकाई के उत्तरदायित्व

चूंकि समुदाय दक्षता विकास इकाई सभी दक्षता विकास कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी है अतः यह परियोजना प्रबंधन इकाई के मानव संसाधन विकास तथा तकनीकी प्रकोष्ठ से विशेषज्ञों को ले सकती है तथा अन्य संसाधन व्यक्तियों को भी। यह प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर समन्वित रूप से कार्य करेगी। समुदाय दक्षता विकास इकाई के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होंगे :

1. क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय प्रशिक्षकों के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम के डिजाइन (विधियां, विषय, हस्तलेख, मूल्यांकन इत्यादि) को अंतिम रूप देना ।
2. दक्षता विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं तथा क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय।
3. राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर पर सूचना शिक्षा तथा संचार कार्यक्रम का डिजाइन तैयार करना।
4. सभी सहभागियों के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप देना।
5. दक्षता विकास कार्यक्रम का लगातार मूल्यांकन तथा उससे मिली शिक्षा को भविष्य के कार्यक्रमों में उपयोग करना।
6. दक्षता विकास कार्यक्रम हेतु प्राप्त की गई सेवाओं, तैनाती इत्यादि का नियमित मानीटरीकरण।

8.7.2 दक्षता विकास के भागीदार

8.7.2.1 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं

चलाए जाने वाले सभी दक्षता विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं का होगा। राज्य स्तर पर दो प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं की पहचान की जाएगी–एक सामाजिक तथा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु तथा दूसरी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण हेतु। इन संस्थाओं की प्रमुख जिम्मेदारी निम्न प्रकार होगी।

1. क्रियान्वयन के पूर्व प्रशिक्षण विधियों का डिजाइन तैयार करना– विषय, विधियां, प्रशिक्षण सामग्री, हस्तलेख तथा इनकी जांच।
2. क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय प्रशिक्षकों (सहयोगी संस्थाओं) के लिए व्यापार स्थिति का डिजाइन तैयार करना।
3. क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं को व्यापार स्थिति मुहैया करना।
4. शीर्ष तथा रणनीति स्तर पर राज्य स्तर का प्रशिक्षण सहभागियों को देना। इसके अंतर्गत राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन, परियोजना प्रबंधन इकाई तथा सेक्टर संस्थाओं (उत्तरांचल पेयजल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान) के लिए कार्यशालाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा।
5. समुदाय दक्षता विकास कार्यक्रम का नियोजन तथा समन्वय (क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों तथा समुदाय के बीच समन्वय)।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आवश्यक मूल्यांकन– प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों से जानकारी लेना।

8.7.2.2 क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाएं

स्थानीय प्रशिक्षकों (सहयोगी संस्थाएं), जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई, सेक्टर संस्थाओं के कार्यकर्ता, जनपद स्तर तथा सेवा एजेंसियों के व्यापार स्थिति हेतु क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं को तैनात किया जाएगा। क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं प्रशिक्षण देंगी जिसमें वे प्रशिक्षण की विधि तथा स्थानीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामग्री भी मुहैया कराएंगी। क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होगा।

1. सहयोगी संस्थाओं, सेवा एजेंसियों, जनपद स्तर के कार्यकर्ताओं तथा ग्राम पंचायतों को व्यापार स्थिति मुहैया कराना।
2. जनपद स्तर पर चलाए जाने वाले समुदाय दक्षता विकास कार्यक्रम का जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई तथा ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय।
3. जनपद स्तर पर दक्षता विकास कार्यक्रम का लगातार मूल्यांकन तथा प्रमुख प्रि''क्षण संस्था राज्य तथा स्वच्छता मि''ान को जानकारी देना।

क्षेत्रिय प्रि''क्षण संस्थाओं की उपरोक्त प्रस्तावित आधार पर समुदाय दक्षता विकास इकाई द्वारा क्षेत्रिय प्रि''क्षण संस्थाओं द्वारा की सेवाएं निर्दे''ीत विषय के लिए तैयार की गई हैं। पहली टोली में क्षेत्रिण प्रि''क्षण संस्थाओं को लगाया जाएगा–कुमांऊ तथा गढ़वाल प्रत्येक के लिए दो। प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रिण प्रि''क्षण संस्था सामाजिक प्रि''क्षण तथा दूसरी इंजीनियरिंग प्रि''क्षण के लिए लगाई जाएगी। इन चयन राज्य में पहले से मौजूद गैर सरकारी संस्थाओं तथा अन्य सरकारी/अर्धसरकारी प्रि''क्षण संस्थाओं में से किया जाएगा। ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं तथा प्रि''क्षण संस्थाओं का ब्यौरा अलग से दिया गया है।

8.7.2.3 स्थानीय प्रशिक्षक (सहयोगी संस्थाएं)

जल आपूर्ति पर्यावरण तथा स्वच्छता कार्यक्रमों सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति तथा समुदाय के सदस्यों के प्रि''क्षण हेतु स्थानीय प्रि''क्षकों को तैनात किया जाएगा। सहयोगी संस्थाओं की मुख्य भूमिका निम्न प्रकार होगी।

1. समुदाय का उत्प्रेरण तथा ग्राम पंचायत स्तर पर दक्षता विकास गतिविधियों का संचालन।
2. ग्राम पंचायत कार्य योजना को तैयार करने में सहयोग देना। जिसके अंतर्गत समुदाय कार्य समृद्धि योजना तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन को भी सम्मिलित किया जाएगा।
3. ग्राम पंचायतों, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों विभिन्न समूहों तथा समान्य रूप से पूरे समुदाय को प्रि''क्षण देना।
4. ग्राम पंचायत स्तर के दक्षता विकास कार्यक्रम को जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों तथा पोटफोलिय प्रबंधकों के साथ समन्वित करना।

ग्राम स्तर पर प्रयत्नों की प्रवल्ता को ध्यान में रखते हुए यह आव''यक होगा कि स्थानीय प्रि''क्षक (सहयोगी संस्था) अपना अधिक से अधिक समय समुदाय के बीच व्यतीत करे अतः स्थानीय प्रि''क्षक के रूप में किसी गैर सरकार संस्था को तैनात किया जाना प्रस्तावित है।

8.7.2.4 सेवा एजेंसियां

सेवा एजेंसियों की तैनाती वि''ाेष कार्य के लिए की जाएगी अतः इनके काम निम्न प्रकार होगे।

1. सूचना, ि''ाक्षा संचार सामग्री को डिजाइन करना– इसमें सूचना ि''ाक्षा तथा संचार की संपूर्ण सामग्री की डिजाइन आ जाती है जैसे जिस श्रवण प्रद''ान, वीडियों फिल्म, रेडियों गीत, दूरद''ान, पोस्टर, दीवार पर लिखावट तथा वि''ाेष संबंधित छोटी पुस्तिकाएं इत्यादि।

2. स्थल निरूपकता– परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सूचिबद्ध किए गए ग्रामों में स्थल तकनीकी निरूपकता इसमें सम्मिलित होगीं। यह कार्य ग्राम पंचायत चयन गतिविधियों का एक हिस्सा होगी।

3. निर्माण देखरेख–इसके अंतर्गत निर्माण कार्य की देखरेख तथा कार्य की गुणवत्ता का मानीटरीकरण सम्मिलित होगा। यह सेवा एजेंसियों द्वारा उन चुन्निदा ग्राम पंचायतों में किया जाएगा जहां पर परियोजना क्रियान्वित की गई है।

4. जल गुणवत्ता मानीटरीकरण तथा देखरेख– इसके अंतर्गत रख–रखाव कार्यकर्ताओं तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के सदस्यों को जल गुणवत्ता मानीटरीकरण तथा देखरेख का प्र''ाक्षण देना सम्मिलित होगा क्योंकि वे परियोजनाओं के संचालन तथा रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होते हैं।

5. प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन– नियोजना तथा क्रियान्वयन प्रावस्था के अंत में प्रत्येक टोली के लिए अय अध्यन किया जाएगा। जिससे की जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे अगली टोली के लिए कार्यक्रम बनाते समय उपयोग में ले आया जा सके।

उपरोक्त में दिए गए वि''ोष कार्यों के लिए नीजि एजेंसियां सेवा एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगी। इनमें से कुछ तकनीकी कार्यो जैसे स्थल निरूपकता, निर्माण की देखरेख इत्यादि, के लिए सेक्टर संस्थाओं–उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल निगम को सेवा एजेंसी के रूप में तैनात किया जा सकता है।

8.8 प्रशिक्षण रणनीति तथा विधि

कार्यक्रम की सफलता विभिन्न सहभागियों, वि''ोष रूप से त्रिमूल स्तर पर जैसे उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति, समुदायिक समूहों तथा समुदाय के प्रभाव''ाली दक्षता विकास पर निर्भर करती है। सहयोगी संस्थाएं अपनी भूमिका को भली–भांति निभा सकें इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्र''ाक्षण की विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

8.8.1 नियोजन

किसी भी प्र''ाक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रभाव''ाली नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियोजना में जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना आव''यक है वे निम्न प्रकार हैं।

अ) प्रशिक्षण समूहों का गठन : प्र''ाक्षण समूहों के गठन के दो मुख्य दो आयामों यथा साइज तथा संघठन पर वि''ोष ध्यान दिए जाने की आव''यकता है। विभिन्न स्तरों के सहभागियों के लिए प्र''ाक्षण समूहों के उपयुक्त साइज हेतु विभिन्न तरीकें हैं। 30 से अधिक लोगों के समूह को उपयुक्त नहीं समझा जाता है। समूह के संघठन में , प्रोफाइल, मौजूदा ज्ञान के आधार तथा क्या वे सदस्य मौजूदा या भविष्य की टोलियों में सम्मिलित होंगे इत्यादि को ध्यान में रखना होता है।

ब) स्थान का चयन : ग्राम स्तर का प्र''ाक्षण परियोजना स्थल या कही और भी किया जा सकता है। उपयुक्त स्थान का चयन प्र''ाक्षण में सम्मिलित होने वाले लोगों, उपयोग में लाई जानी वाली अवधि तथा प्र''ाक्षण संसाधनों इत्यादि के ढांचे को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

स) समय की अवधि : प्र''ाक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रतिभागियों के समझने की क्षमता और प्र''ाक्षण कार्यक्रम के विषय पर निर्भर रह कर नि''चत करना चाहिए। समुदाय के लिए लक्षित प्र''ाक्षण कार्यक्रमों की अवधि इसमें भाग लेने वाले लोगों के कार्य के घंटों, वि''ोष रूप से महिला सदस्यों के लिए, को ध्यान में रख कर नि''चत किया जाना चाहिए।

द) संचार : लक्षित भागीदारों को तिथि, समय, स्थान, अवधि तथा विषय इत्यादि के विषय में सचूना दी जानी जरूरी है जिससे की इनकी उपस्थिति को सुनि''चित किया जा सके। ये सूचनाएं बहुत पहले ही दे दी जानी चाहिए।

य) प्रोत्साहन : प्रोत्साहन दिए जाने का विचार बहुत अच्छा है क्योंकि इससे समूह को प्र''ाक्षण तथा उनके द्वारा बिताई गई अवधि में होने वाली हानि को पूरा करने में उन्हें सहायता दी जा सकती है।

र) संसाधन व्यक्ति : संसाधन व्यक्ति की पहचान कर ली जानी चाहिए और प्र''ाक्षण देने के लिए तैयारी करने हेतु उसे उपयुक्त सूचना दे देनी चाहिए।

ल) ठिकाना : प्र''ाक्षण कार्यक्रम हेतु स्थल को किराय पर लेना, स्थल पर प्र''ाक्षण सामग्री की उपलब्धता, स्थल तक आने–जाने के लिए यातायात की व्यवस्था इत्यादि ठिकाना संबंधी कार्य नियोजन प्रावस्था में की कर लेना चाहिए।

व) प्रशिक्षण सामग्री : नियोजन के अंतर्गत आव''यक प्र''ाक्षण सामग्री के विषय में निर्णय लेना भी सम्मिलित है जैसे प्र''ाक्षण उपकरण, प्रतिभागियों के लिए आव''यक सामग्री इत्यादि। प्र''ाक्षण के लिए आव''यक उपयुक्त मेनुअल/हस्तलेख इत्यादि के विषय में नियोजन अवस्था से ही विचार करना रहना चाहिए।

8.8.2 क्रियान्वयन

कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्र''ाक्षकों को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए।

अ) आव''यकता का मूल्यांकन – किसी भी प्र''ाक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिभागियों की आव''यकता का मूल्यांकन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कार्य लिखित प्र''नोत्तरी, मौखिक पहेली या अन्य विधियों से की जा सकती है।

ब) समय प्रबंधन – यह सुनि''चित करना आव''यक है कि प्र''ाक्षण सत्र समय से शुरू हो और समय से समाप्त हो। सत्रों के बीच–बीच में दिए जाने वाले अंतराल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होते हैं।
स) सत्र तथा विधियां – संसाधन व्यक्ति द्वारा सत्रों तथा विधियों को बहुत पहले से तैयार कर लेना चाहिए, प्रत्येक सत्र की अवधि, समान रूप से संदे''ा देना तथा स्पष्टिकरण के लिए उपयुक्त समय दिया जाना महत्वपूर्ण है।

द) एकीकरण – जहां तक संभव हो पूरे कार्यक्रम के दौरान प्र''ाक्षण का विषय एकीकृत रखना उपयोगी होता है। अन्य विभागों के साथ प्र''ाक्षण अवधि का एकीकरण करना चाहिए।

8.8.3 मूल्यांकन

प्र''ाक्षण के मूल्यांकन के हेतु उद्दे''य– क्या प्र''ाक्षण के उद्दे''य प्राप्त कर लिए गए, क्या और अधिक प्रभाव''ाली बनानेक के लिए प्र''ाक्षण कार्यक्रम में परिवर्धन/सुधार की आव''यकता है। प्र''ाक्षण का मूल्यांकन निम्नलिखित 4 प्रकार का होगा –

अ) प्रतिक्रिया संबंधी मूल्यांकन : क्या प्रतिभागी प्र''ाक्षण से संतुष्ट है या नहीं
ब) सीखने का मूल्यांकन : क्या प्र''ाक्षण कार्यक्रम के उद्दे''यों को प्राप्त कर लिया गया है
स) निष्पादन/प्रक्रिया मूल्यांकन : क्या कार्य की आव''यकता तथा प्र''ाक्षणार्थियों की दक्षता के बीच की रिक्तियों को भरा जा सका है
द) परिणाम/प्रभाव मूल्यांकन : प्र''ाक्षण की अनंतिम सफलता यथा क्या समस्या का निदान कर लिया गया है

विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण हेतु सुधाई गई विधियों का ब्यौरा दक्षता विकास मेनुअल में दिया गया है। जिसे आवश्यकता पड़ने पर संदर्भित किया जा सकता है।

8.9 दक्षता विकास योजना

पूरे कार्यक्रम की अवधि में लगभग 2294 ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया जाना है जिनमें लगभग 6080 परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इसकी पूरी लागत लगभग 11.90 मीलियन अमेरिकी डॉलर के आस–पास होगी। दक्षता विकास योजना की पहली टोली में लगभग 600 ग्राम पंचायतों को लिया जाएगा। जहां पर लगभग 1590 परियोजनाएं चलाई जानी है। पहली टोली के दक्षता विकास कार्यक्रम पर लगभग 3.1 मीलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। प्रावस्थावार प्रशिक्षण विधि, प्रशिक्षण हेतु दिनों की संख्या, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा प्रशिक्षण की संख्या इत्यादि टोली 1 के लिए संलग्नक 30 में दक्षता विकास योजना (टोली 1) में प्रस्तुत की गई है। इसमें सही दक्षता विकास योजना तथा इसके क्रियान्वयन के विषय में बताया गया है। इसमें दिए गए विषय मुख्य प्रशिक्षण तथा प्रस्तावित दक्षता विकास गतिविधियों को समाहित किए हुए हैं।

8.10 समय ढांचा

अ) परियोजना प्रबंधन इकाई में समुदाय दक्षता विकास प्रकोष्ठ बनाया गया है जोकि इस समय अपना कार्य कर रहा है। यह सभी स्तरों पर सहभागियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर चुकी है। विभिन्न स्तरों के लिए एक्सपोजर यात्राएं आयोजित की गई है। कार्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दी गई अवधि के भीतर जल्द से जल्द समुदाय दक्षता विकास प्रकोष्ठ को मजबूत बना लिया जाएगा।
ब) जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन एवं जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है। ये ग्राम पंचायत तथा समुदायिक स्तर पर, जिसमें उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियां भी सम्मिलित होंगी, के दक्षता विकास योजना हेतु संरक्षण प्रदान करेंगे।
स) प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं, क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं तथा सेवा एजेंसियों को किराए पर देने को वर्ष 2006 के अंतिम तिमाही में पूरा कर दिया जाएगा।
द) कार्यक्रम क्रियान्वयन की विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान विभिन्न सहभागियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दिनों की संख्या का निर्धारण सहभागियों, सेक्टर संस्थाओं, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाइयों, परियोजना प्रबंधन इकाई तथा विश्व बैंक मिशन के सदस्यों से लंबे विचार–विमर्श के आधार पर तय किया गया है।
य) परियोजना चक्र में लागू होने वाले दक्षता विकास क्रियान्वयन योजना के ब्यौरे के लिए दक्षता विकास मेनुअल को संदर्भित किया जा सकता है।

दक्षता विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में मौजूद संस्थाएं

राज्य में प्रशिक्षण संस्थाओं की पहचान, उनके प्रशिक्षण देने की क्षमता के मूल्यांकन की एक सूची बनाई गई है। ये संस्थाएं सार्वजनिक या नीजि हो सकती हैं। यह सूची इसलिए बनाई गई है कि ऐसी संस्थाओं का चयन किया जा सके जो कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सहभागियों के प्रशिक्षण तथा दक्षता विकास की सेवाएं मुहैया कर सके। इसके ब्यौरे को जानने के लिए दक्षता विकास मेनुअल को संदर्भित किया जा सकता है।

अध्याय 9

संचार रणनीति

9.1 संचार रणनीति

चूंकि यह कार्यक्रम मांग आपूर्ति दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें इसके क्रियान्वयन के सभी अवस्थाओं में समुदाय की संपूर्ण भागीदारी होनी है अतः यह आव’’यक हो जाता है कि प्रत्येक ग्राम के समुदाय के सदस्यों तथा कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं तक संपूर्ण सूचना को सही ढंग से सही अभिवन ढंग से पंहुचाया जाए। इसी तरह ग्राम समुदायों, ग्राम पंचायतों तथा कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त करना आव’’यक है जिससे की कार्यक्रम को और अधिक प्रभाव’’ाली तथा सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त परिवर्तन किए जा सके। कार्यक्रम के विषय में सब को भली–भांति समझना आव’’यक है जिससे की यह अपनी–अपनी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से पूरा कर सके।

संचार रणनीति पूरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्‌दे’’य मुख्य रूप से कार्यक्रम के उद्‌दे’’यों को लोगों द्वारा समझे जाने में सहायता प्रदान करना है जिससे की लोक नेतृत्व में विकास, वि’’ोष रूप से जल सेक्टर में, किया जा सके। इसके अंतर्गत सभी आयाम सम्मिलित किए जाएंगे– नियोजन तथा क्रियान्वयन रणनीति, कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के बीच आपसी विचार–विम’’ा, लक्षित समुदाय तथा कार्यक्रम कार्यकर्ता, परियोजनाओं का चयन तथा उनका क्रियान्वयन तथा अन्य संबंधित गतिविधियां। इसके साथ ही साथ लिंग संवेदिता, प्र’’ाक्षण मीडिया काय प्रयोग तथा सभी भागीदारों को सम्मिलित करना भी इसमें शामिल होगा।

9.1.1 उद्‌देश्य

1. एक ऐसे वातावरण का निर्माण जो समुदायों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा पेयजल परियोजनाओं की विकास योजनाओं तथा अन्य संबंधित विकास गतिविधियों के विषय में स्वयं निर्णय लेने में सहायक हो।
2. सभी लक्षित लोगों के बीच कार्यक्रम के संबंध में सकारात्मक तथा सही जानकारी पहुंचाना जिसमे ग्राम समुदाय, पंचायती राज संस्थाएं सम्मिलित होंगी। इसमें वि’’ोष रूप से ग्राम पंचायतों, गैर सरकारी संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं, सेवा एजेंसियों, जनपद तथा राज्य स्तर के कार्यक्रम कार्यकर्ता, सहयोगी संस्थाएं मीडिया, जन प्रतिनिधि तथा आम जनता पर वि’’ोष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
3. ग्राम पंचायतों, लक्षित समुदाय तथा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के विषय में सही तथा पूर्ण सूचना से सुसज्जित करना।
4. कार्यक्रम कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायतों तथा ग्राम समुदायों के दृष्टिकोण मे स्पष्टता।
5. सामाजिक उत्प्रेरण तथा कार्यक्रम प्रबंधन के विषय में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना।
6. महिलाओं, स्कूली बच्चों तथा अन्य महत्वपूर्ण समूहों के भागीदारी को बढ़ाना जिससे की वे कार्यक्रम के चयन में अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त कर सकें।
7. कार्यक्रम कार्यकर्ताओं तथा ग्राम पंचायतों की जवाबदेही को ग्राम समुदाय के प्रति बढ़ाना। कार्यक्रम के भीतर के सभी प्रक्रियाओं में पारद’’ाता लाना।
8. कार्यक्रम के उद्‌दे’’यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्ययोजना को विकसित करना।
9. कार्यक्रम के प्रभाव’’ाली तथा सक्षम क्रियान्वयन के लिए अनुभवी संसाधन व्यक्तियों, गैर सरकारी संस्थाओं, दक्षता विकास संस्थानों, तकनीकी प्र’’ाक्षण संस्थाओं को भागीदार बनाना।

9.1.2 ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र

1. ग्राम समुदाय, ग्राम पंचायतों तथा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम की अवधारणा तथा दृष्टिकोण को स्पष्ट करना।
2. ग्राम समुदायों, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों तथा ग्राम पंचायतों को पेयजल प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के विषय में विस्तृत सूचनाएं।
3. कार्यक्रम में भागीदारी की प्रक्रिया तथा संबंधित नियमों तथा सुरक्षण के विषय में विस्तृत सूचनाएं।
4. सभी इकाईयों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व, वि''ष रूप से ग्राम समुदायों, ग्राम पंचायतों, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई, सहयोगी संस्थाओं, सहयोगी गैर सरकारी संस्थाओं/सेवा एजेंसियों तथा सेक्टर संस्थाएं।
5. ग्राम समुदाय तथा ग्राम पंचायतों की प्रभाव''ाली भागीदारी (इसका मूल्यांकन उनके द्वारा समय तथा धन देने तथा सम्पत्तियों के संचालन तथा देखरेख को करने के लिए किए गए अनुबंध के आधार पर किया जा सकता है)।
6. सभी अवस्थाओं में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी क्योकि वे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करने वाली सच्ची संदे''ा वाहक हैं और प्राकृतिक संसाधनों/प्रबंधन क्रियाकलापों में होने वाले परिवर्तनों से वे ही सबसे अधिक प्रभावित होती हैं।
7. अनुसूचित जाति तथा जनजाति, वे घर जहां महिलाएं मुखिया हैं तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह को प्रभाव''ाली ढंग से सम्मिलित करना।
8. स्कूली बच्चों, अभिभावकों तथा अध्यापक परिषदों को सम्मिलित करना।
9. राज्य में चलाए गए पहले के कार्यक्रमों के अनुभव तथा सफलता की कहानियों को लोगों तक पहुंचाना वि''ष रूप से वे जोकि सामुदायिक भागीदारी वाले कार्यक्रमों से संबंधित हो।
10. संचार तथा दक्षता विकास रणनीति/कार्यक्रमों के बीच उच्च स्तर की संबद्धता।
11. कार्यक्रम के भीतर विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा ग्राम समुदायों के बीच आपसी अनुभव को बांटना।
12. मानीटरीकरण तथा सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुई जानकारियों के आधार पर संचार तथा कार्यक्रम रणनीतियों में सुधार ले आना।

9.2 राज्य प्रोफाइल तथा मीडिया परिदृष्य

9.2.1 उत्तरांचल राज्य

उत्तरांचल राज्य में कुमांऊ तथा गढ़वाल दो प्रमुख मंडल हैं। गढ़वाली तथा कुमाऊंनी भाषाएं इन दोनों संबंधित मंडलों में प्रयोग की जाती हैं। परंतु हिन्दी भाषा इन दोनों मंडलों में अधिकां''ा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। उत्तरांचल के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 92.6 प्रति''ात पहाड़ी तथा केवल 7.4 प्रति''ात मैदानी क्षेत्र है। जहां तक शहरी और ग्रामीण आबादी के वितरण का संबंध है वहां 25.7 प्रति''ात शहरी तथा 74.3 प्रति''ात ग्रामीण आबादी है। साक्षरता दर 60.1 प्रति''ात है, जबकि 43.5 प्रति''ात ग्रामीण आबादी निरक्षर है।

कृषि, प''ुपालन तथा पर्यटन संबंधी गतिविधियां पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की जीविका का मुख्य स्त्रोत है। पर्यटन की गतिविधियां मौसमी प्रकृति की है और वे वर्ष में मात्र 6 माह तक सीमित होती है। पुरूष आबादी का बड़ा हिस्सा व्यवसाय के लिए पलायन कर गया है। घर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा निभाया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल के मुख्य स्त्रोत सोते, नदियां तथा सेक्टर संस्थाओं द्वारा की जा रही जल आपूर्ति है। सोते तथा सरिताएं मौसमी प्रकृति की है जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में सूख जाती है। इस अवधि में ग्राम वासियों को अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। खुले में शौच एक सामान्य प्रक्रिया है और वह भी वि''ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

यद्यपि पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम बहुत पहले से चलाए जा रहे हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तथा साफ–सफाई एवं स्वच्छता की कमी एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। इसे हल करने के लिए यह आव’’यक है कि ग्रामों की स्थितियों को समझा जाए तथा ग्राम समुदाय द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भागीदारी को प्रभाव’’ाली बनाया जाए। समुदाय के मालिकाना हक तथा उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए नई पहल को समझना भी जरूरी है। विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप तथा व्यवहार भिन्न–भिन्न प्रकार के हैं। भू–भौतिक स्थितियां जल स्त्रोतों के प्रकार, उन तक पहुंच तथा प्रवाह तंत्र को प्रभावित करती हैं। सुरक्षित जल के प्रयोग तथा स्वच्छता क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए इस मुद्दे पर वि’’ोष रूप से ध्यान देने के प्रयास करने होंगे।

9.2.2 सकल क्षेत्र में समरूप नीति पर आधारित ग्रामीण जल स्वच्छता तथा पर्यावरण सेक्टर कार्यक्रम के सहभागी

क्र. सं.	स्तर	संस्था/विभाग/समूह	सहभागी/कार्यकर्ता
1.	**तृणमूल स्तर**	ग्राम पंचायत	ग्राम प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (पंचायत सचिव)
		उ.पे.नि. / उ.ज.सं.	क्षेत्रिय स्टाफ
		उ.ज. स्व.उ. समिति	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सदस्य
		सामुदाय समूहें	महिला समूह, पुरूष आय वृद्धि समूह, स्कूली बच्चों का समूह
		ग्राम समुदाय	ग्राम सभा सदस्य–लाभार्थी समुदाय
2.	**माध्यमिक स्तर**	क्षेत्र पंचायत	क्षेत्र पंचायत प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)
		सहयोगी संस्था	तकनीकी स्टाफ, समुदाय विकास स्टाफ
		सेवा एजेंसी	तकनीकी स्टाफ, समुदाय विकास स्टाफ
		प्र’’ाक्षण संस्थान	संसाधन व्यक्ति, प्र’’ाक्षण समन्वयक
3.	**रणनीतिक स्तर**	राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान / जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान / ब्लॉक जल तथा स्वच्छता मि’’ान	नि‍दे’’ाक, अपर नि‍दे’’ाक, इकाई समन्वयक, पराम’’ादाता जनपद कार्यक्रम प्रबंघक, उपकार्यक्रम प्रबंधक, विषय वि’’ोषज्ञ, पोर्टफोलियों प्रबंधक, पोर्टफोलियों इंजीनियर
		उत्तरांचल पेयजल निगम	प्रबंध नि‍दे’’ाक, प्रबंधक (निरूपकता), उप प्रबंधक (निरूपकता), मुख्य इंजीनियर, अध्यक्ष इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर, सहायक इंजीनियर तथा कनिष्ठ इंजीनियर
		उत्तरांचल जल संस्थान	मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, सचिव, अधिकक्षक इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर, सहायक इंजीनियर तथा कनिष्ठ इंजीनियर
		जिला पंचायत	जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, प्र’’ासनिक अधिकारी
		जनपद जल तथा स्वच्छता मि’’ान	जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, जनपद विकास अधिकारी, जनपद पंचायत राज अधिकारी, जनपद

			कार्यक्रम प्रबंधक, जनपद जल तथा स्वच्छता मि”ान
		दक्षता विकास संस्थाएं	संसाधन व्यक्ति, प्र”िाक्षक, नियोजक तथा रणनीति निर्माता
4.	**शीर्ष स्तर**	राज्य जल तथा स्वच्छता मि”ान	मुख्य मंत्री, मंत्री ग्रामीण विकास/जल आपूर्ति, सचिव (जल आपूर्ति तथा स्वच्छता), सचिव (ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज), सचिव (”िाक्षा), सचिव (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण), सचिव (वित्त), सचिव (सूचना तथा लोक संपर्क), निदे”ाक (स्वजल) तथा जल तथा स्वच्छता सेक्टर की 3 वि”ोषज्ञ

9.2.3 मीडिया परिदृश्य

राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के 3 स्टे”ान है जो 1. नजीबाबाद, 2. अल्मोड़ा तथा 3. नैनीताल में स्थित हैं। वर्तमान में दूरद”ान का कोई केंद्र नहीं है परंतु निकट भविष्य में इसकी संभावना है। क्षेत्रिय कार्यक्रमों का प्रसारण दूरद”ान लखनऊ केंद्र से किया जाता है। 2005 के इंडियन रीडर शीप सर्वे के मुताबिक अमर उजाला तथा दैनिक जागरण राज्य के 2 प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हैं। राज्य में हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के ग्रामीण इलाकों में पाठकों की संख्या 45.4 मीलियन है। अंग्रेजी दैनिक के पाठकों की संख्या अत्यंत अल्प है।

9.2.4 मीडिया में एक्सपोजर की स्थिति

1. टेलीविजन तथा रेडियो राज्य में दो मुख्य लोक मीडिया के स्वरूप है। लगभग 63 प्रति”ात ग्रामीणों की पहुंच टेलीविजन तक है। पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी इलाकों में टेलीविजन की पहुंच अधिक है।

2. लगभग मैदानी इलाकों में 75 प्रति”ात तथा पहाड़ी इलाकों में 66 प्रति”ात लोग दिन में कम से कम 3 घंटे तक टेलीविजन देखते हैं। 54 प्रति”ात ग्रामीण रोज लगभग 2 घंटे, 6–8 बजे सायं काल, टेलीविजन देखते हैं।

3. ग्रामीण आबादी का 57 प्रति”ात औसत रूप से दिन में 1 से 2 घंटे रेडियो सुनता है। सांय 6 से 8 बजे तक के समय को ये लोग प्राथमिकता देते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग अक्सर पूरे दिन रेडियो का प्रयोग करते हैं।

4. मेलों तथा त्योहारों में यहां के लोग बड़ी संख्या में भागीदारी करते हैं।

5. ग्रामों महिलाओं की कीर्तन मंडलियां मौजूद हैं। इन मंडलियों के माध्यम से महिलाओं के बीच भली–भांति संचार स्थापित किया जा सकता है जोकि दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से लक्षित हैं।

6. घरों में समाचार पत्रों की उपलब्धता बहुत कम है। वैसे मैदानों के लगभग 25 प्रति”ात घरों में समाचार पत्र उपलब्ध होता है।

9.3 ग्रामीण जल स्वच्छता तथा पर्यावरण सेक्टर का स्थितिगत विश्लेषण

9.3.1 पेयजल

(1) कुमांऊं तथा गढ़वाल मंडल के मैदानी इलाकों में पेयजल के दो सामान्य स्त्रोत पाइप द्वारा जल आपूर्ति तथा हैंडपम्प हैं। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य स्त्रोत नदियां (गधेरे), सोते तथा पाइप द्वारा जल आपूर्ति हैं।

(2) केवल 19.4 प्रति''ात गृहों में घर के भीतर अपना पेयजल स्त्रोत है। जबकि 2.2 प्रति''ात के पास पम्प हैं। मैदानी इलाकों में 51.7 प्रति''ात गृहों में स्वयं का पेयजल स्त्रोत है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र मे केवल 4.7 प्रति''ात गृहो में स्वयं का पेयजल स्त्रोत है।

(3) मैदानी इलाकों में लगभग 62 प्रति''ात गृहों में पेयजल के लिए हैंडपम्प का उपयोग होता है। जहां तक पहाड़ी इलाकों के गृहों में पेयजल स्त्रोत का संबंध है वहां पेयजल का मुख्य स्त्रोत सार्वजनिक नल (57.3 प्रति''ात) है।

(4) मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में पेयजल स्त्रोत की दूरी अधिक है। लगभग 10 प्रति''ात गृहों को पेयजल प्राप्त करने के लिए 200 मीटर से भी अधिक की दूरी तय करनी होती है।

(5) मौसम के अनुसार लगभग 42.7 प्रति''ात पर्वतीय गृहों में पेयजल के स्त्रोत में परिवर्तन किया जाता है जबकि मैदानी इलाकों में यह प्रति''ात 4.5 है।

(6) अधिकां''ा ग्रामीणों का यह मत है कि जल की उपलब्धता पूरे क्षेत्र में धीरे–धीरे कम होती जा रही है और इसके वनाच्छादन में हो रही कमी तथा अल्प वर्षा मुख्य कारण है।

(7) पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आधे से अधिक लोग (51 प्रति''ात) यह मानते हैं कि उन्हें सभी मौसमों में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है। लगभग 53.4 प्रति''ात ग्रामीणों का मानना है कि वे असुरक्षित पेयजल का प्रयोग करते हैं। जिसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियां हो जाती है। ऐसी बीमारियों का दर पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी इलाको में अधिक है। पर्वतीय क्षेत्र में सोतों से मिलने वाला जल सुरक्षित माना जाता है। जबकि गधेरों से मिलने वाला जल संदूषित होता है क्योंकि इनका प्रयोग जानवरों तथा समुदाय द्वारा कपड़े धोने इत्यादि के लिए किया जाता है। जल संस्थान द्वारा आपूर्तित जल सुरक्षित माना जाता है। वैसे मैदानी इलाकों में कम गहराई वाले हैंडपम्प असुरक्षित माने जाते हैं।

9.3.2 स्वच्छता

पूरे क्षेत्र में खुले में शौच की प्रथा सामान्य है। शौचालयों का निर्माण न किए जाने का मुख्य कारण लोगों का खुले में शौच करने की आदत, संसाधनों की कमी तथा स्थान की अनउपलब्धता (वि''ोष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में) रही है। इसे पेयजल स्त्रोतों के संदूषण का कारण लोग नहीं मानते।

9.3.3 सकल क्षेत्र में समरूप नीति पर आधारित ग्रामीण जल स्वच्छता तथा पर्यावरण सेक्टर कार्यक्रम के विषय में समुदाय का ज्ञान

सकल क्षेत्र में समरूप नीति पर आधारित ग्रामीण जल स्वच्छता तथा पर्यावरण सेक्टर कार्यक्रम के विषय में समुदाय के ज्ञान तथा विचार निम्नलिखित खंड में दिए गए हैं :

1. इस अवधारणा के प्रति समुदाय सकारात्मक रूख रखता है। परंतु इसके वित्तीय प्रबंधन, सीमित सहभागिता तकनीकी दक्षता की अनुउपलब्धता के विषय में उनको शंका रहती है।

2. उनका मानना है कि इस कार्यक्रम से ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता अव''य ही बढ़ेगी तथा यह समुदाय के लिए लाभकारी होगा (समुदाय के 95 प्रति''ात लोग इससे सहमत है)।

3. 95 प्रति''ात ग्रामवासी रख–रखाव के लिए ये भुगतान करने को तैयार है यदि जल की गुणवत्ता तथा सेवाएं उन्हें उचित ढंग से दी जाए।

9.4 मुख्य संदेश

कुछ प्रमुख पहचाने गए संदे''ा जोकि कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है को दो प्रावस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है : सामाजिक उत्प्रेरण प्रावस्था तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा रख–रखाव प्रावस्था।

(अ) सामाजिक उत्प्रेरण प्रावस्था

1. कार्यक्रम अवधारणा, उद्दे''य तथा प्रक्रियाएं।

2. सुरक्षित पेयजल तथा पर्यावरण स्वच्छता का महत्व तथा उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव।

3. समुदाय तथा ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यक्रम का मालिकाना हक। सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं, सहयोगी संस्थाएं, सेवा एजेंसियां तथा अन्य सहभागी केवल सुविधादाता हैं।

4. समुदाय तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियोजित जल आपूर्ति तथा उससे संबंधित गतिविधियों को स्वयं ही तैयार करना तथा उनका प्रबंधन।

5. समुदायों/लाभार्थियों द्वारा समय, नगद तथा मजदूरी का अं''ादान।

6. बहुमत के विचार तथा इच्छाओं को निर्णय लेने में शामिल करना। जहां महिलाओं तथा अन्य कमजोर समूहों को समान भूमिका तथा समान अवसर प्रदान किए जा सके। इससे समाज में समरसता आएगी।

7. दक्षता विकास को सुनि''चत करना, जब और जहां आव''यक हो।

8. निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया में संपूर्ण पारद''ाता ले आना तथा संरक्षण के सभी उपायों को सुनि''चत करना।

9. कार्यक्रम के सामान्य उद्दे''यों के प्रति सभी अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहे।

10. कमजोर वर्ग तथा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का गठन अपनी आय वृद्धि की गतिविधियों के लिए कर सकती है।

(ब) कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा रख-रखाव प्रावस्था

1. पूरे कार्यक्रम में नियोजन से लेकर संचालन तथा रख–रखाव तक पूर्ण पारद''ाता जवाबदेही।

2. संरक्षण उपायों को सुनि''चत करना तथा जहां और जब आव''यक हो सहायता देना।

3. रा''ा का प्रभाव''ाली तथा उचित उपयोग, वसूली प्रक्रिया तथा पारद''ाता को बनाए रखना।

4. लेखा का रख–रखाव तथा आव''यकता के अनुसार अन्य दस्तावेजों, रिकार्ड तथा बुककीपिंग का रख–रखाव।

5. पर्यावरण सुरक्षा उपायों को समझना तथा उनका प्रयोग करना।

6. समुदाय द्वारा मानीटरीकरण की सफल प्रक्रिया को लागू करना तथा समुदाय को परियोजना के प''चात दीर्घकालिकता को बनाए रखने के लिए तैयार करना।

7. बचे हुए समय का पूर्ण सद्पयोग तथा समय प्रबंधन के महत्व को समझना।

चूंकि इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में सहभागी सम्मिलित होंगे अतः विभिन्न सहभागियों के लिए चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण संदे''ाों को नीचे दी हुई तालिका अनुसार समूहों में रखा जा सकता है।

तालिका : विभिन्न सहभागियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश

क्र. सं.	सहभागी समूह	संचार कार्य	महत्वूपर्ण संदेश/संचार विषय
तृणमूल स्तर			
1.	ग्राम समुदाय	कार्यक्रम तथा अवधारण, स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।	• कार्यक्रम को अंगीकृत करने से ग्राम में स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई की स्थितियां बेहतर होगी तथा यह रहने योग्य स्थान बन जाएगा। • महिलाओं तथा लड़कियों को पानी ले आने के लिए दूर तक की यात्रा करने के दर्द से बचाया जा सकेगा • लड़कों को अच्छी तथा ि''क्षित लड़कियों से विवाह का अवसर प्राप्त होगा। • जल संसाधनों का मालिकाना हक समुदाय का होगा। • बच्चे तथा महिलाएं अजनबियों तथा संकट से दूर रहेंगे।
2.	महिलाएं	कार्यक्रम तथा अवधारण, स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।	• समुदाय द्वारा जल संसाधनों के प्रबंधन से जल की अच्छी उपलब्धता हो सकेगी। इससे समुदाय की आव''यकताओं के अनुसार जल संसाधनों का विकास होगा। रख–रखाव तथा मरम्मत के समय में बचत होगी। • जल का संदूषण भौतिक रूप से दूर होगा। • जल जनित रोग बढ़ रहे हैं आप इसके अगले ि''कार हो सकते हैं। • घर में शौचालय सुविधाजनक रहेगा। • घर में शोचालय परिवार के प्रगति का सूचक है। • शौचालय की कीमत बहुत अधिक है यह सोचना छोड़ना होगा।
3.	बच्चें	स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।	• निम्न स्तर की साफ–सफाई जल संदूषण तथा बीमारियों को बढ़ावा देती है। • साफ–सफाई की अच्छी आदत से व्यक्ति स्वस्थ्य तथा मजबूत होता है। • जल स्त्रोतों का साफ रखें। • घरों तथा स्कूलों में जल पात्रों को साफ तथा ढक कर रखें।

4.	ग्राम पंचायत	कार्यक्रम, भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।	• कार्यक्रम को अंगीकृत करना आज की आव''यकता है। यहा कार्यक्रम पूरे राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में क्रियान्तिव किया जाएगा। • जो ग्रम पंचायतें इस कार्यक्रम को अंगीकृत कर रही है वे प्रगति''ील है। • इस कार्यक्रम की प्रगति की सफलता के लिए राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। • इस कार्यक्रम द्वारा ग्राम पंचायत की महिलाएं तथा लड़कियां दूर से पानी ले आने की कठिनाईयों तथा दर्द से मुक्ति पा सकेंगी।
माध्यमिक स्तर			
5.	जिला परियषद तथा केपी	कार्यक्रम, भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।	• कार्यक्रम को अंगीकृत करना आज की आव''यकता है। यहा कार्यक्रम पूरे राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में क्रियान्तिव किया जाएगा। • जो पंचायती राज संस्थाएं इस कार्यक्रम को अंगीकृत कर रही है वे प्रगति''ील है तथा भविष्य की ओर देख रही है। • इस कार्यक्रम की प्रगति की सफलता के लिए राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। • सुरक्षा उपायों यथा बीमा, सरकार द्वारा स्थापित आपातकालिन निधि को बढ़ावा देने तथा अंगीकृत करने से उच्च लागत को पूरा किया जा सकता है तथा लोगों में आत्मवि''वास पैदा किया जा सकता है।
रणनीतिक स्तर			
6.	सेक्टर संस्थाएं		• सेक्टर संस्थाएं यहा रहकर सेक्टर सुधार कार्यक्रम में अर्थपूर्ण योगदान देंगी। • परिवर्तन के करण ग्रामीण लोगों में कार्यदक्षता बढ़ेगी।
	राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान	• राज्य के भीतर तथा बहार जल तथा स्वच्छता सेक्टर संबंधी विकास तथा ज्ञान को अद्यतन करना। • विभिन्न विभागों तथा सेक्टर संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। • आंतरिक तथा बहाय संचार। • सहयोगी संस्थाओं से समन्वय।	• राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान को राज्य में पेयजल तथा स्वच्छता की स्थितियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निवर्हन करना है। • पूरी दे''ा में सेक्टर सुधार के क्षेत्र में राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा।
शीर्ष स्तर			
	राज्य अधिकारी / प्र''ाासक	• राज्य में ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर की वर्तमान स्थिति तथा राज्य के लिए सरकार का दृष्टिकोण। • कार्यक्रम की आव''यकता तथा इसके लाभ।	• जल तथा स्वच्छता सेक्टर में सेक्टर सुधार हेतु राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। • जल तथा स्वच्छता सेक्टर सुधार स्थानीय शासन को स्थापित करने में दूर–दूर तक सहायक होगी।
	राजनेतिक नेतृत्व	• राज्य में ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर की वर्तमान	• कार्यक्रम सभी को अच्छी गुणवत्ता वाले जल को प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

		स्थिति तथा राज्य के लिए सरकार का दृष्टिकोण। • कार्यक्रम की आव''यकता तथा इसके लाभ।	• यह कार्यक्रम अच्छी गुणवत्ता वाले जल तथा अच्छे साफ–सफाई के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाएगी। • यह कार्यक्रम चुने गए निकायों को और अधिक शक्ति तथा स्वायत्ता प्रदान करेगी। • कार्यक्रम राज्य में स्वास्थ्य तथा समृद्ध ले आएगी।
	मीडिया / प्रेस	• कार्यक्रम की आव''यकता तथा इसके लाभ।	• जल तथा स्वच्छता क्षेत्र में राज्य स्थानीय शासन की ओर बढ़ गई है। इस अभियन को अपना सक्रिय सहयोग तथा सहभागिता प्रदान करे। इस कार्य को अपनी सक्रिया सहभागिता सहयोग से मदद करें।

9.5 सूचना, शिक्षा, संचार, गतिविधियां तथा उनकी समयावधि

विभिन्न सहभागियों के लिए कार्यक्रम के विभिन्न अवस्थाओं में संचार की आव''यकताएं भिन्न–भिन्न होंगी। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार होगी।

अ) पूर्व प्रारंभ अवस्था
ब) कार्यक्रम प्रारंभ अवस्था
स) कार्यक्रम क्रियान्वयन अवस्था

संचार रणनीति का उद्दे''य उपयुक्त वस्तुओं को अंगीकृत कर आव''यकताओं को पूरा करना है।

9.5.1 पूर्व प्रारंभ अवस्था

9.5.1.1 राज्य स्तर पक्ष-समर्थन

1. मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दूत का मनोनयन :
एक सरस पर्यावरण के निर्माण हेतु राजनेतिक नेतृत्व के साथ ताल–मेल बैठाना बहुत महत्वपूर्ण है। अतः राजनेतिक स्तर के साथ विचार–विम''र्श करने के लिए संचार अभियान को चलाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए उनसे प्रार्थना की जाएगी कि वे किसी एक वि''िष्ठ सदस्य को मि''ान के लिए दूत नियुक्त करें, जिसे इस कार्यक्रम की अवधारणाओं तथा द''र्ान के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान राजनेतिक नेतृत्व से विभिन्न जनपदों में दूत के मनोनयन के लिए संपर्क करेगा।

2. पक्ष समर्थन कार्यशाला :
राज्य के विधायकों / संसद सदस्यों तथा अन्य प्रमुख नेताओं के लिए एक राज स्तरीय पक्ष समर्थन कार्य''ाला आयोजन राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान तथा दूत के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा। इस कार्य''ाला में कार्यक्रम की अवधारणाओं तथा दा''र्निक पक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि यह किस प्रकार राज्य की जनता के लिए सहायक है।

3. मीडिया सम्मेलन :
राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान कार्यक्रम के समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार हेतु एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसमें राजनेतिक नेतृत्व तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। स्वजल एक के दौरान चलाए गए कार्यक्रम में चिन्हित मॉडल ग्राम की प्रेस के लोगों द्वारा की जाने वाली यात्रा की व्यवस्था राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा की जाएगी।

4. अंतर-विभागीय समन्वय कार्यशाला :

राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान, जल निगम, जल संस्थान तथा जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर से संबंधित एजेंसियों, मृदा तथा जल संरक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वन विभाग तथा राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संस्थाएं जोकि जल तथा स्वच्छता सेक्टर में कार्य कर रही हैं के लिए अंतर–विभागीय समन्वय कार्य''ााला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्य''ााला के माध्यम से वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों को वाट''ान सेक्टर में हो रहे परिवर्तनों के विषय में तथा नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विभाग की भूमिका के विषय में जानकारी दी जाएगी।

5. राज स्तरीय जन मीडिया अभियान :

कार्यक्रम को प्रारंभ करने के एक माह पूर्व से ही लोगों में कार्यक्रम के प्रति जागरूकता तथा उनकी मांग को ध्यान में रखकर रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से एक अभियान चलाया जाएगा। टेलीविजन पर एक टीवी सीरियल/नाटक प्रसारित किया जाएगा। बस पर लगे हुए सूचना पत्र का प्रयोग इस अवस्था में प्रचार के लिए किया जाएगा।

9.5.1.2 जनपद स्तर पक्ष समर्थन

1. पक्ष समर्थन कार्यशाला :

जिला मुख्यालयों पर जनपद तथा ब्लॉक पंचायतों के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के विषय में पूरी जानकारी देने के लिए एक कार्य''ााला का आयोजन किया जाएगा। पंचायत के प्रमुखों (जनपद तथा ब्लॉक) की एक प्रारंभिक बैठक इस कार्यक्रम के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करने के साथ–साथ सदस्यों को कार्यक्रम के परिचित भी कराएगी। इस बैठक में जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान भी सम्मिलित होगी। इसमें राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान, सेक्टर संस्थाओं तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम की अवधारणा, घटकों तथा सहयोग जैसे क्षेत्रों पर विचार–विम''ा किया जाएगा। एक मासिक न्यूज लेटर के माध्यम से राज्य तथा अन्य हिस्सों में हो रही विकास संबंधी गतिविधियों को प्रचारित किया जाएगा। इसे सभी नीति निर्धारकों, मीडिया तथा कार्यक्रम सहयोगियों के बीच परिचालित किया जाएगा।

2. जनपद स्तरीय मीडिया सम्मेलन :

कार्यक्रम को औपचारिक रूप से राज्य में प्रारंभ करने के पूर्व प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कार्यक्रम की अवधारणाओं तथा रणनीतियों को प्रमुखता दी जाएगी। स्वजल I के मॉडल जिले की यात्रा आयोजन मीडिया के लिए किया जाएगा जिससे की अधिक से अधिक प्रचार हो सके और समरसता का वातावरण बन सके।

3. सेक्टर संस्थाओं के लिए जनपद स्तरीय अभिविन्यास कार्यशाला

सेक्टर संस्थाओं के क्षेत्र के स्तर के कर्मचारियों के लिए कार्य''ााला का आयोजन किया जाएगा जिसमें उन्हें हो रहे परिवर्तनों तथा उनकी नवीन भूमिका तथा उत्तरदायित्वो के विषय में जानकारी दी जाएगी।

9.5.2 कार्यक्रम प्रारंभ अवस्था

प्रारंभ की अवस्था में संचार की रणनीति मुख्य रूप से विभिन्न सहभागी समूहों में जागरूकता उत्पन्न करने पर केंद्रित होगी। जिससे की उन्हे कार्यक्रम मे सक्रिया भागीदारी के लिए आगे आने हेतु प्रेरित किया जा सके। टेलीविजन, रेडियो तथा प्रेस के माध्यम से चलाया जा रहा लोक मीडिया अभियान इस अवस्था में भी जारी रहेगा।

9.5.3 कार्यक्रम क्रियान्वयन अवस्था

एक बार जब कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायतों का चयन कर लिया जाता है तब संचार रणनीति मुख्य रूप से उन पर तथा समुदाय पर केंद्रित रहेगी। इसके लिए निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जाएंगी।

1. ग्राम प्रधान तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के मुखिया के लिए प्रशिक्षण :

ग्राम पंचायत के सदस्यों को समुदाय उत्प्रेरण तथा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पूरी तरह तैयार करने के लिए प्रि''क्षण कार्य''ाला का आयोजन किया जाएगा। लगातार दि''ा–निर्दे''ा तथा संदर्भ के लिए प्रि''क्षण मेनुअल प्रदान किया जाएगा।

2. स्कूलों में रेली :

बच्चों को स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई के विषय में ि''क्षित करने के लिए स्कूलों में रेलियों का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। ग्राम प्रधान को स्कूल अभियान किट प्रदान किया जाएगा।

3. तिमाही पत्रिका का वितरण :

मीडिया, सेक्टर संस्थाओं, जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान, नीति निर्धारकों, जिला पंचायतों, **केपी,** ग्राम पंचायतों इत्यादि के बीच वितरण करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा एक तिमाही पत्रिका का प्रका''ान किया जाएगा।

4. लोक निष्पादन/मनोरंजन

सहभागी ग्राम पंचायतो में समुदाय को कार्यक्रम के विषय में जानकारी देने हेतु लोक निष्पादन तथा मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेंगे जिससे की यह अभियान एक आकार ग्रहण कर सके।

5. चल संचार इकाईयां

चल इकाईयां दिन में जिस श्रवण संचार उपकरण लगे होंगे भागीदारी ग्राम पंचायतों की यात्रा करेंगे। ये इकाईयां वि''ोष रूप से समाज के निम्न तथा दलित लोगों पर वि''ोष ध्यान देंगी जिन तक मीडिया के अन्य माध्यमों से पहुंच नहीं हो पाती चूंकि यह वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तथा निरक्षर है अतः इनकी पहुंच किसी बाहरी या प्रिंट मीडिया तक नहीं हो पाती।

6. मेलों में भागीदारी :

राज्य में आयोजित होने वाले सभी प्रमुख मेलों को अपना संदे''ा फैलाने के लिए एक संचार मंच के रूप में प्रयोग किया जाएगा। मेलों मे अपने स्टाल लगाए जाएंगे तथा यातायात के मुख्य स्थलों पर होर्डिंग लगाई जाएंगी।

7. बस पेनल पर होर्डिंग :

होर्डिंग तथा बस पेनलों का प्रयोग कार्यक्रम से संबंधित ग्राम पंचायतों तथा उससे आगे तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। लोक मीडिया के माध्यम से लगातार अंतराल पर विज्ञापन किए जाते रहेंगे जिससे की समुदाय के मन मस्तिष्क में यह मुद्दा बराबर जीवित रहे। यह पंचायती राज संस्थाओं तथा समुदाय को भी कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए उत्साहित करेगा। स्थानीय मीडिया के उपादानों का प्रयोग करते हुए यह संचार अभियान वि''ोष रूप से इन चुने गए ग्राम पंचायतों को लक्षित करेगा।

9.6 मीडिया उपादान

संचार रणनीति में यह प्रस्तावित है कि स्थानीय मीडिया (इलेक्ट्रॉनकि तथा प्रिंट), समुदाय मीडिया अंतर व्यक्तिक संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार जैसे उपादानों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग किया जाएगा। लोक मीडिया का नियमित अंतराल में प्रयोग कर सहभागियों तक तेजी से संदेष देने का कार्य किया जाएगा जिससे एक समरस पर्यावरण का निर्माण कर उसे लंबी अवधि तक बनाया रखा जाए।

चार्ट : मीडिया विकल्प

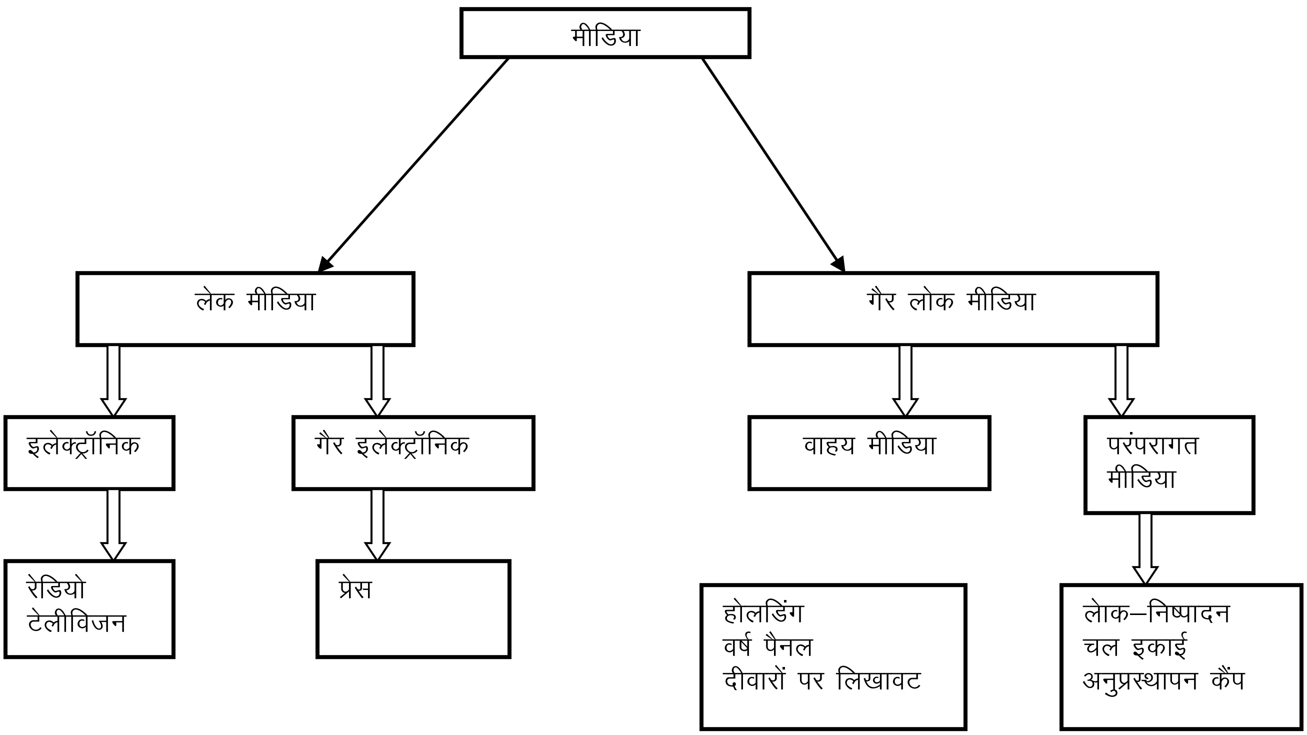

9.6.1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

1. स्थल तथा गीत

उचित वातावरण तैयार करने के लिए पहले यह आव''यक है कि लोगों को बार–बार यह बताया जाए कि वे अब उनके स्वयं के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का कार्य कठिन नहीं रह गया है। सरकार की सहायता से ग्राम समुदाय ढांचे को विकसित कर उसका रख–रखाव भी कर सकता है। इस कार्य को सफलतापूर्वक रेडियो तथा टेलीविजन स्थलों के निर्माण तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाकर किया जा सकता है। मांग को बढ़ाना और अभियान के उत्साह को ऊंचा रखना इसके मुख्य संदे''ा होंगे। यह प्रथम पहल होगी जिससे वातावरण का निर्माण होगा।

2. सूचनाओं से बुनी वित्त-नाटक श्रृंखला :

संपूर्ण प्रक्रिया के विषय में समुदाय की ''िक्षत करने के लिए टीवी श्रृंखला का निर्माण तथा प्रसारण अत्याधिक प्रभाव''ाली रहेगा। संपूर्ण प्रक्रिया को संवेदनाओं से भरे हुए वित्त–नाटक श्रृंखला में बुना जाएगा। इस श्रृंखला में स्वजल परियोजना I की सफलता की कहानियों को नाटक के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

3. प्रगतिशील दर्शकों के लिए समाचार पत्रिका :

वह प्रगति''ील ग्रामीण आबादी जो सीरियल नहीं देखती है और टीवीविजन तथा रेडियो पर आने वाले समाचार संबंधी कार्यक्रमों को देखना और सुनना पसंद करती है उनकी आव''यकताओं को पूरा करने के लिए एक समाचार संबंधी पत्रिका के सीरियल का निर्माण और उसका प्रसारण किया जाएगा। इस समाचार पत्रिका सरीयिल में स्वजल

कार्यक्रम से संबंधित समाचार को प्रमुखता दी जाएगी और उससे संबंधित फिचरों को सम्मिलित किया जाएगा। इसका प्रसारण आका''ावाणी तथा दूरद''ीन से किया जाएगा।

4. विवादों को हल करना तथा विचार-विमर्श हेतु मंच :

आपसी मतभेदों तथा समस्याओं को दूर करने के लिए विचार–विम''ी के श्रृंखलाबद्ध चलाने हेतु समुदाय को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से वे अपने अनुभवों के संबंध में विचार–विम''ी कर सकेंगे तथा अपनी समस्याओं को भी हल कर सकेंगे।

9.6.2 प्रिंट मीडिया

1. समाचार पत्रों में विज्ञापन :

समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रयोग किया जाएगा। जोकि प्रभाव''ाली संचार का एक महत्वपूर्ण उपादन है जिसके माध्यम से विस्तृत सूचना का प्रसार किया जा सकता है और लंबे समय तक टिकाऊ होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे विज्ञापनों को काट कर अपने पास रख सकता है और दी गई सूचना का प्रयोग भविष्य में कर सकता हैं

2. बैनर :

बैनरों का प्रयोग दिए जा रहे संदे''ों को बार–बार याद दिलाने के लिए किया जाएगा। किसी भी समाजिक अभियान को गति देने के लिए पैसे बैनरों द्वारा उनके याद्दा''ा ताजा रखना आव''यक है। इससे आम जनता की संवेदनाओं को बेहतर रखने में मद्द मिलती है। बैनरों के माध्यम से केवल छोटे तथा आव''यक संदे''ा ही प्रचारित किए जाएंगे।

3. पोस्टर :

पोस्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता ले आने में उत्प्रेरक का कार्य करेंगे।

4. लीफलेट्स :

कुछ लोगों का एक ऐसा वर्ग भी है जो कार्यक्रम के विषय में अधिक जानना चाहता है। ऐसे लोगों की आव''यकता को लीफलेट्से के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

5. प्रशिक्षण मेनुअल :

प्र''ािक्षण कार्यक्रम से सीधे–सीधे जुड़े हुए लोगों को प्र''ािक्षण मेनुअल दिया जाएगा। जोकि उनके लिए तुरंत संदर्भ के रूप में उपयोगी होगा।

6. पत्रिकाएं :

इस माध्यम का प्रयोग ग्रामीण जनता के उमंग को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस माध्यम द्वारा लोग विकास संबंधी अपने विचारों को आदान–प्रदान कर सकेंगे।

9.6.3 आउटडोर (वाहय)

1. वीडियो वेन :

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा पिछड़े लोगों के पास रेडियो तथा टेलीविजन नहीं होता। इन लोगों तक वीडियो वेन के माध्यम से जानकारियों पहुंचाई जा सकती है। इस वाहन में श्रवण–दृ''य सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे ग्रामीणों की बड़ी संख्या के लिए प्रयोग किया जाएगा। संवेदानाओं से बुनी तथा संदे''ा देने वाली वीडियो किलीपींग इन्हें दिखाई जाएगी। लोगों के विचारों को भी रिकॉर्ड किया जाएगा जोकि भविष्य के कार्यों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सहायक होगा।

2. टीनबोर्ड/विनायलबोर्ड :

टीनबोर्ड/विनायलबोर्ड का प्रयोग संचालन तथा रख–रखाव की पूरी प्रक्रिया के संबंध में सूचना देने के लिए किया जाएगा। ऐसे बोर्ड काफी दिनों तक टिकाऊ रहते हैं।

3. बस पैनल :

यह माध्यम लोगों में उत्साह बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। ये चल होल्डिंग कम लागत की होती है और उद्दे''यों को पूरा भी करती है।

4. लोक माध्यम :

जो लोग स्थानीय लोक समुहों द्वारा मनोरंजन करना पसंद करते है उनके लिए यह माध्यम प्रयोग किया जाएगा। ऐसे लोकगीत तथा नाटक तैयार किए जाएंगे जिनमें संदे''ा बुने गए हैं। इस माध्यम का प्रयोग स्वच्छता अभियान के दौरान विभिन्न अवस्थाओं में भली–भांति किया गया है।

5. पहेली प्रतियोगिता, रेलियां :

बच्चे/युवा समाजिक जागरूकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन करते हैं। इनको पहेली प्रतियोगिताओं तथा रेलियों के माध्यम से गति''ील किया जा सकता है। सबसे सक्रिय बच्चे/युवा को म''ाल ले जाने वाला कहा जाएगा तथा सबसे अधिक सक्रिय अध्यापक प्रत्येक स्कूल में दूत बनाया जाएगा।

6. मनोरंजन संध्याय :

उत्तरांचल की ग्रामीण महिलाओं में मनोरंजन संध्याओं (संगीत संध्या) का बहुत प्रचलन है। इनका आयोजन किसी एक विषय पर जोकि ग्रामीण पंचायत स्तर के किसी मुद्दे से संबंधित हो पर किया जाएगा। इनका आयोजन उचित समय पर तथा बड़े स्थान पर की जाएगी।

9.6.4 अंतर व्यक्तिगत संचार

अंतर व्यक्तिगत संचार एक प्रभाव''ाली मीडिया उपादान है। अभिविन्यास प्र''िक्षण कार्य''ाालाएं क्रियान्यिन अवस्था विवाद हल करना तथा समस्याओं को हल करना जैसे कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न अवस्थाओं में किया जा सकता है। कार्यक्रम ग्रामों के लिए निम्नलिखित अंतर व्यक्तिगत उपादानों की सूची तैयार की गई है।

1. ग्राम संसाधनों के विकास का मानचित्र
2. चरित्र नाटक तथा केंद्रित विचार–विम''र्
3. पोस्टरों/कहानी के माध्यम से संचार
4. एक दूसरे के बीच खेल तथा पहेली प्रतियोगिताएं
5. प्रकरण अध्ययन
6. विषय संबंधी बैठकें

इन सब के साथ–साथ अनुभवों को बांटनें, यात्रा तथा कु''ालता विकास के माध्यम से समुदाय को गति''ील तथा सुदृढ़ बनाने वाले प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

9.7 मानीटरीकरण संसूचक

कार्यक्रम के दौरान लोगों के व्यवहार में आए परिवर्तन की दि''ाा तथा उसकी मात्रा का मूल्यांकन करने में संसूचक सहायक होते हैं। यह संसूचक उद्दे''यपूर्ण होंगे और कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में स्पष्ट जानकारी देंगे। मध्यम अवधि तथा अंतिम आंकलन के लिए निम्नलिखित प्राचलों को संसूचको के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

1. जल तथा स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता
2. जल तथा स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों में सहभागिता
3. पेयजल के लिए वर्तमान स्त्रोत
4. सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले पेयजल स्त्रोत की दूरी
5. पेयजल की गुणवत्ता के आंकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले प्राचल
6. पेयजल के शुद्धीकरण हेतु लगाई गई विधियां
7. गृहों में स्वच्छता शौचालयों का प्रयोग

9.8 मीडिया कार्य योजना

चारों अवस्थाओं के लिए मीडिया कार्य योजना तैयार की गई है। जिसमें लगभग 2294 ग्राम पंचायतें तथा 6080 परियोजनाएं तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियां आच्छादित की गई है। कुल आंकलित लागत लगभग 1.074 मीलियन अमेरिकी डॉलर है। विस्तृत मीडिया कार्य योजना को संलग्नक 31 में प्रस्तुत किया गया है।

9.9 संचार तथा दक्षता विकास इकाई

राज्य सरकार ने देहरादून में राज्य स्तर की एक संचार तथा दक्षता विकास इकाई की स्थापना की है। संचार रणनीति के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा मनीटरीकरण का उत्तरदायित्व इस इकाई का होगा। संचार रणनीति के प्रभाव''ाली क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी 13 जनपदों में संचार तथा दक्षता विकास इकाई की जनपद स्तरीय इकाईयों की स्थापना की जाएगी। यह सभी इकाईयां राज्य स्तर की संचार तथा दक्षता विकास इकाई द्वारा जारी की गई दि''ा–निर्दे''ों के अनुसार कार्य करेंगी।

अध्याय 10

वित्तीय प्रबंधन दिशा-निर्देश

उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए मौजूद रा''ा प्रवाह तथा लेखा व्यवस्थाएं।

10.1 राज्य में वर्तमान ढांचा

जैसा की पहले बताया जा चुका है उत्तरांचल में पेयजल विभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन संस्थाएं यथा उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा स्वजल निदे''ालय या परियोजना प्रबंधन इकाई आती हैं। उत्तरांचल पयेजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान दोनों ही स्वायत शासी निकाय हैं। जिन्हें उत्तरांचल (उत्तर प्रदे''ा जल आपूर्ति तथा सीवेज अधिनियम 1975) अंगीकरण तथा परिवर्धन आदे''ा, 2002 के अधीन सेक्''ान 3 तथा सेक्''ान 18 के अंर्तगत बनाया गया है। स्वजल निदे''ालय एक सोसाइटी है जिसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंर्तगत किया गया है।

10.2 राशि प्रवाह की वर्तमान व्यवस्था

वर्तमान में उत्तरांचल जल संस्थान तथा उत्तरांचल पेयजल निगम विभिन्न कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए उत्तरांचल सरकार तथा भारत सरकार से रा"ि प्राप्त करती है।

उत्तरांचल सरकार उत्तरांचल जल संस्थान को विभिन्न परियोजना के पुर्नगठन तथा हैंडपम्पों को लगाने के लिए रा"ि हस्तांतरित करती है।

त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधान मंत्री ग्रामोदय के अंर्तगत भारत सरकार उत्तरांचल पेयजल निगम मुख्यालय को रा"ि सीधे ही हस्तांतरित करती है। अल्प आव"यकता कार्यक्रम, परियोजनाओं के पुर्नगठन, हैंडपम्पों को लगाने जैसे कार्यक्रमों के अंर्तगत उत्तरांचल सरकार उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान को सीधे ही रा"ि हस्तांतरित करती है। जनपद योजना रा"ि उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान की संबंधित जनपद इकाईयों को हस्तांतरित की जाती है।

भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान कार्यक्रमों–स्वजल धारा तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए स्वजल निदे"ालय एक नोडल संस्थान है। स्वजल धारा रा"ि सीधे ही राज्य स्तर के कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाती है। जबकि संपूर्ण स्वच्छता अभियान की रा"ि भारत सरकार द्वारा सीधे–सीधे स्वजल निदे"ालय की जनपद इकाईयों को हस्तांतरित की जाती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान में राज्य सरकार के शेयर को स्वजल का राज्य स्तरीय कार्यालय उत्तरांचल सरकार से प्राप्त होता है। उसके प"चात् इसे जनपद इकाईयों को हस्तांतरित किया जाता है।

भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है। जिसमें उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के निर्दे"ा तथा मार्गद"ान इत्यादि भी होते हैं। भारत सरकार द्वारा उसी अनुसार इसके समय से पूरा करने और ठीक से रिपोर्ट करने के तंत्र संबंधी फोर्मेट भी दिए जाते हैं।

10.3 वर्तमान बजट व्यवस्था

वर्तमान बजट व्यवस्था के अनुसार राज्य रा"ि का आवंटन विभिन्न विभागों को उनके प्र"ासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों/आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। ये नोडल अधिकारी बजट आवंटन के वार्षिक प्रस्ताव को अपने प्र"ासनिक विभाग को जमा करते हैं। प्र"ासनिक विभाग उनके द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत होने वाले व्यय के प्रस्ताव के बजट प्रावधानों को अंतिम रूप देता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार से रा"ि प्राप्त होती है। केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए वार्षिक बजट में प्राविधान उत्तरांचल सरकार के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। मांग के आधार पर नोडल अधिकारियों को उत्तराचंल सरकार द्वारा रा"ि किस्तों में अवमुक्त की जाती है। जोकि उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के प"चात् संबंधित विभाग को दिए गए ग्रांट नं. के अंर्तगत अवमुक्त की जाती है।

बजट मेनुअल के अनुसार प्रत्येक आहरण और संवितरण अधिकारी रा"ि के आहरण और उपयोग के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। इसके लिए अवमुक्त किए जाने के समय उसे सरकार के आदे"ाों में दिए गए शर्तों को बराबर ध्यान में रखना होता है। परियोजना को समय से पूरा करने के लिए सरकारी स्तर पर प्र"ासनिक विभाग रा"ि के ठीक ढंग से उपयोग स्वीकृत सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कुछ सामान्य शर्तों को तैयार करता है। जोकि निम्न प्रकार हैं।

1. कार्यक्रम का नाम, प्रस्तावित लागत आहरण और संवितरण अधिकारी के पास निर्माण हेतु उपलब्ध धनरा"ि, रा"ि का स्त्रोत (केंद्र द्वारा प्रायोजित, राज्य द्वारा वित्त पोषित, बाहरी अनुदान या जनपद योजना)।
2. आहरण और संवितरण अधिकारी का ब्यौरा जिसे कोषागार से रा"ि का आहरण करना है।
3. सक्षम अधिकारी की आव"यक अनुमति (तकनीकी या प्र"ासनिक), जहां–जहां बताया गया है, वित्तीय हस्तपुस्तिका या बजट मेनुअल में दिए गए प्राविधानों के अनुसार आव"यक है। कोई भी खर्च करने के पहले यह आव"यक है।
4. सरकारी आदे"ाों में यह भी उल्लेख है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिए गए भंडार खरीद नियमों का पालन किया जाना बहुत जरूरी है।

5. सरकारी आदे''ा में यह भी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि परियोजना के भौतिक तथा वित्तीय प्रगति को मासिक/तिमाही आधार पर सरकार को मुहैया कराया जाना आव''यक है।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त सरकारी आदे''ों में यह भी दिया हुआ है कि संबंधित कार्यपालक इंजीनियर या अन्य कोई ऐसा अधिकारी कार्य के समय से पूरा करने और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. सरकारी आदे''ों में यह एक अन्य आव''यक शर्त है कि यदि पहले की किस्त का उपयोग नहीं किया गया है तो अवमुक्त की गई रा''ि का आहरण नहीं किया जाएगा।
8. इस बात पर जोर दिया गया है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से जमा कर दिया जाए।
9. सरकारी आदे''ा में ग्रांट नं. तथा खर्च का ब्यौरा दिया रहता है यह ग्रांट नं. 15 संख्याओं का एक कोड होता है जोकि कोषागार से आहरण के लिए दिया जाता है।

सरकारी आदे''ा जारी किए जाने के प''चात् संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी रा''ि को आहरण के लिए संबंधित जनपद कोषागार में बिल जामा करता है। तत्प''चात सरकारी आदे''ा में दी गई रा''ि का चेक कोषागार द्वारा जारी किया जाता है।

10.4 लेखा का संकलन

राज्य के सभी कोषागार जनपद के मासिक निकासी का संकलन तैयार करते हैं जिसका बाद में संबंधित विभागों से मिलान किया जाता है। सभी जनपद कोषागार खर्च के इस संकलन विवरण को निदे''ाक कोषागार को तथा राज्य सरकार को भेजते हैं। इस व्यवस्था द्वारा विभिन्न स्तरों पर जैसे आहरण और संवितरण अधिकारी, कोषागार, राज्य तथा सरकार के स्तर पर रा''ि के प्रवाह की जानकारी को सुनि''िचत करने में सुविधा रहती है।

उपरोक्त प्रक्रिया का प्रयोग उन सभी आहरणों के लिए किया जाता है जहां पर बजट प्रावधान राज्य के बजट में केंद्र अनुदान/बहारी अनुदान/राज्य सेक्टर या जनपद सेक्टर की परियोजनाओं के लिए किया जाता है। कुछ केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए भारत सरकार नोडल अधिकारियों को सीधे–सीधे रा''ि अवमुक्त करती है जिसमें उपयोग की शर्तें दी गई रहती है। एक परियोजना के लिए प्रारंभिक किस्त के प''चात् अगली किस्त को अवमुक्त कराने के लिए भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है।

बाहरी अनुदान वाली परियोजनाओं जैसे वि''व बैंक द्वारा सहयता प्राप्त स्वजल I परियोजना के लिए राज्य सरकार बजट प्रावधानों को पहले अवमुक्त करती है और उसके प''चात् वित्त अनुबंधों के अनुसार खर्चा किया जाता है। तत्प''चात् खर्च किए गए धन की प्रतिपूर्ति हेतु उसे वित्तीय सहायता प्रदान करनी वाली एजेंसी को भारत सरकार के नियंत्रक अनुदान, लेखा तथा लेखा परीक्षा को बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जमा कराना होता है।

10.5 लेखा परीक्षा व्यवस्था

वर्तमान में सभी तीनों सेक्टर संस्थाएं यथा उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराचंल जल संस्थान तथा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता सोसाइटी (स्वजल) अपने–अपने लेखा का लेखा परीक्षण अलग–अलग करती हैं। उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान का लेखा परीक्षण राज्य के लेखा महानिदे''ाक द्वारा किया जाता है जबकि परियोजना प्रबंधन इकाई तथा इसकी जनपद इकाईयां, जिसमें ग्राम पंचायतें/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियां सम्मिलित हैं, का लेखा परीक्षण चार्टिरित लेखा परीक्षकों की फर्म द्वारा किया जाता है जिनकी तैनाती पराम''ादाता के लिए वि''व बैंक वसूली दि''ाा–निर्दे''ों के अनुसार किए जाता है।

10.6 सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंर्तगत वित्त प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रस्तावित मुख्य बातें

भारत सरकार द्वारा प्राप्त रा’’ि कोई भी रास्ता तय कर सकती है। इसका प्रवाह उत्तरांचल सरकार, या राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान या परियोजना प्रबंधन इकाई, या जल निगम/जल संस्थान या परियोजना प्रबंधन इकाई/जल संस्थान/जल निगम की कोई जनपद इकाई के माध्यम से हो सकता है। वि’’व बैंक को जमा की जानी वाली अंतिम वित्तीय रिपोर्ट जिसे राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान तैयार करता है उसमें उस रा’’ि को भी सम्मिलित किया जाता है जोकि सीधे–सीधे राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान द्वारा परिचालित नहीं की गई है। सभी सहभागियों से रिपोर्ट को सुनि’’चत करने के लिए एक ऐसे तंत्र को विकसित किया जाना जरूरी है जिसके माध्यम से ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं के लिए प्राप्त नवीन पूंजी खर्च की प्राप्ति तथा उसके खर्च के विषय में सूचनाएं राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान को पहुंच सकें। नवीन पूंजी खर्च का मतलब यह है कि वे सभी एकल ग्राम परियोजनाएं जिनका चिन्हिकरण 31/3/2006 के प’’चात् किया गया है तथा वे बहुग्रामीण परियोजनाएं जिनका चिन्हिकरण 30/11/2006 के प’’चात् किया गया है वे सकल क्षेत्र में समरूप नीति के दि’’ाा–निर्दे’’ाों का पालन करेंगी।

इस बात पर ध्यान दिया जाना आव’’यक है कि सेक्टर संस्थान की कोई भी जनपद इकाई भारत सरकार के किसी कार्यक्रम के अंतर्गत अलग से रा’’ि प्राप्त कर सकती है। परंतु इसकी सूचना राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान तक भी पहुंचना जरूरी है जिससे की वह उपरोक्त पैरा में बताए अनुसार वि’’व बैंक को पूरी रिपोर्ट दे सके।

ऐसा भी हो सकता है कि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त रा’’ि का उपयोग एक ही ग्राम में किया जा रहा हो। उदाहरण स्वरूप संपूर्ण स्वच्छता अभियान की रा’’ि द्वारा व्यक्तिगत गृहों में शौचालयों का निर्माण। साथ ही साथ स्वजल धारा परियोजना के अंतर्गत जल आपूर्ति का निर्माण। वहां पर वि’’व बैंक या अन्य एजेंसी से प्राप्त रा’’ि का उपयोग उनके द्वारा दिए गए नियमों को पालन करते हुए किया जाएगा। उसी समय दक्षता विकास गतिविधयां या सूचना, ि’’ाक्षा तथा संचार हेतु किसी अन्य परियोजना से भी उपलब्ध रा’’ि का प्रयोग इस कार्यक्रम के लिए किया जाएगा।

इसके 6 मुख्य घटक होंगे–1. जल आपूर्ति (एकल ग्राम परियोजना तथा बहुग्रामीण परियोजना) 2. जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम 3. सार्वजनिक संस्थाओं को जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं 4. व्यक्तिगत गृहों में शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता तथा पुरस्कार या अन्य लागत 5. दक्षता विकास तथा सहयोगी संस्थाओं पर लागत 6. कार्यक्रम प्रबंधन लागत। इन सब को तीन बृहद क्षेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा अ. सेक्टर विकास, ब. ढांचागत विकास, स. कार्यक्रम प्रबंधन, मानीटरीकरण तथा मूल्यांकन।

उपरोक्त संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्राप्तियों तथा भुगतान को सुनि’’चत किया जाएगा और इसके विषय में राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान पूरी जानकारी प्राप्त करता रहेगा जिससे की सकल क्षेत्र में समरूप नीति के दि’’ाा–निर्दे’’ाों के अनुसार उत्तरांचल ग्रामीण जल स्वच्छता तथा पर्यावरण सेक्टर की पूरी रिपोर्ट दी जा सके।

10.7 उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित राशि प्रवाह तथा लेखा

10.7.1 राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन का सचिवालय (शीर्ष समिति)

उत्तरांचल सरकार के पेयजल विभाग में अलग से इस प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी जो राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। प्रारंभ में इस प्रकोष्ठ के मुखिया उत्तरांचल सरकार के पेयजल विभाग के अपर सचिव होंगे। इस प्रकोष्ठ में निष्ठावान, पूरा समय देने वाले वरिष्ठ अधिकारी होंगे जिनका पद उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के अध्यक्षक इंजीनियर से कम नहीं होगा। इसमें वरिष्ठ स्तर के एक वित्त अधिकारी होंगे जो राज्य वित्त सेवा से लिए जाएंगे। इस प्रकोष्ठ का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुधार सिद्धांतों के अंतर्गत उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान तथा ग्रामीण जल आपूर्ति स्वच्छता

तथा पर्यावरण सोसाइटी (परियोजना प्रबंधन इकाई) द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों के पूरी प्रगति पर नजर रखें। इस प्रकोष्ठ की सकल क्षेत्र में समरूप नीति के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका होगी। जिसमें निम्नलिखित आयामों पर वि''ौष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

1. राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन पर नजर रखना, राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के नीतिगत निर्णयों का प्रचार–प्रसार करना तथा विभिन्न कार्यक्रम सहयोगियों द्वारा ली गई नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन करना।
2. मध्यम अवधि विकास कार्यक्रम (2005–2012) के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का मानीटरीकरण।
3. मध्यम अवधि की विकास परियोजनाओं के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों तथा सेक्टर कार्यक्रमों के रा''ा प्रवाह तथा खर्च व्यवस्था का मानीटरीकरण करना।
4. विभिन्न सेक्टर कार्यक्रम सहयोगियों से राजकोषीय आंकड़ों तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एकत्र करना तथा उन्हें भारत सरकार को भेजना।
5. वि''व बैंक को प्रतिपूर्ति दावों को जमा करना।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि सकल क्षेत्र में समरूप दृष्टिकोण के अंतर्गत रा''ा तथा व्यय पर सरलतापूर्वक नजर रखी जा सकेगी और यह उत्तरदायित्व राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान के सचिवालय की होगी।

10.7.2 सकल क्षेत्र में समरूप कार्यक्रम के दौरान उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियां

सकल क्षेत्र में समरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा चलाई जानी वाली गतिविधियों के पृष्ठ भूमि के रूप में निम्नलिखित को संक्षेप में दिया जा रहा है।

अ) उत्तरांचल जल संस्थान : सहभागिता के रूप में जो एकल ग्राम जल आपूर्ति परियोजनाएं वर्तमान में उत्तरांचल जल संस्थान पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर चला रही है उनका जीर्णोधार। उत्तरांचल जल संस्थान पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहयोगी संस्था का कार्य करेगी तथा पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। तकनीकी विकल्पों, क्रियान्वयन इत्यादि के विषय में निर्णय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लिया जाएगा। उत्तरांचल जल संस्थान उन चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी कार्य करेगा जो उनकी सूची में दर्ज की गई हैं।

ब) उत्तरांचल पेयजल निगम : उत्तरांचल पेयजल निगम बहुग्रामीण परियोजनाओं का निर्माण तथा रख–रखाव स्वच्छ जल झील तक करेगा। अंतरा ग्राम वितरण व्यवस्था का निर्माण और रख–रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। जब तक की ग्राम पंचायतें यह नहीं चाहती की यह काम भी सेक्टर संस्थाओं द्वारा किया जाए। उत्तरांचल पेयजल निगम उन चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी कार्य करेगा जो उनकी सूची में दर्ज की गई है।

स) ग्रामीण जल आपूर्ति पर्यावरण तथा स्वच्छता सोसाइटी स्वजल : कार्यक्रम के नवीन एकल ग्राम परियोजना घटक के क्रियान्वयन में परियोजना प्रबंधन इकाई जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई को सुविधाएं प्रदान करेगा। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयां ग्राम पंचायतों तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों को एकल ग्राम परियोजनाओ के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी।

मध्यम अवधि सेक्टर कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के अंतर्गत रा''ा पर नजर रखने की प्रक्रिया को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	नवीन पूंजी लागत के घटक	राशि प्रवाह तथा उस पर नजर	प्रतिपूर्ति
1.	जल आपूर्ति परियोजनओं के हार्डवियर का मूल्य		
1.1	एकल ग्राम परियोजना	उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से ग्राम पंचायतों को राशि अवमुक्त करेंगी	परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा तैयार की गई मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर राज्य जल तथा स्वच्छता प्रकोष्ठ जांच कर दावे को भारत सरकार को अग्रसारित करेगा
1.2	बहुग्रामीण परियोजना	उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान की जनपद इकाईयों को राज्य स्तर की उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के माध्यम से राशि अवमुक्त करेगी	उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा तैयार की गई मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर राज्य जल तथा स्वच्छता प्रकोष्ठ जांच कर दावे को भारत सरकार को अग्रसारित करेगा
2.	एकल ग्राम परियोजना को ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना	उत्तरांचल सरकार राज्य स्तरीय उत्तरांचल जल संस्थान के माध्यम से उत्तरांचल जल संस्थान से जनपद इकाईयों को राशि अवमुक्त करेगी जिसे वे ग्राम पंचायतों को देंगी	उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा तैयार की गई मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर राज्य जल तथा स्वच्छता प्रकोष्ठ जांच कर दावे को भारत सरकार को अग्रसारित करेगा
3.	जलग्रहण क्षेत्र तथा प्रबंधन कार्यक्रम	उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार ग्राम पंचायतों को परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से राशि अवमुक्त करेगा	परियोजना प्रबंधन इकाई को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भेजे गए मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर परियोजना प्रबंधन इकाई इसकी समीक्षा कर इसे राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन प्रकोष्ठ को जांच करने के लिए अग्रसारित करेगी जिसे वह दावे हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करेगी।
4.	सार्वजनिक संस्थाओं को जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान की जनपद इकाईयों को राज्य स्तरीय उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के माध्यम से राशि अवमुक्त करेगी	उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा तैयार की गई मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर राज्य जल तथा स्वच्छता प्रकोष्ठ जांच कर दावे को भारत सरकार को अग्रसारित करेगा
5.	ग्रामीण स्वच्छता लागत	उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से ग्राम पंचायतों को राशि अवमुक्त करेंगी	परियोजना प्रबंधन इकाई को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भेजे गए मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर परियोजना प्रबंधन इकाई इसकी समीक्षा कर इसे राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन प्रकोष्ठ को जांच करने के लिए अग्रसारित करेगी जिसे वह दावे हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करेगी।
6.	दक्षता विकास तथा सहयोगी संस्थाओं पर लागत	उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से राशि अवमुक्त करेंगी	परियोजना प्रबंधन इकाई को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भेजे गए मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर परियोजना प्रबंधन इकाई इसकी समीक्षा कर इसे राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन प्रकोष्ठ को जांच करने के लिए अग्रसारित करेगी जिसे वह दावे हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करेगी।
7.	लेखा परीक्षा	उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई/उत्तरांचल	उत्तरांचल जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान/परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा तैयार की गई मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर

		जल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान के माध्यम से रा’’ि अवमुक्त करेंगी	राज्य जल तथा स्वच्छता प्रकोष्ठ जांच कर दावे को भारत सरकार को अग्रसारित करेगा
8.	परियोजना प्रबंधन लागत	उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार परियोजना प्रबंधन इकाई/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से रा’’ि अवमुक्त करेंगी	परियोजना प्रबंधन इकाई को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भेजे गए मासिक/तिमाही विवरण के आधार पर परियोजना प्रबंधन इकाई इसकी समीक्षा कर इसे राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान प्रकोष्ठ को जांच करने के लिए अग्रसारित करेगी जिसे वह दावे हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करेगी।

1. सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंर्तगत नई लागत के लिए उत्तरांचल सरकार सेक्टर संस्थाएं तथा स्वजल निदे’’ालय को अलग सरकारी आदे’’ा के माध्यम से रा’’ि अवमुक्त करेगी। इस सरकारी आदे’’ा में वे नियम, शर्तें तथा प्रक्रियांए होंगी जिनके अनुसार व्यय किया जाना है। उत्तरांचल सरकार एक साथ वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करेगी। इसके बदले विभिन्न परियोजनाओं के लिए अलग–अलग किस्तों में स्वीकृति जारी की जाएगी। क्रियान्वयन के दौरान रा’’ि किस्तों में अवमुक्त की जाएगी जिसका अनुपात सामान्यतः 20:30:30:20 होगा। अगली किस्त तभी अवमुक्त की जाएगी जब पहली किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा जिसमें यह भी प्रमाण दिया जाएगा कि सेक्टर संस्थाओं तथा स्वजल निदे’’ालयों द्वारा संतोषजनक प्रक्रियाओं को अंगीकृत किया गया है।

2. नए लागत के लिए सभी अवमुक्त आदे’’ा राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान के सचिवालय को भेजे जाएंगे जिससे के वह अवमुक्त की गई रा’’ि पर नजर रख सके। इसके अतिरिक्त सभी उपयोग प्रमाण पत्रों की प्रति भी उत्तरांचल सरकार के साथ–साथ राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान के सचिवालय को भी भेजी जाएगी। यह व्यवस्था सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत अवमुक्त की गई रा’’ि पर ठीक ढंग से नजर रखने तथा लेखा परीक्षण के लिए की गई है और इससे यह भी सुनि’’िचत हो सकेगा की स्वीकृति नियमों और शर्तों के अनसुार ही इनका व्यय किया गया है।

उपरोक्त व्यवस्था को सुनि’’िचत करने के लिए निम्नलिखित को अंगीकृत किया जाएगा :

1. राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान के सचिवालय को रिपोर्ट करने के उद्दे’’य से राज्य स्तर, जनपद स्तर की सभी तीनों संस्थाओं तथा ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति स्तर के लिए एक समान रिपोर्ट फोर्मेट विकसित किया जाएगा। महीने के अंत में राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान प्रकोष्ठ को प्रगति रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसमें बैंक में रोकड़ जमा, उस अवधि की प्राप्तियां (भीतर सरकार, उत्तरांचल सरकार, बैंक ब्याज, सामुदायिक अं’’ादान नगद तथा मजदूरी के रूप में सामुदायिक अं’’ादान, अन्य कोई प्राप्ति) शीर्षवार भुगतान जिसे रोकड़ जमा तथा प्राप्ति से इस अवधि में किया गया है तथा बैंक का बाकी रोकड़ और नगद इत्यादि को द’’ााया जाएगा। इन ब्यौरों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए से मुहैया कराया जाएगा।

2. राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान का सचिवालय तीनों संस्थाओं से प्राप्त की गई वित्तीय सूचनाओं का विवरण तैयार करेगा और इसे आगे राज्य सरकार, केद्र सरकार तथा अन्य रा’’ि प्रदाता एजेंसी को आव’’यकता के अनुसार रिपोर्ट करेगा।

3. ऊर्धावाधर रिपोटिंग के बजाय तीनों संस्थाएं या उनकी जनपद इकाईयां किसी भी वित्त प्रदाता एजेंसी को अनुबंध के अनुसार रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होंगी। उदाहरण के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान की ऑन लाइन रिर्पोटिंग जनपद स्तर के भारत सरकार को चाहिए होती है।

4. राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान का सचिवालय यह भी सुनि''चित करेगा कि तीनों संस्थाओं के लेखा परीक्षण को ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के स्तर पर किया जाए। बाहरी लेखा परीक्षकों को समय से तैनात किया जाएगा जिससे की वर्ष में किसी भी समय वार्षिक रिपोर्ट तैयार मिले क्योंकि वित्त प्रदाता एजेंसियों की भुगतान संबंधी यही शर्त होती है कि अगले किस्त को अवमुक्त करने के पहले उन्हें लेखा परीक्षा की रिपोर्ट चाहिए होती है। इससे यह भी सुनि''चित हो सकेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षा की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 6 माह के भीतर अव''य मिल जाए यथा अगले वित्तीय वर्ष क लिए सिंतबर के महीने तक।

5. उपरोक्त व्यवस्था को रिर्पोटिंग व्यवस्था के माध्यम से सुनि''चित किया जा सकता है।

वि''व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित विधियों को उपयोग में लाया जाएगा

1. प्रस्तावित व्यवस्था के अंर्तगत वि''व बैंक राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के अंर्तगत विकास संबंधी गतिविधियों को वित्तीय सहायता हेतु ऋण प्रदान करेगा।

2. वि''व बैंक कार्यक्रम को रा''ा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के लिए खोले गए वि''ोष खाते में धन जमा कर प्रदान करेगा।

3. वि''ोष खाता परिक्रामी खाता है जिसमें वि''व बैंक रा''ा जमा करता है। यह रा''ा केवल कार्यक्रम में योग्य व्यय हेतु बैंक के शेयर को आच्छादित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह वि''ोष खाता भारत सरकार द्वारा रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया में खोला जाता है। यह खाता वि''व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए अलग–अलग होता है जिसमें विदे''ाी मुद्रा का विनिमय किया जा सकता है।

4. वि''ोष खाते का संचालन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के नियंत्रक अनुदान, लेखा तथा लेखा परीक्षा द्वारा किया जाता है। परियोजना में व्यय की गई धनरा''ा के भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति दावे के आधार पर नियंत्रक अनुदान, लेखा तथा लेखा परीक्षा रिर्जव बैंक को एक संज्ञापन जारी करता है जिसमें की दावा की गई रा''ा को परियोजना के वि''ोष खाते से भारत सरकार के सामान्य खाते में हस्तांतरित करने की बात होती है।

5. वि''व बैंक नियमित अवधि पर प्रतिपूर्ति के माध्यम से वि''ोष खाते में धन जमा करता रहता है। वि''व बैंक द्वारा खाते में जमा कराने और उसकी की बारम्बारता संवितरण की विधि पर निर्भर करता है।

भारत सरकार के बैक टू बैंक लैंडिंग की नई व्यवस्था के अंर्तगत यह स्पष्ट नहीं है कि वि''व बैंक, आर्थिक मामलों के विभाग और राज्य सरकार के बीच किस वि''ोष व्यवस्था की मंजूरी की गई है। इसके विषय में ऋण प्राप्त करने के समय होने वाले विचार–विम''ा के दौरान स्पष्टिकरण दिया जाना चाहिए। यदि यही व्यवस्था जारी रखी जाएगी तो हम उपरोक्त व्यवस्था को मान्यता देंगे।

10.7.3 ग्रामीण जल तथा स्वच्छता सेक्टर उत्तरांचल के सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम हेतु प्रतिपूर्ति प्रस्तावों के दिशा-निर्देश

स्वीकृत दि''ाा–निर्दे''ाों के अंर्तगत क्रियान्वित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के कुल लेखा परीक्षित व्यय के प्रति''ात शेयर की प्रतिपूर्ति वि''व बैंक करेगा। जोकि वार्षिक पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इस प्रतिपूर्ति में सभी नए निवे''ाों की पूंजी लागत सम्मिलित होगी। जिसमें एकल ग्राम परियोजनाओं तथा बहुग्रामीण परियोजनाओं के निर्माण, एकल ग्राम परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौपां जाना, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम, सार्वजनिक

संस्थाओं को जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता लागत, दक्षता विकास तथा सहयोगी संस्थाओं पर लागत, लेखा परीक्षण शुल्क तथा परियोजना प्रबंधन लागत सम्मिलित होंगी।

परियोजना को प्रारंभ में शुरूआती अग्रिम धनरा''ि दी जाएगी जोकि परियोजना के पहले 6 माह के दौरान होने वाले व्यय, बैंक शेयर के बराबर होगी। यह बजट आकलन के आधार पर होगा। दूसरी भुगतान 6 माह बाद की जाएगी जोकि कार्यक्रम के सही व्यय के प्रति''ात प्रतिपूर्ति के आधार पर होगा। जिसे राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान अपने गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण में रिपोर्ट करेगी। उसके प''चात् प्रत्येह 6 माह पर भुगतान किया जाएगा जोकि वित्तीय विवरण के आधार पर होगा और पहले की अवधि के लिए प्राप्त अंतिम लेखा परीक्षण के समायोजन पर निर्भर करेगा।

उत्तरांचल सरकार नई परियोजनाओं में लागत के लिए रा''ि को पिछली अवधि से प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थना कर सकती है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2005/2006 के दौरान समुदायिक भागीदारी के मॉडल को प्रयोग करते हुए क्रियान्वित की जाने वाली परियोजना के तैयारी की गतिविधियां सम्मिलित होंगी। राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा परियोजना को प्रारंभ करने के पूर्व किए गए ऐसे सभी व्यय के लिए अलग से खाते का रख–रखाव किया जाएगा। जिसमें अन्य परियोजना व्यय के लिए तैयार किए गए फोर्मेट का प्रयोग किया जाएगा। इस घटक की प्रतिपूर्ति अंतिम लेखा परीक्षा के आधार पर की जाएगी।

स्थापना लागत, सामग्री, कार्य तथा सेवा, जिसके विषय में राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण में बताया गया हो, उसे सही व्यय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों, सेक्टर संस्थाओं तथा अन्य आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया अग्रिम तभी व्यय माना जाएगा जब उपयोगिता प्रमाण पत्र, एस.ओ.ई, बीजक तथा अन्य ऐसे साक्ष प्रस्तुत किए जाएगा जो कि सही व्यय को द''ााते हो और जो वित्तीय प्रबंधन मेनुअल में दिए गए दि''ाा–निर्दे''ाों के अनुरूप हो।

कार्यक्रम के अंर्तगत किए गए सभी व्यय को प्रतिपूर्ति के लिए योग्य माना जाएगा जो कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए प्रति''ात दर के अनुसार होगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां नही की जाएंगी जो बैंक के विचार से कार्यक्रम में जिस काम के लिए दी गई हों उसे न करके अन्य मद में लगाया गया हो या जिसमें उत्तरांचल सरकार के नीतिगत दि''ाा–निर्दे''ाों का पालन ना किया गया हो। ऐसे उदाहरणों की पहचान देखरेख तथा लेखा परीक्षण के दौरान की जाएगी। वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट में दिखाए गए व्यय तथा अंतिम लेखा परीक्षण में पाए गए व्यय के बीच के अंतर को तथा अन्य अस्वीकृतियों का सामायोजन अगले समवितरण दावे में किया जाएगा। कोई ऐसी अस्वीकृति जिसे परियोजना को बंद करने के प''चात् लेखा परीक्षक द्वारा पाया जाता है तो उसे बैंक को वापस कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित तालिका में योग्य व्यय की श्रेणियों को द''ााया गया है जिनको वित्तीय, आवंटित धन, तथा प्रति''ात व्यय के आधार पर तैयार किया गया हो।

श्रेणी	**व्यय का प्रतिशत जिसे वित्तीय सहायता दी जाएगी**
(1) योग्य परियोजना गतिविधियां जिन्हें परियोजना के भाग अ के अंर्तगत किया गया है	योग्य परियोजना व्यय का 100 प्रति''ात
(2) योग्य परियोजना गतिविधियां जिन्हें परियोजना के भाग ब तथा स के अंतर्गत किया गया है	राजकोषीय वर्ष 2006/07 से राजकोषीय वर्ष 2007/08 में योग्य परियोजना व्यय का 100 प्रति''ात, राजकोषीय वर्ष 2008/09 में 90 प्रति''ात, राकोषीय वर्ष 2009/10 में 70 प्रति''ात तथा उसके प''चात 55 प्रति''ात

उत्तरांचल सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय (अनुदान लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग) को छमाही प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जाएगा। वि''व बैंक सभी भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित वि''ोष खाते में करेगा। इसे प''चात् अतिरिक्त ए.सी.ए. के रूप में यह धन राज्य सरकार को अग्रिम रूप से दिया जाएगा।

उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार प्रारंभ में कार्यक्रम को रा"ायां प्रादान करेंगी। उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार द्वारा भेजे गए दावे के आधार पर वि"व बैंक रा"ा भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाएगी।

वर्तमान वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रक्रिया लागू की गई है। भारत सरकार ए.आर. डब्ल्यू.एस.पी., संपूर्ण स्वच्छता अभियान, भारत निर्माण, स्वजल धारा, प्रधानमंत्री की घोषणाओं के इत्यादि के अंर्तगत रा"ा प्रदान करती है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए अलग–अलग फोर्मेट तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार के स्तर पर राज्य जल तथा स्वच्छता मि"ान प्रकोष्ठ को अवमुक्त की गई सभी रा"ा के विषय में सूचना दी जाएगी। जिससे वह प्रत्येक रा"ा के लिए रिपोर्ट तैयार कर सके और उसे वि"व बैंक या अन्य किसी एजेंसी को आव"यकता पड़ने पर उपलब्ध करा सके। एकल ग्राम परियोजनाओं के लिए उपलब्ध रा"ा का उपयोग उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के लागत के लिए प्रस्तावित लेखा व्यवस्था और उसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करने इत्यादि के विषय में वित्तीय प्रबंधन मेनुअल में बताया गया है। इसी प्रकार बहुग्रामीण परियोजनाओं की रा"ा का उपयोग उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा किया जाएगा और जैसा की ऊपर बताया गया है इसी अनुसार इसके लेखा और रिपोर्ट को तैयार करने की विधियों को उपयोग में लाया जाएगा।

अध्याय 11

सेक्टर कार्यक्रम के लिए वसूली व्यवस्था

11.1 सामान

वसूली का मुख्य उद्दे"य सही गुणवत्ता वाले काम/सामग्री तथा सेवा को उचित तथा प्रतियोगी मूल्य पर प्राप्त करना है। इसमें उन सभी व्यक्तियों/कंपनियों/फर्म/निर्माता तथा ठेकेदारों को जोकि अच्छा कार्य तथा सेवा देने के योग्य है उनको समान अवसर दिया जाना भी सम्मिलित है। वसूली नीति में यह भी ध्यान रखा गया है कि विकास के लिए राष्ट्रीय इकाईयों, पराम"ादायी फर्मो, निर्माताओं तथा ठेकेदारों इत्यादि को प्रोत्साहन भी दिया जाए। निम्नलिखित सिद्धांत आम तौर पर स्वीकृत है जिन्हें उपयोग में लाया जा रहा है।

- आर्थिक तथा दक्षता की आव"यकता
- उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की आव"यकता
- सभी योग्य बोली लगाने वालों को सही अवसर
- घरेलू ठेकेदारी, निर्माण तथा पराम"ादायी फर्मो का विकास
- वसूली प्रक्रिया में पारद"िता

11.2 वसूली योजना

बजट में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पहले वर्ष तथा उसके बाद के वर्षो के लिए वसूली योजना बनाया जाना जरूरी है। जिसमें सामग्री, कार्य तथा सेवाओं का मूल्य तथा तकनीकी एवं प्र"ाासनिक स्वीकृत आकलन का विवरण दिया गया हो। उसके प"चात् ही वसूली योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

11.3 वसूली की विधियां

विभिन्न मूल्य तथा तकनीक के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाएगा :

11.3.1 सामग्री, कार्य तथा सेवाएं (परामर्शदायी सेवाओं के अतिरिक्त)

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियां
- राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियां
- सीमित प्रतियोगी बोलियां
- सामग्री तथा सीविल कार्य के लिए खरीदारी
- सीधी ठेकेदारी

11.3.2 परामर्शदायी सेवाएं

- गुणवत्ता तथा मूल्य आधारित चयान
- गुणवत्ता आधारित चयन
- नि"चित बजट के अंर्तगत चयन
- सबसे कम मूल्य पर चयन
- पराम"ीदाता की योग्यता के आधार पर चयन
- एकल स्त्रोत चयन

11.3.3 कुशल/गैर कुशल मजदूर

- दैनिक दिहाढ़ी पर (मस्टर रोड)

11.3.4 मालिकाना सामग्री

- सीधे उसी फर्म को ठेका देना जो उस ब्रांड का निर्माण करती हो

11.3.5 सामुदायिक वसूली

- बाजार सर्वे द्वारा (खरीदारी)
- ग्राम पंचायत/लाभार्थी समिति द्वारा

11.4 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियां तथा सेवाओं के लिए परामर्शदाताओं का चयन तथा जहां सूची में विदेशी परामर्शदाता हों

यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली वसूली के लिए लगाई जानी है तो प्रस्तावित बोली के लिए मानक बोली दस्तावेज/मानक प्रार्थना वि"व बैंक द्वारा तैयार किए गए दि"ाा–निर्दे"ों के अनुसार निम्न प्रकार होगा।

11.5 अधिकार का प्रत्यायोजन

विवरण	मूल्य	सक्षम अधिकारी
विकास परियोजना रिपोर्ट की निरूपकता तथा स्वीकृति	20,00,000 रूपए से कम	परियोजना प्रबंधक, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई

	20,00,000 रूपए से अधिक या उसके बराबर	निदेशक परियोजना प्रबंधन इकाई
विकास परियोजना रिपोर्ट में दिए गए व्यक्तिगत मदों के वसूली के समय दरों के अंतर हेतु स्वीकृति	यदि दर 10 प्रतिशत तक बड़े हुए हैं	परियोजना प्रबंधक, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई
	यदि दर 10 प्रतिशत से अधिक है	निदेशक परियोजना प्रबंधन इकाई
सामग्री, कार्य तथा सेवाओं के लिए वसूली के मल्य की सीमा	5,00,000 रूपए तक	परियोजना प्रबंधक, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई
	5000000 रूपए तक	निदेशक परियोजना प्रबंधन इकाई
	5000000 रूपए से अधिक	वित्तीय समिति परियोजना प्रबंधन इकाई

11.6 वसूली लेखा परीक्षण

सामग्री, कार्य तथा परामर्शदायी सेवाओं के लिए दिए जाने वाले ठेकों के संबंधित सभी वसूली फाइलों तथा दस्तावेजों का लेखा परीक्षण के पश्चात् किए गए कार्यों को वसूली लेखा परीक्षा में संदर्भित किया गया है। यह किसी भी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा के साथ की जाएगी। वित्तीय लेखा परीक्षा का संदर्भित विषय क्षेत्र सभी सहभागियों द्वारा की गइ वसूली से संबंधित मुद्दो से जुड़े बिन्दुओं को सम्मिलित किए हुए होगा। मूल रूप से वसूली लेखा परीक्षा इसलिए किया जाता है कि यह पता लगाया जा सके कि वसूली प्रक्रियाओं का सही तथा पूर्ण रूप से पालन किया गया है। इससे गलतियों का पता चलता है जोकि प्रक्रिया को ठीक ढंग से न समझने के कारण या जानबूझ कर भ्रष्टाचार इत्यादि के लिए की गई हों। अतः वसूली लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा इसके अवलोकन कमियों को दूर करने और वसूली प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए होती है। एजेंसियों को इस काम के लिए तैनात करने के पूर्व वित्तीय तथा वसूली लेखा परीक्षा के संदर्भित विषय क्षेत्र को विश्व बैंक द्वारा स्पष्ट किया जाना जरूरी है।

11.7 दूर्यवसूली

जो सामग्री, कार्य तथा सेवाओं की वसूली मेनुअल तथा अन्य राज्य सरकार की प्रक्रियाओं को ध्यान में रख कर नहीं किया गया है उन्हें दूर्यवसूली माना जाएगा। ऐसी वसूलियों पर किया गया व्यय कार्यक्रम की राशि से वित्त पोषित करने के योग्य नहीं मानी जाएंगी।

11.8 शिकायत दूर करने का तंत्र

ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायतों को प्रभावशाली ढंग से दूर करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर शिकायत दूर करने का तंत्र उपलब्ध है। शिकायत मिलते ही उसे दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। ऐसी शिकायतों को उस स्तर से ऊंचे स्तर पर दूर करने का प्रयत्न किया जाता है जिस स्तर पर वसूली की प्रक्रिया की जा रही हो। शिकायत तथा उसमें लगाए गए आरोपों की पूरी जांच की जाती है और यदि वे सही पाए जाते हैं तो सक्षत अधिकारी द्वारा उन्हें दूर करने के उचित उपायों का प्रयोग किया जाता है।

ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्तिगत स्टाफ इसके लिए उत्तरदायी पाया जाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सीविल सर्विस कन्डक्ट रूल तथा राज्य स्तर पर कलासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील रूल के अंर्तगत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। यदि किसी स्टाफ द्वारा गैर कानूनी कार्य करने की जानकारी मिलती है तो इसे भी दुर्व्यवहार माना जाता है और ऐसे स्टाफ के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है और उसे नियम के अनुसार सजा दी जाती है।

कानून के अंर्तगत मौजूद प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय के अनु’’ासनिक तथा अपील की शक्तियों को ऐसी स्थिति में ठीक से पालन करना आव’’यक है जिससे की ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता की ि’’ाकायत को दूर किया जा सके।

11.9 सामुदायिक वसूली (सिद्धांत तथा प्रक्रिया का विवरण)

समुदाय का मालिकाना हक, संपूर्ण प्रक्रिया पर नियंत्रण, परियोजना के पूंजी लागत में समुदाय द्वारा भागीदारी तथा इसकी सरलता, इस प्रकार के वसूली के गुण है। यद्यपि यह सामुदायिक भागीदारी की वसूली है परंतु इसमें कहीं पर भी प्रतियोगिता तथा पारदर्’’िता के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया गया है। इसे इस ढंग से तैयार किया गया है कि वह ग्रामीण वातावरण में समुदाय की दक्षता के अनुकूल हो।

जब परियोजना का क्रियान्वियन सामुदायिक भागीदारी द्वारा किया जाना हो तब आव’’यक सामग्री की वसूली एकी ही बार में किया जाना उचित रहेगा। बार–बार की जाने वाली वसूली में अगले 6 महिनों या 1 वर्ष की अवधि में आपूर्तिकर्ता की दक्षता में भिन्नता आ सकती है। बाजार का सर्वे करना सबसे सरल तरीका है जिसे की सामग्री इत्यादि की वसूली के पहले समुदाय द्वारा कर लिया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग कार्य तथा अन्य वि’’ोषज्ञता वाले कार्यो की वसूली स्थानीय मजदूरी की तैनाती द्वारा किया जाना चाहिए। वि’’ोष कार्य जैसे एलीवेटेट स्टोरेड रिर्जवायर तथा डिलिंग की वसूली इंवीटे’’ान टू कोट द्वारा किया जाना चाहिए। इन विधियों को नीच दिए गए चित्र में प्रस्तुत किया गया है।

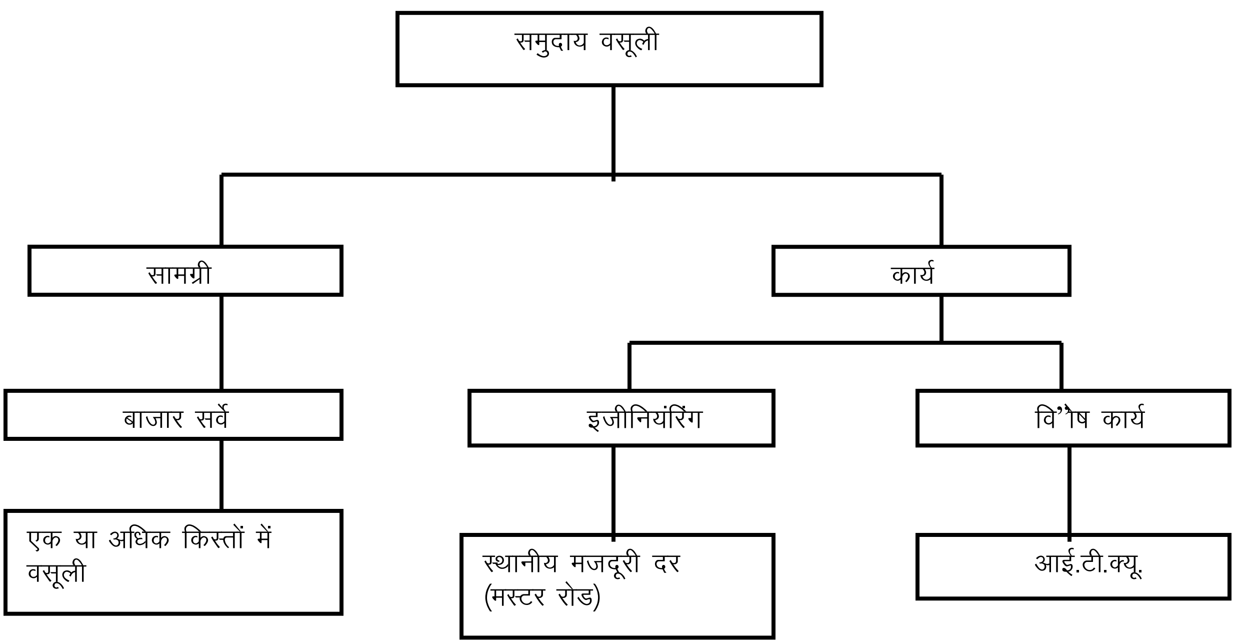

11.10 समुदाय स्तर पर वसूली का आवश्यकता

परियोजना ग्रामों में परियोजना के लिए की जानी वाली गतिविधियां निम्न प्रकार हैं :

- ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना का निर्माण– पम्प/गुरूत्व, कुंआ खोदना/बोर किए कुंए
- स्वच्छता परियोजना

- फल्स शौचालयों का निर्माण
- जल निकासी
- कम्पोस्ट पिट
- सोक पिट
- गारवेज पिट

- गांव की सड़कों का निर्माण

परियोजना ढांचा कार्य में यह प्रस्तावित है कि उपभोक्ता समुदाय उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन को पूरा करने के लिए सामग्री, कार्य तथा सेवाओं की वसूली करेगा। परियोजना के अंर्तगत समुदाय वसूली के लिए बनाए गए संस्थागत ढांचे में यह प्रस्तावित है कि निम्नलिखित इकाईयां परियोजना के अंर्तगत सामग्री, कार्य तथा सेवाओं के लिए सम्मिलित की जाएंगी।

11.11 वसूली योजना

विकास परियोजना रिपोर्ट में बताए अनुसार उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति पूरे परियोजना चक्र के लिए एक वसूली योजना बनाएगी। इसे वार्षिक या तिमाही योजनाओं में विभक्त किया जा सकता है जिससे की रा”ी आवंटन में सुविधा हो सके। वसूली मेनुअल के फोर्मेट I तथा II में सामग्री तथा कार्य हेतु तैयार किए गए वसूली योजना की स्वीकृति ग्राम पंचायत/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा वसूली प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पूर्व दी जाएगी।

11.12 वसूली की प्रक्रिया

11.12.1 वसूली उपसमिति का गठन (सामग्री के लिए)

उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति द्वारा अपने तीन सदस्यों को मनोनित करते हुए एक तीन सदस्सीय वसूली उपसमिति का गठन किया जाएगा। इन तीनों मनोनित सदस्यों में से एक का महिला सदस्य होना जरूरी है। इसकी स्वीकृति उपभोक्ता समूह के सामान्य निकाय द्वारा वसूली मेनुअल के प्रपत्र अ के अनुसार की जाएगी और इस प्रस्ताव की एक प्रति ग्राम पंचायत तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई को जमा की जाएगी। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के रजिस्टर में भी इस प्रस्ताव को दर्ज किया जाएगा। सहयोगी संस्था अपने एक वरिष्ठ इंजीनियर को वसूली उपसमिति के मूल्यांकन के लिए मनोनित करेगी। इस मनोनयन की प्रतियां ग्राम पंचायत, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई को वसूली मेनुअल के प्रपत्र ब के अनुसार भेजा जाएगा।

11.13 सामुदायिक वसूली के प्रमुख नियम

पारद”िता : वसूली की सारी प्रक्रिया खुले और पारद”ाी तरीके से चलाई जानी चाहिए। इसमें वसूली के सारे विवरण को ग्राम के किसी प्रसिद्ध स्थान पर सबके सामने रखना चाहिए।

सभी आपूर्तिकारकों को बराबर का अवसर : उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को सामग्री की आपूर्ति करने में रूचि रखने वाले सभी आपूर्ति कारकों को बराबर का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए मूल्यांकन की समाान प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।

जवाबदेही : उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के सदस्य या अन्य कोई अधिकारी जिसे वसूली का कार्य दिया गया है वह सभी निर्णयों और किए गए कार्यों के लिए जवाबदेह होगा। यदि ऐसे सदस्य के कारण उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को कोई हानि होती है तो उसकी वसूली इस सदस्य से की जाएगी।

धन के महत्व को सुनि''चित करना : खरीदी गई सामग्री तकनीकी वि''ोषताओं को पूरा करती हो और मानक गुणवत्ता वाली तथा उचित कीमत पर खरीदी गई हो।

दोस्तों तथा रिस्तेदारों से सामान की खरीदारी की उपेक्षा करें : सामान की खरीदारी अपने निकट संबधी या दोस्त या उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के किसी अधिकारी से करने से बचें।

किसी को अकारण लाभ ना देना : वसूली की प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के किसी भी सदस्य द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी से कोई लाभ नहीं लेना चाहिए।

महिला तथा पुरूष कार्यकर्ताओं के बीच मजदूरी को लेकर किसी ढंग का विभेद नहीं होना चाहिए (समान वेतन तथा अन्य लाभ)।

11.14 रूचियों पर मतभेद

वसूली उपसमिति के सदस्यों की संस्थाएं या इस समिति के सदस्यों के निकट संबधियों को प्रतियोगी बोलियों में भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए वसूली उपसमिति द्वारा पहले से स्पष्ट स्वीकृति ली जाएगी। ऐसे स्त्रोतों के एकल स्त्रोत को ही स्वीकार किया जाएगा। यह उसी स्थिति में किया जाएगा जबकि वही एक मात्र दक्षता वाला स्त्रोत होगा और वह आर्थिक रूप से भी उपयोगी होगा।

11.15 वसूली के लिए अधिकार

सामग्री कार्य तथा सेवा संबंधी वसूली के लिए पूरे परियोजना चक्र के लिए तैयार किए गए वसूली योजना को ध्यान में रखना होगा। जिसकी स्वीकृति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में की गई है। यदि स्वीकृत मूल्य से कोई अंतर पाया जाता है तो सक्षत अधिकारी से इसकी स्वीकृति लेनी होगी जैसा की पैरा 9.5 में बताया गया है।

11.16 सामग्री की वसूली

समय से किसी परियोजना को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि उचित समय तथा उचित मूल्य की सामग्री खरीद ली जाए। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के स्तर पर वसूली बाजार में खरीदारी के माध्यम से की जानी चाहिए। जिसमें खरीदे गए सामान की संख्या इतनी ही हो जोकि तुरंत आव''यक हो। इससे बरबादी कम होगी क्योंकि सामान को रखने के लिए भंडार उपलब्ध नहीं होंगे। यह खरीदारी प्रत्येक बार निम्न तरीके से की जानी चाहिए।

- चयन किए गए बाजारों के अधिकार प्राप्त विक्रेताओं से सील किए गए कोटे''ान प्राप्त करना (कम से कम 3 कोटे''ान)।
- सील किए गए कोटे''ानों को वसूली उपसमिति द्वारा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के सामाने खोला जाना।
- दिए गए दर का तुलनात्मक चार्ट तैयार करना।
- दर संबंधी निर्णय लेना और खरीद आदे''ा बनाना।

सामग्री की खरीद के लिए अपनाए जाने वाले चरण

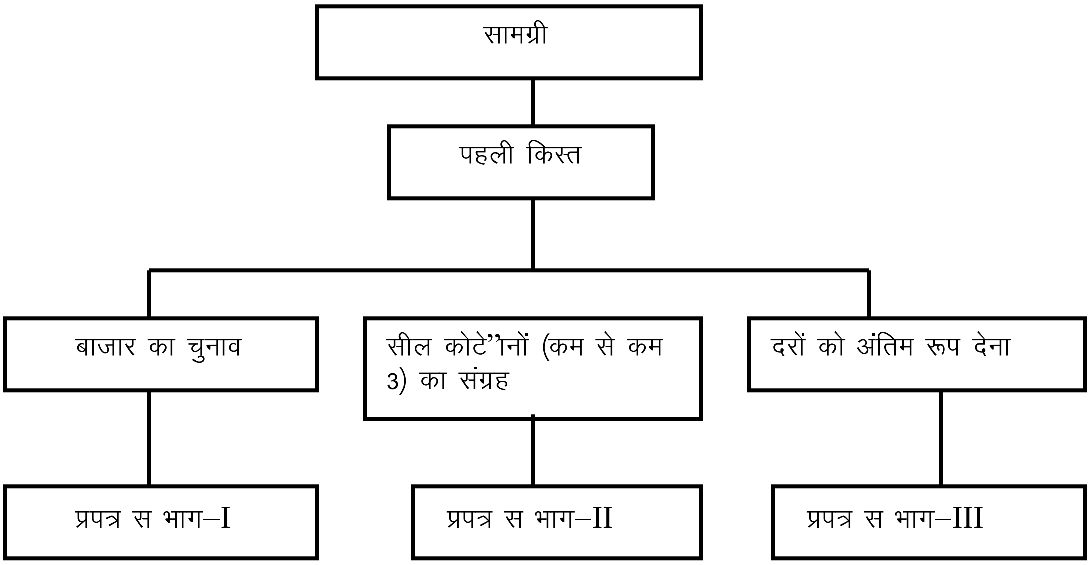

बोलियों का मूल्यांकन तथा तुलना

बोलियो के मूल्यांकन का उद्दे”य यह है कि उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति प्रत्येक बोली की लागत को इस ढंग से समझ सके कि प्रस्तावित लागत हेतु इस आधार पर उनकी तुलना कर सकें। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति यह भी तय करेगी कि जिस बोली लगाने वाले की बोली सबसे कम पाई गई है वह अनुबंध में दिए गए कार्य को पूरा करने की क्षमता और संसाधन भी रखता है या नहीं। इसके लिए बोली लगाने संबंधी दस्तावेज में गुण निर्धारित किए जाएंगे। यदि इन गुणों पर बोली लगाने वाला खरा नहीं उतरता तो उसकी बोली को रद कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति दूसरे कम बोली लगाने वाले के विषय में भी इसी प्रक्रिया को दोहराएगी। यदि इन गुणों को संतोषजनक ढंग से कोई बोली लगाने वाला पूरा करता है और यह जरूरी नहीं कि उसने सबसे कम मूल्य की बोली लगाई हो, तो उसे इस काम के लिए चयनित किया जा सकता है।

बोली खोलते समय जो बोली मूल्य पढ़ी गई है यदि उसमें कोई गणितीय त्रुटी हो तो उसे ठीक तथा समायोजित किया जा सकता है। मूल्यांकन के लिए इस प्रकार का समायोजन किसी छोटी–मोटी गलती को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है।

बोलियों का मूल्यांकन तथा उनकी तुलना एफ.ओ.आर. के आधार पर की जाएगी। जिसमें मूल्य तथा गंत्वय स्तर पर पहुंचाए जाने का बीमा शामिल होगा परंतु बिक्री कर सम्मिलित नहीं होगा।

उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति बोलियों के मूल्यांकन तथा तुलना की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और उसमें उन सभी करणों का उल्लेख करेगी जिनके आधार पर ठेके देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11.18 सामग्री की वसूली के लिए प्रस्ताव

उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के अध्यक्ष उपभोक्ताओं की सामान्य बैठक आयोजित करेंगे। वसूली उपसमिति द्वारा सामग्री के खरीद के संबंध में वसूली मेनुअल के प्रपत्र से भाग–II में जमा की गई स्वीकृति को

सदस्यों की जानकारी के लिए सामान्य बैठक में उनके सामने रखा जाएगा। सामान्य बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति वसूली मेनुअल के प्रपत्र स (भाग–III) में सामग्री में खरीद संबंधी प्रस्ताव को पारित करेगी।

11.19 सामग्री की वसूली के लिए स्वीकृति

उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति सभी संबंधित दस्तावेजों यथा वसूली मेनुअल के बाजार सर्वे प्रपत्र स भाग–I, II तथा III तथा सभी कोटे’’ान, को जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई को स्वीकृति तथा अव’’यक कार्यवाही हेतु जमा करेगी। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई कोटे’’ान में सामग्री की दी हुई दरों का परीक्षण करेगी तथा लाभार्थियों के सामान्य बैठक में पारित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए वसूली की स्वीकृति प्रदान करेगी। यदि प्रस्तावित दर उचित नहीं है और सीलिंग दर से अधिक हैं तो इसे पुनः विचार के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को वापस भेज दिया जाएगा। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के ध्यान में रखते हुए इस पर पुनः विचार करेगा और तत्प’’चात् इसे स्वीकृति के लिए जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई को भेजेगा। वसूली की स्वीकृति के प’’चात् जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के बैंक खाते में खरीद मूल्य के बराबर रा’’ि को हस्तांतरित कर देगा। यही प्रक्रिया सामग्री की अन्य वसूली किस्तों के लिए भी लागू रहेगी।

11.20 वसूली आदेश

जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई से तुलनात्मक विवरण तथा संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने के प’’चात् उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति खरीद आदे’’ा तैयार करेगी जोकि वसूली मेनुअल के संलग्नक 1 मे दिए गए प्रपत्र में होगा। इस खरीद आदे’’ा की प्रति जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई/सहयोगी संस्थाओं को भेजी जाएगी।

11.21 विशेष कार्यो के लिए वसूली

एलीवेटेड स्टोरेज रिर्जवायर तथा टयूबवेलों की डीलिंग जैसे कार्यों के निर्माण में वि’’ोष तकनीकी तथा उपकरणों की आव’’यकता होती है। जिनकी वसूली उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से की जा सकती है जिनके पास व्यक्ति, सामग्री, उपकरण, वि’’ोषज्ञता, को’’ाल तथा क्षेत्रिय अनुभव हो। इसलिए समुदाय को इन कार्यों की वसूली बताई गई विधि तथा तालिका में दिए गए मूल्यों को ध्यान में रखकर करना होगा।

11.22 सामाजिक लेखा परीक्षण समिति

ग्राम पंचायत सीधे–सीधे 5 सदस्यों की एक सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन 2 वर्ष की अवधि के लिए करेगा।

समिति के सदस्य :

- जिन्हें समुदाय में सम्मान प्राप्त हो और जिन पर गरीब लोग वि’’वास करे हो
- ग्राम पंचायत सदस्यों या उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के सदस्यों से नजदीकी रि’’ता ना हो
- निर्णय लेने वाली किसी भी समिति का सदस्य न हो

- लक्षित आबादी में से कम से कम 3 सदस्य अव''य हो

सामाजिक लेखा परीक्षण समिति निम्न कार्य करेगी :

- यह सुनि''चत करना की सभी समितियां वसूली मेनुअल का पालन कर रही हैं
- ग्राम पंचायत के किसी कानून की उपेक्षा या उसे न मानने संबंधी रिपोर्ट
- लाभार्थियों के चयन, उप परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के सभी निर्णयों में परियोजना के सिद्धांतों और नियमों के पालन का मानीटरीकरण करना

11.23 परामर्शदायी सेवाओं की वसूली

11.23.1 सामान्य

सेवाओं को एक व्यवस्थित तथा संगठित गतिविधियों को मुहैया कराने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंर्तगत प्र''ाक्षण कार्यक्रम, कार्य''ााला, सूचना, ''ाक्षा तथा संचार गतिविधियां सामयक्ता अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन, ढाचों का विस्तृत डिजाइन तैयार करना तकनीकी योजनाओं को बनाना, आंकड़ों को इक्ट्ठा करना, इंजीनियरिंग कार्यो का निर्माण तथा उनकी देखरेख करना, सलाहकारी सेवाएं इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त विभिन्न सेवाओं की वसूली के लिए प्रक्रिया तथा दि''ाा–निर्दे''ा तैयार करने हेतु निम्नलिखित पर सामान्यतः ध्यान दिया जाना आव''यक है।

1. गुणवत्ता
2. आर्थिक तथा दक्षता
3. 3. योग्यता
4. आर्थिक तथा दक्षता
3. योग्यता प्राप्त वि''ोषज्ञों को अवसर
4. राष्ट्रीय/स्थानीय परा''ार्शदाताओं को प्रोत्साहन तथा उन्हें विकसित करना
5. चयन प्रक्रिया में पारदर्''ाता

नियोकता को पहले दिए गए कार्य की आव''यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। उसके प''चात् दिए गए कार्य के उद्दे''यों को ध्यान में रखते हुए संदर्भित विषय तथा आंकलित लागत को तैयार करना चाहिए। वि''ोषज्ञों तथा सहयोगी स्टाफ की फीस तथा उनके दिए जाने वाले मानदेय को मासिक आधार पर, प्रतिपूर्ति मूल्य तथा अन्य फुटकर व्यय को देखते हुए, दिए गए कार्य की लागत का आंकलन तैयार किया जाना चाहिए।

11.23.2 परामर्शदायी सेवाओं की वसूली के लिए ठेकों के प्रकार

जैसा की नीचे वर्णन किया गया है वर्तमान में पराम''ार्शदातों से सेवाएं लेने के लिए तीन प्रकार के ठेके प्रयोग में लाए जा रहे हैं :

(अ) किए जाने वाले कार्य के लिए एक मुस्त दी जाने वाली रा''ा का ठेका जिसमें कार्य, कार्य की अवधि स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती है। जैसा की बताया गया रहता है उसके अनुसार कार्य किए जाने के प''चात् भुगतान किया जाता है। ऐसे ठेके सामान्यतः साम्यक्ता अध्ययनों तथा सीविल संरचनाओं के विस्तृत डिजाइन इत्यादि के लिए उपयुक्त होते हैं।

(ब) समय आधारित : इंजीनियरिंग कार्यों के निर्माण तथा उनकी देखरेख, प्रि''क्षण, सलाहकारी सेवाओं इत्यादि के लिए ऐसे ठेके दिए जाते हैं जहां कार्य की अवधि पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होती है। ऐसे ठेके समय आधारित होते हैं और भुगतान घंटों दिन या महीने के दर से किया जाता है। सही में जो व्यय होता है उसकी प्रतिपूर्ति भी स्वीकृति मूल्य इकाईयों में की जाती है।
(स) प्रति''ात ठेका : वास्तुकला सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं, वसूली सेवाएं इत्यादि को प्रति''ात के आधार ठेके पर दिया जाना उपयुक्त होता है। इसमें परियोजना के सही लागत का कुछ प्रति''ात पराम''ीदाता से देने के लिए आपस में सहमति की जाती है। इसके लिए बाजार के नियम तथा उद्योगों के मानकों को ध्यान में रखा जाता है।

11.23.3 परामर्शदाताओं को किराय पर लेने संबंधी चरण

विभिन्न विधियों के अंतर्गत पराम''ीदाता को किराय पर लेने वाले चरणों के विषय में निम्नलिखित पैरा में बताया गया है और उन्हें वसूली मेनुअल के संलग्नक 3 में सूचीबद्ध किया गया है। आव''यकता पड़ने पर पराम''ीदायी सेवाओं के वसूली के लिए वि''व बैंक के दि''ाा–निर्दे''ाों को संदर्भित किया जा सकता है।

11.23.4 विभिन्न विधियों के अंर्तगत परामर्शदायी सेवाओं की वसूली के लिए प्रक्रियाएं

11.23.4.1 गुणवत्ता तथा मूल्य आधारित चयन

गुणवत्ता तथा मूल्य आधारित चयन में सूचीबद्ध फर्मो के बीच एक प्रतियोगात्मक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जिसमें प्रस्ताव की गुणवत्ता तथा सेवा की लागत को सफल फर्म के चुनाव में ध्यान में रखा जाता है। चयन की प्रक्रिया में लागत पर वि''ाेष ध्यान देना होगा। गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए कार्य की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए लागत का निर्धारण किया जाना चाहिए।

चयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सम्मिलित किया जाना चाहिए :

(क) संदर्भित विषय को तैयार करना
(ख) लागत का आकलन तथा बजट तैयार करना
(ग) विज्ञापन
(घ) छांटे गए पराम''ीदाताओं के सूची तैयार करना
(ड.) आर.एफ.पी. को तैयार कर उसे जारी करना (जिसमें आमंत्रण पत्र, पराम''ीदाताओं को निर्दे''ा, संदर्भित विषय तथा प्रस्तावित अनुबंध का ड्राफट सम्मिलित हो)
(च) प्रस्तावों को प्राप्त करना
(छ) तकनीकी प्रस्ताव का आकलन : गुणवत्ता पर विचार
(ज) वित्तीय प्रस्तावों को जनता के बीच खोलना
(झ) वित्तीय प्रस्ताव का आकलन
(ट) गुणवत्ता तथा लागत का अंतिम आकलन
(ठ) बातचीत तथा चयनित फर्म को ठेका दिया जाना

11.23.4.2 गुणवत्ता आधारित चयन

गुणवत्ता आधारित चयन में आर.एफ.पी. केवल तकनीकी प्रस्ताव जमा करने के विषय में कह सकता है या तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव को एक ही समय अलग–अलग लिफाफों में जमा करने के लिए कह सकता है। आर. एफ.पी. आंकलित बजट या आंकलित मुख्य स्टाफ तथा समय के विषय में जानकारी देगा जिसमें यह सूचना रहेगी कि यह केवल एक इंगित किया हुआ आकलन है और परामर्शदाता अपना स्वयं का आकलन देने के लिए स्वतंत्र है।

यदि केवल तकनीकी प्रस्तावों के अमंत्रित किया गया है तब तकनीकी प्रस्तावों का आकलन करने के पश्चात् सबसे अच्छे तकनीकी प्रस्ताव जमा करने वाले परामर्शदाता से वित्तीय प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा जाएगा। परामर्शदाता के साथ बातचीत करके वित्तीय प्रस्ताव तथा ठेके को अंतिम रूप दिया जाएगा। चयन के अन्य पहलु उसी प्रकार होंगे जैसे की गुणवत्ता तथा लागत आधारित चयन प्रक्रिया में लागू किए गए थे। इसमें ठेके दिया जाने के संबंध में विजेता फर्म द्वारा दिए गए मूल्य को केवल प्रकाशित किया जाएगा। यदि परामर्शदाताओं से तकनीकी प्रस्ताव के साथ–साथ आर्थिक प्रस्ताव को भी देने के लिए आग्रह किया गया हो तब इस बात का बराबर ध्यान रखना होगा कि जब बातचीत सफलता पूर्वक समाप्त हो जाए तब केवल चयन की गई फर्म के मूल्य प्रस्तावों को ही खोला जाए और बाकी को बिना खोले ही वापस कर दिया जाए।

11.23.4.3 निश्चित बजट के अंतर्गत चयन

यह विधि केवल उस समय के लिए उपयुक्त है जब किए जाने वाला कार्य साधारण किस्म का हो और ठीक ढंग से परिभाषित हो तथा उसका बजट निश्चित हो। आर.एफ.पी. उपलब्ध बजट के विषय में जानकारी दे कर परामर्शदाताओं से यह आग्रह करेगा कि वे बजट के भीतर ही बेहतर तकनीकी वित्तीय प्रस्तावों को अलग–अलग लिफाफों में जमा करें। संदर्भित विषय पहले से ही ठीक ढंग से तैयार किया होना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि बजट कार्य के लिए ठीक है और परामर्शदाता अपेक्षित कार्य को उसी बजट में कर सकेगा। गुणवत्ता तथा लागत आधारित चयन की प्रक्रिया के अनुसार की यहां भी पहले तकनीकी प्रस्तावों का अकलन किया जाएगा। उसके पश्चात् मूल्य के प्रस्ताव को जनता के बीच खोला जाएगा और मूल्य को जोर–जोर से पढ़ा जाएगा। वे प्रस्ताव जो इंगित बजट से अधिक होंगे उन्हें रद कर दिया जाएगा। जिस परामर्शदाता ने सबसे उच्च श्रेणी का तकनीकी प्रस्ताव जमा किया है उसी का चयन किया जाएगा और उसे ठेके दिया जाने के संबंध में बातचीत करने के लिए निमंत्रित किया जाएगा।

11.23.4.4 कम लागत पर चयन

यह विधि केवल मानक तथा दैनिक प्रकृति के कार्यों के लिए परामर्शदाताओं के लिए चयन के लिए उपयुक्त है जिसमें लेखा परीक्षण, गैर जटिल कार्यों के इंजीनियरिंग डिजाइन इत्यादि सम्मिलित है। इनमें मानक तथा स्थापित तरीके ही अपनाए जाते हैं। इस विधि में गुणवत्ता के लिए एक निम्नतर आर्हक अंक होता है। छांटी गई सूची के ठेकेदारों से प्रस्ताव दो अलग–अलग लिफाफों में मांगे जाते हैं। तकनीकी प्रस्ताव पहले खोले जाते है और उनका आकलन किया जाता है। जिन्हें निम्नतर आर्हक अंक प्राप्त होता है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है तथा बाकी के वित्तीय प्रस्ताव को जनता के बीच खोला जाता है। जिस फर्म का मूल्य सबसे कम होगा उसी का चयन किया जाता है। इस विधि में निम्नतर आर्हक अंक निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वे सभी प्रस्ताव जो निम्नतर आर्हक अंक के ऊपर होंगे वे केवल लागत से संबंधित हो। निम्नतर आर्हक अंक के विषय में आर.एफ. पी. में बताया जाना चाहिए।

11.23.4.5 परामर्शदाता की योग्यता के आधार पर चयन

इस विधि का प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जा सकता है जिसमें प्रतियोगी प्रस्तावों को तैयार करना तथा उनका आकलन करना गैर जरूरी है। ऐसी स्थिति में संदर्भित विषय, रूचि प्रदर्शित करने के लिए आग्रह तथा परामर्शदाता के संबंध में सूचना तैयार की जाती है। इसमें परामर्शदाता के अनुभव उसकी दक्षता तथा योग्यता पर

वि’’ोष ध्यान दिया जाता है जिससे की किए जाने वाले कार्य हेतु वह उपयोगी हो। ऐसे में चयन किए गए फर्म से तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों को एक साथ जमा करने का आग्रह किया जाता है फिर ठेका देने के लिए बातचीत हेतु उसे निमंत्रित किया जाता है।

11.23.4.6 एकल स्त्रोत चयन

एकल स्त्रोत से पराम’’ोदाता का जब चयन किया जाता है तो इसमें गुणवत्ता तथा लागत संबंधी प्रतियोगिता का लाभ नहीं मिल पाता साथ ही साथ इसमें चयन की पारद’’ोता भी नहीं होती। इसमें अस्वीकार तरीकों को प्रोत्साहन भी मिलता है। अतः एकल स्त्रोत चयन की विधि को वि’’ोष स्थिति में ही प्रयोग करना चाहिए। एकल स्त्रोत चयन के औचित का परीक्षण पूरी परियोजना को ध्यान में रखकर करना होता है। इसमें आर्थिक पक्ष तथा दक्षता का पूरा ध्यान रखना होता है और इसमें सभी योग्य पराम’’ोदाता को बराबर का अवसर मिले इस बात को सुनि’’चत करना चाहिए।

एकल स्त्रोत चयन तभी उपयुक्त है जब यह प्रतियोगी तरीकों से अधिक उपयोगी लगे : (अ) उसी फर्म द्वारा पहले किए गए कार्य को चालू रखने की प्राकृतिक आव’’यकता (ब) आपतकालिन स्थिति जब प्राकृतिक आपदा के समय तुरंत ही पराम’’ोदायी सेवाओं की आव’’यकता आपतकालिन स्थिति पर पड़ती है (स) बहुत छोटे कार्य के लिए (10,00,000 रूपए से कम) (द) जब केवल एक ही फर्म योग्य साबित हो उसके पास काम करने का अनुभव अलग से हो।

11.24 व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की सेवाओं की वसूली

पराम’’ोदाताओं के किराए पर रखते समय उनके कार्य का विवरण, योग्यता तथा अनुभव तथा उन्हें तैनात किए जाने वाले नियमों को पहले से नि’’चत कर लेना चाहिए। कार्य के लिए पराम’’ोदाताओं को समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर निमंत्रित करना चाहिए। व्यक्ति दिए गए कार्य को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम तथा योग्य हो। योग्य व्यक्ति को साक्षात्कार/विचार–विम’’ो के लिए कार्य दिए जाने के पूर्व बुलाया जाएगा। व्यक्तिगत पराम’’ोदाता की क्षमता का आकलन उसकी शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा स्थानीय स्थितियों के विषय मे उपयुक्त ज्ञान के आधार पर किया जाएगा। स्थानीय स्थितियों में स्थानीय भाषा, संस्कृति सरकारी संस्थाओं के प्र’’ाासनिक व्यवस्था इत्यादि को सम्मिलित किया जाएगा। उपरोक्त के आधार पर पराम’’ोदाताओं की एक सूची बनाई जाएगी जो कि प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग होगी। जो पराम’’ोदाता इस सूची में सबसे ऊपर होगा उसी को कार्य दिया जाएगा।

11.25 गैर सरकारी संस्थाओं की सेवाओं की वसूली

गैर सरकारी संस्थाओं की छांटी गई सूची

गैर सरकारी संस्थाओं की छांटी गई सूची तैयार करने के लिए निम्नलिखित गुणों को आधार बनाया जाएगा।

11.25.1 विनियामक आवश्यकता

- गैर सरकारी संस्था सरकार के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंर्तगत पंजीकृत हो।
- गैर सरकारी संस्था उस वि’’ोष भौगोलिक स्थान में कार्य करने के लिए पंजीकृत हो।
- गैर सरकारी संस्था के अंतर्नियम या उपविधि परियोजना सेक्टर में कार्य करने के लिए उसे अनुमति देते हों।

- गैर सरकारी संस्था गैर राजनेतिक हो।

11.25.2 मानव तथा भौतिक पैमाने

- सबसे ऊपर प्रतिबद्ध नेतृत्व जिसे सेवा स्तर के अन्य नेताओं से उपयुक्त सहयोग प्राप्त हो।
- कार्य की आव’’यकताओं के अनुसार उपयुक्त कु’’ल स्टाफ की मौजूदगी।
- गैर सरकारी संस्था के पास आव’’यक भौतिक संसाधन जैसे कार्यालय के लिए स्थान, वाहन, संचार सुविधाएं इत्यादि हो।

11.25.3 समुदाय के प्रति संवेदनशीलता

- गैर सरकारी संस्थाओं को समुदायिक विकास गतिविधियों तथा उत्प्रेरण का पहले से अनुभव हो।
- गैर सरकारी संस्थाओं को स्थानीय समस्याओं का संतोषजनक ज्ञान हो साथ ही साथ वे महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्ग से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेन’’ील हो।
- गैर सरकारी संस्थाओं को पर्यावरण संबंधी कार्यों की अच्छी जानकारी हो और उसके प्रति ये संवेदन’’ील हो।
- गैर सरकारी संस्थाओं के पास अति उत्तम संचार को’’ल मौजूद हो।

11.25.4 वित्तीय दक्षता

- गैर सरकारी संस्थाओं के पास आव’’यक वित्तीय शक्ति तथा स्थायित्व हो (विगत तीन वर्षों का लेखा परीक्षण रोकड़ विवरण को अव’’य देखा जाए)।

11.25.5 सेक्टर संबंधी तथा संचालन संबंधी आवश्यक अनुभव

- संबंधित सेक्टर में पहले काम करने का अनुभव हो।
- सहभागिता ग्रामीण निरूपकता में भरपूर अनुभव हो।
- इसी प्रकार के कार्यो में पिछले तीन वर्ष से लगे हुए हैं।

छांटी गई सूची के गैर सरकारी संस्थाओं को आर.एफ.पी. जारी किया जाना चाहिए और संबंधित सेवा के लिए उनकी बोलियों को प्राप्त करना चाहिए। तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव का आकलन करने के प’’चात् ठेके का अनुबंध हस्ताक्षरित करना चाहिए इसके लिए अन्य पराम’’ादाताओं के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसे ही अपनाना चाहिए। जहां पर सूचना, ि’’ाक्षा तथा संचार तथा समुदाय उत्प्रेरण के लिए बड़े क्षेत्रों में कार्य करना हो वहां हो सकता है कि आव’’यक गैर सरकारी संस्थाओं की संख्या कम पड़ जाए। ऐसी स्थिति में जैसा ऊपर बताया गया है एकल स्त्रोत चयन की विधि अपनाई जा सकती है।

11.26 परियोजना प्रबंधन इकाई तथा जनपद परियोजना इकाई के स्तर पर कार्य, सामग्री तथा सेवाओं (परामर्शदायी सेवाओं को छोड़कर) की वसूली

11.26.1 वसूली प्रकोष्ठ

परियोजना प्रबंधन इकाई, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के स्तर पर वसूली की प्रत्येक अवस्था का ठीक से देखरेख और मानीटरीकरण करना जरूरी है। पारदर्''ाता तथा सही प्रक्रिया को अपनाने, समय से सामग्री तथा सेवा की आपूर्ति तथा परियोजना को समय से पूरा करने हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई में एक वसूली प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। वसूली प्रकोष्ठ में परियोजना प्रबंधन के निदे''ाक अध्यक्ष होंगे। वे 6 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। जिसमें से एक अपर निदे''ाक, एक वित्त नियंत्रक, एक वसूली वि''ोषज्ञ, एक इंजीनियरिंग इकाई से तथा दो परियोजना प्रबंधन जनपदों से होंगे। वित्त नियंत्रक इस प्रकोष्ठ के संयोजक/सचिव के रूप में कार्य करेंगे। परियोजना के अंर्तगत आव''यक सभी सामग्री, कार्य तथा सेवाओं की वसूली प्रक्रिया के मानीटरीकरण तथा उसे निर्दे''ात करने का काम वसूली प्रकोष्ठ करेगी। यह सूचनाओं को प्रसारित करने तथा वसूली हेतु प्र''ाक्षण की आव''यकताओं को पूरा कर ने के लिए आव''यक है।

11.26.2 वसूली समिति

परियोजना प्रबंधन इकाई वसूली के लिए अपने स्तर पर एक वसूली समिति का गठन करेगी। जिसमें परियोजना प्रबंधन इकाई के निदे''ाक अध्यक्ष होंगे तथा वित्त नियंत्रक एवं दो इकाई समन्वयक होंगे। वित्त नियंत्रक इस समिति के संयोजक/सचिव के रूप में कार्य करेंगे। परियोजना प्रबंधन इकाई की वसूली समिति परियोजना के अंर्तगत सभी सामग्री, कार्य तथा सेवाओं, जिसमें पराम''ादायी सेवा भी सम्मिलित होगी, की प्रक्रिया तथा वसूली का मानीटरीकरण करेगी। परियोजना प्रबंधन इकाई के निदे''ाक को सामग्री, कार्य तथा सेवाओं की वसूली के समय 50 लाख रूपए तक के निविदा निमंत्रित करने का वित्तीय अधिकार होगा जोकि उपलब्ध रा''ा के अनुसार होगा। परियोजना प्रबंधन इकाई की वित्तीय समिति में पेयजल विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य उसी प्रकार होंगे जैसा की परियोजना प्रबंधन इकाई के अंतर्नियम में दिया गया है। यह समिति 50 लाख रूपए से अधिक की सामग्री, कार्य तथा सेवाओं के वसूली के संबंध में निर्णय लेने वाली समिति होगी।

11.26.3 वसूली योजना

वसूली समिति को एक वसूली योजना बनानी चाहिए। जिसमें ठेके के अनुसार पूरे साल के लिए सामग्री, कार्य तथा सेवाओं की वसूली दी गई हो। इसमें साल के लिए बजट प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध रा''ा तथा अगले वर्ष की आव''यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। यह योजना समिति द्वारा नि''चत की गई प्राथमिकताओं के अनुसार योजना बनाएगी। वसूली की प्राथमिकता की योजना प्रत्येक ठेके में बताए गए वस्तुवार्त मूल्य के आकलन के अनुसार होगा। जिसे नि''चत फोर्मेट (फोर्मेट III तथा IV या वि''व बैंक के फोर्मेट का प्रयोग करें) में द''ाया जाएगा। समिति वसूली के तरीकों को मूल्य के आधार पर अंतिम रूप देगी जिसे इस अध्याय के अंत में दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है। यदि वसूली योजना का मूल्य 50 लाख रूपए तक है तब परियोजना प्रबंधन इकाई के निदे''ाक वसूली के टैंडर अमंत्रित करेंगे। यदि वसूली योजना की सूची 50 लाख रूपए से अधिक मूल्य की होगी तो इसे वित्त समिति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के प''चात् परियोजना प्रबंधन इकाई के निदे''ाक वसूली के लिए टैंडर आमंत्रि करेंगे।

11.26.4 दर संविदा

डी.जी.एस. एण्ड डी./राज्य सरकार के उपलब्ध दर संविदा को सामग्री की त्वरित वसूली के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे लिए प्रक्रिया निम्नवत है :

11.26.5 जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई स्तर पर वसूली

सामग्री कार्य तथा सेवाओं के जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई स्तर पर वसूली के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई को दी गई शक्तियों के अनुसार करना चाहिए। इसके लिए जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई स्तर पर एक

वसूल समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के परियोजना प्रबंधक अध्यक्ष हो और वे लेखा विभाग से एक सदस्य तथा इंजीनियरिंग विभाग से एक सदस्य को इस समिति के लिए मनोनित करें।

11.26.6 सामग्री कार्य तथा सेवाओं की वसूली के लिए शक्तियां

5,00,000 रूपए तक – परियोजना प्रबंधक, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई
5,00,000 रूपए से अधिक – निदे”ाक, परियोजना प्रबंधन इकाई की स्वीकृति

11.26.7 ठेका देने की स्वीकृति की शक्ति

ठेका देने की शक्ति परियोजना प्रबंधन इकाई के निदे”ाक के पास होगी। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई निविदा के दस्तावेजों तथा तुलनात्मक विवरण को अन्य कागजातों के साथ–साथ अपनी संसुतियों को निदे”ाक परियोजना प्रबंधन इकाई को ठेका देने की स्वीकृति के लिए भेजेगा।

निदे”ाक परियोजना प्रबंधन इकाई से स्वीकृति प्राप्त करने के प”चात् जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के परियोजना प्रबंधक निविदा करने वाले के साथ उचित अनुबंध करेंगे। इस मेनुअल के अध्याय 4 तथा 6 में दिए गए तरीकों को अपनाते हुए निविदा की सारी कार्यवाही की जानी चाहिए।

11.26.8 प्रवेश मानक

वसूली की विभिन्न विधियों में कार्य तथा सामग्री के प्रवे”ा मानक निम्न प्रकार होंगे :

- आई.सी.बी., कार्य के लिए 10 मीलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 45 करोड़ रूपए) से ऊपर के ठेके तथा सामग्री के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर (90 लाख रूपए के लगभग)।
- एन.सी.बी., कार्य के लिए 10 मीलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 45 करोड़ रूपए) से ऊपर के ठेके तथा सामग्री के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर (90 लाख रूपए के लगभग)।
- सीमित प्रतियोगी बोलियां/खरीदारी 10 मीलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 45 करोड़ रूपए) तक कार्य तथा सामग्री प्रत्येक के लिए।
- परोक्ष ठेका, मालिकाना सामान जैसे स्पेयर पार्ट, सॉफ्टवियर, पुस्तकें पत्रिकाएं इत्यादि 10,000 अमेरिकी डॉलर (4.5 लाख रूपए) प्रति ठेके के बराबर। वसूली मेनुअल में दी गई आव”यताओं को पूरा करने के लिए तथा छोटी वस्तुओं जिनका मूल्य 1000 अमेरिकी डॉलर (45 हजार रूपए) हो उन्हें परोक्ष ठेके द्वारा वसूला जा सकता है।

11.27 वसूली के चरण

वसूली की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण है

<u>वसूली चरण</u>

आव”यकताओं का मूल्यांकन

↓

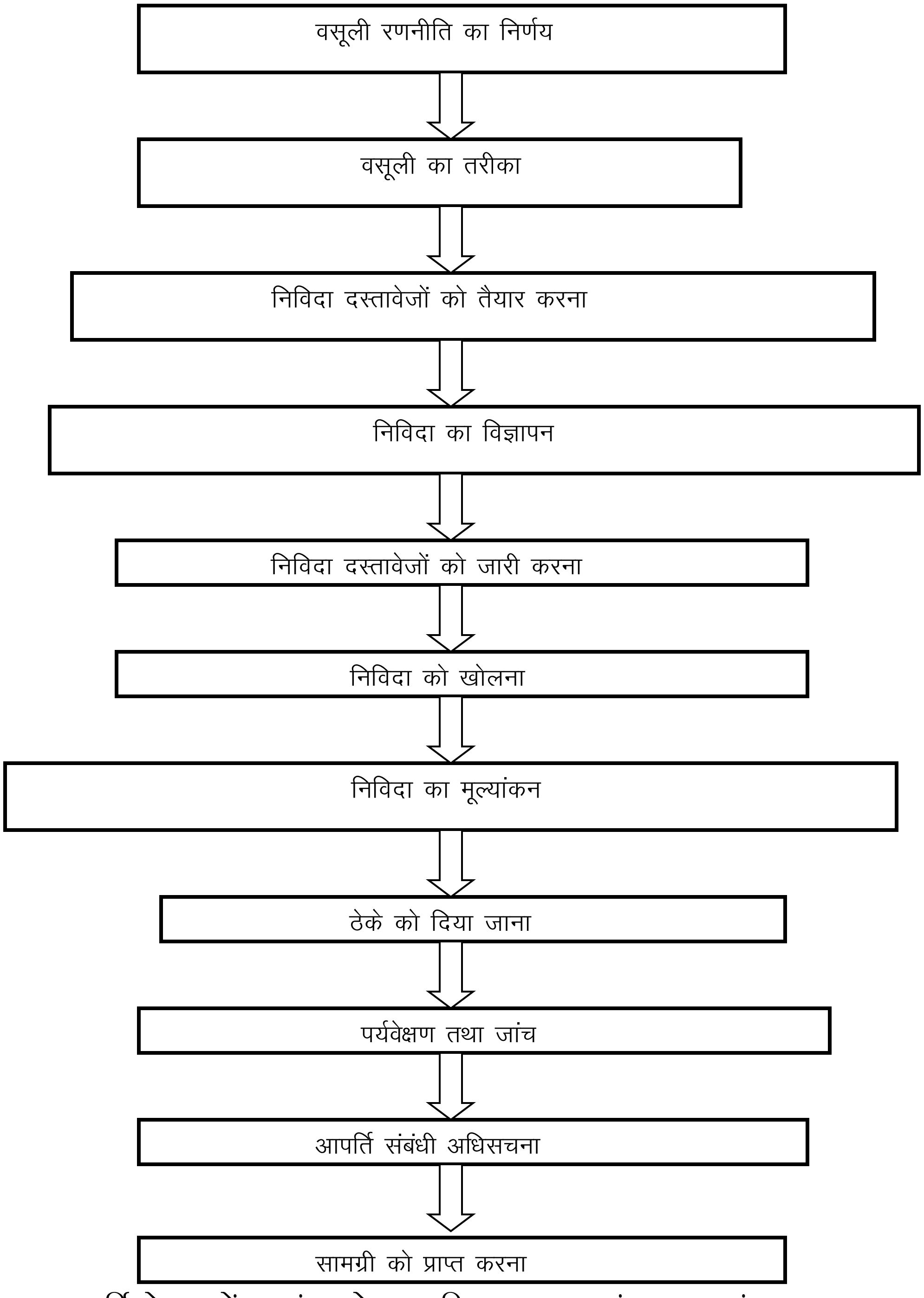

11.28 जल आपूर्ति सेक्टर में उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा वसूली नीति तथा प्रक्रियाएं

उत्तराचंल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान में सामग्री, कार्य तथा सेवाओं की वसूली के लिए एक संगठित व्यवस्था मौजूद है। यह व्यवस्था राज्य सरकार के नियमों तथा अधिनियमों पर आधारित है जिसे उत्तर प्रदे”ा राज्य के वित्तीय हैंडबुक से लिया गया है और जिसे उत्तरांचल सरकार ने भी अंगीकृत कर लिया है। इसे समय–समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर जारी किए जाने वाले सरकारी आदे”ाों के अनुसार परिवर्धित किया जाता है। जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वे लगभग उसी प्रकार है जैसी की राज्य के लोक निर्माण विभाग में अपनाई जाती हैं। कार्यक्रम के अंर्तगत सामग्री, कार्य तथा सेवाओं (पराम”ादायी सेवाओं के अतिरिक्त) के वसूली के लिए सेक्टर संस्थाएं अपनी मौजूदा वसूली प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेंगी। इसके लिए ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता

सेक्टर में नए निवे’ाों (सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंर्तगत) के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं को अपनाया जाएगा :

1. सभी योग्य बोली लगाने वाले को सामान अवसर दिया जाएगा। इसमें क्षेत्रियता को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सभी बोली लगाने वाले को एक ही सूचना सामग्री तथा कार्य हेतु दी जाएगी। विदे’ाी बोली लगाने वाले को एन.सी.बी. द्वारा जारी बोलियों से अलग नहीं किया जाएगा। एन.सी.बी. कार्य की वसूली के लिए बोली लगाने वाले के दे’ाी मुद्रा में मूल्य देने के लिए करेगी।

2. किसी भी बोली लगाने वाले को कोई वरियता नहीं दी जाएगी केवल आई.सी.वी. के मामलों में घरेलू बोली लगाने वालों को वरियता दी जाएगी। सेक्टर संस्थाएं वि’ोष वसूली के लिए जैसा की नीचे बताया गया है सबसे उपयुक्त विधि का चयन करेंगी।

- आई.सी.बी., कार्य के लिए 10 मीलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 45 करोड़ रूपए) से ऊपर के ठेके तथा सामग्री के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर (90 लाख रूपए के लगभग)।
- एन.सी.बी., कार्य के लिए 10 मीलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 45 करोड़ रूपए) से ऊपर के ठेके तथा सामग्री के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर (90 लाख रूपए के लगभग)।
- सीमित प्रतियोगी बोलियां/खरीदारी 10 मीलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 45 करोड़ रूपए) तक कार्य तथा सामग्री प्रत्येक के लिए।
- परोक्ष ठेका, मालिकाना सामान जैसे स्पेयर पार्ट, सॉफ्टवियर, पुस्तकें पत्रिकाएं इत्यादि 10,000 अमेरिकी डॉलर (4.5 लाख रूपए) प्रति ठेके के बराबर। वसूली मेनुअल में दी गई आव’यताओं को पूरा करने के लिए तथा छोटी वस्तुओं जिनका मूल्य 1000 अमेरिकी डॉलर (45 हजार रूपए) हो उन्हें परोक्ष ठेके द्वारा वसूला जा सकता है।
- समुदाय द्वारा चलाई जाने वाली वसूली के लिए प्रक्रियाएं वसूली मेनुअल में दी गई है।

3. कोई भी बोली किसी एक अधिकारी के अपने विवके पर निस्तारित नहीं की जाएगी। निस्तारण के कारणों को बोली लगाए जाने वाले का बताना होगा।
4. सीमित प्रतियोगी बोलियों/खरीदारी की सीमा कार्य तथा सामग्री के लिए जब 45 लाख रूपए तक सीमित होगी तब बोली लगाने वाले को राज्य के विभागों/सेक्टर संस्थाओं के साथ पंजीकरण कराना आव’यक नहीं होगा। वैसे सेक्टर संस्थाएं यह सुनि’चत करेंगी कि पंजीकरण की प्रक्रिया खुली रखी जाए और उन्हीं फर्मों को सीमित प्रतियोगी बोली लगाने के लिए पंजीकृत किया जाए जो गुणों को पूरा करती हो।
5. ठेका उसी बोली लगाने वाले को दिया जाए जिसे सबसे कम आंका गया हो और जो कार्य को करने के लिए योग्यता तथा क्षमता रखता हो। यह जरूर नहीं कि वह सबसे कम बोली लगाने वाला ही हो।
6. बोली लगाने की प्रक्रिया के परिणाम सभी बोली लगाने वाले को बताई जाए। इसके लिए सारे विवरण को बेवसाइट पर दिया जाएगा। बोली निस्तारण के कारणों को भी बोली लगाने वाले को बाताया जाएगा।
7. बोली लगाने वाले दस्तावेजों में उल्लेख हो कि बोली की कीमत नि’चत रखी जाएगी या कीमत में समायोजन किया जाएगा। यह समायोजन ठेके के प्रमुख घटकों की लागत जैस मजदूरी, उपकरण, सामग्री तथा इर्धन इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों पर जानकारी देगा। साधारण किस्म के ठेकों में जहां सामग्री की आपूर्ति या कार्य को 18 महीनों में पूरा करना होता है के लिए मूल्य समायोजन की आव’यकता सामान्यतः आव’यक नहीं होती है। परंतु उस द’ाा में ठेके में सम्मिलित करना चाहिए जहां कार्य 18 महीनों से अधिक चलना हो। मूल्य का समायोजन दिए गए सूत्र के अनुसार करना होता है जिसमें पूरे मूल्य को घटकों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक घटक का मूल्य जिसे आपूतिकर्ता तथा ठेकेदार प्रस्तुत करता है उसे मूल्य सूचकांक में दर्ज कर दिया जाता है। प्रयोग की जाने वाली विधि, सूत्र और प्रयोग करने के लिए मूल आंकड़ों को बोली लगाने वाले दस्तावेज में स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए। यदि भुगतान की जानी वाली मुद्रा स्त्रोत से भिन्न है तो सूत्र में एक सं’ाोधन फेक्टर का उपयोग किया जाता है जिससे की

गलत समायोजन न हो सके। सेक्टर संस्थाएं एन.सी.बी. के लिए नमूना बोली लगाने के दस्तावेजों को तैयार कर अंतिम रूप देंगी। इसके ग्राफट की समीक्षा बैंक द्वारा की जाएगी जिससे यह सुनि"चत किया जा सके कि इस अध्याय में दिए गए आकलनों को उचित ढंग से सम्मिलित कर लिया गया है। बैंक के मानक बोली लगाने के दस्तावेज को प्रयोग करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

8. किसी भी संस्था को बयाना देने तथा बोली लगाने की प्रतिभूति जमा करने से छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि यह लाभार्थी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना माना जाएगा।

9. कार्य का ठेका सक्षम तथा योग्य ठेकेदारों को दिया जाएगा। ठेकेदार सभी सामग्री की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। नियोक्ता द्वारा कोई भी सामग्री स्थातंरित नहीं की जाएगी चाहे वह स्वतंत्र रूप जारी की गई हो या दर के आधार पर जारी की गई हो। ठेकेदार को किसी एक वि"ोष पर या एजेंसी से सामग्री की खरीदारी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सेक्टर संस्थाएं बोली लगाने वाले दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से सम्मिलित करेंगी कि गुणवत्ता नियंत्रण तथा जांच सुविधाओं से संबंधित निरक्षण के कौन से तरीकें होंगे जिससे की दिए गए कार्य को ठीक ढंग से पूरा किया जा सके।

10. निम्नलिखित प्रावधानों का भी प्रयोग होगा जिन्हें एन.सी.बी. के लिए बोली लगाने वाले दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाएगा :

1) बोली लगाने के लिए आमंत्रण बोली जमा करने की अंतिम तारीख के कम से कम 30 दिन पहले कम से कम 1 ऐसे राष्ट्रीय दैनिक में विज्ञापित किया जाएगा जिसका प्रसार अधिक हो।

2) किसी भी बोली लगाने वाले को कोई वि"ोष प्राथमिकता नहीं दी जाएगी चाहें वो मूल्य से संबंधित हो या फिर अन्य नियम या स्थितियों से संबंधित हो। बोली लगाने वालों में विदे"ाी, राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं, लघु पैमाने की संस्थाएं तथा अन्य राज्यों की संस्थाएं हो सकती हैं।

3) बोली लगाने वाले के साथ मूल्य संबंधी कोई बातचीत नहीं की जाएगी। यह कम बोली लगाने वाले पर भी लागू होगा जब तक की बैंक से पहले अनुमति न प्राप्त कर ली गई हो।

4) दोबारा बोली लगाने, यदि किसी कारण से आव"यक हो तो, की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब इसके लिए बैंक से पहले अनुमति प्राप्त कर ली गई हो।

11. पराम"ार्दाताओं की सेवाओं को लेने के लिए वसूली मेनुअल के अध्याय 3 में दिए गए विधियों को पालन किया जाएगा।

12. बहुग्रामीण परियोजनाओं को उनके कार्य के घटकों तथा प्रकृति के अनुसार वगीकृत किया जाएगा और प्रत्येक के लिए अलग–अलग ठेकेदारों को काम दिया जाएगा जोकि तकनीकी प्राचलों पर आधारित होंगे।

अध्याय 12

जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम

12.8 स्त्रोत सुरक्षा तथा उसकी दीर्घकालिकता के लिए प्रबंधन उपाय

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण घटक के अंतर्गत स्त्रोत सुरक्षा तथा उसकी दीर्घकालिकता को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित किया गया है। स्वजल परियोजना के सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र उपचार के अंर्तगत स्त्रोत सुरक्षा तथा स्थानीय सोतों को रिचार्ज करने के विषय में पहले भी कई तरीके अपनाए गए हैं। परियोजना प्रबंधन इकाई प्रस्तावित परियोजना के अंर्तगत इससे मिलते–जुलते उपायों को बड़े पैमाने पर लागू करना चाहती है। इन स्त्रोतों में सदैव उपलब्ध जल वाले झरने, नदियों का पानी तथा असंदूषित छिछले तथा गहरे सोते सम्मिलित किए गए हैं। जिनका उपयोग एकल/बहुग्रामीण आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

पर्यावरण विश्लेषण के अध्ययनों के अनुसार यह बात उभर कर सामने आई है कि उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में सदैव जल वाले स्त्रोत प्राकृतिक झरनों के रूप में विद्यमान है। अतः अधिकांश उप परियोजनाओं में एकल/बहुग्रामीण परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति के स्त्रोत के रूप में इन्हीं झरनों के जल का उपयोग किया जाएगा। उत्तरांचल की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पीने तथा खाना बनाने के लिए झरनों के जल स्त्रोतों पर ही निर्भर करती है। अतः परियोजना में व्यवस्थित/नियंत्रित झरना जल प्रबंधन के तरीकों पर समुदाय के भीतर जागरूकता ले आने के लिए ध्यान देना होगा जिससे की स्त्रोत सुरक्षा का कार्य असफल न होने पाये। वन भूमि के हंस्तातरण (संलग्नक 32) तथा स्त्रोत उपचार के कार्य में लगने वाली लागत के विषय में संलग्नक 33 में विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई है। स्त्रोत सुरक्षा तथा इसकी दीर्घकालिकता को बनाए रखने के लिए नियोजन तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है :

चरण 1 : स्त्रोत केंद्रित जलग्रहण क्षेत्र योजना को विभिन्न अवस्थाओं में क्रियान्वित किया जाना है। जिसमें स्त्रोत जलग्रहण क्षेत्र की पहचान तथा उसका मूल्यांकन, स्त्रोत जलग्रहण के लिए एक आधारभूत डाटाबेस तैयार करना, स्त्रोत जलग्रहण के भीतर उपचार के क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा मुद्दों और उपायों की प्राथमिकता को सम्मिलित किया जाएगा। नियोजन तथा कार्यवाही के लिए किए जाने वाले उपायों की तीन अवस्थाएं होंगी, i) तकनीकी उपाय योजना ii) लागत आकलन योजना iii) तथा मानीटरीकरण योजना। सहयोगी संस्थाएं, ग्राम पंचायत तथा अन्य संसाधन एजेंसियां इन योजनाओं को अंतिम रूप देने तथा उन्हें विकसित करने के लिए तकनीकी सहयोगी देंगी। प्रबंधन तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों का होगा।

चरण 2 : सहयोगी संस्था/ग्राम पंचायत, जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के मध्य एक नियोजन प्रावस्था अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस अनुबंध में उन सभी गतिविधियों का स्पष्ट रूप से वर्णन होगा जिन्हें नियोजन प्रावस्था के दौरान किया जाना है। अनुबंध में सोत जलग्रहण मूल्यांकन, समस्या की पहचान, जलग्रहण क्षेत्र की पहचान तथा उसका विभिन्न जोन में विभाजन की भी व्यवस्था होगी। परियोजना प्रावस्था अनुबंध के एक भाग के रूप में मानव शक्ति तथा लागत के विषय में भी विभिन्न योजनाओं की गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्राविधान होगा। परियोजना प्रावस्था के जो नतीजे निकलेंगे वे विस्तृत पर्यावरण परियोजना रिपोर्ट के रूप में होंगे। नियोजन की तैयारी तथा स्त्रोत केंद्रित जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम को विस्तृत पर्यावरण परियोजना रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा।

चरण 3 : जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के पर्यावरण वि''ोषज्ञ का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें की चयनित उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियां तथा सहयोगी संस्थाएं उप परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन में पर्यावरण उपचार योजना के अंर्तगत विकसित किए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रही है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा की स्त्रोत सुरक्षा का कार्य मानसून के प्रारंभ होने के पहले ही शुरू कर दिया जाए। क्रियान्वयन की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को स्थानीय सहयोगी संस्था के साथ मिलकर एक तकनीकी तथा एक वित्तीय रिपोर्ट जमा करनी होगी। जिसमें स्त्रोत जलग्रहण उपचार के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियों की जानकारी सम्मिलित होगी। तकनीकी रिपोर्ट में पर्यावरण के सभी मुद्‌दों को सम्मिलित करना होगा। जैसे– जल स्त्रोत की उपलब्धता, स्त्रोत सुरक्षा के तरीके, ग्राम पंचायत तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई से जरूरी तकनीकी सहयोग, जल स्त्रोत सुरक्षा हेतु जलग्रहण क्षेत्र योजना के निर्माण तथा संचालन के दौरान संबंधित विभागों से जरूरी सहयोग, जल गुणवत्ता मानीटरीकरण रणनीति तथा आपातकालिन योजना जो कि संचालन के दौरान किसी पर्यावरणीय समस्या से संबंधित हो। इस गतिविधि को जल आपूर्ति परियोजना की आयोजना के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

चरण 4 : तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के पर्यावरण वि''ोषज्ञ प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना की त्वरित जांच कर तकनीकी रिपोर्ट का मूल्यांकन करेंगे। पर्यावरण वि''ोषज्ञ के रिपोर्ट के आधार पर जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति को पर्यावरण प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु सीधे बजट को अवमुक्त करेगी। विस्तृत पर्यावरण परियोजना रिपोर्ट का क्रियान्वयन ''क्रियान्वयन प्रावस्था त्रैमासिक अनुबंध'' के अनुसार की जाएगी। जिस पर जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई, सहयोगी संस्था तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति ने हस्ताक्षर होंगे। विस्तृत पर्यावरण परियोजना रिपोर्ट क्रियान्वयन प्रावस्था त्रैमासिक अनुबंध का एक एकीकृत हिस्सा होगा। क्रियान्वयन प्रावस्था त्रैमासिक अनुबंध का परिणाम विस्तृत पर्यावरण परियोजना रिपोर्ट के सफलतापूर्व क्रियान्वयन पर निर्भर होगा।

चरण 5 : क्रियान्वयन की प्रगति की देखरेख हेतु एक बाहरी स्वतंत्र सेवा एजेंसी को लगाया जाएगा। यह एजेंसी मासिक प्रगति का मानीटरीकरण करेगी तथा ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को तकनीकी सहयोग तथा दिशा–निर्देश देगी। यह एजेंसी क्रियान्वित किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता के लिए भी उत्तरदायी होगी।

12.2 लघु जलग्रहण क्षेत्रों में बड़े पैमाने के निम्नीकरण का प्रबंधन

जलग्रहण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाले निम्नीकरण को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना में सचेत रहते हुए यह प्रयत्न किया गया है कि प्रत्येक उप परियोजना में लघु तथ सूक्ष्म जलग्रहण उपचार योजना द्वारा सहयोग दिया जाना अवश्य सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए कंटूर/वेदिका बांधों का निर्माण, रिसाव टैंकों का निर्माण, ग्राम की वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि में वनीकरण/घास मैदानों का विकास इत्यादि को सम्मिलित करने के साथ–साथ रिसाव/रिचार्ज गड्‌डों का निर्माण तथा प्रवाह तंत्र के उपचार को भी सम्मिलित किया गया है। जबकि जलग्रहण क्षेत्र में किसी झरने या सरिता स्त्रोत को रिचार्ज करना होगा तब इसके लिए कई उपाय किए जाने होंगे। इसके लिए परियोजना के अंर्तगत सीमित पैमाने पर ध्यान दिया जाएगा (लघु तथा सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र) जबकि शेष कार्य के लिए जलागम उपायों को संबंधित विभाग अपनी गतिविधियों द्वारा पूरा करेंगे। उप परियोजना स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र उपचार के अंर्तगत यह आशा की जाती है कि औसत रूप से 5 हैक्टेयर वन/समुदाय/नीजि भूमि का स्त्रोत सुरक्षा उपायों के रूप में उपयोग किया जाएगा (संलग्नक 2 में विभिन्न प्रकार के जलग्रहण उपचारों के उपायों के संबंध में उनकी विस्तृत लागत तथा तकनीकी विशिष्टताओं को प्रस्तुत किया गया है)। विशेष जलागम क्षेत्रों में स्थित परियोजना की लंबी अवधि की दीर्घकालिकता के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई उत्तरांचल सरकार के वन विभाग तथा जलागम प्रबंधन विभाग से समन्वय स्थापित करेगी। जिससे की इन क्षेत्रों में बड़े स्तर के उपायों को क्रियान्वित किया जा सके। स्त्रोत के एक लघु जलग्रहण क्षेत्र के उपचार के प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण चरणों को निम्नवत रूप से दिया गया है। जिसके लिए जल आपूर्ति हेतु स्त्रोत की पहचान, सतह जल आपूर्ति स्त्रोत की सुरक्षा

तथा उसकी दीर्घकालिकता, भूजल आपूर्ति स्त्रोत की सुरक्षा तथा उसकी दीर्घकालिकता जैसे ई सी ओ पी (पर्यावरणीय कोड ऑफ प्रेंकटिस) को संदर्भित किया जाना चाहिए।

1. जलग्रहण क्षेत्र को प'ुओं की चराई से सुरक्षित करना।
2. जलग्रहण क्षेत्र में रेंज भूमि के प्रबंधन के लिए चारा हेतु घास की कटाई के लिए एक निश्चित सीमा तक की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
3. लघु तथा सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्रों में जब गली का निर्माण होने लगे तब इसे रोकने के लिए बांध तथा गली प्लगिंग की विधि अपनाई जानी चाहिए।
4. स्त्रोत के आस–पास इसकी सुरक्षा के लिए कंटूर खाईयों का निर्माण किया जाना चाहिए और वहां पर घास लगाना चाहिए।
5. प्रत्येक खाई में स्थानीय रूप से उपयोगी वृक्षों तथा झाड़ियों को लगाना चाहिए। जैसे रूस, केरिसा, डिबरीगेसीया इत्यादि।
6. बहुउद्देश्यि वृक्षों के रोपण (1000 वृक्ष/हैक्टेयर) को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये वृक्ष स्थानीय रूप से उपयोगी तथा बड़े पत्तों वाले होंगे जैसे ओक हार्सचेस्टनट, वालनट, मलवरी इत्यादि।

12.3 जलग्रहण क्षेत्रों में अनियंत्रित तथा अत्यधिक चराई का प्रबंधन

स्त्रोत सुरक्षा के अन्य पर्यावरणीय जोखिम के रूप में स्त्रोत जलग्रहण क्षेत्र पर चराई तथा इर्धन के लिए लकड़ी की कटाई के दबाव को देखा जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जीवन व्यवस्था में पशु–पालन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उप परियोजना में पशुओं को एक स्थान पर चारा खिलाने की विधि को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे की जलग्रहण क्षेत्र पर चराई के दबाव को कम किया जा सके। इसके लिए समुदाय को विभिन्न उपायों से उत्प्रेरित किया जाएगा।

अत्यधिक चराई को नियंत्रित करने के लिए जनता को अधिक उत्पाद देने वाले पशु नस्ल को रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खुले तथा बंद रेंज भूमि प्रबंधन उपायों के अनुसार उपयुक्त रूप से चराई प्रबंधन की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चराई भूमि की क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली घास तथा चारा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भूमि की नमी को बढ़ाने के लिए कंटूर खाईयों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राम स्तर पर सामुहिक प्रयास से अनाज की फसल के अवशेष को चारे के रूप में उपयोग करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों में ऐसी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस परियोजना में बड़े पैमाने पर समुदाय को उत्प्रेरित करने के लिए सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से कई गतिविधियां चलाई जाएंगी।

12.4 इर्धन लकड़ी के दबाव को कम करने के लिए प्रबंधन

प्रारंभिक मूल्यांकन से यह ज्ञात हुआ है कि इर्धंन के लिए लकड़ी मुख्य्य रूप से जलग्रहण क्षेत्र से एकत्र की जाती है जहां पर समृद्व बायोमास के साथ–साथ जल आपूर्ति परियोजना के लिए जल स्त्रोत भी मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखते हुए परियेाजना के अंर्तगत लोगों में खाना पकाने तथा पशुओं को गौशालाओं में चारा खिलाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि इस कार्यक्रम में लोगों को इस काम के लिए कोई राशि देने का प्राविधान नहीं है परंतु जागरूकता अभियान के माध्यम से ईंधन लकड़ी के दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

1. प्रत्येक उप परियोजना क्षेत्र में नीजि कंपनियों के सहयोग से खाना बनाने वाली गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कैंप लगाए जाएंगे।
2. उप परियोजना क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन।

3. परियोजना में लकड़ी बचाने की विधियों (प्रियाग्नी अंगीठी, धुंआ रहित चूला) तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत (सौर ऊर्जा) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य संबंधित विभागों से सहयोग लिया जाएगा।

12.5 जलग्रहण क्षेत्र कार्यों के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

इस परियोजना के अंर्तगत राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन क्रियान्वयन एजेंसी है जिससे परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सभी प्रकार की परियोजना प्रबंधन सहयोग दिया जाएगा। परियोजना प्रबंधन इकाई में विभिन्न विषयों तथा सरकारी विभागों के संसाधन व्यक्ति होंगे और इस इकाई पर इस पूरी परियोजना के प्रबंधन का उत्तरदायित्व होगा। इन्हें जनपद स्तर पर जनपद परियोजना प्रबंधन इकाईयों द्वारा सहयोग दिया जाएगा। परियोजना प्रबंधन इकाई अपने किसी एक सदस्य को पर्यावरण समन्वयक के रूप में मनोनित करेगी। जिसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह एकल/बहुग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं में पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। पर्यावरण समन्वयक परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन की गतिविधियों के क्रियान्वयन और समन्वय का पूरा इंनचार्ज होगा। परियोजना प्रबंधन इकाई के स्तर पर एक पर्यावरण विशेषज्ञ राज्य स्तर पर पर्यावरण समन्वयक को सहयोग प्रदान करेगा। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई जनपद की नोडल एजेंसी के रूप में मुख्य उत्तरदायित्वों को दिए जाने के संबंध में निर्णय लेगी और उत्तम पर्यावरण प्रबंधन तथा उपचार हेतु ग्राम पंचायतों तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमितियों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करेगी। जनपद स्तर पर एक पर्यावरण विशेषज्ञ की नियुक्त की जाएगी जिससे की वह प्रत्येक परियोजना को नियमित रूप से तकनीकी तथा मानीटरीकरण संबंधी सहयोग दे सके। ग्राम स्तर पर उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति परियोजना का क्रियान्वयन करेगी और इसके लिए उसे स्थानीय सहयोगी संस्था द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। सहयोगी संस्था कोई भी गैरसरकारी संस्था/सी बी ओ हो सकती है या एक तकनीकी संस्था या कोई व्यक्ति जिसके पास आवश्यक तकनीकी कौशल हो, वह भी सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर सकती है। प्रत्येक सहभागी की पर्यावरण मुद्दों के प्रबंधन हेतु भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

पर्यावरणीय मुद्दों के प्रबंधन हेतु सहभागियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

मुख्य उत्तरदायित्व	योजना अवस्था	क्रियान्वयन अवस्था
परियोजना प्रबंधन इकाई	• पर्यावरण प्रबंधन ढांचे के अनुसार राज्य हेतु संपूर्ण पर्यावरण नियोजन • संबंधित विभागों से सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र विकास हेतु समन्वय • रासोई गैस तथा गौषालाओं में प'ाुओं को चारा खिलाने संबंधी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए संचार रणनीति तथा जागरूकता अभियान चलाना।	• जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए समय से रा"ि को अवमुक्त करना • यह सुनि"िचत करना की संबंधित विभाग लघु जलग्रहण क्षेत्रों में स्त्रोत सुरक्षा के लिए समय से सहयोग दें • परियोजना के समान्य एम.आई.एस. में एकीकृत पर्यावरणीय मानीटरीकरण के परिणाम दर्ज हों
जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई	• पर्यावरण वि'ौषज्ञ स्त्रोत सुरक्षा के उपायों के अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत, सहयोगी संस्था, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति से समन्वय स्थापित करेगा। • उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को समय से रा"ि अवमुक्त करना, स्त्रोत सुरक्षा के लिए तकनीकी प्रस्तावों को मंजूरी देना। • जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई का परियोजना वि'ौषज्ञ उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति, ग्राम पंचायत, सहयोगी संस्था तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के बीच अनुबंधित कार्ययोजना को अंतिम रूप देने में सहायता करेगा।	• जनपद के पर्यावरणीय मानीटरीकरण रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता। • सतत मानीटरीकरण तथा देखभाल। • यह सुनि"िचत करना की स्त्रोत सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय मानसून प्रारंभ होने के पहले शुरू कर दिए जाए।

ग्राम पंचायत	• ग्राम स्तर पर पर्यावरणीय योजना को तैयार करने में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को सहायता करना। • उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को स्त्रोत सुरक्षा कार्य की योजना बनाने के लिए उपयुक्त सहयोगी संस्था के चुनाव में सहयोग करना।	• स्त्रोत सुरक्षा कार्य के वित्तीय प्रबंधन तथा लागत अं”ादान के तंत्र को अंतिम रूप देने में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति के साथ समन्वय। • उपभोक्त जल तथा स्वच्छता उपसमिति को रसोई गैस तथा पर्यावरणीय स्वच्छता अभियान कार्य में सहयोग देना।
सहयोगी संस्था	• उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को संपूर्ण स्त्रोत सुरक्षा तथा दीर्घकालिकता कार्य नियोजन में सहायता करना।	• उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को स्त्रोत सुरक्षा कार्य के क्रियान्वयन में सहायता करना। • स्त्रोत सुरक्षा कार्य को करते समय उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति को तकनीकी सहायता प्रदान करना। • संपूर्ण स्त्रोत सुरक्षा कार्य के मानीटरीकण हेतु उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति, ग्राम पंचायत तथा पर्यावरण वि”ोषज्ञ से समन्वय स्थापित करना।
उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति	• गांव की बैठक में पर्यावरणीय जोखिमों का मूल्यांकन। • सहयोगी संस्था तथा ग्राम पंचायत के सहयोग से उपचार की विधियों का नियोजन करना।	• पर्यावरणीय उपचार विधियों को क्रियान्वित करना। • स्त्रोत सुरक्षा कार्य के लिए लागत शेयर के तरीकों को क्रियान्वित करने को सुनिि”चत करना। • संपूर्ण प्रक्रिया का मानीटरीकरण करना तथा इसके विषय में ग्राम पंचायत तथा पर्यावरण वि”ोषज्ञ को लगातार जानकारी देना।
संबंधित विभाग (वन तथा जलागम)	• जब एक बार जल परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया जाता है (वि”ोष रूप से जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य) तब परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ समन्वय स्थापित करना।	• परियोजना कार्य के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र उपचार उपायों को समय से क्रियान्वित करने को सुनिि”चत करना।

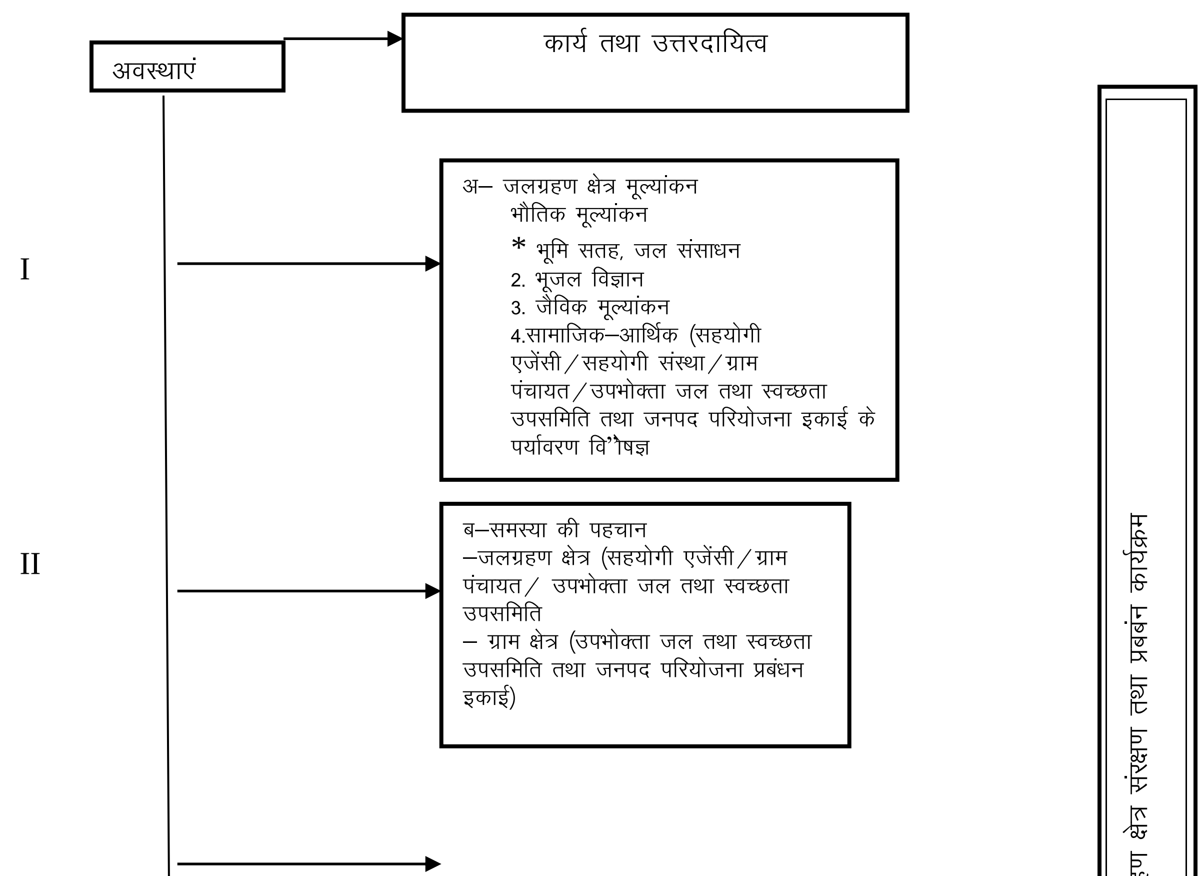

III

स– जलग्रहण क्षेत्र जोने’’ान
–उपचार क्षेत्रों का सीमांकन (सहयोगी एजेंसी/सहयोगी संस्था/ग्राम पंचायत/उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति तथा जनपद परियोजना इकाई के पर्यावरण वि’’ोषज्ञ

IV → द–योजना का निर्माण (उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति द्वारा)
– उपाय तथा लागत मूल्यांकन

V → य– योजना का क्रियान्वयन
–जलग्रहण स्तर (उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति/ग्राम पंचायत)
–ग्राम स्तर (उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उपसमिति तथा सहयोगी संस्था)

VI → र–मानीटरीकरण (सहयोगी एजेंसी तथा जनपद प्रबंधन इकाई के पर्यावरण वि’’ोषज्ञ द्वारा)

VII → ल– आ’’ोधन (सहयोगी एजेंसी तथा पर्यावरण वि’’ोषज्ञ द्वारा)

12.6 स्त्रोत केंद्रित जलग्रहण क्षेत्र ... ानीटरीकरण तथा किए गए कार्य की जांच

उपचार के उपायों को प्रभाव’’ाली ढंग से लागू करने का आकलन करने के लिए मानीटरीकरण मुख्य रूप से उप परियोजना क्षेत्र में दो प्रकार के अवलौकनों पर किया जाएगा 1. संपूर्ण पर्यावरणीय स्थिति का दृ’’य अवलोकंन 2. वि’’ोष पर्यावरणीय गुणात्मक तथा संख्यात्मक प्राचलों का मानीटरीकरण। परियोजना का डिजाइन इसलिए लचर रखा गया है जिससे की विभिन्न प्रकार के उपायों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस बात पर सहमति हुई कि परियोजना का डिजाइन ऐसा हो जिससे लोगों को जल्दी सीखने और उसे लागू करने में मद्द मिल सके। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण हो कि सभी उपायों को जहां तक संभव हो व्यवस्थित ढंग से सीखा जाए। इसको ध्यान में रखते हुए मानीटरीकरण तथा पर्यावरण के घटकों का डिजाइन तैयार किया गया है। प्रस्तावित परियोजना के दौरान विभिन्न उपायों से सीखने के लिए मानीटरीकरण तथा पर्यावरण व्यवस्था को अनुकूल बनाया गया है जिससे की जो ि’’ाक्षा प्राप्त की जाए उसे परियोजना में तुरंत उपयोग किया जा सके।

मानीटरीकरण कार्यक्रम का उद्दे’’य उपचार विधियों के प्रभाव’’ाली ढंग से लागू किए जाने संबंधी मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन ढांचा में बताए गए तरीको को लागू करना है और यदि आव’’यक हो तो अतिरिक्त उपचार विधियों का उपयोग किया जाए। जिससे की परियोजना क्षेत्र में पर्यावरण की स्थिति को और सुधार जा सके जोकि स्त्रोत के सुधार के लिए उपयोगी होगा। स्त्रोत केंद्रित जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबंधन योजना एक संतुलित दृष्टिकोण की मांग करती है जिसमें विभिन्न जैविक, इंजीनियरी तथा सामाजिक घटकों को पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में लागू किया जा सके। जलग्रहण क्षेत्र के नियोजन, क्रियान्वयन, देखभाल तथा मानीटरीकरण में सभी सहयोगियों की सक्रिय भागीदारी आव’’यक है। प्रस्तावित मानीटरीकरण प्रवाह चार्ट (जिसे संसूचकों के साथ नीचे दिया जा रहा है) का विकास इस उद्दे’’य से किया गया है कि कार्यक्रम का विभिन्न अवस्थाओं में प्रभाव’’ाली मूल्यांकन तथा आकलन किया जा सके। इसमें राज्य स्तर, जनपद स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर की संस्थाओं, जिन्हें सेवा एजेंसियों तथा सहयोगी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त होगा, को भी सम्मिलित किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में लगी हुई विभिन्न एजेंसियों द्वारा मानीटरीकरण गतिविधियों को विभिन्न अवस्थाओं में लागू करने के लिए मानीटरीकरण योजना उपयुक्त रहेगी।

मानीटरीकरण योजना

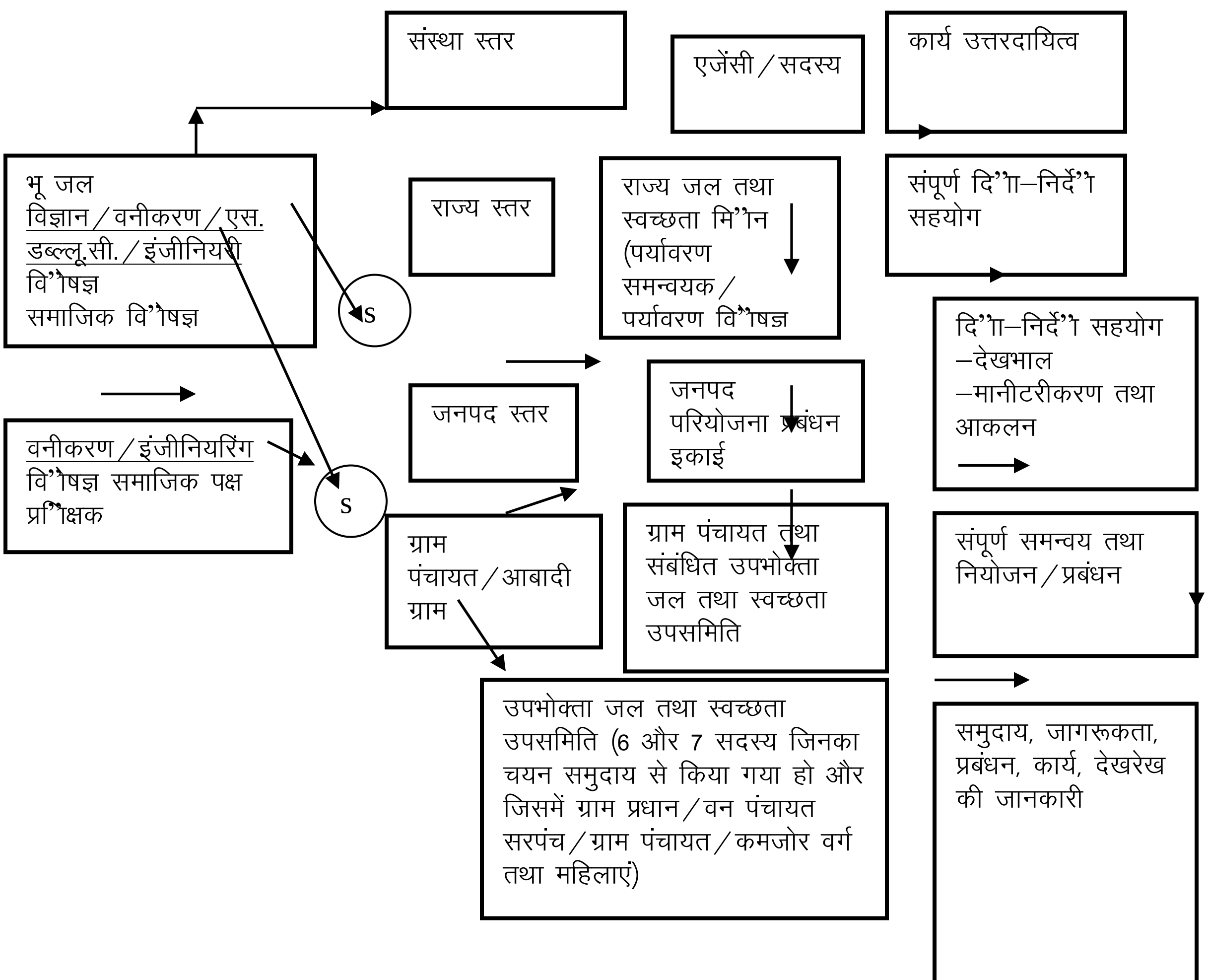

पर्यावरण मानीटरीकरण संसूचक

1. स्त्रोत डिस्चार्ज (1 पी.एम.)
2. क्षेत्र में प्राकृतिक पुर्न अंकुरण (नंबर/हेक्टरेयर
3. पौधों के जीवित रहने का दर/पुनः अंकुरण प्रति’’ात में
4. गौ’’ाला में प’’ाुओं को चारा खिलाने के उपाय को लागू करने वाले गृह
5. रसोई गैस प्रयोग करने वाले गृहों की संख्या/खाना बनाने तथा गर्म करने के लिए अन्य स्त्रोत

12.7 स्रोत केंद्रित जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा देखरेख की व्यवस्था के लिए राशि का प्रवाह

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अंतर्गत नई लागतों के लिए रा’’ि का प्रवाह तथा लेखा की व्यवस्था वित्तीय प्रबंधन मेनुअल के अनुसार की जाएगी।

अध्याय 13

पर्यावरण प्रबंधन ढांचा

13. पर्यावरण प्रबंधन ढांचा

पर्यावरण प्रबंधन ढांचा एक ऐसा दि’’ाा–निर्दे’’ाक है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मद्दों की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन तथा मानीटरीकरण कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा की जाए। जिससे की मुख्य कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रखरखाव में पर्यावरणीय प्रबंधन उपायों को सम्मिलित किया जा सके। इसमें चरणबद्ध ढंग से उन विधियों को बताया गया है जोकि विभिन्न गतिविधियों के लिए लागू होंगी और जो मुख्य कार्यक्रम के लिए समानंतर रूप से इंजीनियरिंग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी। इसमें उपरोक्त वर्णित कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले उपायों तथा उनकी जांच के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जल गुणवत्ता, पर्यावरण स्वच्छता, संस्थागत व्यवस्था, रा’’ि प्रवाह तंत्र, जांच की प्रक्रिया तथा पर्यावरण मानीटरीकरण जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कार्य योजना तथा ढांचे को भी विस्तार से बताया गया है।

पर्यावरण प्रबंधन ढांचे को तैयार करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के अध्ययनों को संदर्भित किया गया है। ग्रामीण जल आपूर्ति स्वच्छता पर्यावरण सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीति के संदर्भ में पर्यावरण प्रबंधन ढांचे को जनता के सामने दो कार्य’’ााालाओं में रखा गया। इन कार्य’’ााालाओं का आयोजन 17 मई, 2005 तथा 17 जून, 2005 को किया गया था।

13.1 मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे

उत्तरांचल में जल संसाधनों का सत्त विकास जटिलताओं से भरा हुआ है। राज्य में जल की समस्या को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है ‘‘जल की अधिकता है, परंतु यह एक दुर्लभ संसाधन है’’। यद्यपि राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है परंतु यहां की जटिल स्थलाकृति, भौमिकी, विभिन्न ऋतुओं में वर्षा की दर तथा बहाव में अत्यधिक अंतर, सीधी तथा खड़ी ढलाने, जलागमों में भूमि के प्रयोग में परिवर्तन, जनसंख्या दबाव, भूमि तथा वनों का निम्नीकरण कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण जल संसाधनों के विकास के रास्तें में अत्यधिक कठनाईयां आती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जलागमों के टाइम–सीरिज डाटा की अनउपलब्धता एक महत्वपूर्ण समस्या खड़ी करती

है। इन सब तथ्यों के सम्मिलित प्रभाव के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में जल संसाधनों का सत्त प्रबंधन एक चुनौती भरा कार्य बन जाता है।

ग्रामीण जल आपूर्ति सेक्टर तथा प्रस्तावित कार्यक्रम (सकल क्षेत्र में समरूप नीति पर आधरित) के लिए जल गुणवत्ता तथा पर्यावरण स्वच्छता मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इन सबके साथ कार्यक्रम संबंधी मुद्दे हैं 1. नदी धारा के निचले हिस्सों के आर्थिक तंत्र तथा आबादी पर पड़ने वाला प्रभाव 2. पारिस्थितिकीय संसाधनों पर प्रभाव 3. भूमि प्रयोग तथा स्थलाकृति पर प्रभाव तथा 4. पर्यावरणीय स्वच्छता की कमी का प्रभाव।

सेक्टर संबंधी जल गुणवत्ता का प्रबंधन अपरदन, अनियंत्रित तथा अत्यधिक चराई, जलग्रहण क्षेत्र पर इर्धन लकड़ी के बढते दबाव जैसे तथ्यों को नियंत्रित कर किया जा सकता है। जल गुणवत्ता के मुद्दे को काफी हद तक पर्यावरण स्वच्छता अवधारणा को प्रोत्साहित कर तथा राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर पर नियमित रूप से जल गुणवत्ता के मानीटरीकरण कार्यक्रम को चलाकर प्रबंधित किया जा सकता है।

जल गुणवत्ता के मुद्दे को हल करने के लिए संबंधित विभागों जैसे वन, जलागम प्रबंधन, मृदा तथा जल संरक्षण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज को सम्मिलित करना पड़ेगा। क्योंकि ये संस्थाएं वर्तमान में विभिन्न कार्यक्रमों तथा अनुदान देने वाली एजेंसियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वनीकरण, मृदा तथा जल संरक्षण की गतिविधियां चला रही है। इन सभी गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी आव''यक है। प्रस्तावित कार्यक्रम में जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य के लिए स्थानीय समुदाय को भागीदार बनाया जाए। लघु जलग्रहण क्षेत्र (लगभग 5 हेक्टेयर के क्षेत्र) में जल आपूर्ति संरचनाओं की सुरक्षा तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी प्रस्तावित है। सेक्टर स्तर पर पूरे राज्य के लिए जल गुणवत्ता के मुद्दे को एक अन्य कार्यक्रम द्वारा हल किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कार्यक्रम में सरल तथा कम कीमत के जल गुणवत्ता जांच विधियों को जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सत्त रूप से परियोजना के प्रभाव''ाली क्रियान्वयन के लिए अंतर विभागीय सहयोग आव''यक होगा। विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों का विवरण दिया जा रहा है। तालिका 13. 1 में प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों के लिए सहयोगी ढांचा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 13.1 प्रमुख पर्यावरणीय मुददों के लिए सहयोगी ढांचा

क्र.सं.	पर्यावरणीय मुददा	मुददों का ब्योरा	स्वीकृत प्रबंधन उपाय	सहयोगी एजेंसी
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जल गुणवत्ता	• जल डिस्चार्ज के कम हो जाने के कारण गर्मी के दिनों में जल इक्ट्ठा करने की समस्या	• नए स्त्रोतों की खोज (जल भू वैज्ञानिक अध्ययनों की सहायता ली जाएगी) • न पीने वाले पानी की आव''यकताओं को लघु सिंचाई नहरों या आसपास बहने वाली नदियों द्वारा पूरा किया जाएगा। • वर्षा जल संभरण • जलग्रहण क्षेत्र में इंजीनियरिंग उपायों (बंध, खाई) तथा जैविक उपायों (वृक्षारोपण) द्वारा जल रिचार्ज गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्त्रोत की दीर्घकालिकता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	ग्राम पंचायत/सरकारी विभाग वन विभाग/परियोजना प्रबंधन इकाई/जल तथा स्वच्छता मि''ान
2	जल गुणवत्ता	• जल गुणवत्ता वि''ोष रूप से मानसून के दौरान कोली	• H2S स्ट्रीप द्वारा जांच (प्रयो''ालाओं द्वारा जल की जांच	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्राम

		फार्म संक्रमण	सहायक रहेगी) • पीने के लिए उबाला हुआ पानी या क्लोरिन उपचारित जल का प्रयोग	पंचायत/परियोजना प्रबंधन इकाई/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3	पर्यावरणीय स्वच्छता	• गृहों तथा सामुदायिक शौचालयों की कमी, व्यक्तिगत शौचालयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की कमी, वर्तमान शौचालयों का ठीक ढंग से रखरखाव न करना	• गृहों में शौचालय लगाने की मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रभाव''ाली तथा सतत प्र''ाक्षण कार्यक्रम/मालिकाना आधार पर सामुहिक शौचालय/समुदाय शौचालय तथा उनका ठीक ढंग से तथा नियमित रखरखाव	पेयजल निगम/ग्राम पंचायत/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
4	ठोस अप''ाष्ट प्रबंधन	• जैविक रूप से निम्नीकृत होने वाले अप''ाष्ट तथा प''ाुओं के गोबर इक्ठ्टा करना। • अजैविक रूप से निम्नीकृत होने वाले अप''ाष्टों को इक्ठ्टा करना	• कम्पोस्टर गढ़डों को बनाना तथा उनका उपयोग करना • केंचुआ/जैविक खेती को बढ़ावा देना • बायोगैस इकाईयों को लगाना • कूड़े के लिए गढ़ढे खोदना और उनमें इक्ठ्टा करना • इसे चुन कर कूड़ा इक्ठ्टा करने वाले को बेचना • अधात्विक अप''ाष्टों को समाप्त किया जा सकता है।	पेयजल निगम/ग्राम पंचायत अपर निदे''ाक पेयजल निगम/ग्राम पंचायत/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई
5	अपवाह तंत्र	• गृहों से निकलने वाले कचरे के कारण जल का प्रवाह रूकता है जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा होती है।	• ग्राम की सड़कों के किनारे नालियां बनाकर कचरे का प्रभाव''ाली ढंग से निस्तारण • गांव की सफाई की गतिविधियों में समुदाय की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित किया जाए।	ग्राम पंचायत/ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई
6	जलग्रहण क्षेत्र सुरक्षा	• अत्यधिक चराई	• गो''ाालाओं में चारा खिलाना • चारागाहों को बढ़ाना तथा इनके प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।	वन विभाग/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई/ए.एच.डी.
		• जलावन की लकड़ी की अत्यधिक दोहन	• रसोई गैस, केरोसिन, बायोगैस को प्रोत्साहित करना • वनस्पति आच्छादन को बढ़ाना	जनपद आपूर्ति कार्यालय/आर.ई. डी. ग्राम पंचायत/वन विभाग/परियोजना प्रबंधन इकाई

13.2 जल गुणवत्ता मुद्दा

यद्यपि राज्य में प्रतिवर्ष अत्यधिक वर्षा होती है परंतु कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा की मात्रा में कमी देखी गई है। उदाहरण के लिए दून घाटी में औसत मानसून की वर्षा में 206 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से कमी हुई है। इसके अतिरिक्त 1901–64 की अवधि में औसत वर्षा 2109±343 मिलीमीटर रही है जबकि 1965–89 की अविध में यह मात्र 1778±416 मिलीमीटर पाई गई। चूंकि 85 प्रति''ात वर्षा मानसून के तीन महीनों में ही होती है इस कारण पेयजल तथा सिचांई राज्य के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई है। ऊंची नीची जमीन तथा यहां की भौमिकी पहाड़ों में लंबे समय तक जल को रोकने में कामयाब नहीं है।

उत्तरांचल में जल की समस्या विभिन्न तथ्यों के सम्मिलित प्रभाव के कारण है जिसके कारण पर्यावरण का भी निम्नीकरण हुआ है। वन क्षेत्र में हो रही कमी के कारण वनस्पति आच्छादन कम हुआ है, प''ाुओं द्वारा अधिक चराई, मृदा के ऊपरी परत का गलत कृषि विधियों के कारण अपरदन तथा अन्य विकास की गतिविधियों (जैसे

सड़क निर्माण, खनन, शहरीकरण इत्यादि) के कारण पहाड़ी इलाकों में झरनों के रिचार्ज क्षमता में धीरे–धीरे कमी आती गई है।

संक्षेप में जल स्त्रोतों में आ रही कमी के मुख्य कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, वनों में लगने वाली आग, चारागाहों में अधिक चराई, जलग्रहण क्षेत्र में ईधन की लकड़ी का दबाव, तथा छोटी–छोटी भूमिधरी है। इन सबके कारण जलग्रहण क्षेत्र के उपचार की विधियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो अंततोगत्वा पेयजल आपूर्ति हेतु जल स्त्रोतों की दीर्घकालिकता पर कुप्रभाव डालता है।

13.2.1 सूक्ष्म जलागम में बड़े पैमाने का निम्नीकरण

राज्य का कुल क्षेत्रफल 53483 वर्ग किलोमीटर है। यह पूरा क्षेत्र कई नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है। इसमें से 30.27 प्रति’’ात क्षेत्र को बंजर जमीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतरिक्त लगभग 30.94 प्रति’’ात क्षेत्र जिसे वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है वह निम्नीकृत है और वहां वृक्ष आच्छादन की कमी है। इन निम्नीकृत क्षेत्रों में नमी रोकने की क्षमता कम होने के कारण इसका सीधा प्रभाव स्थानीय झरनों के रिचार्ज क्षमता पर पड़ता है। अधिकां’’ा पेयजल आपूर्ति के स्त्रोत इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं। पर्यावरण वि’’लेषण अध्ययन के परिणामों से यह पता चलता है कि नदियों में गाद भार तथा जल का प्रवाह वि’’ोष रूप से कई जल आपूर्ति स्त्रोतों को अस्थाई तथा अदीर्घकालिक बनाता जा रहा है। जलग्रहण क्षेत्र उपचार मुख्य रूप से वन, कृषि तथा बंजर भूमि प्रबंधन विभागों की जिम्मेदारी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हाल में ही संबंधित विभागों के लिए जलग्रहण उपचार को आव’’यक बनाने संबंधी आदे’’ा पारित किए हैं 1. शासनादे’’ा नं : 677 / 29–2(05पेय) / 2005 दिनांक 16.4.2005 तथा 2. शासनादे’’ा नं. 1023 / 29 / –2(05पेय) / 2005 दिनांक 16 अप्रैल 2005। परियोजना में जलग्रहण क्षेत्र उपचार के उपाय प्रस्तावित उप परियोजना / जल आपूर्ति परियोजना क्षेत्रों में किया जाएगा।

13.2.2 जलग्रहण क्षेत्र में अनियंत्रित तथा अत्यधिक चराई

लगभग 70–80 प्रति’’ात ग्रामीण आबादी छोटे किसानों की है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि है। कृषि के बाद ग्रामीण आबादी के आय का दूसरा स्त्रोत प’’ाुपालन है अतः प’’ाुपालन राज्य में जीवनयापन की व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। इस समय राज्य में 2.4 मीलियन प’’ाु है जोकि राज्य के वनों में चारा आपूर्ति की क्षमता से कहीं अधिक हैं। पर्यावरण वि’’लेषण अध्ययन के अनुसार प्रत्येक गृह में औसतन 4.19 प’’ाु हैं। प’’ाुओं के लिए चारे की आव’’यकता को मुख्य रूप से जल ग्रहण क्षेत्र से इक्ट्ठा कर पूरा किया जाता है। जलग्रहण क्षेत्र तो वैसे भी कई कारणों के प्रभाव से निम्नीकृत हो चुकें हैं। अतः जलग्रहण क्षेत्र में स्त्रोत सुरक्षा (जल आपूर्ति परियोजना के लिए) का विकास करने हेतु चराई के दबाव को कम से कम करना जरूरी है।

13.2.3 जलग्रहण क्षेत्र में ईधन लकड़ी का दबाव

चराई के दबाव के अतिरिक्त ग्रामीण लोग जलग्रहण क्षेत्र से ईधन की लकड़ी के लिए अत्यधिक निर्भर रहते हैं। पर्यावरण वि’’लेषण अध्ययन के अनुसार वर्तमान में ईधन लकड़ी की आव’’यकता लगभग राज्य के औसत वार्षिक उत्पादन से 48 गुना अधिक है। वैसे तो ईधन की लकड़ी के उपयोग में ऊंचाई तथा ऋतुओं के आधार पर अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है परंतु राज्य में ईधन लकड़ी का औसत उपयोग लगभग 3.6 मीट्रक टन प्रति गृह प्रतिवर्ष है। गांव में जलावन की लकड़ी की मांग बढ़ने के कारण सामुदायिक / संरक्षित वन क्षेत्रों के पुनः अंकुरण क्षमता को कम कर दिया है। उपचार के अब तक किए गए प्रयास इस निम्नीकरण को रोकने के लिए अधिक नहीं हैं।

13.3 जल गुणवत्ता का मुद्दा

मानवीय गतिविधियों के कारण जल संदूषण का बढ़ता स्तर धीरे–धीरे चिंता का एक विषय बनता जा रहा है। खुले में शौच, प''ाु मल तथा कूड़े कचरे के निस्तारण के तरीकों की कमी राज्य में जल संदूषण के मुख्य कारण है। प्राप्त सूचना के अनुसार मात्र 16 प्रति''ात ग्रामीण गृहों में साफ–सफाई की उचित सुविधाएं मौजूद हैं और 2.2 प्रति''ात से भी कम ग्रामीण गृहों में कचरा/कम्पोस्ट के गढ़ढ़े बनाए गए हैं। अक्सर आने वाले आकस्मिक बाढ़ तथा तूफान जनित जल से ले आए गए अव''ोष पाइप द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं के जल संग्रहण के लिए पर्यावरणीय खतरे पैदा करते हैं। पर्यावरण वि''लेषण अध्ययन के अनुसार प''ाु लगभग 1600 किलो गोबर प्रतिग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उत्पन्न करते हैं और अधिकां''ा गांव में गौ''ाालाएं नहीं है। अतः प''ाु के अव''ोषों को बहता हुआ जल जलस्त्रोतों तक ले जाकर उन्हें प्रदूषित करता है।

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त किए गए जल की गुणवत्ता के परिणाम यह बताते हैं कि वह पेयजल के लिए बनाए गए बीएसआई मानकों के अंर्तगत आता है। उत्तरांचल राज्य में संपूर्ण जल गुणवत्ता, वि''ोष रूप में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत चिंताजनक नहीं है। कुछ स्थानों पर यह चिंताजनक भी है जहां पर सतह स्त्रोत में बैक्टीरिया संबंधी संदूषण पाए गए हैं। अधिकां''ा बैक्टीरिया संबंधी संदूषण मानसून की अवधी में होता है। मैदानी इलाकों में छिछले कुएं में कुछ स्थानों में जल गुणवत्ता की समस्या मौजूद है। वर्तमान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जल गुणवत्ता की जांच के लिए दो प्रयोग''ाालाएं हल्द्ववानी और देहरादून में है। यहां पर जल के नमूनों की जांच भुगतान के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। वैसे राज्य में जल गुणवत्ता की जांच के लिए कोई वि''ोष रणनीति मौजूद नहीं है। अधिकां''ा जल के नमूनों का वि''लेषण याद्रछिद्र विधि के आधार पर किया जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा स्वास्थ्य विभाग भी जल गुणवत्ता की देखरेख करता है। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य विभाग राज्य के स्थानीय समुदायों में जल के संदूषण को दूर करने के लिए क्लोरिन के टेबलेट का वितरण करता है। इसी विभाग ने जल की गुणवत्ता हेतु 32 हजार आर्थो टोलूडीन जांच किए हैं। इसके अतिरिक्त स्वजल परियोजना I में स्थानीय लोगों को H_2S स्ट्रीप का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों एवं सहयोगी संस्थाओं को ग्राम स्तर पर H_2S स्ट्रीप का किस प्रकार प्रयोग किया जाए इसके लिए बड़े पैमाने पर प्र''ाक्षण दिया गया है।

13.4 कार्यक्रम संबंधी अन्य मुद्दे

उपरोक्त खंडों में जिन मुद्दों के विषय में बताया गया है वे सामान्यतः सैक्टर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और राज्य स्तर पर कार्यक्रम हेतु नीति निर्धारण करते समय इन पर विचार किया जाना आव''यक है। प्रस्तावित परियोजना की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि वह विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई है तथा इसमें लघु जल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है जोकि अधिकां''ात एकल ग्राम तथा बहुग्राम किस्मों की (जिन्हें उप परियोजना कहा जाता है) हैं। परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय मद्दे वे हैं जो परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वियन, वि''ोष रूप से जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के निर्माण तथा संचालन से संबंधित हैं। विभिन्न जल आपूर्ति तथा स्वच्छता उपायों के संबंध में विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों का वि''लेषण किया गया है जिन्हें इस परियोजना के अंर्तगत प्रयोग किया जाएगा।

13.4.1 सरिता के निचले हिस्सों में आबादी तथा पारितंत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव

निचले हिस्सों में रहने वाली मानव आबादी, जोकि उसी जल स्त्रोत पर निर्भर है, उस पर व्यक्तिगत जल आपूर्ति परियोजनाओं का सीधा कुप्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में स्थित ग्रामों के कचरा (ठोस तथा द्रव्य दोनों) के डिस्चार्ज का प्रभाव विभिन्न तरीकों से नीचे के ग्रामों पर पड़ता है। पहाड़ के ऊपरी गांव का कचरा सरिताओं द्वारा बहा कर नीचे के गांव तक ले जाया जाता है। इस कचरे के साथ नीचे बहने वाला जल अपने साथ संदूषित ऊपरी मृदा को भी ले जाता है। अतः पहाड़ के ऊपरी हिस्सों के गांव के कचरे के डिस्चार्ज का प्रबंधन ठीक ढंग से किया जाना चाहिए जिससे वे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नीचे के गांव के जल स्त्रोतों को

संदूषित न कर सकें। जल स्त्रोत से पेयजल की आपूर्ति करते समय यह ध्यान रखना होगा कि पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में स्थित ग्रामों में सीधे–सीधे स्त्रोत से ही जल आपूर्ति नहीं की जा रही है। यह ध्यान रखना होगा कि जल स्त्रोत में इतना पानी अव''य रहे कि वह सभी ग्रामों की आव''यकताओं को पूरा कर सके, वि''ोष रूप से गर्मी के दिनों में। विभिन्न स्त्रोतों से जल लिए जाने के बाद इतना डिस्चार्ज छोड़ दिया जाना चाहिए जिससे कि जल की कमी की अवधि में सरिता के पारितंत्र का रखरखाव हो सके।

13.4.2 पारिस्थितिकी संसाधनों पर संभावित प्रभाव

उत्तरांचल राज्य अपनी समृद्ध जैवविविधिता के लिए विख्यात है जिसमें वनस्पति तथा जीव–जंतुओं की विभिन्न प्रकार की किस्में फल–फूल रही है। परियोजना की गतिविधियों से पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को दो वर्गों में बांटा गया है – 1. वह जो कम डिस्चार्ज के कारण उत्पन्न होगा (प्रस्तावित जल आूपर्ति परियोजना हेतु जल लिए जाने के कारण) तथा 2. वह जो जल आपूर्ति की परियोजना के निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकीय संसाधनों जैसे वन इत्यादि को नष्ट होने के कारण उत्पन्न होंगी।

13.4.3 भूमि उपयोग तथा स्थलाकृति पर संभावित प्रभाव

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस परियोजना में विभिन्न ग्रामों में लगभग 5900 परियोजनाएं चलाई जाएंगी। उप परियोजना क्षेत्रों की प्रारंभिक समीक्षा से यह ज्ञात हुआ है कि स्त्रोत तथा वितरण तंत्र के बीच की दूरी बहुत कम होगी (1 किलोमीटर से भी कम)। मुख्य आपूर्ति लाइन को बिछाने के लिए कम से कम 0.5 मीटर चौड़ाई वाले गढ्ढ़ों को 1 किलोमीटर की दूरी तक खोदना होगा। भूमि संबंधी कार्य का कोई वि''ोष प्रभाव इस क्षेत्र की स्थलाकृति पर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति यह सुनि''चत करेगी कि भूमि संबंधी गतिविधियों को जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई इस कार्य मानीटरीकरण हेतु सहयोगी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करेगी और यह सुनि''चत करेगी कि भूमि संबंधी गतिविधियों को वर्षा ऋतु के पहले या फिर उसके बाद पूरा किया जाए।

इस परियोजना के कारण मृदा पर पड़ने वाला प्रभाव स्थानीय रूप से मृदा के ऊपरी परत के अपरदन से संबंधित होगा जोकि निर्माण गतिविधियों के दौरान होगा परंतु यह प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। चूंकि इस परियोजना की कुछ पाइप लाइनें कृषि भूमि से होकर गुजरेंगी अतः मृदा की ऊपरी परत पर पड़ने वाला प्रभाव भविष्य के कृषि उत्पाद पर थोड़ बहुत होगा। चूंकि उप परियोजना बहुत छोटी होगी अतः उत्पाद में होने वाली कमी कोई वि''ोष महत्व नहीं रखेगी। वैसे हो सकता है कि इस मुद्दे पर उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को स्थानीय लोगों का कुछ विरोद्ध झेलना पड़े। ऐसे में जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के पर्यावरण वि''ोषज्ञ तथा स्थानीय सहयोगी संस्था ग्राम पंचायत के सदस्यों की मौजूदगी में आपसी समन्वय स्थापित कर इस मद्दे को हल करेंगे।

13.5 अपर्याप्त पर्यावरणीय स्वच्छता के कारण संभावित प्रभाव

प्रस्तावित जल आपूर्ति की मुख्य लाइन मौजूद सड़कों के किनारे–किनारे जाएगी जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सतह जल के स्त्रोतों के प्रदूषित होने या उनको घेरने का कोई खतरा नहीं होगा। वैसे बैक्टीरिया संबंधी संदूषण उप परियोजना के लिए खतरा बन सकता है। प्रत्येक गुरूत्व आधारित उप परियोजना में एक स्त्रोत एकत्रक होगा आर एफ/मंद सेंडफिल्टर तथा एक संग्रहण टैंक होगा जिससे व्यक्तिगत गृह कनेक्सन तथा समान स्टेंड पोस्ट को जल आपूर्ति की जाएगी। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 16 प्रति''ात घरों में शौच की सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुलें में शौच एक सामान्य प्रक्रिया है। यह देखते हुए कि उत्तरांचल के अधिकां''ा ग्रामीण क्षेत्रों में सीवेज व्यवस्था नहीं है अतः बरसात के दिनों में बहने वाले जल के साथ–साथ ठोस तथा द्रव अपि''ाष्ट जल की गुणवत्ता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं और इससे मुख्य संग्रहण टैंक तथा गुरूत्व आधारित जल आपूर्ति की परियोजनाएं प्रभावित होती है। अतः उप परियोजनाओं में इस बात के लिए संमुचित उपाय सुनि''चत करने होंगे कि

कोई भी ठोस या द्रव्य कचरा उपरोक्त तीनों संरचनाओं को रिसाव या अन्य अंतरभेदी प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित न कर सकें। परियोजना के अंर्तगत इन तीनों संरचनाओं की सुरक्षा तथा उसकी गुणवत्ता को सुनि''चित करने के लिए उपयुक्त बाड़ लगाने के संबंध में तथा लोगों को नियमित जानकारी देने के संबंध में सूचना रणनीति बनाई गई है।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 2.2 प्रति''ात ग्रामीण गृहों में कचरा तथा कम्पोस्ट गढ्ढे हैं। अतः ठोस तथा द्रव कचरे को इक्ट्ठा करना और उसका निस्तारण करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे उप परियोजना क्षेत्र में मुख्य जल संग्रहण संरचना को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकता है। ग्राम पंचायत तथा सहयोगी संस्था के साथ मिलकर उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति स्थान वि''ोष के अनुसार ऐसी योजनाओं को विकसित करेगी जिससे की स्टोरेज टैंक के पानी में सीवेज जल न पहुंच सके। पर्यावरण वि''ोषज्ञ इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा तथा इसके लिए उत्प्रेरक सहयोग भी।

13.6 पर्यावरण प्रबंधन उपाय

विचार किए गए विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रबंधन के उपायों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है– पहली वे जिनके लिए बड़ी नीतियों तथा कार्यक्रम उपायों की आव''यकता होगी क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र प्रस्तावित कार्यक्रम की तुलना में अत्यधिक है और दूसरी वे जिन्हे इस कार्यक्रम के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस खंड में उन प्रबंधन उपायों का वर्णन किया गया है जो दूसरी श्रेणी से संबंधित है वैसे बड़े उपायों, जोकि सकल क्षेत्र में समरूप नीति से संबंधित है, को भी स्थान–स्थान पर संदर्भित किया गया है। तालिका 13.6 में पर्यावरणीय मुद्दों, संबंधित अवसरों, प्रबंधन/उपचार उपायों तथा मानीटरीकरण संसूचकों को संक्षेप में इस अध्याय के अंत में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 13.6

तालिका 13.6 पर्यावरण मुद्दे संबंधित अवसर, सरोकार, प्रबंधन/उपचार उपाय तथा मानीटरीकरण संसूचक

प्रमुख सरोकार	उपचार उपाय	मानीटरीकरण संसूचक
4	5	6
• भूमिगत/सतह जल स्तर में कमी	• जहां भी संभव हो वहां मौजूद व्यवस्थित के पुर्नवास तथा उन्नीकरण द्वारा जल आपूर्ति में बढ़ोत्तरी	* जल आपूर्ति का परियोजनाओं ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण तथा रखरखाव
• झरनों में हाइड्रोलिक छेड़–छाड़ का खतरा	• अच्छी गुणवत्ता तथा उत्पाद वाले नए स्त्रोतों की पहचान (स्थानीय/सुदूर)	* सीएसी तथा एमपी के साथ परियोजनाएं
• स्थानीय जल विज्ञान में विघन	• बाढ़ लगाकर स्त्रोत की सुरक्षा	* ग्रामीण जल इकाई को मान्यता
• भूमिगत तथा सतह जल के संक्षरण में बढ़ोत्तरी	• दोहरी जल आपूर्ति	* उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों की संस्था जो जल का आपूर्ति
• सरिता के पारितंत्र में विघन	• मौजूद स्त्रोतों से जल की ब्लैंडिंग	* अनआच्छादित /अद्धआच्छादित आबादियों का आच्छादन
• पारंपरिक विधियों में बदलाव	• जलग्रहण उपचार	*आदावासी आबादीका आच्छादन
• निचले ग्रामों के लिए पानी की कमी	• झरना सुरक्षा	* परियोजना द्वारा जलग्रहण क्षेत्र का आच्छादन
• निचले ग्रामों में फसल चक्र में परिवर्तन	• झरना बिहार (स्त्रोत जलग्रहण सुरक्षा)	*जलग्रहण क्षेत्र का अन्य द्वारा आच्छादन

गतिविधि	**पर्यावरण मुद्दा**	**अवसर**
1	**2**	**3**
जल आपूर्ति	**जल गुणवत्ता**	• बरबाद जल को रोकना
		• स्वतंत्र रूप से बहता हुआ जल क्षेत्र में अपरदन कर सकता है तथा गढ़ढों का निर्माण कर सकता है जोकि कीड़ों–मकोड़ों के उत्पन्न होने का क्षेत्र बन सकता
		• दीर्घकालिकता के आधार पर सुरक्षित पेयजल के मांग स्तर तथा उपलब्धता में बढ़ोत्तरी
		• जल ले आने में श्रम समय तथा लागत की बचत
		• रिचार्ज के कम होने के कारण भूमिगत जल की गुणवत्ता में होने वाली कमी में बढ़ोत्तरी
		• पीने के पानी के स्त्रोतों तक प" ाुओं की आसान पहुंच
		• जलग्रहण क्षेत्र उपचार के सकारात्मक लाभ
		• जल की गुणवत्ता तथा मात्रा में बढ़ोत्तरी

तालिका **13.6**

5	6
• उप मृदा जल रिचार्ज	* समयावधिक स्त्रोत डिस्चार्ज पैमाई" ा
• व्यवस्थित चराई	* स्त्रोत संबंधी विवादों का हल
• हमे" ाा उगने वाली फसलों का रोपण (रे" ाम–चरागाह)	* स्त्रोत का अन्य कार्यों के लिए प्रयोग
• व" र्ाा जल संभरण से अतिरिक्त जल की उपलब्धता	* स्त्रोत बिंदू की भूमि का उच्चिकरण
• जल प्रयोग का उपयुक्त डिजाइन/प्रवाह तंत्र से सहायता	* सीएसीएमपी प्रि" ाक्षण दिया जाना

1	2	3	4
		• जल तथा स्वच्छता संबंधी बीमारियों में कमी, व्यक्तिगत/पारिवारिक स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई में बढ़ोत्तरी जिससे की लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी	• निचले ग्रामों से अधिक प्रदूषि त जल
		• महिलाओं की जल ढोने संबंधी श्रम की बचत	• छिछले क्षेत्रों में जल की रूकावट
		• महिलाओं को गृह प्रबंधन तथा अन्य आय की गतिविधियों में लगने के लिए अधिक समय मिलेगा	• समुदाय तथा ग्राम पंचायत से ऊपर वित्तीय भार
		• सम्पत्ति के मूल्य में बढ़ोत्तरी	• कचरे का अधिक उत्पादन
			• यदि जल रूक जाता है तो उसके कारण संभावित मलेरिया/फइलेरिया जैसी बीमारियों का बढ़ना

तालिका 13.6

5	6
• नियमित मानीटरीकरण	* राज्य/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद जल जांच सुविधाएं
• वैकल्पिक/ स्त्रोत की पहचान	* डायरिया की संख्या में कमी
• जल आपूर्ति में नियमित क्लोरिनीकरण जिससे 0.5 मिलीग्राम प्रतिलीटर क्लोरिन अव” ोष ा को कम से कम सुनि” चत किया [illegible]	* बिमारी के उपचार में प्रतिव्यक्ति होने वाला व्यय
• जल वितरण व्यवस्था की सुरक्षा और सही रखरखाव	* सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्यक्रम
• लगातार प्रशि क्षण तथा रखरखाव की सहायता	* H_2S स्ट्रीप द्वारा समुदाय द्वारा जल की लगातार जांच
• जल को छनना	* जल को ढके हुए बर्तनों में इक्टठा करना

1	2	3	4
जल आपूर्ति	**जल गुणवत्ता**	• गुणवत्ता मानीटरीकृत जल स्वस्थ जल है	• यदि जल की गुणवत्ता का स्तर उपयुक्त नहीं रखा जाता तब बीमारियां/संक्रमण बढ़ेगे
		• सही स्त्रोत का चुनाव किया जा सकता है	• प्रदूषित स्त्रोत बढ़ी आबादी को संक्रमित कर सकती है
		• समय पर उपचार विधियों का लागू किया जा सकता है	
		• कम बीमारियां तथा रोग	
		• स्वस्थ जनता	
		• उच्च उत्पादकता	
		• स्कूलों/कार्य से कम गैर हाजिरी	

तालिका 13.6

5	6
• सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे वे गृह/समूह/ समुदाय शौचालयों के निर्माण	* निर्मित तथा प्रयोग किए गए शौचालयों की संख्या
• सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्था को लगाया जाना जो कि स्थानीय मृदा की किस्म के लिए उपयुक्त हो	* निर्मित किए गए शौचालयों की किस्में
• शौचालयों को सही जगह पर लगाया जाए	* निर्मित कचरा गढ्ढों की संख्या
• मल प्रवाह के लिए उचित निर्माण तथा कम लागत का उपचार/निस्तारण/पुन प्रयोग व्यवथा	* निर्मित कम्पोस्ट गढ्ढों की संख्या
• कचरे का सुरक्षित निस्तारण	* ग्रामीण स्वच्छता मार्ट की स्थापना

1	2	3	4
पर्यावरणीय स्वच्छता	**गृह/ समूह/समुदाय/ संस्थागत ९ गौचालयों का निर्माण**	• साफ–सफाई	• निचले ग्रामों में जल संदूष ण का खतरा
		• महिलाओं को ज्यादा दूर न जाने की सुविधा	• गृहों में श गौचालय के लिए स्थान की कमी
		• मृदा तथा सतह जल संदूष ण में कमी	• सफाई रखना एक समस्या
		• जल तथा स्वच्छता संबंधी बीमारियों में कमी, व्यक्तिगत / पारिवारिक स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई में बढ़ोत्तरी	• बीमारियां उत्पन्न हो सकती है यदि ठीक ढंग से नहीं रखा गया
		• सामाजिक स्तर में बढ़ोत्तरी	• स्वच्छता व्यवस्था से भूमिगत जल के संदूषि त होने का खतरा जहां भूमिगत जल का स्तर ऊंचा है या सतह चट्टानों से बनी है

तालिका 13.6

5	6
	* सफाई अभियान में ग्रामों की संख्या
	* निर्मित सॉकपीट की संख्या
	* स्वच्छता सुविधाओं से आच्छादित स्कूलों तथा आंगनवाडियों की संख्या
	* मौजूद प्रवाह तंत्र तथा बनाया गया तंत्र

1	2	3	4
		• गृह की मर्यादा, सुरक्षा तथा सुविधा	• मल निस्तारण पर ध्यान देना
		• बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ाना क्योंकि वे साफ–सफाई गतिविधियों के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं	• गीले श ौचालयों के लिए अधिक जल की आव” यकता पड़ेगी
		• जनता के सामान्य स्वास्थ स्तर में बढ़ोत्तरी	• यदि पूरा गांव ठीक ढंग स`जल निकासी की सुविधा से ले” ा नही ंहै तब सुरक्षित जल को पहुंचाना एक समस्या होगी
		• पर्यावरण स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई के स्तर में बढ़ोत्तरी तथा सामान्य रूप से ग्राम सौदर्य में बढ़ोत्तरी	
	मल का निस्तारण	• सौदर्य में वृद्धि तथा मच्छरों के पन्पने वाले स्थान में कमी	
		• सम्पत्ति के मूल्य में बढोत्तरी	

तालिका 13.6

5	6
• निम्न ढाल वाली नहरों के निर्माण से सुरक्षित जल का निस्तारण	* प्रवाह व्यवस्था
• प्राकृतिक गधेरों में जल बचा दिया जाना चाहिए न की उनको पूरे रूप से सूखा दिया जाए	
• खड़ी ढलानों पर बगल के प्रवाह को सीढ़ियों के रूप में बनाया जाए	
• कुछ दूरी के ए” चात गाद टैंकों का निर्माण किया जाए	
• गाद टैंकों तथा बंधों में कचरे को नीचे बैठने दिया जाए	
• तूफानी जल को प्रवाहित करने के लिए सही ढलान पर डिजाइन और निर्माण किया जाए	* मौजूद प्रवाह व्यवस्था तथा बनाई व्यवस्था
	* अंदर के राष ट्रों की गुणवत्ता
• जल आपूर्ति की पाइप लाइनों में परिवर्तन हेतु उबढ़–खाबढ़ सतह को प्राथमिकता दी जाए	
• खढ़ी ढलानों पर चौढ़ी सीढ़ी बनाई जाए	

तालिका 13.6

1	2	3	4
पर्यावरणीय स्वच्छता	ज्ल का सुरक्षित निस्तारण	• अल्प अपरदन	• उच्च अपरदन से भूसंख्लन हो सकता है
		• अल्प भूमि हानि	• खेतों को नुकसान पहुंच सकता है
		• सुरिक्षत	• गृहों इत्यादि को नुकसान पहुंच सकता है
		• स्वस्थ	• अव्यवस्थित तेज बहने वाला जल गली बना सकता है
			• यदि ठीक ढंग से ग्राम के बहार नहीं किया गया तो कृषि ा फसल तथा खेतों को संदृषि ात कर सकता
	तूफानी प्रवाह तंत्र का निर्माण	• उत्तम साफ–सफाई	• मृदा अपरदन का का स्त्रोत हो सकता है
		• स्वस्थ जनता	• यदि ठीक ढंग से निर्मित तथा रखरखाव नहीं किया गया तो जीवाणु पनप सकते हैं
	ग्रामों में अंदुरूनी राष्ट्रों की चिनाइ	• अतिरिक्त जल सुरक्षित रूप से प्रवाहित	• यदि बगल के प्रवाह को ठीक ढंग से निर्मित या रखरखाव नहीं किया गया तो गली बन सकती है
		• रात में बच्चों तथा औरतों का चलना सुरक्षित	• खढी ढलानों पर रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं जोकि वि" ोष ा रूप से प" ुओं में अस्थी चोटों के खतरे को बढ़ा देंगे

• अंदर के रास्तों को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री द्वारा चिनाई करना/ईंटों का इस्तेमाल सही प्रवाह के लिए	
• *उपयुक्त स्थानों पर क्रास ड्रनेज की व्यवस्था	

5	6
• कचरे को इक्ट्ठा करो और इसे पुनः चक्रीकृत करने के लिए भेजें	* निर्मित तथा प्रयोग किए गए कम्पोस्ट की संख्या
	* निर्मित तथा प्रयोग किए गए कचरा गढ़ढों की संख्या
	* कचरे का एकत्रिकरण प्रारंभ किया गया और उनका समुचित निस्तारण किया गया
• आबादी से दूर छोटे–छोटे किस्तों में इसे जलाएं	
• प” ाुपालकों को सतत प्रा” ाक्षण अभियान द्वारा इस बात के लिए राजी करना कि वे अपने प” ाुओं को रहने वाले स्थान से दूर सीनातंतिर करें	
• जैव निम्नी कृत कचरे के निस्तारण हेतु व्यक्तिगत/समुदायिक कम्पोस्टकृत बनाए जाएं	
• बायोगैस प्लांट को प्रोत्साहन	

		• सफाई तथा स्वच्छ पर्यावरण	
		• सड़को ंके निचले क्षेत्रों में अल्प अपरदन तथा टूट–फूट	

1	2	3	4
पर्यावरणीय स्वच्छता	• कचरा प्रबंधन	• स्वच्छ पर्यावरण	• गढ्ढा बनाने के लिए प्रयत्न तथा भूमि की आव" यकता जिस पर अधिक लागत होगी
	• जैव निम्नीकृत कचरा (कम्पोस्ट गढ्ढा बनाए)	• स्वस्थ वातारण	
	• अजैविक निम्नीकृत कचरे को रोके/पोलिथीन/ प्लास्टिक पर रोक	• उत्तम गुणवत्ता की खाद	• इक्ट्ठा कर गांव के बहार निस्तरण जिस पर अतिरिक्त कार्य की आव" यकता होगी
			• जल को प्रदूषि त कर सकता है
			• खाद के गढ्ढों की अधिक संख्या होने से पर्यावरण तथा स्वच्छता स्थितियां गंदी हो सकती है
	• व्यक्तिगत/समुदाय कम्पोस्ट गढ्ढे कचरा गढ्ढे की सुलभता	• सौदर्य की दृषि ट से उत्तम	

5	6
• अजैव निम्नीकृत कचरा विक्रय किया जा सकता है	

1	2	3	4
			• महंगा
			• रखरखाव की आव”यकता
			• बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं के अण्डे देने के स्थान का निर्माण

इन सबके साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए आव”यक पर्यावरणीय ठोस विधियों के ब्योरे को संलग्नक 34 में प्रस्तुत किया गया है :

1. जल आपूर्ति के स्त्रोतों की पहचान
2. सकल जल आपूर्ति स्त्रोतों की सुरक्षा तथा दीर्घकालिकता को सुनि”चत करना
3. भूमिगत जल आपूर्ति स्त्रोतों की सुरक्षा तथा दीर्घकालिकता को सुनि”चत करना
4. जल गुणवत्ता मानीटरीकरण
5. व्यक्तिगत गृहों तथा समुदाय स्तर पर सुरक्षित स्वच्छता तकनीक उपायों का चयन (जिसमें प्रवाह तंत्र भी सम्मिलित होगा)।
6. समुदायिक शौचालयों हेतु स्थान का चयन
7. कचरे का सुरक्षित निस्तारण तथा जैविक कचरा प्रबंधन
8. व्यक्तिगत गृहों तथा समुदाय स्तर पर ठोस कचरे का सुरक्षित प्रबंधन

13.7 जल गुणवत्ता मुद्दों का प्रबंधन

विभिन्न संबंधित विभागों से उपलब्ध सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारी धातु तथा रासायनिक संदूषण इस परियोजना के लिए कोई वि”ोष खतरा उत्पन्न नहीं करेंगे। यद्यपि बैक्टीरिया संबंधी संदूषण इस परियोजना के लिए कुछ सरोकार पैदा कर सकते हैं। इन बातो को ध्यान में रखते हुए परियोजना में सभी उप परियोजना क्षेत्रों के लिए जल उपचार हेतु कुछ वि”ाष्टताओं को विकसित किया गया है। प्रस्तावित उपचार में तीन उपायों को रखा गया है–1. उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति द्वारा नियमित रूप से क्लोरिन अव”ोष की जांच (अव”ोष मूल्यांकन) 2. स्थानीय रूप से उपलब्ध तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न एकल/बहुग्राम परियोजनाओं से एकत्र किए गए जल नमूनों का वर्ष में दो बार बैक्टीरिया संबंधी प्राचलों हेतु जांच 3. दो वर्ष में कम से कम एक बार भारी धातु तथा रासायनिक संदूषण हेतु जल नमूनों की जांच। जिन स्टोरेज टैंकों से गृहों तथा सामान्य स्टेंड पोस्ट के लिए जल की आपूर्ति की जा रही है उनका बैक्टीरिया संबंधी परीक्षण कोलीफार्म तथा फेकल कोलाई के मूल्यांकन हेतु किया जाएगा। किसी एक स्थान का जल स्त्रोत के रूप में चयन किए जाने पर वहां के जल की गुणवत्ता का विस्तृत मानीटरीकरण किया जाएगा। पहचान किए गए जल गुणवत्ता के प्रमुख प्राचलों को भविष्य में उपयोग करने पर ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष दो बार जुलाई तथा फरवरी के महीनों के अंत में वि”ोष रूप से बैक्टीरियां संबधी संदूषण के लिए जल का परीक्षण किया जाएगा। जल के नमूनों का आपतकालीन स्थितियों में जैसे उप परियोजना क्षेत्र या आस–पास के इलाकों में महावारी फैलने पर परीक्षण किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। तालिका 13, 11 में किए जाने वाले परीक्षणों के प्रकार, उपलब्ध सुविधाएं, परीक्षण का बारम्बारता तथा उस संस्थान के विषय में जानकारी दी गई है जोकि जल गुणवत्ता जांच कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा मानीटरीकरण के लिए उत्तरदायी होगी।

इस परियोजना में भौतिक रासायनिक तथा बैक्टीरियां संबंधी मानीटरीकरण के लिए जिन प्राचलों को सम्मिलित किया गया है वे हैं : पंकता, रंग, स्वाद, गंध, पीएच, पूर्ण घुलित ठोस, पूर्ण कठोरता, क्लोराइड, कैल”ायन, नाइट्रेट, लौह, क्लोराइड, सल्फेट तथा बैक्टीरियां संबंधी प्राचल जैसे एमपीएन कोलीफार्म बैक्टीरिया प्रति 100 मिली लीटर तथा ई–कोली प्रति 100 मिली लीटर। परियोजना में भारतीय राष्ट्रीय मानकों की सीमा को बराबर ध्यान में रखा जाएगा। परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा स्थानीय प्रयोग”ाालाओं में जल नमूनों के परीक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था की गई है। जिनका विभिन्न उप परियोजना क्षेत्रों में आसानी से मूल्यांकन किया जा सकेगा। चूंकि कोलीफार्म का परीक्षण एक सीमित अवधि में किया जाना होगा अतः परियोजना में H_2S स्ट्रीप के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। तद्नुसार उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को H_2S का प्रयोग कर जल परीक्षण के लिए प्र”ाक्षित किया जाएगा। जिसके लिए सहयोगी संस्था की मदद ली जाएगी। जल गुणवत्ता की देखरेख के लिए जो महत्वपूर्ण प्रबंधन उपाय किए जाएंगे उनमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा :

1. किसी भी जल आपूर्ति परियोजना के क्रियान्वयन के पूर्व की स्त्रोत जल के रासायनिक तथा बैक्टीरियां सबंधी परीक्षण किए जाएंगे।
2. क्रियान्वयन प्रास्वथा में नियमित रूप से बैक्टीरियां संबधी परीक्षण किए जाएंगे जिससे की कोलीफार्म संक्रमण का मूल्यांकन किया जा सके। यह कार्य मानसून के पहले तथा बाद की अवधि में H_2S स्ट्रीप का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति/ग्राम पंचायत/सहयोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।
3. ग्राम स्तर पर जल के बैक्टीरिया संबंधी परीक्षण में H_2S का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति तथा सहयोगी संस्थाओं को प्र”ाक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उस समिति को H_2S स्ट्रीप जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा दी जाएगी। जल गुणवत्ता पर नजर रखने तथा उसके उपचार के उपायों को नियमित रूप से (तिमाही) चलाने के लिए सहयोगी संस्थाएं सभी उत्प्रेरक सहायता ग्राम पंचायत के साथ मिलकर करेंगी। परियोजना प्रबंधन इकाई जनपद परियोजना इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति, सहयोगी संस्थाओं तथा चुने गए ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए प्र”ाक्षण की व्यवस्था करेगी। जिसमें यह बताया जाएगा कि H_2S का प्रयोग करते हुए किस प्रकार बैक्टीरिया संबंधी परीक्षण किए जाएं।

4. यदि कोलीफार्म की उपस्थिति ज्ञात होती है तब परियोजना स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्टोरेज टैंक से संक्रमण दूर करने के लिए क्लोरिन टेबलेट की आपूर्ति करेगी। इसके अतिरिक्त स्टोरेज टैंक में नियमित रूप से क्लोरिन अव”ोष की जांच करना भी इस परियोजना का एक अभिन्न अंग होगा।
5. परियोजना में एक ऐसे तंत्र की भी स्थापना की जाएगी जिसमें उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति/ग्राम पंचायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोग”ालाओं में मांग के आधार पर जल नमूनों का परीक्षण कर सकेंगे।
6. राज्य में जनपद स्तर पर जल परीक्षण प्रयोग”ाला की सुविधाएं नहीं हैं। चूंकि इस परियोजना में सकल क्षेत्र में समरूप नीति को अंगीकृत किया गया है अतः यह सुनि”िचत किया जाना आव”यक है कि संबंधित विभाग (स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पेयजल निगम) विकेंद्रीकृत जल परीक्षण सुविधाओं को विकसित करें जिससे की उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति ऐसी सुविधाओं को जनपद स्तर पर आसानी से उपयोग कर सके। इस समय राज्य में केवल दो प्रयोग”ालाओं में स्पेक्ट्रो फोटोमीटर तथा एटोमिक एबजोर”ान स्पेक्ट्रो फोटोमीटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिनका प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है।
7. इस परियोजना में विभिन्न जनपदों में औद्योगिक कचरे के डिस्चार्ज की संभावना बहुत कम है जिससे की निचले इलाकों में रासायनिक तथा भारी धातुओं के संदूषण का खतरा उत्पन्न होता है। फिर भी संभावित संदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय इस परियोजना में किए गए हैं। उत्तरांचल के अधिकां”ा जनपद हिमालय क्षेत्र के (उच्च/मध्य हिमालय तथा ि”ावालिक पहाड़ी क्षेत्र) पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं। राज्य के केवल दो जनपद (हरिद्वार तथ ऊधमसिंह नगर) मैदानी इलाके तथा भारत के तराई क्षेत्र में स्थित है। इन दोनों जनपदों में अत्यधिक कृषि कार्य होता है जिसमें कीटना”ाकों तथा खाद का उपयोग बढ़ा है। परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ इन दोनों जनपदों में अधिकां”ा एकल/बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए भूमिगत जल को जल आपूर्ति के मुख्य स्त्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा। इन दोनों जनपदों में कीटना”ाकों तथा खाद के बढ़ते प्रयोग को ध्यान में रखते हुए परियोजना में नियमित रूप से टयूबवेल जल में रासायनिक तथा बैक्टीरियां संबंधी संदूषण की जांच के प्रावधान किए गए हैं।

13.8 परियोजना से संबंधित अन्य मद्दों का प्रबंधन

13.8.1 निचले इलाकों के पारितंत्र तथा बसाहत पर संभावित प्रभाव

प्राप्त सूचनाओं से ज्ञात होता है कि राज्य की 62.5 प्रति”ात भूमि वन विभाग के अंर्तगत आती है। चूंकि अधिकां”ा जल स्त्रोत के झरने वन क्षेत्र में स्थित हैं अतः परियोजना में इस बात के लिए प्रावधान किए गए हैं कि स्टोरेज टैंक इत्यादि बनाने के लिए आव”यक वन भूमि को हस्तांतरित किया जाए। यह हस्तांतरण राज्य सरकार के आदे”ा तथा भारत सरकार के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के दि”ाा–निर्दे”ाों के अनुसार किया जाएगा। इसमें वन भूमि के वर्तमान मूल्य की कीमत सम्मिलित है।

13.8.2 पारिस्थितिकीय संसाधनों पर संभावित प्रभाव

वन विभाग ने वन भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव को कम से कम रखने के लिए कई तरीके बनाए हैं और इस पर वे नियंत्रण भी रखते हैं। इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी को वन क्षेत्र में किसी भी निर्माण को प्रारंभ करने के पूर्व आव”यक स्वीकृति लेनी होती है। जल आपूर्ति परियोजनाओं में संभावित गतिविधियों के पैमाने को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की कटाई या वन भूमि को नुकसान पहुंचाने जैसी पारिस्थितिकीय प्रभाव बहुत कम पड़ने की संभावना है।

प्रत्येक एकल/बहुग्राम आधारित परियोजना में एक छोटे (2 फीट/3 फीट) जल स्टोरेज स्थान (मुख्य रूप से वन भूमि) की आव”यकता पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के वन तथा पर्यावरण मंत्रालय में पहाड़ी राज्यों में जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए कुछ वि”ोष दि”ाा–निर्दे”ा तैयार किए हैं। इस परियोजना में भी इन दि”ाा–निर्दे”ाों का पालन किया जाएगा। स्त्रोत से टैंक तक पाइप लाइन बिछाते समय वन

भूमि से पेड़ों की कटाई न करने पर ध्यान दिया जाएगा। भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के बाद ऊपर की मिट्टी को ठीक ढंग से दबा दिया जाएगा और उपयुक्त पौधरोपण किया जाएगा। परियोजना में इस बात को भी सुनि”िचत किया जाएगा कि यदि छोटे क्रास बांध बनाए जाते हैं तो क्षेत्र में की गई खुदाई से जल बहाव को रोका जा सके जिससे की मृदा का और अधिक निम्नीकरण न हो पाए।

13.8.3 भूमि उपयोग तथा स्थलाकृति पर संभावित प्रभाव

भूमि उपयोग तथा स्थलाकृति पर सामान्य रूप से कोई महत्वपूर्ण या लंबी अवधि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल जल आपूर्ति निर्माण के समय कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं अतः परियोजना में पाइप लाइनों के वितरण का नेटवर्क फसल कटाई के पूर्व या फसल कटाई के बाद की अवधि में किया जाएगा जिससे की खड़ी फसल को कोई क्षति न पहुंचने पाए।

13.8.4 कम पर्यावरणीय स्वच्छता के कारण संभावित प्रभाव

उत्तरांचल सरकार के अनुसार मात्र 16 प्रति”ात ग्रामीण गृहों में समुचित स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध है तथा 2.2 प्रति”ात से भी कम गृहों में कचरा या कम्पोस्ट के गढ्ढे हैं। चूंकि परियोजना का अधिकां”ा क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में स्थित है अतः अचानक आने वाली बाढ़ या तूफान जनित जल के साथ बहने वाले अव”ोष पाइप द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं के जल संग्रहण पर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर सकते हैं। परियोजना के अंर्तगत कचरा गढ्ढे, कम्पोस्ट गढ्ढे तथा साफ्टपीट बनाने का प्रावधान किया गया है तथा उप परियोजना क्षेत्रों में प्रवाह तंत्र को भी बेहतर बनाया जाएगा।

अजैविक कचरों के संबंध में परियोजना के अंर्तगत समुदाय को गति”ाील बनाने की रणनीति तैयार की गई है जिससे की वे प्राथमिक स्तर पर इस कचरे का वर्गीकरण कर सकें (कांच, धातु, प्लास्टिक, कागज इत्यादि)। सकल क्षेत्र में समरूप नीति के एक अंग के रूप में इस परियोजना के अंर्तगत वि”ोषज्ञ एजेंसियों से समन्वय भी स्थापित किया जाएगा जिससे की इस कचरे का सुरक्षित निस्तारण और पुर्नचक्रण किया जा सके। परियोजना के अंर्तगत समुदाय गति”ाीलता की जो रणनीति बनाई गई है उससे ग्राम तथा गृह स्तर पर प्रारंभिक वर्गीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। वह कचरा जिसका की आर्थिक महत्व है, वह कचरा जो कि खतरनाक है या वह कचरा जिसे ग्राम स्तर पर ही समुदाय द्वारा सामुहिक प्रयास से निस्तारित किया जा सकता है। आर्थिक महत्व के कचरे को गांव के समीप किसी एक स्थान पर इक्ट्ठा किया जाएगा तथा इसे संव्यावसायिक कचरा इक्ट्ठा करने वालों की मदद से निस्तारित किया जाएगा। जैव निम्नीकृत कचरे को कचरे गढ्ढे में इक्ट्ठा किया जाएगा और इस पर मिट्टी भर दी जएगी और बाद में इसे कम्पोस्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। स्थान का चयन कुछ इस प्रकार किया जाएगा कि उससे पेयजल स्त्रोत को कोई हानि न पंहुचे। परियोजना मे सॉकपीट का निर्माण गृहों तथा समुदाय स्तर पर किए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे की पर्यावरण और स्वच्छता को बढ़ावा मिल सके। यह कार्य लोगों को समझाने बुझाने और अभियान चलाकर किया जाएगा।

13.9 पर्यावरणीय मुद्दों के प्रबंधन हेतु सहभागियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

सहभागियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया हैः

मुख्य उत्तरदायित्व	नियोजन अवस्था	क्रियान्वयन अवस्था
परियोजना प्रबंधन इकाई	• पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के दि”ाा–निर्दे”ाों के अनुसार राज्य हेतु संपूर्ण पर्यावरण नियोजन • सूक्ष्म जलागम विकास के लिए संबंधित	• जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए समय से रा”ि अवमुक्त करना • यह सुनि”िचत करना की संबंधित विभाग सूक्ष्म जलागमों में स्त्रोत सुरक्षा के

	विभागों से समन्वय • रसोई गैस तथा गौ''ालाओं में चारा खिलाने के लिए लोगों को समझाना तथा प्रोत्साहित करने के लिए संचार रणनीति तैयार करना	लिए समय से सहयोगी कार्य करें। • परियोजना के सामान्य एमआईएफ में पर्यावरणीय मानटरीकरण परिणामों में एकीकृत करना
जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई	• स्त्रोत सुरक्षा के लिए आव''यक उपायों को अंतिम रूप देने के लिए पर्यावरण वि''ाषज्ञ ग्राम पंचायत, सहयोगी संस्था तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति से समन्वय स्थापित करेंगे • उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को समय से रा''ि अवमुक्त करना, स्त्रोत सुरक्षा के लिए तकनीकी प्रस्तावों को मान्य करना • उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति, ग्राम पंचायत, सहयोगी संस्था तथा जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के बीच स्वीकार किए गए कार्य योजना को अंतिम रूप देने में जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के पर्यावरण वि''ाषज्ञ सहायकता करेंगे	• जनपद परियोजना मानीटरीकरण रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता • लगातार मानीटरीकरण तथा देखरेख • यह सुनि''चत करना की स्त्रोत सुरक्षा के लिए आव''यक उपाय मानसून प्रारंभ होने के पूर्व कर लिए जाए
ग्राम पंचायत	• ग्राम स्तर पर पर्यावरण योजना तैयार करने में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति को सहायता • स्त्रोत सुरक्षा कार्य के नियोजन हेतु सही सहयोगी संस्था की पहचान में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को सहायता	• स्त्रोत सुरक्षा कार्य के वित्तीय प्रबंधन तथा लागत अं''ादान तंत्र को अंतिम रूप देने के लिए उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के साथ समन्वय • रसोई गैस तथा पर्यावरण स्वच्छता अभियान कार्य में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को सहायता
सहयोगी संस्था	• संपूर्ण स्त्रोत सुरक्षा तथा दीर्घकालिकता कार्य के नियोजन में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को सहायता	• स्त्रोत सुरक्षा कार्य के क्रियान्वयन में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को सहायता • स्त्रोत सुरक्षा कार्य के क्रियान्वयन के समय उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को तकनीकी जानकारियां देना • संपूर्ण स्त्रोत सुरक्षा कार्य के मानीटरीकरण हेतु उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति, ग्राम पंचायत तथा पर्यावरण वि''ाषज्ञ के साथ समन्वय
उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति	• ग्राम की बैठक में पर्यावरणीय खतरों का मूल्यांकन • सहयोगी संस्था तथा ग्राम पंचायत के सहायता से उपचार उपायों का नियोजन	• पर्यावरण उपचार उपायों का क्रियान्वयन • स्त्रोत सुरक्षा कार्य के क्रियान्वयन में लागत शेयर को सुनि''चत करना • संपूर्ण प्रक्रिया का मानीटरीकरण तथा ग्राम पंचायत तथा पर्यावरण वि''ाषज्ञ को पूरी जानकारी देना
संबंधित विभाग (वन तथ जलागम)	• जल आपूर्ति परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने के प''चात परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ समन्वय (वि''ाष रूप से जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य के लिए)	• परियोजना कार्य के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र उपचार के उपायों का समय से क्रियान्वयन को सुनि''चत करना

13.10 पर्यावरण मुद्दों तथा सुरक्षा संबंधी उपायों के छान-बीन के लिए दिशा-निर्देश

उप परियोजना उपायों के संबंध में भारत सरकार/उत्तरांचल सरकार के विधान तथा वि''व बैंक की नीतियों को लागू करने के संबंध में निम्नलिखित छानबीन के तरीकों का उपयोग किया जाएगा। उप परियोजना की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण निम्न प्रकार दिए गए हैं :

पर्यावरण मुद्दो के छान-बीन हेतु दिशा-निर्देश				
(अ) पेयजल परियोजनाएं				
क्र.सं.	**गतिविधियां**	**यदि हां है**	**यदि ना है**	**यदि निश्चित नही है**
1	भूमि उपलब्धता (वन भूमि)	केवल एक हेक्टेयर तक के लिए उत्तरांचल सरकार की अनुमति आव''यक है	एक हेक्टेयर से अधिक के लिए भारत सरकार की अनुमति आव''यक है	– – – –
2	भूमि उपलब्धता (समुदाय/नीजि भूमि)	ग्राम पंचायत की अनुमति आव''यक है	नीजि मालिक की अनुमति आव''यक है	– – – –
3	स्त्रोत में यथेष्ट जल उपलब्ध है (गर्मीयों में भी)		रिकार्ड देखें, जल निगम/ग्राम पंचायत से विचार करें	– – – –
4	जल स्त्रोत का प्रतियोगी उपयोग	रिकार्ड देखें, जल निगम/ग्राम पंचायत से विचार करें		– – – –
5	स्त्रोत की स्थिति	प्रदूषित करने वाले स्थान के समीप या उसके नीचे न हो		– – – –
6	स्त्रोत की सुरक्षा तथा देखरेख		प्राविधान बनाए जाएंगे	
7	जल स्त्रोत की जल गुणवत्ता	दिए गए नियमों के अंर्तगत हो		जांच नमूना
8	पहाड़ी इलाकों में झरने को जल स्त्रोत के रूप में प्राथमिकता		रिकार्ड देखें, जल निगम/ग्राम पंचायत से विचार करें	
9	मैदानी इलाकों में गहरे टयूबवेल वाले जल स्त्रोत को प्राथमिकता		रिकार्ड देखें, जल निगम/ग्राम पंचायत से विचार करें	
10	ग्रांम पंचायतों की प्राथमिकता बेहतर प्रबंधन के लिए एकल ग्राम परियोजनाएं होनी चाहिए		साम्यकता की जांच करें	
(ब) पर्यावरणीय स्वच्छता				
11	शौचालय, सॉकपीट, कम्पोस्ट गढ्ढे तथा कचरे गढ्ढों को पेयजल स्त्रोत से दूर बनाया जाए		जागरूकता अभियान की आव''यकता	
12	उपरोक्त के लिए स्थान का चुनाव ऐसी जगह हो जहां मृदा की गहराई अधिक हो		विकल्प की तला''ा	
13	उपरोक्त के लिए स्थान हवादार अप्रदूषित तथा घर के नजदीक हो		विकल्प की तला''ा	
14	तूफान जनित जल को ग्राम के बहार प्राकृतिक प्रवाह बिंदू तक प्रवाहित किया जाए		प्रावधान बनाए जाएं	

15	उप परियोजना की डिजाइन निम्नलिखित पर्यावरणीय पहलूओं को ध्यान में रखकर उचित ढंग से बनाया जाए :			
	• उपयुक्त तथा समुचित स्टोरेज टैंक का निर्माण		साम्यकता की जांच	
	• उपयुक्त जल वितरण की व्यवस्था का निर्माण		साम्यकता की जांच	
	• उपयुक्त जल प्रयोग प्लेटफार्म का निर्माण		प्रावधान बनाए जाएं	
	• जल के सुरक्षित निस्तारण का निर्माण		प्रावधान बनाए जाएं	
	• अधिक जल को प'ाुओं के प्रयोग हेतु एकत्र करने का प्रावधान		प्रावधान बनाए जाएं	
	• उपयुक्त प्रवाह तंत्र का नियोजन		प्रावधान बनाए जाएं	

13.11 जोखिम तथ्य

जल आपूर्ति की उप परियोजनाओं को प्रबंधित करने से जुड़े जोखिम के तथ्यों तथा कुछ प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधन उपायों को नीचे की तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

क्र.सं.	**पर्यावरणीय जोखिम**	**प्रबंधन प्रस्ताव**
1	**2**	**3**
	जल स्त्रोतों का सूखना	• जल की बरबादी को रोकना • नियोजित मात्रा को ही बहार निकालना • जल संरक्षण • जल संभरण • जलग्रहण क्षेत्र उपचार • वैकल्पिक स्त्रोतों की गवेषणा
	प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना तथा भूकंप	• उप तथा सूक्ष्म जलागम उपचार • वन क्षेत्र से लिए जाने वाले चारे तथा जलावन की लकड़ी की निर्भरता को कम करना • सड़क निर्माण के समय क्षेत्र की स्थलाकृति पर कम से कम विघ्न डालना तथा जैविक तथा यांत्रिक उपायों से तुरंत उनका पुर्नवास करना
3	समुदाय में जागरूकता की कमी, वि'ोष रूप से जल गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के विषय में	• लगातार जागरूकता कार्यक्रम को बनाना • राज्य के नवीन/धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु आर्थिक सहायता, प्रियाग्नी अंगेठी या धुंआ रहित चूल्हे का वितरण, कुछ लाभ देने को प्राथमिकता दिया जाना सहायक होगा • जल गुणवत्ता की जांच हेतु सुविधाजनक केंद्रों की पहचान
4	शौचालयों के अनपयोगी स्थान तथा डिजाइन वि'ोष रूप से नमी वाले शौचालय	• ऐसे स्थान का चयन किया जाए जिससे नीचे के या घाटी के गांव प्रदूषित न हों • शौचालयों के उपयुक्त डिजाइन, निर्माण तथा रखरखाव को सुनि'िचत किया जाए
5	समुदय में उपयुक्त कचरा प्रबंधन का न होना	• कम्पोस्ट तथा कचरा गढ्ढों के प्रयोग हेतु उपयुक्त प्र'िक्षण • आर्थिक सहायता प्रदान की जाए

		• नीजि कचरा एकत्र करने वालों को बिक्री योग्य/प्रयोग करने योग्य कचरे को प्रत्येक ग्राम से समय–समय पर एकत्र करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए या उनकी व्यवस्था की जाए

जल स्त्रोतों का सूखना सबसे बड़ा जोखिम है। इसके लिए छोटी अवधि के उपायों के रूप में जल की बरबादी को रोकना तथा प्रत्येक दिन की मूलभूत आव''यकताओं को पूरा करने के लिए केवल नियोजित मात्रा में ही पानी को निकालना है। निकाले जाने वाले जल की मात्रा इस पर निर्भर करेगी कि जल स्त्रोत में तत्काल कितना जल उपलब्ध है। लंबी अवधि के उपायों में जल संरक्षण, जल संभरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार तथा नवीन वैकल्पिक स्त्रोतों की खोज है। इसके साथ–साथ इस का भी ध्यान रखना होगा कि आसानी से जल की सुलभता के कारण लोग जल की बरबादी के लिए प्रोत्साहित न हो। अतिरिक्त जल को सीमेंट से बने टैंकों में प''ाुओं के प्रयोग हेतु एकत्रित किया जाना चाहिए। यदि जल की मात्रा बहुत अधिक है तब इसे स्थानीय सिंचाई व्यवस्था के साथ जोड़ देना चाहिए या फिर इसे सुरक्षित ढंग से प्राकृतिक सरिताओं में प्रवाहित कर देना चाहिए।

एक डर यह भी है कि लोग जल की गुणवत्ता तथा ग्रामीण साफ–सफाई को बनाए रखने के महत्व को न अधिक समझेंगे और न उसकी प्र''ांसा करेंगे। लगातार प्र''ाक्षण तथा जागरूकता बनाए रखना ही एक मात्र रास्ता है जिससे लोग इसे ठीक ढंग से समझ सकेंगे। ग्राम पंचायत के जागरूकता स्तर को बढ़ाने में उपयुक्त प्र''ाक्षण लाभकारी होगा। ग्राम पचायतों की पुरे कार्य योजना, क्रियान्वयन, रखरखाव, मानीटरीकरण तथा आकलन को ठीक ढंग से न समझने की क्षमता परियोजना के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा जोखिम है। अतः परियोजना की सफलता के लिए उपयुक्त प्र''ाक्षण का दिया जाना सबसे पहली आव''यकता है। परिवर्तित स्थितियों में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने में ग्राम पंचायतों को अधिक समय तक साथ लेकर चलना जरूरी होगा।

दिए गए सुझाव को अमल में ले आने के लिए लोगों के प्रोत्साहन हेतु कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दी जानी चाहिए। यह सहायता इस प्रकार हो सकती है कि उन्हें पड़ोसी जनपदों में सफलता की कहानियों को दिखाने के लिए या फिर समीप के धार्मिक या पर्यटक स्थल पर ले आया जाए। प्रियाग्नी अंगीठी, धुंआ रहित चूल्हा जैसे घरेलू उपयोग की छोटी वस्तुओं को कम दाम पर बिक्री किया जाना एक अच्छा प्रोत्साहन हो सकता है। जो लोग कार्यक्रम को स्वीकार कर रहे हैं उनको वस्तु वितरण के समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जल की गुणवत्ता की जांच हेतु सुविधाजनक प्रयोग''ाालाओं की पहचान करने से लोगों को नियमित रूप से यहां जांच करवाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

नम प्रकार के शौचालय जिनके साथ सॉकपीट भी बना हो उनमें छोटे क्षेत्र में संदूषण का अधिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए उचित डिजाइन, निर्माण तथा बाद में उनका रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकां''ा ग्रामों में कचरा प्रबंधन की कोई समुचित परंपरा नहीं है। अतः लोगों को प्र''ाक्षित किया जाना तथा इस बात के लिए उन्हें समझाया जाना जरूरी है कि वे कम्पोस्ट तथा कचरा गढ्ढों का उपयोग करें। बैचने योग्य तथा अजैविक कचरे को अलग से एकत्र किया जाए और उसे समय–समय पर संव्यवसायिक कचरा इक्ट्ठा करने वालों को बेच दिया जाए। ग्राम वासियों को बिक्री योग्य कचरे को एक जगह एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कचरा इक्ट्ठा करने वाले को बड़े क्षेत्र (एक ब्लॉक या एक जनपद या मुख्य सड़क के किनारे के सभी गांव इत्यादि) से कचरा एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित कर उसे ठेका दे देना चाहिए। जिससे की यह उनके लिए पैसा बनाने का जरिया बन सके। जो लोग उचित ढंग से कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता को स्वीकार कर रहे हों उन्हें या तो ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर या फिर ग्राम के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए।

तालिका **13.11**

जल गुणवत्ता जांच प्रक्रिया

जांच की किस्म	प्रयोगशाला सुविधाएं/नजर रखने के तरीके	ग्राम स्तर पर उत्तरदायित्व	जांच की बारम्बारता	प्रतिसत्यापन	संपूर्ण उत्तरदयित्व/मानीटरीकरण
1	2	3	4	5	6
पंकता, रंग, स्वाद, गंध, पीएच, संपूर्ण घुलित ठोस, कठोरता	फिल्ड जांच कीट तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हल्द्वानी या देहरादून स्थित प्रयोग''ाालाएं	सहयोगी संस्था जल नमूनों को एकत्र करने तथा उनके वि''लेषण हेतु उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को सहायता करेगी। यह कार्य जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के पर्यावरण वि''ोषज्ञ के साथ मिलकर किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा नियमित रूप से नमूना एकत्र करने की प्रक्रिया का रखरखाव किया जाएगा	तिमाही	जल स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से यादृच्छिद्र नमूनों का वि''लेषण करेंगा। परियोजना प्रबंधन इकाई लोक स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर संवेदन''ाील उप परियोजना क्षेत्र के नमूनों के वि''लेषण का सुनि''चत करेंगा। केवल दो प्रति''ात नमूनों का प्रति–जांच किया जाएगा।	– सकल क्षेत्र में समरूप नीति के एक अंग के रूप में परियोजना प्रबंधन इकाई संबंधित विभागों (लोक स्वास्थ्य विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम तथा वन विभाग) से समन्वय स्थापित करेगा। – सहयोगी संस्थाओं तथा चयनित उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के सदस्यों के प्र''ाक्षण हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ समन्वय स्थापित करेगा। प्र''ाक्षण में नमूनों एकत्र करने की विधि तथा सुरक्षा के उपायों को सम्मिलित किया जाएगा।
नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, फलोराइड, लौह	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोग''ाालाएं मात्र 10 प्रति''ात यादृच्छिद्र नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा जहां ए ए एस का प्रयोग किया जाएगा।	सहयोग संस्था	वर्ष में एक बार	दो प्रति''ात नमूनों की प्रति–जांच जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा लोक स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से की जाएगी	जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के पर्यावरण वि''ोषज्ञ। ग्राम पंचायत / सहयोगी संस्थाएं पर्यावरण वि''ोषज्ञ को डाटाबेस तैयार करने में सहायता करेंगी।
बैक्टीरिया संबंधी, एमपीएम	H_2S स्ट्रीप का प्रयोग	सहयोगी संस्था तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति	वर्ष में दो बार मानसून पूर्व तथा मानसून प''चात	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से कुछ यादृच्छिद्र नमूनों को लेकर जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा	परियोजना प्रबंधन इकाई यह सुनि''चत करेगी कि परियोजना के पहले दो वर्षो के दौरान मास्टर ट्रेनेरों को नियमित रूप से सहयोगी संस्थाओं तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति को प्र''ाक्षत करने के लिए भेजा जा रहा है। परियोजना प्रबंधन इकाई

					यह भी सुनि’’चत करेगी कि H_2S स्ट्रीप की खरीद कर ली गई है और उसे सभी उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों तथा सहयोगी संस्थाओं को दिया गया है।
भारी धातु अव’’ौष	यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोग’’ाालाओं में उपलब्ध ए ए एस के प्रयोग से किया जा सकता है। केवल 10 प्रति’’ात याद्रछिद्र नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा।	परियोजना प्रबंधन इकाई नमूनों वि’’लेषण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ वि’’ौष व्यवस्था करेगा (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर किसी अतिरिक्त भार के बगैर)।	वर्ष में एक बार	लागू नहीं	इस कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता लेगा और इसके लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय 14

सेक्टर कार्यक्रम के लिए मानीटरीकरण तथा आकलन व्यवस्था

उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना (सेक्टर कार्यक्रम) हेतु प्रस्तावित मानीटरीकरण तथा आकलन व्यवस्था अभी उत्तरांचल सरकार द्वारा डिजाइन कर विकसित की जा रही है इसके लिए वि''व बैंक की सहायता ली जा रही है। प्रस्तावित मूल्यांकन तथा आकलन व्यवस्था में निम्नलिखित चार घटक है :

- कंप्यूटर आधारित एम आई एस
- समयावधिक समीक्षा
- दीर्घकालिक मानीटरीकरण तथा आकलन
- समुदाय मानीटरीकरण

14.1 कंप्यूटर आधारित एम आई एस

कंप्यूटर आधारित एम आई एस कुछ संसूचकों के माध्यम से तैयार किया गया है। इन सभी संसूचकों का सत्यापन किया जा सकता है जोकि सूचना प्रवे''ा व्यवस्था के लिए मुख्य आधार बनेंगे। सुझाए गए संसूचकों की निम्नलिखित चार श्रेणियां होंगी :

- भौतिक प्रगति
- वित्तीय प्रगति
- दीर्घकालिकता
- विकासात्मक उद्दे''य

जबकि पहले दो विकास संसूचक है वहीं अन्य दो प्रक्रिया तथा प्रभाव संबंधी संसूचक हैं। संसूचकों के विकास के ढांचे का तर्क मानीटरीकरण तथा आकलन मेनुअल में बताया गया है। इस व्यवस्था से तैयार किया गया आउटपुट रिपोर्ट वही होगा जो संसूचकों की श्रेणियों का है।

सूचनाओं का संग्रह कागज आधारित इनपुट फार्मेट का प्रयोग करके किया जाएगा। सूचनाओं का संग्रह करने का काम संबंधित फिल्ड स्तर के परियोजना स्टाफ द्वारा किया जाएगा। इसके अंर्तगत गैर सरकारी तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा जोकि समुदाय के दक्षता विकास सहयोग के काम में लगी हुई है। इस संबंध में परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

प्रगति संसूचकों का मूल्यांकन सेक्टर/कार्यक्रम विकास उद्दे''यों, ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर विकास, ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ढांचा निवे''ा, समुदाय विकास की पहल, आदिवासी विकास घटक, सकल क्षेत्र संसूचकों, बहुग्रामीण परियोजनाओं इत्यादि से संबंधित संसूचकों का प्रयोग करके किया जाएगा। इन संसूचकाओं में और अधिक उप प्राचल भी होंगे इन सभी को मिलाकर प्रगति मानीटरीकरण के लिए कुल 73 संसूचक होंगे।

14.2 समयावधिक समीक्षा

समयावधिक समीक्षा की एक व्यवस्था सुझाई गई है जिससे कि परियोजना प्रबंधक तथा अन्य सहभागी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के गुणात्मक पहलु पर नजर रख सकें और ग्राम पंचायतों में परियोजना के अंर्तगत समुदाय संबंधी प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकें। इससे परियोजना प्रबंधकों को क्षेत्रीय अनुभव से ''ाक्षा ग्रहण करने में सुविधा रहेगी और परियोजना डिजाइन तथा रणनीति को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उपायों हेतु सुझाव दिए जा सकेंगे। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभाव''ााली ढंग से कार्य किया जा सकेगा। समयावधिक समीक्षा जनपद तथा राज्य के दल द्वारा संपन्न किया जाएगा। जनपद का दल तीन महीने तक समयावधिक समीक्षा करेगा जबकि राज्य इकाई कुछ नमूना ग्राम पंचायतों में यह कार्य वर्ष में दो बार करेगा। समयावधिक समीक्षा तथा एसएमई के बीच संबंध स्थापित करने हेतु उपयुक्त तंत्र का भी सुझाव दिया गया है। समयावधिक समीक्षा की व्यवस्था के

अंर्तगत उन मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया है जिन पर समुदाय स्तर पर विचार–विम''ा किया जाएगा साथ ही साथ अध्ययन के लिए अंगीकृत की जाने वाली विधियों को भी बताया गया है।

सेक्टर कार्यक्रम के एक वर्ष पूरा हो जाने के प''चात मानीटरीकरण संसूचकों तथा प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा जिससे की उन्हें और अधिक बेहतर बनाया जा सके। यह काम विभिन्न सहयोगियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाएगा। इसके प''चात सं''ोधित योजना के अंर्तगत उपचार उपायों को विकसित किया जाएगा और उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रत्येक बैच के कार्य निस्पादन के प''चात दोहराई जाएगी।

14.3 दीर्घकालिकता मानीटरीकरण तथा आकलन

मानीटरीकरण तथा आकलन व्यवस्था के दीर्घकालिकता मानीटरीकरण तथा आकलन घटक का मुख्य उद्‌दे''य परियोजना के दीर्घकालिकता की संभावनाओं पर नजर रखने के साथ–साथ उन पर सम्पत्तियों पर भी नजर रखना है जिन्हें परियोजना के जीवन चक्र के दौरान बनाया गया है। यद्यपि निर्मित परियोजना और सेवा की सही दीर्घकालिकता केवल संचालन तथा रखरखाव प्रावस्था में ही देखी जा सकती है। अतः उन तथ्यों को, जोकि दीर्घकालिकता का निर्णय लेने में सहायक होते हैं, चिन्हित करना तथा उनको लागू करना नियोजन अवस्था से प्रारंभ कर क्रियान्वयन प्रावस्था पर करना चाहिए।

अतः दीर्घकालिकता मानीटरीकरण तथा आकलन का कार्य नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन तथा रखरखाव प्रावस्था में किया जाना प्रस्तावित है।

दीर्घकालिकता के आकलन हेतु 12 प्राचल प्रस्तावित है। इन प्राचलों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में रखा गया है जैसे संस्थागत, तकनीकी, वित्तीय तथा सामाजिक दीर्घकालिकता। विभिन्न शीर्षों के अंर्तगत उप प्राचलों में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों का निर्माण, ग्राम पंचायत के साथ संबंध, दक्षता निर्माण, उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के सदस्यों की भागीदारी, सहयोगी संस्था की सहायता, जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई की सहायता, तकनीकी उपाय, आच्छादन, समुदाय अं''ादान, खुले में शौच की प्रथा को दूर करने के लिए इच्छा, स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई के लाभ तथा एसएचजी का निर्माण तथा उसे मजबूती प्रदान करना इत्यादि को सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक प्राचल में एक से अधिक उप प्राचल हैं।

14.4 समुदाय मानीटरीकरण

यह परियोजना समुदाय आधारित, सहभागिता तथा मांग पूर्ति की प्रकृति वाली है। इसका मूल अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता समुदाय का प्रत्येक सदस्य, वि''ोष रूप से महिलाएं, परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव की प्रत्येक अवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होगा। अतः यह संभावना व्यक्त की गई है कि परियोजना की परिसंपत्तियों तथा उससे होने वाले लाभ की दीर्घकालिकता समुदाय द्वारा पूरी प्रक्रिया में प्रभाव''ाली ढंग से सम्मिलित होने पर निर्भर करेगी।

बहारी एजेंसियां जैसे उत्तरांचल सरकार, राज्य जल तथा स्वच्छता मि''ान, गैर सरकारी संस्थाएं तथा अन्य सहयोगी संस्थाएं परियोजना ग्राम में केवल क्रियान्वयन प्रावस्था की समाप्ति तक मौजूद रहेंगी और कुछ समय के लिए साथ देने के लिए संचालन तथा रखरखाव प्रावस्था में भी ये एजेंसियां रह सकती है, यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो। उपभोक्ता समुदाय तथा उनकी प्रतिनिधि संस्था जैसे उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति मुख्य रूप से परियोजना के संचालन तथा रखरखाव प्रावस्था में उसे चालू करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

इसको ध्यान में रखते हुए एक समुदाय मानीटरीकरण की व्यवस्था तैयार की गई है। जिससे की समुदाय के सदस्यों को परियोजना की सभी प्रावस्थाओं में उसकी प्रगति पर नजर रखाी जा सके। इस व्यवस्था में मूल रूप से सहभागिता मानीटरीकरण उपायों के विषय में सूझाव दिए गए हैं। जिन्हें समुदाय के सदस्य आसानी से समझ कर

प्रयोग कर सकते हैं। यदि आव''यक हुआ तो प्रारंभ में इसके लिए उन्हें प्र''िक्षण तथा सहायता दी जाएगी। समुदाय मानीटरीकरण संसूचकों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि समुदाय के लोग ग्राम स्तर पर प्रत्येक प्रावस्था–नियोजन प्रावस्था, क्रियान्वयन प्रावस्था तथा संचालन एवं मानीटरीकरण प्रावस्था के दौरान प्रक्रिया की प्रगति का मानीटरीकरण कर सकें। समुदाय मानीटरीकरण के लिए 33 संसूचक हैं।

14.4.1 समुदाय मानीटरीकरण संसूचक

आंकड़े समुदाय द्वारा दिए जाएंगे

नियोजन प्रावस्था

क्र.सं.	समुदाय मानीटरीकरण मुद्दा संसूचक
1	समुदाय द्वारा जल तथा समुदाय स्वच्छता कोम्पलेक्स स्थलों का चयन
a	समुदाय द्वारा जल तथा समुदाय स्वच्छता कोम्पलेक्स के 100 प्रति''ात निर्माण हेतु स्थलों का चयन
2	सहयोगी संस्था द्वारा ग्रामीण की जानी वाली गतिविधियां
a	ग्राम स्तर पर प्रक्रिया को चलाने के लिए सभी प्रकार की गतिविधियों को समय से प्रारंभ करना (सहयोगी संस्था द्वारा संदर्भित सूची के अनुसार)
3	निर्णय लेने संबंधी सूचना
	परियोजना के निर्माण हेतु लिए गए प्रमुख निर्णयों के विषय में समुदाय की जागरूकता
4	संचालन तथा रखरखाव शुल्क संबंधी अनुबंध
a	संचालन तथा रखरखाव मूल्य के आधार पर संचालन तथा रखरखाव शुल्क को निर्धारित करना
5	खुले में शौचालय की प्रथा को दूर करने हेतु समुदाय की स्वीकारिता
a	• समुदाय के सदस्यों द्वारा समुदाय की बैठक में खुले में शौच को रोकने के लिए इच्छा जाहिर करना
b	• खुले में शौच करने पर समुदाय द्वारा दंड
6	• आईएचएचएल के लिए तकनीकी उपायों के संबंध में लोगों की जानकारी तथा उसकी उपलब्धता
a	स्वच्छता के लिए लोगों द्वारा तकनीकी विकल्पों का चुनाव
7	व्यवहार संबंधित व्यक्तिगत साफ–सफाई, घरेलू तथा पर्यावरणीय स्वच्छता
a	जैसा कि समुदाय द्वारा विकसित किया गया हो
8	समुदाय कार्य योजना बनाने में समुदाय की भागीदारी
a	समुदाय कार्य योजना के विषय में समुदाय के सदस्यों की जानकारी

क्रियान्वयन प्रावस्था

क्र.सं.	समुदाय मानीटरीकरण मुद्दा संसूचक
1	जल आपूर्ति परियोजना के निर्माण की गुणवत्ता जैसे सीमेंट का प्रयोग, चयन किए गए स्थान पर निर्माण
a	डीपीआर में दी गई वि''िष्टताओं के अनुसार निर्माण गुणवत्ता होनी चाहिए
2	खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता
a	खरीदी गई सारी सामग्री आईएसआई गुणवत्ता वाली होनी चाहिए
3	रिकार्ड यथा लोगों को बैंक बैलेंस की जानकारी होनी चाहिए
a	साक्षात्कार किए गए चार लोगों में से केवल एक को बैंक बैलेंस संबंधी जानकारी
4	ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/उत्पाद केंद्र तक समुदाय के सदस्यों की पहुंच
a	समुदाय के सदस्यों को स्वच्छता संबंधी सामग्री बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध होगी
5	व्यक्तिगत गृह शौचालय के निर्माण हेतु समुदाय की पहल
a	निर्मित व्यक्तिगत गृह शौचालयों की संख्या
6	स्कूल स्वच्छता शौचालयों का निर्माण
a	स्कूलों में लड़कियों तथा लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालय निर्मित किए जाएं
7	पर्यावरण स्वच्छता सुविधाओं जैसे सॉकपीट, कचरा गढ्ढा, कम्पोस्ट गढ्ढा तथा नाली इत्यादि का निर्माण

	तथा उनकी गुणवत्ता
a	समुदाय कार्य योजना की वि''ाष्टताओं के अनुरूप निर्मित सॉफ्टपीट, कचरा गढ्ढा, कम्पोस्ट गढ्ढा तथा नालियों की लंबाई की संख्या तथा उनकी गुणवत्ता
8	व्यक्तिगत तथा सामुदायिक शौचालयों तथा अन्य पर्यावरणीय स्वच्छता सुविधाओं जैसे सॉफ्टपीट, कचरा गढ्ढा, कम्पोस्ट गढ्ढा तथा नालियों के निर्माण हेतु उपलब्ध तकनीकी जानकारी
a	स्थानीय रूप से उपलब्ध प्र''ाक्षित मिस्त्री को शौचालय तथा अन्य पर्यावरणीय स्वच्छता सुविधाओं यथा सॉफ्टपीट, कचरा गढ्ढा, कम्पोस्ट गढ्ढा तथा नालियों के निर्माण में लगाया जाए।
9	व्यवहार संबंधित व्यक्गित साफ–सफाई, घरेलू तथा पर्यावरणीय स्वच्छता
a	जैसा कि समुदाय द्वारा विकसित किया गया हो
10	ग्राम में सहयोगी संस्था/परामर्'ादायी एजेंसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियां
a	समुदाय उत्प्रेरण तथा दक्षता निर्माण को समय से प्रारंभ करने के लिए सहयोगी संस्था/परामर्'ादायी एजेंसी के संदर्भित सूची में दी गई सभी गतिविधियां

संचालन तथा रखरखाव प्रावस्था

क्र.सं.	समुदाय मानीटरीकरण मुद्दे
1	कार्य
a	सभी जल स्त्रोतों से प्रतिदिन 10 घंटे पानी लिया जाए, महीनें में 30 दिन तथा वर्ष में 12 महीनें
2	भौतिक स्थितियां
a	सभी जल स्त्रोत पहुंच में हों और जल स्त्रोतों के आस–पास स्वच्छ वातावरण हो
3	सुरक्षित जल का प्रयोग
a	केवल सुरक्षित जल का ही प्रयोग खाना बनाने तथा पीने के लिए किया जाए
4	संचालन तथा रखरखाव के लिए भुगतान
a	10 नंबर के गृहों द्वारा संचालन तथा रखरखाव के शुल्क नियमित भुगतान किया जाए
5	छोटे तथा बड़े मरम्मत के लिए लिया गया समय

क्र.सं.	समुदाय मानीटरीकरण मुद्दे
1	कार्य
a	सभी जल स्त्रोतों से प्रतिदिन 10 घंटे पानी लिया जाए, महीनें में 30 दिन तथा वर्ष में 12 महीनें
a	सभी छोटी मरम्मत को X दिनों तथा बड़ी मरम्मत Y दिनों में
6	उपभोक्ताओं के संतुष्टि
a	X प्रति''ात से भी अधिक लोग परियोजना के क्रियाकलापों से संतुष्ट हैं
7	खुले में शौच की प्रथा में कमी
a	अधिक से अधिक लोग शौचालय का प्रयोग करने लगे हैं
b	खुले में शौच करने पर समुदाय द्वारा दंड लगाया जा रहा है
8	शौचालयों का प्रयोग तथा रखरखाव
a	निर्मित 100 प्रति''ात व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता सुविधाएं कार्य कर रही हैं तथा उनका प्रयोग हो रहा है
b	सभी व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता सुविधाओं की रखरखाव तथा नियमित सफाई की जा रही है
c	समय पर मरम्मर का कार्य किया जा रहा है यह कार्य स्थानीय रूप से उपलब्ध प्र''ाक्षित तकनी''ायन द्वारा किया जा रहा है
9	हाथ धोने का काम
a	समुदाय के सभी सदस्य शौच के प''चात अपना हाथ साबुन/राख से साफ कर रहें हैं
b	बच्चों की सफाई के प''चात भी साबुन या राख से हाथ धोया जा रहा है
10	सीएससी का संचालन तथा रखरखाव
a	सीएससी के संचालन तथा रखरखाव की आव''यकताओं को ग्राम पंचायत पूरा कर रही है
11	एसएसएल/एसडब्लूएल/बीडब्लूएल का संचालन तथा रखरखाव
a	एसएसएल/एसडब्लूएल/बीडब्लूएल के संचालन तथा रखरखाव की आव''यकताओं को पीटीए/स्कूल

	के अधिकारी पूरा कर रहें हैं
12	ठोस कचरे तथा अतिरिक्त जल का सुरक्षित निस्तारण
	1. ग्राम की सड़कें साफ हैं 2. जल स्त्रोतों के आस–पास स्थिर जल का गढ्ढा नहीं है 3. नालियों साफ तथा कार्य कर रही हैं
	4. कचरे को कचरे गढ्ढे मे निस्तारित किया जा रहा है
	5. गाय के गोबर को कम्पोस्ट कीट में निस्तारित किया जा रहा है
13	बच्चों के शौच का सुरक्षित निस्तारण
b	बच्चो के शौच को शौचालयों में निस्तारित किया जा रहा है
14	व्यक्तिगत साफ सफाई, घरेलू तथा पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधित व्यवहार
a	जैसा कि समुदाय द्वारा विकसित किया गया है
15	महिलाओं द्वारा प्रतिदिन के समय के उपयोग की प्रवृत्ति
a	बचे हुए समय का उत्पादकता कार्यों के लिए प्रयोग

सेक्टर/कार्यक्रम संसूचक

क्र.सं.	**विवरण**	**डाटा देने वाले**
अ सेक्टर/कार्यक्रम विकास उद्देश्य		
1	***पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय समुदाय को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
A	**विकेंद्रीत बहतर जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं को स्थापित करना**	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
1	X प्रति’’ात ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं का उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा प्रबंधन	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
2	गृहों में निर्मित स्वच्छता शौचालयों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
3	निर्मित प्रवाह तंत्र का किलोमीटर	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
B	***स्थानीय स्तर की संस्थाओं की समृद्व तथा दक्षता निर्माण***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
4	X प्रति’’ात उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति के सदस्यों का परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव में प्र’’िक्षण	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
5	सहयोगी संस्थाओं के व्यक्तियों–दिनों के प्र’’िक्षण की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
C	*लाभान्वित व्यवित तथा महिलाओं एवं अन्य अल्प संख्यक समूहों का निर्णय लेन में बढ़ी भूमिका*	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
6	परियोजना के अंर्तगत अनाच्छादित/आं’’िक रूप से आच्छादित आबादियों का X प्रति’’ात	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
7	नवीन परियोजनाओं से आच्छादित आबादी	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
8	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति में अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही महिलाओं की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
9	परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाती/अनुसूचित जन जाति की आबादी का X नंबर जिन्हें सुरक्षित तथा संमुचित जल स्त्रोत उपलब्ध है	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
D	***दीर्घकालिकता तथा विकेंद्रीकृत प्रबंधन***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
10	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त प्रदत तथा प्रबंधित नई परियोजनाओं का संचालन तथा रखरखाव	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
11	मसिक संचालन तथा रखरखाव शुल्क अदा करने वाले गृहों का X प्रति’’ात	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.

12	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की घटनाओं में कमी	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
2	***राज्य को सेक्टर सुधार के क्रियान्वयन में सहायता करना जिसमें ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं की दीर्घकालिकता को बेहतर करने के लिए नीयितां तथा संस्थागत व्यवस्था भी सम्मिलित है***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
13	***उत्तरांचल पेयजल निगम/उत्तरांचल जल संस्थात द्वारा चालू किए गए या पुर्ननिर्मित किए गए एकल ग्राम परियोजनाओं का प्रतीत जिसमें समुदाय द्वारा पूंजी लागत में भागीदारी करने के दृष्टिकोण को अपनाया गया है***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
14	***राज्य स्तर पर सेक्टर एमआईएस को विकसित करना और उसे लागू करना***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
15	***स्वीकृति सेक्टर दृष्टिकोण तथा भारत सरकार के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार शासनादेश को जारी करना***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
B आउटपुट संसूचक		
3	***ग्रामीण ज्ल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर विकास***	
A	**सेक्टर संस्थाओं के संस्थागत परिवर्तनों के लिए सहयोग**	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
16	जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई के सहयोग से जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान की स्थापना	परियोजना प्रबंधन इकाई
B	***सेक्टर संस्थाओ के दक्षता निर्माण तथा संमृद्ध कार्यक्रम***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
17	संचालन के सभी स्तरों पर सहभागियों के लिए प्र''ाक्षण व्यक्ति–दिन	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
18	स्ंचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग की दक्षता तथा पहुंच रखने वाले उभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति / जेपीएस का X प्रति''ात	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
C	***ज्ल गुणवत्ता मीनीटरीकरण तथा देखरेख***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
19	वर्तमान में जनपद स्तर पर जल गुणवत्ता मानीटरीकरण प्रयोग''ाालाओं की संमृद्ध की X संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
D	***किए गए सेक्टर अध्ययन***	
20	किए गए अध्ययनों की संख्या	परियोजना प्रबंधन इकाई
4	***ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ढांचा लागत***	
A	***जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं का उच्चीकरण तथा/या निर्माण, दक्षता के अनुसार संचालन, उपयुक्त स्त्रोत समृद्धी उपायों के साथ***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
21	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों द्वारा निर्मित तथा प्रबंधित जल आपूर्ति परियोजनाओं की X संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
22	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति / ग्राम पंचायत में 'नही' खुले शौच का X प्रति''ात	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
23	चालू साफ–सफाई तथा स्वच्छता सुविधाओं से आच्छादित सभी स्कूल तथा आंकनबाड़ी	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
24	चालू परियोजनाओं की X संख्या जहां जलग्रहण क्षेत्र उपचार किया गया हो	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
25	चालू की गई वर्ष जल संभरण इकाईयों की X संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.

B	**स्वच्छता सेवाओं तथा साफ-सफाई व्यवहार में बढ़ोत्तरी**	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
26	उन गृहों का X प्रति''ात जहां लक्ष्य से अधिक स्वच्छता सुविधाओं में वृद्धि हुई हो	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
27	निर्मित कम्पोस्ट गढ्ढों की X संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
28	निर्मित सॉक्पीट की X संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
29	निर्मित कचरे गढ्ढों की X संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
30	स्थापित ग्रामीण स्वच्छता मार्ट	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
31	किए गए ग्रामीण सफाई अभियान	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
32	लोक कार्यक्रम अभियान जिन्हें प्रारंभ किया गया है	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
5	***समुदाय विकास पहल***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
33	स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा उनका बैंक से संबंध	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
34	जल आपूर्ति परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए गठित उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियां	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
6	***जनजातिय विकास घटक***	परियोजना प्रबंधन इकाई
35	परियोजना के अंर्तगत चयनित किए गए ग्रामों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
36	उन जनजातिय ग्रामों की संख्या जहां उपभोक्ता समूहों का गठन किया गया है	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
37	उन उपभोक्ता समूहों की संख्या जहां जनजातिय प्रतिनिधित्व 50 प्रति''ात से अधिक है	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
38	उन जनजातिय ग्रामों की संख्या जहां समूदाय लागत साझेदारी को उपलब्ध किया गया है	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
39	चालू की परियोजनाओं की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
7	***सकल क्षेत्र संसूचक***	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
40	अनाच्छादित/आं''िाक आच्छादित/पूर्ण रूप से आच्छादित ग्रामों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
41	तकनीकी सहयोग के लिए ग्राम पंचायत/जिला परिषद में स्थातंरित जल निगम/जल संस्थान के स्टाफ की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
42	सुधार के सिद्धांतों को अमल में लाते हुए राज्य में निर्मित जल आपूर्ति परियोजनाओं की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
43	ग्रामीण विकास विभाग के अंर्तगत एक प्रकोष्ठ बनाया गया है जोकि सकल क्षेत्र के क्रियाकलापों का मानीटरीकरण तथा आकलन करेगा	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
44	प्रकोष्ठ में प्र''िाक्षित कर्मचारियों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
45	लक्ष्य के अनुरूप आच्छादित किए गए अनाच्छादित ग्रामों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.

46	लक्ष्य के अनुरूप आच्छादित किए गए आंशिक आच्छादित ग्रामों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
47	रखरखाव तथा पुर्नउद्धार के पश्चात उपभोक्ता समूहों को हस्तांतरित की गई मौजूदा एकल ग्राम परियोजनाओं की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
48	रखरखाव तथा पुर्नउद्धार के पश्चात उपभोक्ता समूहों को हस्तांतरित की गई मौजूदा बहुग्राम परियोजनाओं की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
49	विभिन्न स्त्रोतों से आने वाली राशि की समुचित देखरेख के लिए डीडब्ल्लूडी के अंर्तगत फंड बोर्ड की स्थापना	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
50	ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर के लिए आवंटित बजट हेतु विभिन्न स्त्रोतों (भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य) से कुल प्राप्त राशि	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
51	लक्ष्य के अनुसार ग्राम पंचायतों/जनपद जल तथा स्वच्छता मिशन को अवमुक्त की गई कुल राशि	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
52	लक्ष्य के अनुसार एकल ग्राम परियोजनाओं में एकत्रित शुल्क का प्रतिशत	परियोजना प्रबंधन इकाई
53	लक्ष्य के अनुसार बहुग्राम परियोजनाओं में एकत्रित शुल्क का प्रतिशत	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
54	चालू की गई नवीन एकल ग्राम परियोजनाओं की संख्या	परियोजना प्रबंधन इकाई
55	चालू की गई नवीन बहुग्राम परियोजनाओं की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
56	नवीन एकल ग्राम परियोजना से लाभान्वित कुल आबादी	परियाजना प्रबंधन इकाई
57	नवीन बहुग्राम परियोजना से लाभान्वित कुल आबादी	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
58	ग्राम पंचायतों को पूर्ण चालू हालत में हस्तांतरित की गई एकल ग्राम परियोजनाओं की संख्या	परियाजना प्रबंधन इकाई
59	ग्राम पंचायतों को आंशिक रूप से चालू हालत में हस्तांतरित की गई एकल ग्राम परियोजनाओं की संख्या	परियाजना प्रबंधन इकाई
60	ग्राम पंचायतों को बगैर चालू हालत में हस्तांतरित की गई एकल ग्राम परियोजनाओं की संख्या	परियाजना प्रबंधन इकाई
61	उन परियोजनाओं की संख्या जहां स्त्रोत डिस्चार्ज सेवा स्तर की सीमा से बहुत कम हो गया है	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
62	जल निगम द्वारा प्रबंधित बहुग्राम परियोजना की संख्या	उत्तरांचल जल निगम
63	जल संस्थान द्वारा प्रबंधित बहुग्राम परियोजना की संख्या	उत्तरांचल जल संस्थान
64	आपूर्ति आधरित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पूरी की गई परियासेजना का प्रतिशत	उ.ज.सं., उ.ज. नि., प.प्र.ई.
8	***बहुग्राम परियोजनाएं***	उ.ज.सं., उ.ज. नि.
65	नियोजित बहुग्राम परियोजना की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि.
66	आच्छादित ग्राम पंचायतों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि.,
67	आच्छादित ग्रामों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि.
68	बहुग्राम परियोजनाओं से लाभान्वित कुल आबादी	उ.ज.सं., उ.ज. नि.
69	संगठित ग्रामीण जल तथा स्वच्छता समितियों/फडरेशनों की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि.
70	संगठित ग्रामीण जल तथा स्वच्छता समितियों/फडरेशनों के प्रशिक्षित व्यक्ति	उ.ज.सं., उ.ज. नि.

71	निर्मित बहुग्राम परियोजनाओं की संख्या जिन्हें ग्रामीण जल तथा स्वच्छता समितियों को शौपा गया है	उ.ज.सं., उ.ज. नि.
72	उन बहुग्रामीण परियोजनाओं की संख्या जिन्हे चालू करने के एक वर्ष बाद पूर्ण रूप से कार्यरत किया गया हो	उ.ज.सं., उ.ज. नि.
73	चालू करने के एक वर्ष प''चात निर्धारित लक्ष्य के 50 प्रति''ात से अधिक शुल्क संग्रह करने वाली बहुग्राम परियोजनाओं की संख्या	उ.ज.सं., उ.ज. नि.

दीर्घकालिकता मानीटरीकरण संसूचना

आवश्यक शर्त : स्त्रोत डिस्चार्ज	
परियोजना के स्त्रोत डिस्चार्ज का आंकलन निम्नलिखित उपायों से किया जाएगा	
समुदाय की आव''यकताओं तथा कम होते स्त्रोत डिस्चार्ज को ध्यान में रखते हुए जलग्रहण क्षेत्र सुरक्षा उपायों को डीपीआर में प्रस्तावित किया गया है	**A**
चूंकि समुदाय की आव''यकताओं के अनुसार स्त्रोत डिस्चार्ज में कोई कमी नहीं आने वाली है इसलिए जलग्रहण क्षेत्र सुरक्षा उपायों को प्रस्तावित नही किया गया है	**B**
यद्यपि समुदाय की आव''यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्त्रोत डिस्चार्ज सुरक्षित उत्पादन से कम रहा है फिर भी स्त्रोत सुरक्षा उपायों को प्रस्तावित नहीं किया गया है	**C**

क्र.सं.	प्राचल	आंकड़ें इनके द्वारा दिए जाएंगे
I.	**संस्थागत दीर्घकालिकता**	आंकड़े ग्राम वासियों तथा उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों द्वारा दिए जाएंगे और उनका विश्लेषण स्वतंत्र एजेंसियों/जनपद परियोजना प्रबंणन इकाई/परियासेजना प्रबंधन इकाई/उत्तराचल जल संस्थान/उत्तरांचल जल निगम द्वारा किया जाएगा
1.	***उभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति का संगठन***	
	परियोजना के नियमों के अनुसार उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति का गठन गरीब तथा अल्प संख्यक समुहों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए किया गया है।	
	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के गठन में गरीब तथा अल्प संख्यक समूहों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।	
2.	***ग्राम पंचायत के संबंध***	
	जेपीएस का गठन किया गया है और उसमें उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के सदस्यों को दिया गया है। उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समिति/जेपीएस द्वारा दिए गए निर्णय पर ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की बैठकों में विचार–विम''ा किया गया है।	
	जेपीएस का गठन किया गया है परंतु उसमें उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तथा ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के बैठकों में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति/जेपीएस के निर्णयों पर विचार–विम''ा नहीं किया गया।	
	जेपीएस का गठन किया गया है परंतु इसमें उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के सदस्यों का न तो लिया गया है और न ही ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की बैठकों में उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति/जेपीएस के निर्णयों पर विचार–विम''ा किया गया है	
	जेपीएस का गठन नहीं किया गया है	
3.	**दक्षता निर्माण**	
	सभी उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति एवं जेपीएस के सदस्यों को प्र''ाक्षण दिया गया है तथा दक्षता निर्माण में भूमिका तथा उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन कार्य हेतु उप नियम बनाने दिए गए हैं।	
	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति तथा जेपीएस के कुछ सदस्यों को प्र''ाक्षण दिया गया है तथा दक्षता निर्माण में भूमिका तथा उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन कार्य हेतु उप नियम बनाने दिए गए हैं।	
	केवल उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के सदस्यों को	

	प्र''िक्षण दिया गया है तथा दक्षता निर्माण में भूमिका तथा उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन कार्य हेतु उप नियम बनाने दिए गए हैं।	
	न तो दक्षता निर्माण गतिविधियों को लिए कोई प्र''िक्षण दिया गया है और न ही प्रबंधन कार्य हेतु उप नियम ही बनाए गए हैं।	
4.	***उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के सदस्यों की सहभागिता***	
	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के सदस्यों ने पिछली तीन लगातार बैठकों में 100 प्रति''ात भागीदारी की है।	
	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के सदस्यों ने पिछली तीन लगातार बैठकों में 75 प्रति''ात से अधिक ने भागीदारी की है।	
	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के सदस्यों ने पिछली तीन लगातार बैठकों में 50 प्रति''ात से अधिक ने भागीदारी की है।	
	उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समिति के सदस्यों ने पिछली तीन लगातार बैठकों में 50 प्रति''ात से भी कम ने भागीदारी की है।	
5.	**सहयोगी संस्था सहायता**	
	कार्य करने की दर 7.5 से अधिक	
	कार्य करने की दर 5–7.5 के बीच में	
	कार्य करने की दर 5 से कम	
6.	***जनपद जल तथा स्वच्छता मि''ान/जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई सहयोग***	
	कार्य करने की दर 7.5 से अधिक	
	कार्य करने की दर 5–7.5 के बीच में	
	कार्य करने की दर 5 से कम	
II.	**तकनीकी दीर्घकालिकता**	
7.	**तकनीकी उपाय**	
	जल आपूर्ति तकनीकी उपायों तथा स्टेंड पोस्ट/हैंड पम्प के स्थान के संबंध में कोई विवाद नहीं है।	
	जल आपूर्ति तकनीकी उपायों तथा स्टेंड पोस्ट/हैंड पम्प के स्थान के संबंध में विवाद है।	
8.	**आच्छादन**	
	पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं द्वारा ग्राम में सभी गृहों आच्छदित करने का प्रस्ताव है।	
	आव''यकता होने पर भी कुछ गृहों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य अल्प संख्यक समूहों को सम्मिलित करते हुए) छोड़ दिया गया है।	
	आव''यकता होने पर भी कुछ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य अल्प संख्यक समूहों को छोड़ दिया गया है।	
III.	**वित्तीय दीर्घकालिकता**	
9.	**सामुदायिक अंशदान**	
	परियोजना के नियमों के अनुसार जल आपूर्ति परियोजना के रखरखाव तथा संचालन हेतु पूंजी लागत के अं''ादान को सभी उपभोक्ताओं ने अदा कर दिया है।	
	परियोजना के नियमों के अनुसार जल आपूर्ति परियोजना के रखरखाव तथा संचालन हेतु पूंजी लागत के अं''ादान को 75 प्रति''ात उपभोक्ताओं ने अदा कर दिया है।	
	परियोजना के नियमों के अनुसार जल आपूर्ति परियोजना के रखरखाव तथा संचालन हेतु पूंजी लागत के अं''ादान को 75 प्रति''ात से कम उपभोक्ताओं ने अदा कर दिया है।	
IV.	**सामाजिक दीर्घकालिकता**	
10.	खुले में शौचालय की प्रथा को समाप्त करने हेतु इच्छा	
	खुले में शौचालय की प्रथा को दूर करने के लिए 100 प्रति''ात गृहों ने मंजूरी दी है	

	खुले में शौचालय की प्रथा को दूर करने के लिए 75 प्रति’’ात से अधिक गृहों ने मंजूरी दी है	
	खुले में शौचालय की प्रथा को दूर करने के लिए 50 प्रति’’ात से अधिक गृहों ने मंजूरी दी है	
	खुले में शौचालय की प्रथा को दूर करने के लिए 50 प्रति’’ात से कम गृहों ने मंजूरी दी है	
11.	**स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई के लाभ**	
	5 वर्ष से कम आयु के बच्चें जोकि पिछले 7 दिनों से डायरिया से पीड़ित थे उनका प्रति’’ात 5 से कम है।	
	5 वर्ष से कम आयु के बच्चें जोकि पिछले 7 दिनों से डायरिया से पीड़ित थे उनका प्रति’’ात 7 से कम है।	
	5 वर्ष से कम आयु के बच्चें जोकि पिछले 7 दिनों से डायरिया से पीड़ित थे उनका प्रति’’ात 10 से कम है।	
	5 वर्ष से कम आयु के बच्चें जोकि पिछले 7 दिनों से डायरिया से पीड़ित थे उनका प्रति’’ात 10 से अधिक है।	
12.	**एसएचजी का गठन तथा सुदृढ़ीकरण**	
	एसएचजी जिनका स्कोर 75 से अधिक है	
	एसएचजी जिनका स्कोर 50–75 के बीच है	
	एसएचजी जिनका स्कोर 50 से कम है	

सेक्टर कार्यक्रम के लिए परिणाम का ढांचा संलग्नक 35 में प्रस्तुत किया गया है।

संलग्नक

दिसम्बर, 2006

संलग्नकों की सूची

संलग्नक 1 राज्य का परिचय

संलग्नक 2 आर.जी.एन.डी.डब्लू.एम. सर्वे का ब्यौरा

संलग्नक 3 मध्यम अवधि के विकास कार्यक्रम

संलग्नक 4 सेक्टर कार्यक्रम हेतु परिकल्पनाएं

संलग्नक 5 उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर कार्यक्रम का ब्यौरा

संलग्नक 6 उत्तरांचल जल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान, परियोजना प्रबंधन इकाई के मानव शक्ति का ब्यौरा

संलग्नक 7 सकल क्षेत्र में समरूप नीति कार्यक्रम का प्रस्तावित संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 8 उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता समितियों के लिए अधिसूचना नंबर 308–86–(16)–2005

संलग्नक 9 राज्य जल तथा स्वच्छता मि’’ान सचिवालय का संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 10 परियोजना प्रबंधन इकाई का संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 11 उत्तरांचल पेय जल निगम का संस्थागत चार्ट

संलग्नक 12 उत्तरांचल जल संस्थान का संस्थागत चार्ट

संलग्नक 13 जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई का संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 14 उत्तरांचल जल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान के जनपदीय प्रभागों का संस्था–रेखाचित्र

संलग्नक 15 प्रारंभिक सूचना ि’’क्षा संचार हेतु सेवा एजेंसियों के लिए संदर्भित विषय

संलग्नक 16 स्टाफ की आव’’यकताओं का ब्यौरा

संलग्नक 17 सहायता संस्थाओं की पात्रता कसोटी (मानदंड)

संलग्नक 18 सेक्टर कार्यक्रम हेतु सहयोगी संस्थाओं के इन्टेक प्रपत्र

संलग्नक 19 सहयोगी संस्था आकलन प्रपत्र

संलग्नक 20 सेक्टर कार्यक्रम हेतु ग्राम पंचायतों के चयन/बरियता के मानदंड

संलग्नक 21 सेक्टर कार्यक्रम में सौभागिता हेतु ग्राम पंचायतों के लिए वचनबंध टिप्पणी

संलग्नक 22 सेक्टर कार्यक्रम में बहुग्रामीण परियोजनाओं हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा लिए जाने वाली संयुक्त वचनबंध

संलग्नक 23 नियोजन प्रावस्था अनुबंध

संलग्नक 24 ग्राम पंचायतो के चयन हेतु पूर्व साध्यता फोर्मेट

संलग्नक 25 कार्यान्यिन प्रावस्था का तिमाही (क्वाडरूपेल) अनुबंध

संलग्नक 26 बृहिर्गमन रणनीति

संलग्नक 27 उत्तरांचल पेयजल निगम, बहुलग्राम परियोजना स्तर समिति तथा जनपद जल तथा स्वच्छता समिति के बीच समझोता ज्ञापन

संलग्नक 28 उत्तरांचल जल संस्थान,, बहुलग्राम परियोजना स्तर समिति तथा जनपद जल तथा स्वच्छता समिति के बीच समझोता ज्ञापन

संलग्नक 29 तकनीकी मुद्दे

संलग्नक 30 बैच 1 हेतु दक्षता विकास योजना

संलग्नक 31 बैच 1 हेतु मीडिया कार्य योजना

संलग्नक 32 वन भूमि हस्तांतरण

संलग्नक 33 स्त्रोत केंद्रीय उपचार कार्यों हेतु लागत

संलग्नक 34 परयावरणीय कर्म संहिता

संलग्नक 35 मानीटरीकरण तथा ढांचा कार्यों के परिणाम